



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2016/आषाढ़ 24, 1938

No. 494]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2016/ ASADHA 24, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 701(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के धारा 44 के साथ पठित धारा 5, धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13, धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 21 और धारा 41 द्वारा दशकिय का योग करते ए और आयुध नियम, 1962 को उन बात के सिवाय अधिांत करते ए जिह ऐसे अधिा मण से पूव कया गया है या कए जाने का लोप कया गया है नि लिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1

साधारण

1. **संि नाम.-** (1) इन नियम का संि नाम आयुध नियम, 2016 है।
(2) ये राजप म काशन क तारीख को वृत्त हगे।
2. **परभाषाएं—** (1) इन नियम म जब तक क संदभ से अ यथा अपेि त न हो,-
 - (1) “अधिनियम” से आयुध अधिनियम 1959 (1959 का 54) अभिेत है ;
 - (2) “वायु श ” से ऐसी युि अभिेत है जो संपीडित वायु या अ य गैस के दबाव के अधीन कसी नाल से ेप्य कया जाता है कतु जिसके अंतर्गत ऐसा करने के लिए कोई वि फोटक योग नह कया जाता है ;
 - (3) “पुरात व लघु आयुध” से 1899 से पूव विनि मत अ आयुध अभिेत है ;
 - (4) “अपील ाधिकरण” से नियम 105 म नि द अपीलीय ाधिकरण अभिेत है ;
 - (5) “ ाधिकारी” या “अधिकारी” से जहां इन नियम म अ यथा विनि द उपबंध है, के सिवाय जिला मजिेट या ऐसा अ य अधिकारी जिसे के िय सरकार ारा समय-समय पर राजप म अधिसूचना ारा अधिसूचित कया जाता है ;
 - (6) “ वचालित” से कोई लघु आयुध या ह के श अभिेत है जो क येक ेपण के प त् पुनः ऐसा श सभी आव यक म को वतः या करके पुनः गोलाबारी के लिए तैयार हो जाता है ; और गोलाबारी तबतक के लिए

जारी रहता है तब तक कं गर (या अ य स यकरण युि) अवनत बना रहती है (माना जाता है क गोला बा द शेष रहता है और उसके जाम होने क घटना ही नह होती है) तथा कोई वचालित आयुध फायर चेंबर से खाली कारतूस को निकालने और फायर कारतूस से ऊजा के कसी भाग के उपयोग के लिए और उसको आयुध से निकालने, फायर याविधि को पुनः काकन करने और फायर चेंबर म पुनः भरणयु या मेगजीन से गोलाबा द के नए राउंद को भरण करने तथा य द गर या अ य संि यति युि अवनमित है, फायर पिन वतः नए फायर च के ारंभ को निर्मुक्त कर देगी ;

- (7) “फोका कारतूस” से कसी गोली या कोई अ य ेप्य के बिना कारतूस अभिेत है ;
- (8) “फोका फायर अ ययुध” से कसी फोका कारतूस को फायर करने के लिए स म अ ययुध अभिेत है ;
- (9) “गोली” से कारतूस का शंकु शीष अभिेत है जो सामा यतः शीशे या तांबे का बना होता है, वह वि फोटक भार या संपीडित वायु या अ य गैस के मा यम से नाल या सिलडर से बाहर निकालता है ;
- (10) “अंशाकन” से इंच या मिलीमीटर या भूमैिक प रधि म नाप क गई कसी अ ययुध के नाल क नली के आंत रक ास या नालछि अभिेत है ;
- (11) “वहन करना” से लघु आयुध जिसम कसी एक ि क सामी य पर या उसके बारे म या उसको रखना अभिेत है ;
- (12) “कारतूस” से कसी कारतूस खोल ाइमर, णोदी, गोली या कोई एकल या बा य ेप्य से बनी एक पूण व तु अभिेत है ;
- (13) “चार्टड अकाउंटेंट” से चाटड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) क धारा 2 क उपधारा (1) के खंड (ख) म यथा प रभाषित चाटड अकाउंटेंट अभिेत है जो उ अधिनियम क धारा 6 क उपधारा (1) के अधीन वसाय के लिए विधिमा य माणप रखता है ;
- (14) “कंपनी” का वही अथ होगा जो अधिनियम क धारा 33 के अधीन पीकरण म है ;
- (15) अ ययुध का “संप रवर्तन” से कसी अ ययुध के अंशाकन या नालछि म थायी प रवर्तन से संदभ है और जिसके अंतर्गत कसी नाल को हटाने या पुनः संरेखण करना या पुनः भेदन करना जो कसी चेंबर को सम या पृथक प रखता है, सिलेंडर के प रवर्तन और/या नली या उससे संबंधित भाग तथा कारवाई के वि यास म प रवर्तन या कसी अ ययुध क याविधि म प रवर्तन कतु इसके अंतर्गत कसी अनुज्ञेय वग के अ ययुध को निषि वग के अ ययुध म प रवर्तन नह है ;
- (16) “सैनिक उपयोग के लिए” र ा म ालय के र ा उ पादन विभाग ारा नियत विनिदश के अनुसार विनि मत या संरूपण से कसी अ ययुध या गोला बा द (लघु आयुध और ह के हथियार से भि) अभिेत है ;
- (17) “दुर्लभ व तु” से वतमान तारीख से कम से कम पचास वष पूव विनि मत या कसी सरकारी विनियमित सं ालय के कसी संग्रहालया य ारा माणित लघु आयुध अभिेत ह या उ युि क कम से कम उसक धनीय मूल्य का कम से कम आधा है त य यह है क यह एक विल ण या दुर्लभ, अनोखा या कसी ऐतिहासिक ि , अवधि या घटना से सहब है या जिसके अंतर्गत कोई पुरात व लघु आयुध भी है ;
- (18) “निि यकरण” से कसी वि फोटक कारवाई ारा कसी गोला, गोली, मिसाइल या कोई अ य ेय को बाहर फकने या उसे छोड़ने म स म कसी लघु आयुध या ह के श को तुत करना अभिेत है और जिसे त काल अपनी मूल मता म प रव तत नह कया जा सकता तथा वह उसे कसी यायित गन बनाने वाले या कसी स म रा य ाधिकारी ारा निि य के प म माणित या चििनत कया गया है ;

पीकरण – निि यकरण से अपेित है क लघु आयुध या ह के अ ययुध के सभी दाब रखने वाले सभी अवयव इस तरह से थायी प से प रव तत कर दए जाए क अ ययुध उपयोग करने यो य न रहे और जिसके अंतर्गत नाल, काबला, सिलडर, संपर्क फाय रग पिन और अभि ाही या े म का उपांतरण भी है ।

- (19) “ बहारी” से कोई ि अभिेत है जो ापार या कारबार, य, वि य, परी ण (पूण परी ण से भि), निर्यात, आयात या अंतरण या वि य के लिए रखने या आयुध या गोला बा द परी ण (पूण परी ण से भि) के

प्रा लगा है और जिसके अंतर्गत भारतीय खेल अधिकरण (भा.खे. ि.), नेशनल राईफल एसोसिएशन आफ इंडिया (ने.रा.ए.इ.) और ने.रा.ए.इ. से सहब डेट राईफल एसोसिएशन या ने.रा.ए.इ. क सहब इकाईयां भी ह ;

- (20) “सम पत खेल ि” से ऐसा कोई ि अभिे त है जो स य प से खेल निशानेबाजी म भाग लेता है और जो कसी निशानेबाजी यायित खेल निशानेबाजी संगठन का सद य है ;
- (21) “इलैक िनिक निय यता कारक युि” से संपीडित गैस ारा णोदी इलैक ोड ेपी फायर करने के लिए कोई स म इलैक िनिक युि अभिे त है जो मुख्य इकाई से या कसी सुचालक तार ारा युि से जुड़ा रहता है और ल य को अ थायी प से तिका पेशी को असमथ का रत करता है ;
- (22) “सरकारी आयुध” से कोई अ ययुध या कोई अ य हथियार अभिे त है जो सरकार क संपि है ; और
“सरकारी गोला बा द” से ऐसे कसी सरकारी कारखाने म विनि मत या नाग रक उपयोग के लिए सरकार ारा निर्मुक्त ऐसा गोला बा द से भि सरकार के लिए तैयार और उसे दाय गोला बा द अभिे त है ;
- (23) “बंदूक बनाने वाला” से कोई ि अभिे त है जो अ ययुध क छोटी या बड़ी मर मत के काय को करता है और अनुज्ञि अधिकारी क पूव अनुज्ञा के अधीन कसी अ ययुध के अंशाकन या नली क लंबाई म प रवतन कर सकेगा या ऐसे अ य काय को कर सकेगा जो अनुज्ञि अधिकारी ारा विनि द कए जाए ;
- (24) “ह त बंदूक” से ऐसा छोटा ढांचा अभिे त है जिसका कोण और लघु ह थे के साथ नली क णि से नीचे वि ता रत है क जिसे एक हाथ से पकड़ने के लिए और फायर करने के लिए डिजाइन कया गया है तथा जिसके अंतर्गत पि टल और रवा वर भी है ;
- (25) “अभिवहन म” से अ ययुध या गोला बा द जो आयातित है, के कसी अ य देश को भारत के मा यम से वहण अभिे त है ;
- (26) “अ ययुध” तिकृति” से कोई व तु कसी अ ययुध क सदृ य डिजाइन क ई कोई व तु अभिे त है जिससे क सभी योगिक योजन के लिए यह तीत हो क वह वा तविक है और जिसे निि य बना दया गया है ;
- (27) “ प” से इन नियम क अनुसूची 3 म दया गया कोई प अभिे त है ;
- (28) “ह के हथियार” से कसी कम दल के प म सेवारत दो या तीन ि य ारा उपयोग के लिए डिजाइन कया गया मनुष्य ारा वहनीय हथियार अभिे त है (य पि उसे एक ि ारा भी वहन या उपयोग कया जा सकता है) क वह नि कासित या छोड़ा जाता है, नि कासित या छोड़े जाने के लिए डिजाइन कया गया है या कसी वि फोटक या ारा कसी गोले, गोली या ेप्य को नि कासित करने या छोड़ने को व रत प से प रव तत कया जा सकेगा जिसके साथ-साथ भारी मशीनगन, नली के अधीन हाथ म पकड़ने वाली और आ ढ ेनेड मो दत, वहनीय, विमान मेदी तोप क म, तिे प रहित राइफल, टैकरोधी मिसाइल और राकेट मो दत वहनीय णाली, विमान मेदी तोप मिसाइल वहनीय मो दत णाली, सौ मिलीमीटर से कम कसी अंशाकन के मोटार के साथ-साथ उनके पुर्जे, घटक और गोला बा द भी है ;
- (29) “मुख्य अ ययुध घटक” से कसी अ ययुध क नली, ेम, लाईड, वो ट या िच लाक अभिे त है ;
- (30) “विनिर्माता” से कोई ि अभिे त है जो अ ययुध के विनिर्माण, वि य, परी ण (माण परी ण से भि), निर्यात, आयात या अंतरण या वि य के लिए रखने या अ ययुध उनके पुज , घटक या या गोला बा द या अ ययुध से भि कोई आयुध के परी ण (माण परी ण से भि) म लगा है ;
- (31) “विनिर्माण” से नि लिखित का निर्माण करना, उ पादन करना या संयोजित करना अभिे त है :-
- कोई पूण अ ययुध ;
 - कसी अ ययुध के दबाव धारण करने वाले भाग या अवयव (उदाहरणार्थ नली, लाईड, सिलडर, वो ट, वीचलॉक, फायर पिन, आ द) ;
 - अ ययुध के लिए गोला बा द ;

- (iv) किसी अायुध से भी कोई आयुध, जिसके अंतर्गत नि लिखित है-
- (i) किसी नि य अायुध को पुनः स य करना ; और
 - (ii) किसी अायुध के यय को सारतः उपांत रत करना (जैसे पूण वचालित म संप रवर्तन) कतु जिसके अंतर्गत नि लिखित नह है -
- (i) किसी अायुध क मर मत, पुन र्थापन, अनुर ण या को मेटिक प रवर्धन या उपांतरण ; या
 - (ii) किसी गोला बा द का वाणि यिक पुनः लदाई ;
- (32) “चि नाकन” से अायुध , गोला बा द और गोला बा द क पैकिंग पर थायी उ क ण अभिेत है जिससे उनक पहचान अनुज्ञात हो सक ;
- (33) “नाल मुख ऊजा” से किसी ेपित क गतिज ऊजा अभिेत है जैसे यह किसी अायुध क नली से बाहर निकलती है और इसे जू स या फुट-पाउंड म अभि ि कया जाता है ;
- (34) “एनडीएएल” से श अनुज्ञिय का रा यीय डाटा बेस अभिेत है ;
- (35) “पेंट बाल” से ऐसा ेपि (गोलाकार जिलेटिन कै सूल) अभिेत है जो मुख्यतः जल म घुलनशील अविषैले पदाथ से और रंजक से मिलकर बना है जिसे किसी ि या व तु को चि ना कत करने के लिए डिजाइन कया गया है ;
- (36) “पेंट-बाल चि नक या पेंट-बाल बंदूक” से ऐसी युि अभिेत है जो पट बाल को गैस के फैलने या वायु के संपीडन के मा यम से दागने म स म है चाहे उसे यांिक प से या वैद्युत- यूमैटिकली प से चालित कया जाए ;
- (37) “हि से और संघटक” से ऐसा कोई त व या ति थापन त व अभिेत है जिसे विनि द प से किसी अायुध के लिए डिजाइन कया गया है और वह उसके चालन के लिए अनिवाय है तथा इसके अंतर्गत कोई नाल, ेम या रसीवर, लाईड या सिलडर, बो ट या िच लॉक और कोई युि जिसे दागने के ारा का रत किसी वनि के सम प होने के लिए या उसे कम करने के लिए डिजाइन कया गया है, समिलित है ;
- (38) “पि टल” से उसके अभि भाग के प म चैंबर सहित या नली के सम प थायी प से उसके भाग सहित कोई ह तगन अभिेत है ;
- (39) “प न” के अंतर्गत कोई समुद्री प न, कोई विमानप न और कोई भूमि प न समिलित है ;
- (40) “रम रहित” से कोई कारतूस अभिेत है जहां रम का वही यास है जो उसके केस का है तथा जिसका उपयोग अायुध म किसी बा स मैगजीन से फ ड के प म कया जाता है ;
- (41) “रम युक्त कारतूस” से ऐसा रम युक्त कारतूस अभिेत है जहां रम का ास मह वपूण प से कारतूस के आधार से अधिक है और रम चैंबर म समुचित गहराई पर कारतूस को धारण करने म इ तेमाल कया जाता है ;
- (42) “रवा वर” से िच लो डग, चैंबर युक्त सिलेंडर के साथ कोई ह तगन अभिेत है जिनका इस कार बंध कया जाता है क हथौड़ा मारने या गर को दबाने से सिलडर घूमता है और अगले कारतूस को द ध करने के लिए नाल क सीध म ले आता है ;
- (43) “मर मत” से अायुध क गौण या मुख मर मत अभिेत है -
- ‘लघु मर मत’ के अंतर्गत नि लिखित है-
- (i) सफाई और पुनः फनि शग करना, सि गंस फ स करना, र इलपैड, पूव फै िकृत टॉक का ति थापन, साधारण उपसाधन, प रर क पैके जग करना और अायुध और उसके संघटक से सही या सुरि त कार्यकरण का सुनि य करना ;

- (ii) अनुरण और सुरित कार्यक्रम के योजन के लिए कसी अयुध (जिसके अंतर्गत नाल या रसीवर या मया चि बौडी या बो ट नह है) के पुराने ति त, टूटे-फूटे, खराब ए या छोड़े गए भाग क फै किकेशन या ति थापन ;
- (iii) टॉक, पि (ब टॉक) और अ य भाग का चि नाकंन तथा ति थापन ;
- (iv) पूण क गई नाल कारवाई, फै किकेशन, फ टग या आटिक का समायोजन, साइट और अ य संघटक आ द के काय को करने के मा यम से अ युध क सटीक कारवाई या सुरित कायकरण का सुनि य करना जिसके अंतर्गत परी ण फाय रग भी है ;
- (v) उप साधन का निमाण और ति थापन तथा फै किकेटेड भाग को ून करना ।

‘ मुख मर मत’ ारा मह वपूण भाग के चालन क मुख और गौण गहन मशीनीकरण क अपेक्षा है और इसके अंतर्गत नि लिखित है-

- (i) मर मत या संप रवर्तन के योजन के लिए मह वपूण भाग पर काय करना जिसके अंतर्गत नाल और ए शन (नाल का पुनः बोरग करना या पुनः चैब रग करना या पुनः ति थापन करना या नाल को पुनः बनाना, रसीवर या म, बो ट, लाईड, सिलेंडर, चि आ द और अ य संघटक क पुनः मशी नग करना) शामिल है ;
- (ii) गर , सेफ्टी का लघुकरण, संप रवर्तन और उन पर काय करना तथा अ युध क साधारण सुर ा जांच जिसके अंतर्गत मर मत कए गए या संप रव तत कए गए अ युध को दागना या उनक जांच करना समिलित है ।
44. “उ रदायी ि ” से कसी कंपनी क दश म कंपनी ारा आयुध क अनुज्ञि के आवेदन म नामनि द ि अभिेत है ;
45. “राइफल” से लघु श अभिेत है जिसे कसी वि फोटक कारवाई के मा यम से राइफल के नाल से कंधे का सहारा लेते ए और दोन हाथ से पकड़ कर एकल ेपि छोड़ने के लिए डिजाइन कया गया है ;
46. “अनुसूची” से इन नियम से उपाब अनुसूची अभिेत है ;
47. “चयनित फायर” से कसी छोटे श या ह के आयुध क मता अभिेत है जिसे नि लिखित मा यम से दो या अधिक तरीके से फायर करने के लिए समायोजित कया जा सकता है :
- (i) अध वचालित (अर्थात् एक बार गर दबाने पर एक शॉट) ;
- (ii) ब शॉट ब ट (अर्थात् एक बार गर दबाने पर निित संख्या म शॉट) ; या
- (iii) वचालित (अर्थात् गर को दबाए रखने पर लगातार फायर) ।
- (48) “ वतः भरण” से अध वचालित अभिेत है ;
- (49) “अध वचालित” से ऐसा छोटा श या लघु आयुध अभिेत है जो एक बार चलाने पर वतः आयुध को दोबारा चलाने के लिए सभी आव यक तर को पूरा करता है कतु जिसे गोला बा द के येक राउंड को चलाने के लिए गर को पृथक् प से दबाने क आव यकता होती है ;
- (50) “शॉटगन” से छोटा श अभिेत है जिसे वि फोट के मा यम से सपाट बोड नाल के मा यम से कंधे क सहायता से दोन हाथ से पकड़ कर शॉट या एकल ेपि छोड़ने के लिए डिजाइन कया गया है ;
- (51) “लघु श ” से मानव-सुवा आयुध अभिेत है जिसे िक उपयोग (12.7मिलीमीटर कैलीबर तक) के लिए डिजाइन कया गया है जो गोली छोड़ता है या दागता है और उसे छोड़ने या दागने के लिए डिजाइन कया गया है या जिसे तैयार प से कसी शॉट, गोली या ेपि को कसी वि फोटक कारवाई के मा यम से छोड़ने या दागने के लिए संप रव तत कया जा सकता है और इसके अंतर्गत अ य के साथ रवा वर और से फ लो डग पि टल, राइफल और कार्बाइन, सब-मशीनगन, असा ट राइफल और ह क मशीनगन के

साथ उनके हि से, संघटक और गोलाबा द शामिल है कतु इसके अंतर्गत पुरातन लघु आयुध और अ आयुध क तिकृति शामिल नह है।

ट पण:

शॉटगन, डा राइफल और नालमुख लो डग लैच पाउडर अ आयुध तथापि 12.7 मिलीमीटर कैलीबर के अधिक के ह, भी लघु आयुध के अधीन आते ह;

- (52) “ डा के लिए निशानेबाजी” से ति पध और मनोरंजन डाएं अभिे त है जिसम अ आयुध, गोलाबा द और ल य के अनुज्ञेय वग का इ तेमाल करते ए द ता जांच (सटीकता और गति) अंतर्वलित है;
- (53) “धारा” से अधिनियम क धारा अभिे त है;
- (54) “ ापार अंतरण” से कसी विनिर्माता और कसी ाहारी के बीच या कसी ाहारी और अ य ाहारी के बीच कारबार के सामा य म म आयुध या गोला बा द का वि य या अंतरण अभिे त है और इसके अंतर्गत कसी पारेषण के आधार पर वि य या अंतरण भी है;
- (55) “उतारना” से कोई नोदक, े पि या कारतूस अभिे त है जिसे कसी अ आयुध से चलाया जा सकता है जो कसी अ आयुध के ीच या फाय रग चैंबर म और न ही कसी अ आयुध से संब कारतूस, मैगजीन या सिलडर म अंत व है या कसी अ आयुध म अंतः थापित है;
- (56) “अ आयुध का उपयोग” के अंतर्गत दर्शन करना, निशाना लगाना के साथ-साथ कसी अ आयुध के कार्यशील भाग से छेड़छाड़ सम्मिलित है कतु इसके अंतगत साफ करना या अनुर ण करना नह है;
- (57) “वि.पं.स.” से इन नियम के अधीन कसी अनु ि के लिए एनडीएएल ारा सृजित विशि षहचान संख्या अभिे त है;
- (II) श द और पद जो इन नियम म युक्त है कतु प रभाषित नह है का मशः वह अथ होगा जो उनका अधिनियम म है।

3. **आयुध और गोलाबा द का वग करण** – अधिनियम के और इन नियम के योजन के लिए आयुध और गोलाबा द अनुसूची 1 के मशः तंभ 2 और तंभ 3 म विनि द वग के ह गे तथा इन नियम म आयुध या गोलाबा द के कसी वग के तिनिर्देश का त नुसार अथ लगाया जाएगा।

4. **अ आयुध से भि आयुध के लिए अनु ि और धारा 4 का लागू होना** – (1) जब तक क के िय सरकार या रा य सरकार राजप म अधिसूचना ारा अ यथा निदेश दे, अनुसूची 1 के वग 5 के आयुध के विनिर्माण, वि य, वि य के लिए क जे के लिए सिवाय धारा 4 के अधीन अधिसूचित ेत्र के कोई अनुज्ञि अपेि त नह होगी।

(2) अधिनियम क धारा 4 के अधीन के िय सरकार ारा जारी अधिसूचना म विनि द कसी ेत्र म, उस ेत्र म ऐसे वग या विवरण जो उस अधिसूचना म विनि द कया जाए, म हथियार के अर्जन, क जे या ले जाए जाने के लिए अनुसूची 2 म यथाउपबंधित अनुसार अनुज्ञि ऐसी शत के अधीन रहते ए जो उन नियम में, उस अनुसूची म और अनुज्ञि म विनि द क जाए, अनुद क जा सकेगी या उस पर नवीकरण कया जा सकेगा।

अ याय 2

अनु ापन या

5. **अनु ापन ाधिकारी** – अधिनियम के अ याय 2 के अधीन अनुज्ञियां ऐसी शत के अधीन रहते ए जो इन नियम, उस अनुसूची और अनुज्ञि म विनि द क जाए, ऐसे योजन के लिए, ऐसे ाधिकार य ारा और ऐसे ष म अनुद क जा सकेगी या उनका नवीकरण कया जा सकेगा और वह ऐसी अवधि के लिए ऐसे ेत्र म विधिमा य ह गी जो अनुसूची 2 म विनि द हः

परंतु अनुज्ञापन ाधिकारी ारा अनुद या नवीकृत अनुज्ञिय पर उस ाधिकारी के अधीन थ ऐसे अधिकारी ारा ह ता र केए जा सकगे जो रा य सरकार ारा इस निमि विनि द ष से सश कया जाए।

6. **अनुसूची 1 के वग 1 के आयुध के अजन, क जे या उनके वहन के लिए अनु ियां अनुद करने पर निबंधन** – अनुसूची 1 के वग 1(ख) या 1(ग) म विनि द आयुध या गोलाबा द को अ जत करने, रखने या ले जाने के लिए कोई अनु ित अनुद त नह क जाएगी, य द उ ह भारत म विधिक ष से विनि मत नह कया गया है या भारत म विधिक ष से नह

रखा गया है अथवा विधिक प से आयात नह कया गया है या भारत म कीय सरकार क वीकृति से आयात नह कया जा रहा है।

7. **अनु ित िधिकारय िारा जिला मजि ेट को सूचना देना--** (1) अनुसूची 1 के वग 1(ख) या 1(ग) म विनि द आयुध या गोलाबा द के लिए अनुद येक अनु ि क िति तुरंत उस थान के जिला मजि ेट को भेजी जाएगी जिसम आयुध या गोलाबा द रखा जाना है।

(2) जिला मजि ेट से भि कसी अ य िधिकारी िारा कसी प म अनुद अ य येक अनुज्ि क िति तुरंत उस ेत्र के जिला मजि ेट को भेजी जाएगी जिसम अनुज्ि धारी का कारबार या आवास थित है।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के अधीन अनुद अनुज्िय क सूचना उस थान पर अधिका रता रखने वाले जिला मजि ेट को एनडीएएल णाली के मा यम से भेजी जाएगी जिसम अनुज्ि धारी का कारबार का थान या आवास थित है।

8. **कतिपय योजन के लिए आयुध या गोलाबा द के क जे म उनके उपयोग को शामिल करना** – नि लिखित आयुध या गोलाबा द का येक के सामने व णत योजन के लिए क जे म ऐसे योजन के लिए उनका उपयोग केवल तभी शामिल है जब ऐसे उपयोग , ऐसे क ह आयुध या गोलाबा द का विनिर्माण (जिसके अंतर्गत वि फोटक और आतिशबाजियां शामिल है) अंतर्वलित नह है :-

(क) नाटक य तुति, ऐतिहासिक घटना क पुनरावृि, ऐतिहासिक अनुसंधान (जिसके अंतर्गत तुति का मूल्यांकन हैं), चलचि या टेलीविजन निर्माण या दौड़ आरंभ करने के लिए या दौड़-कूद पधा के लिए संकेतक और सुर ा उप कर जिसके अंतर्गत संकेत दी गन, रेखीय ेपण गन और हिमधावी तोप आ द के लिए आयुध ;

(ख) गोला बा द जिसके अंतर्गत सदभावी औ ोगिक, कृषि या चिकीसीय योजन के लिए गंधक और लोरेट भी है, के संघटक।

9. **कतिपय मामल म के िीय सरकार िारा निबधन-** रा य से बाहर भाव देने के लिए कोई अनुज्ि जिसे वह दान करता है ऐसे निब धन के अधीन होगी जिसे के िीय सरकार साधारण या विशेष आदेश िारा अधिरोपित कर सकेगी।

10. **अ ियुध के सुर ि त उपयोग और भंडारण** – (1) येक आवेदन प 2, प 3 और प 4 म अनुज्ि के लिए आवेदन करेगा या कोई राइफल लब या संगम या ऐसे लब, संगम या फायर रज िारा नियोजित कोई कर्मचा रवृद प 5 म अनुज्ि के लिए आवेदन कर ; या विनिर्माता या वहारी या बंदूक बनाने वाला प 7, प 8, प 9 या प 9क म अनुज्ि के लिए आवेदन करगे, आयुध और गोला बा द क पूण सुर ा, शि ण, पा म क अपेक्षा होगी जिसके अंतर्गत नि लिखित है –

(क) मूल आयुध और गोला बा द सुर ा वहार जिसके अंतर्गत सुर ि त हथालन और वहन याएं भी है ;

(ख) फायर करने क तकनीक और या ;

(ग) अ ियुध और गोला बा द क देखरेख ;

(घ) आयुध और गोला बा द का सुर ि त भंडारण और प रवहन ;

(ङ) अधिनियम और उसके नियम के मह वपूण उपबंध क यु ि यु कार्याकारी णन ; और

(च) आयुध वामी या उपयोगकता के उ रदायि व विशि तया बालक के संबंध म।

(2) नियम 39 के अधीन अनुज्ि रखने वाले यायित शि ण या मुख्य यायित शि क िारा संचालित उपनियम (1) के अधीन सुर ा शि ण पा म जो प ध-1 म आवेदक को माणप उ पा म के सफलतापूर्वक पूण होने पर जारी करेगा।

(3) के िीय सरकार, उपनियम (1) म यथा अभिकथित सुर ा शि ण पा म क भावी तारीख और अवधि इस संबंध म कसी साधारण या विशेष आदेश िारा अधिसूचित क जाएगी।

(4) प 2, प 3 और प 4 म अनुज्ि के लिए येक आवेदन के साथ नि लिखित ह गे -

(क) लिखित वचनबंध क आवेदक जोखिम को यूनतम करने के म में, अ ियुध को नि ि त प से और सुर ापूवक कसी तिजोरी या लोहे क अलमारी म भंडारण क मता रखता है क जिससे क वह अनुज्ितिधारी से भि कसी अ य ि िारा चुराया या प ंच म न ह ; और

(ख) अायुध (अपवि फोटक दशा में) और उसका गोला बा द के भंडारण के सुरि त भंडारण के वसाय का और प ध-2 म अायुध और गोला बा द के साथ पार प रक या के खतर के बारे म बालक को शि त करने का लिखित वचनबंध देगा ।

(5) कसी अनुज्ि को दान करने या उसके नवीकरण के लिए उ रदायी अनुज्ञापन अधिकारी, कंपनी, वहारी, बंदूक बनाने वाले और विनिर्माता के प रसर का आवधिक निरी ण करगे जहां सुरि त अनुपालन के म म आयुध और गोलाबा द भंडारण कया जाता है।

11.

अनु ि के लिए आवेदन - (1) इन नियम के अधीन कसी अनुज्ि को ा करने के लिए येक आवेदन

(क) अनुज्ि के वग को लागू उपयुक्त प क-1 से प क-14 म तुत करेगा ;

(ख) आवेदक ारा जहां तक संभव ह , उस थान के संबंध म जहां वह सामा यतः निवास करता है या उसका अधिभोग है, क अधिका रता रखने वाले अनुज्ञापन ाधिकारी को आवेदन ि गत प से या पो ट आ फस के मा यम से या इलैक ानिकली या अ यथा भेजी जा सकेगी या तुत क जा सकेगी ।

(2) जहां नियम 98 म यथा उपबंधित कसी अ य ाधिकारी से अनापि माणप क अपेक्षा है, ये कथन जहां क ऐसा माणप ा कया जाता है और य द सा य ारा आवेदक क या तो भौतिक प म या विशि यां विशि पहचानप संख्यांक के लिए एनडीएएल णाली ारा इलैक ानिकली उ प पु िकरण सा य ारा सम थत है ।

(3) इन नियम म अ याय 3 के अधीन विशेष वग के लिए अनु ि दान करने के लिए येक आवेदन उ अ याय म उन वग के लिए विनि द ऐसी अति र अपेक्षा के अधीन होगा ।

(4) प 2, प 3 या प 4 म अनुज्ि दान करने के लिए कसी िक ारा प क-1 म जमा कए गए येक आवेदन के साथ नि लिखित द तावेज ह गे, अर्थात् :-

आवेदन क नवीनतम फोटो क पासपोट आकार क चार तियां (सफेद पृष्ठभूमि में) ;

(क) ज म तिथि का सबूत ;

(ख) पहचान का सबूत -

(i) आधार काड ; या

(ii) आधार काड न रखने वाले आवेदक क दशा म शपथप के प म लिखित घोषणा करेगा जिसके साथ कोई वैक िपक पहचान प के साथ जिसके अंतर्गत पासपोट या मतदाता पहचान प या थायी लेखा संख्यांक (पेन) काड या नियोजक ारा जारी पहचान प भी है ;

(iii) छूट ा खेल िय क दशा म भारतीय रा िय राइफल संगम ारा जारी निशानेबाज पहचान प ।

(घ) आधार काड या पासपोट नह रखने वाले आवेदक क दशा म निवास सबूत जो नि लिखित हो सकेगा -

(i) मतदाता पहचान प ; या

(ii) विुत बिल ; या

(iii) लैंडलाइन टेलीफोन बिल ; या

(iv) कराया विलेख या प ा विलेख या संपि द तावेज ; या

(v) अनुज्ि ाधिकारी के समाधान द प म कोई अ य द तावेज

(ङ) नियम 10 के उपनियम (4) म नि द अायुध के सुरि त उपयोग और भंडारण के लिए वचनबंध ;

(च) नियम 12 के उपनियम (3) के खंड (क) म नि द वृ िक वग के आवेदक के लिए शैक्षणिक और वृ िक अहता के माणप , जो भी लागू ह , क वतः माणित तियां ;

(छ) आवेदक के मानसिक वा य और शारी रक मता के संबंध म चि क सीय माणप जिसम यह विशेष प से उलिखित ह क आवेदक मादक या वापक व तु पर निर्भर नह है (प ध-3) म ;

(ज) प 4 म कसी आवेदन क दशा में, व यजीव(संर ण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन सश अधिकारी से अनुज्ञा के साथ नियम 35 के उपनियम (2) म विनि द विशि ियां ।

5. प 2 या प 3 म कसी अनुज्ञा को दान करने के लिए कसी कंपनी ारा तुत कए गए प क-2 म येक आवेदन नि लिखित द तावेज के साथ होगा, अर्थात् :-

(क) आवेदक के प शीष पर लिखित वचनबंध नियम 2 के खंड 44 के अधीन प रभाषित उ रदायी ि ारा स यक् प से ह ता रत होगा ;

(ख) खंड (क) म नि द उ रदायी ि क पुि का बोड ारा पा रत संक प या कसी ाधिकार प क मूल ति ;

(ग) कंपनी के संस्थापक द तावेज जिसके अंतर्गत संगम ापन और अनुच्छेद भी है, तीन स यापित तियां ;

(घ) अ ायुध के सुरि त उपयोग और भंडारण का नियम 10 के उपनियम (4) म नि द वचनबंध ।

(6) संघ के सश बल के कसी सद य ारा आवेदन उसके कमांड अधिकारी के मा यम से उस थान के संबंध म अधिका रता रखने वाले अनुज्ञापन अधिकारी को जिसम वह त समय नियुक्त है, को क जाएगी ।

(7) अनुज्ञापन ाधिकारी अ ायुध के सभी या कसी वग के संबंध म रा य सरकार ारा जारी अनुदेश के अनुसरण म इस नियम के अधीन अनु ि दान करने से पहले आवेदक क वैयि क उपथिति क अपेक्षा कर सकेगा ।

(8) आवेदक, आवेदन प म कोई त या मक जानकारी वह नह छुपाएगा या कोई मि या या गलत जानकारी नह देगा ।

12. कतिपय मामल म अनु ापन ाधिकारी क बा यताएं- (1) अधिनियम म अ यथा उपबंधित येक अनुज्ञापन ाधिकारी उपनियम (2) या उपनियम (3) म विनि द मानक के आवेदन को स यक् यान म रखते ए अनुसूची 1 म मशः वग 1-ख और 1-ग या वग 3 म यथा विनि द निर्बंधित या अनुज्ञेय आयुध या गोला बा द के लिए कसी ि को प 3 म अनुज्ञा दान करेगा ।

(2) अनुज्ञापन ाधिकारी अनुसूची 1 म वग 1ख और 1ग म विनि द निर्बंधित आयुध या गोला बा द के लिए कसी अनुज्ञा को दान करने के लिए आवेदन म नि लिखित विचार कर सकेगा -

(क) कोई ि जो नि लिखित कारण ारा उसके जीवन को गंभीर या संभावित खतरा है -

(i) कसी भौगोलिक ेत्र या ेत्र का निवासी जहां उ वाद, आतंकवाद या चरमपंथी अ यधिक स य है ; या

(ii) उ वादी, आतंकवादी या चरमपंथिय क दृि म मुख ल य के प म है ; या

(iii) उ वा दय , आतंकवा दय या चरमपंथिय के ल य और उेश्य के लिए विरोधी होने के कारण उसके जीवन को खतरा उ प हो गया है ; या

(ख) कोई सरकारी पदधारी जो अपने पद धारण करने के आधार पर उसे या उसके ारा पालन कए जा रहे कत के कृति के अनुपालन म और/या अपने पदीय कत के स यक् निर्वहन म उसके जीवन म संभावित जोखिम होने का ाक है ;

(ग) कोई संसद् सद य या विधान सभा सद य जो उ वाद रोधी, आतंकवाद रोधी या चरमपंथी रोधी काय म म निकट या स य प से सहब होने के ारा और सरकारी नीतिय या राजनैतिक या अ यथा मत रखने के कारण उसके जीवन म संभावित जोखिम के लिए ाक है ; या

(घ) कोई ि जो अपने कत क कृति या अनुपालन (भूत या वर्तमान) या सरकार म पद धारण करने क थिति (भूत या वर्तमान) या अ यथा कोई ात या अनुज्ञात के लिए उसके जीवन म कोई संभावित जोखिम म डालता है का कोई कुटुंब का सद य या संबंधी या र संबंधी ; या

(ङ) कोई ि कसी विधि स मत या वा तविक कारण के लिए अनुज्ञापन ाधिकारी के लिए समाधान होने पर इस संबंध म सकारण आदेश पा रत करेगा :

परंतु इस उपनियम के अधीन कोई अनुज्ञा दान करने के पूव अनुज्ञापन ाधिकारी, जिला मजिेट और संब रा य सरकार क सिफा रश पर आधा रत और पुलिस रपोट क परी ा पर तथा अपने ेत से पृथक् स यापन कराने के प ात् अपना समाधान होने पर क आवेदक को ऐसी अनु ि क अपेक्षा है ।

(3) अनुज्ञापन अधिकारी धारा 13 क उपधारा (3) के खंड (क) म अंत व उपबंध पर तिकूल भाव डाले बिना और अनुसूची 1 म वग 3 म विनि द अनुज्ञेय आयुध या गोला बा द के लिए कोई अनुज्ञि दान करने के लिए पुलिस रपोट पर और अपने वयं के निर्धारण के आधार पर नि लिखित के आवेदन पर विचार कर सकेगा -

(क) कोई ि जो अपने कारबार, वृिक या धंधा क कृति ारा अपने जीवन और/या संपि क सुर ा क वा तविक अपेक्षा के लिए ; या

(ख) कोई सम पत खेल ि इन नियम के अधीन अनुज्ञि ा कसी निशानेबाजी लब या कसी राइफल एसोसिएशन का कम से कम दो साल से स य सद य है और जो कसी संरचना मक शि ण या म ल य के अ यास के लिए खेल निशानेबाजी को करना चाहता है ; या

(ग) र ा बल , के िय सश पुलिस बल, रा य पुलिस बल म सेवारत या सेवा क ह, कोई ि और जिनके जीवन और/या संपि क र ा क वा तविक अपे ा है।

13. अनु ि को दान करने के लिए समयसीमा - अनुज्ञापन अधिकारी आवेदन पर विचार करने के प ात् और समाधान हो जाने पर क आवेदक पा ता क शत को पूण करता हैं, कसी ि को, पुलिस रपोट क ाि के साठ दन के भीतर अनुसूची 1 के वग 3 म विनि द आयुध या गोला बा द के अनुेय वग के लिए, ऐसा दान करना या नामंजूर करने के लिए कारण को लेखब करते ए सकारण आदेश पा रत करने के ारा कोई अनुज्ञि दान करेगा या नामंजूर करेगा :

परंतु अनुज्ञापन अधिकारी आवेदक ारा आवेदन कए गए आयुध और गोला बा द के कार के लिए के क जे के लिए उसक कारण और आव यकता का निधारण करने के प ात् आवेदक ारा उपा करने को आयुध और गोला बा द के कार को उसक दीर्घकालिकता और फायर करने क शि पर विचार करने के प ात् विनि द करेगा।

14. अनु ि दान करने के लिए पुलिस क रपोट के लिए समयसीमा - (1) अनुज्ञापन अधिकारी, धारा 13 क उपधारा (1) के अधीन कसी अनुज्ञि को दान करने के लिए या धारा 15 के अधीन उसके येक प ात्वत नवीनीकरण कसी आवेदन क ाि पर, उ आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को रपोट के लिए बुलाएगा और ऐसा अधिकारी उसे आवेदन क ाि क तारीख से तीस दन क अवधि के भीतर प ध-4 म अपनी रपोट भेजेगा।

(2) के िय सरकार, उपनियम (1) म यथा विनि द तीस दन क अवधि को कसी साधारण या विशेष आदेश को जारी करके उसके ारा समुचित समझे गए क ह कारण के लिए कतिपय ेत्र या रा य के लिए न बे दन वि ता रत कर सकेगी।

(3) अनुज्ञापन अधिकारी उपनियम (1) के अधीन तीस दन क अवधि के भीतर या उपनियम (2) के अधीन वि ता रत अवधि के भीतर पुलिस रपोट के ा न होने क दशा म रपोट के लिए और अधिक ती ा कए बिना अनुज्ञि को दान करने या नामंजूर करने के लिए लिखित म आदेश कर सकेगा।

15. अभिलेख का इलै ानिक प विधान म अनुर ण और अनु िय का समेकन - (1) अनुसूची 2 म विनि द येक अनुज्ञापन अधिकारी और नवीकरण अधिकारी जब कसी अनुज्ञि को दान करते ह या कसी अनुज्ञि का नवीकरण करते ह, के िय सरकार ारा विनि द कसी इलै ानिक प विधान म थानीय लेखा का डाटा वि करगे।

(2) येक अनुज्ञापन अधिकारी या नवीकरण अधिकारी ऐसे डाटा को एनडीएएल णाली म भी वि करगे जो एक विशि पहचान संख्यांक ुत्प करेगा और 1 अैल, 2017 से भावी होगा, बिना विशि पहचान संख्यांक के बिना कोई आयुध अनुज्ञि अविधिमा य समझी जाएगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन इस कार ुत्प विशि पहचान संख्यांक कसी अनुज्ञि के लिए विशि होगा।

(4) कोई वि मान अनुज्ञि धारी प 3 म बा य अनुज्ञियां रखता है, 1 अैल, 2017 को या उससे पूव उसके ारा धा रत सभी अ ायुध के संबंध म अपनी विशि पहचान संख्यांक के अधीन एकल अनुज्ञि दान करने के लिए संबंधित अनुज्ञापन अधिकारी को आवेदन करेगा :

परंतु जहां आवेदक अनुसूची 1 म विनि द आयुध या गोला बा द के तिबंधित वग के लिए आवेदन करता है, उ अनुसूची म विनि द आयुध या गोला बा द के अनुज्ञेय वग के लिए कसी अनु ि का धारक भी है ; या जहां आवेदक आयुध या गोला बा द के अनुज्ञेय वग के लिए आवेदन करता है और उ अनुसूची म विनि द आयुध या गोला बा द के तिबंधित वग के लिए कसी अनुज्ञि का धारक भी है, संबंधित अनुज्ञि अधिकारी अनुज्ञि धारक को वि मान के अधीन, जहां लागू ह, आयुध या गोला बा द के ऐसे निर्बंधित या अनुज्ञेय वग के लिए नई अनुज्ञि जारी करेगा :

परंतु यह और क प 2, प 3 और प 4 म येक अनुज्ञि क दशाम और कसी एकल विशि पहचान संख्यांक के अधीन तीन आयुध क कसी सम सीमा के साथ अनुसूची 1 म विनि द आयुध और गोला बा द के निर्बंधित या अनुज्ञेय प के लिए प 3 म अनुज्ञि क दशाम पृथक् अनुज्ञि पुितिका सृजित करेगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन कसी बा य अनुज्ञि धारक के कसी आवेदन प क ि पर अनुज्ञापन अधिकारी आवेदक के वि मान बा य अनुज्ञिय को निर त करेगा और उसके थान पर उ अनुज्ञि धारी को सभी वि मान आयुध के लिए उसम उसम प िकित कर नई अनुज्ञियां जारी करेगा।

(6) उपनियम (4) के अधीन अनुज्ञापन अधिकारी ारा इस कार जारी नए अनुज्ञिय क वि मानतः अवधि निर त क गई कसी अनुज्ञि म वणत अधिकतम अवधि होगी और ेत्र वि मानतः निर त अनुज्ञिय म से कसी म अधिकतम वि तारत ेत्र नई अनुज्ञिय पर पृष्ठांकित होगा।

16. एनडीएएल के अधीन अनु ापन ाधिकारी के कत - (1) अनु ापन ाधिकारी जब कसी अनु ि को दान या उसका नवीकरण करता है या इन नियम के अधीन कसी अनुज्ञि धारी को कोई संब सेवाएं उपल ध कराते समय यह सुनि त करेगा क उसके ारा अनुमो दत संब्यवहार का डाटा थानीय इलैक िनिक प विधान के साथ-साथ उसक लॉगइन पहचान के अधीन एनडीएएल णाली पर भी अ तन हो जाए:

परंतु अनुज्ञि धारी इलैक िनिक प विधान म ऐसे डाटा के अ तान होने को अनुज्ञापन ाधिकारी के भाग पर कसी असफलता के लिए उ रदायी नह होगा।

(2) अनुज्ञापन ाधिकारी अनुसूची 5 के तंभ (2) म विनि द विभि सेवा के, उ अनुसूची के तंभ (4) म विनि द समय के भीतर दान करने के अनुपालन को सुनि त करेगा।

17. कसी बा अनु ापन ाधिकारी से अनुज्ञि का रजि िकरण और वि मान अनु ापन ाधिकारी से पते का प रवतन - (1) य द कोई ि जो प 3 म अनुज्ञि रखता है, निवास थान म प रवर्तन, थायी या छः मास से अधिक क अवधि के लिए अ थायी प म करता है और अनु ि के अधीन आयुध को अपने साथ वहन करता है जो अनुज्ञि म द शत वि मान अनुज्ञापन ाधिकारी क अधिका रता से भि कसी अ य थान म आता है, वह छः मास क अवधि के समा होने के त काल पूव अपने नए निवास थान को अनुज्ञापन ाधिकारी को ऐसे प रवर्तन क सूचना भेजेगा और मांगने पर उसके साथ अनुज्ञि को तुत करेगा तथा प ख-1 म नए आयुध या आयुध के लिए नई अनुज्ञि के लिए आवेदन करेगा और उसम अपने नए निवास क विशिय को द शत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प ख-1 म कोई आवेदन ा होने पर अनुज्ञि धारी के निवास के नए थान का अनुज्ञापन ाधिकारी पंद्रह दन क अवधि के भीतर एनडीएएल णाली म अनुज्ञि धारी का रजि टर, जहां अनुज्ञि धारी का विशि पहचान संख्यांक स य है और उसक अधिका रता को अंत रत करेगा तथा, यथाथिति, मूल अनुज्ञापन ाधिकारी या अंतिम नवीकरण ाधिकारी के अभिलेख से उसे अस य करेगा और इसके प ात् एक नई अनुज्ञि पुितिका अनुज्ञि धारी को जारी करेगा तथा ऐसे नए ाधिकारी उ अनु ि के संबंध म अनुज्ञि या नवीकरण ाधिकारी ह गे।

(3) जहां अनुज्ञि धारी अपने निवास के थायी थान को वि मान अनुज्ञापन ाधिकारी क अधिका रता के भीतर प रवर्तन करता है वह इसक सूचना अनुज्ञापन ाधिकारी को अपने नए निवास थान के सबूत के साथ देगा और य द ऐसे प रवर्तन के प रणाम व प पुलिस थाने क अधिका रता म प रवर्तन होता है, के साथ वह अपने नए निवास के थान क पुलिस थाने को भी सूचना देगा तथा अनुज्ञापन ाधिकारी पंद्रह दन क अवधि के भीतर एनडीएएल णाली म अनुज्ञि धारी के निवास म प रवतन को रजि टर करेगा, जहां अनुज्ञि धारी का नए पुलिस थाने के अधीन विशि पहचान संख्यांक स य करेगा तथा अंतिम पुलिस थाने से उसे अस य करेगा।

18. आयुध के क जे के लिए अनु ा के प ात् अनु ि को दान करना - जहां अनुज्ञि धारी ारा अ जत आयुध के क जे के लिए प 2, प 3, प 4 या प 5 म अनुज्ञि दान क जाती है त प ात् अनुज्ञि दान क गई है, ाधिकारी अनुज्ञि दान करते समय अनुज्ञि के अधीन आने वाले आयुध के लिए निदेश दे सकेगा क दो वष क अवधि के भीतर अ जत करना होगा या आयुध या दोन उसके निरी ण के लिए तुत करना होगा और य द दो वष क अवधि के भीतर अनुज्ञि धारी आयुध को अ जत करने म तथा अनुज्ञि देने म असफल रहता है या, यथाथिति, आयुध या दोन अनुज्ञि समा हो जाएगी:

परंतु अनुज्ञापन ाधिकारी दो वष क अवधि को अनुज्ञि धारी ारा ा लिखित तिवेदन के आधार पर एक वष क और अवधि के लिए ऐसे वि तार को दान करने के लिए कारण को लेखब करने के प ात् वि तारत कर सकेगा:

परंतु यह और क, यथाथिति, य द दो वष क अवधि या एक वष क वि तारत अवधि के दौरान अनु ि धारी कसी भि वर्णन के कसी आयुध या आयुध को अ जत करने या क जे म रखने क इ छा करता है और अनुज्ञापन ाधिकारी को ऐसे आयुध या आयुध के अर्जन और क जे म अनुज्ञात करने को कोई आपि नह है वह त नुसार अनु ि को संशोधित कर सकेगा:

परंतु यह और भी क जहां अनु िधारी अपने निवास थान म प रवर्तन अनुज्ञि दान करने के प ात्, क्तु ऐसे आयुध के अर्जन से पूव करता है, वह अपने नए निवास थान के अनुज्ञापन ाधिकारी के सम अनुज्ञि या आयुध या दोन निरी ण के लिए तुत करेगा जहां अनुज्ञि थानांतर क गई है और उ ाधिकारी ऐसे आयुध के निरी ण पर एनडीएएल णाली पर जानकारी रजि टर और अ तन करेगा :

परंतु यह और भी क इस नियम के उपबंध कसी अति र आयुध या आयुध के कसी अर्जन पर जहां अनुज्ञि धारी अनुज्ञि दान करने के प ात् अजत करने क वांछा कर सकेगा, तीन अ ायुध क सम सीमा के अधीन रहते ए कसी नए अर्जन के प म पहले से ही उसके क जे म या अ यथा आयुध या आयुध के जो पूव म ही उसके क जे म है या अ यथा वि य या अंतरण या निपटान के खाते म यथाव यक प रवर्तन सहित लागू ह गे ।

19. अनु ि क विधिमा यता ेत्र का वि तार - (1) प 3 म कसी अनुज्ञि के धारक से आवेदन क ाि पर अनुज्ञापन ाधिकारी उसक अनुज्ञि म विनि द विधिमा यता के ेत्र का वि तार कर सकेगा, य द उसका यह समाधान हो जाता है क शत के अधीन रहते ए ऐसे वि तार क आव यकता है, अनुज्ञापन ाधिकारी ेत्र के संबंध म जिसके संबंध म ऐसा वि तार चाहा गया है, अनुज्ञि दान करने क शि है।

(2), अनुसूची 2 के तंभ 5 म यथा विनि द अनुज्ञापन ाधिकारी ारा संपूण भारत के लिए ेत्र विधिमा यता के वि तार के लिए आवेदन अनुज्ञि धारी के नि लिखित वग के संबंध म दान कर सकेगा, अर्थात् :-

- (क) संघ के मंत्री या संसद् सद य ;
- (ख) र ाबल या के िय सश पुलिस बल के का मक ;
- (ग) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी ;
- (घ) सरकार या सरकारी सेक्टर के उप म या प लिक सेक्टर के अधिकारी जिन पर भारत म कह भी सेवा का दायि व है ;
- (ङ) सम पत खेल ि और नियम 40 के उपनियम (2) क सारणी के म संख्यांक 1 से 4 तक विनि द खेल ि ।

(3) अ य मामल म जहां अनुज्ञापन ाधिकारी का यह समाधान हो जाता है क वि मान अधिका रता से परे आयुध को उसे ले जाने क अपेक्षा आवेदक के कारबार या वृि क कृति म है और ऐसी अपेक्षा इन नियम के प 11 म कसी या ा अनुज्ञि के जारी करने से पूरी नह क जा सकती है। आवेदक अनुसूची 2 के तंभ 5 म विनि द अनुज्ञापन ाधिकारी ारा वि मान ेत्र के आवेदन को संपूण भारत के लिए दान कर सकेगा।

20. िक के लिए अति र अनु ि - (1) कोई अनुज्ञि धारी प 3 म अनुसूची 1 म यथाविनि द अ ायुध के अनुज्ञेय वग के लिए अपने निकट संबंधी, जो प 3 म कोई अनुज्ञि का धारण नह करते है और जो अनुज्ञि म दए गए पते म उसके साथ निवास करते है उसक अनु ि ारा आने वाले आयुध या गोला बा द का क जे म रखने, वहन करने या उसे उपयोग करने के लिए, क ह दो के लिए अति र अनुज्ञि दान करने के लिए आवेदन कर सकेगा और अनुज्ञापन ाधिकारी अधिनियम और उ अति र अनुज्ञि धारी ारा अधिनियम और इन नियम के अधीन य द पा ता शत पूरी क जाती है तथा पुलिक रपोट म कोई तिकूल ट पणी नह है, अनुज्ञापन ाधिकारी ऐसे अति र अनुज्ञि धार य को अनुज्ञि दान करेगा।

(2) कसी पृथक् अनुज्ञि को उसक विशि पहचान संख्यांक के अधीन अति र अनुज्ञि धारी को मूल अनुज्ञि पर पृष्ठांकित आयुध और गोला बा द के साथ पृथक् अनुज्ञि दान क जाएगी :

परंतु अति र अनुज्ञि धारी अपनी अनुज्ञि पर कोई आयुध या गोला बा द अजत करने के लिए अनुज्ञात नह होगा।

(3) अति र अनुज्ञि धारी इस नियम के अधीन कसी अति र अनु ि धारण क अवधि के दौरान अपनी िगत हैसियत म कोई अनुज्ञि ा नह करेगा।

(4) अनुज्ञापन ाधिकारी यह सुनि त करेगा क मूल अनुज्ञि पर पृ ांकित अति र अनुज्ञि धार य के यौर और विधिमा यता क अवधि तथा अति र अनुज्ञि क विधिमा यता का ेत्र मूल अनुज्ञि के साथ सम प है तथा य द मूल अनुज्ञि निलंबित, तिसंहारण या र करण है, उपरो के अधीन रहते ए अति र अनुज्ञि के समान प णाम ह गे।

(5) अति र अनुज्ञि धारी अपनी अनुज्ञि पर पृष्ठांकित आयुध और गोला बा द का वि य या अंतरण नह कर सकेगा।

(6) मूल अनुज्ञि धारी के प रसर से कोई अति र अनुज्ञापन ािकारी अ थायी प से या थायी प से दूसरे थान पर चला जाता है, ऐसी अति र अनुज्ञि वतः पगत हो जाएगी और ि जिसे ऐसी अति र अनुज्ञि जारी क गई है अनुज्ञापन ाधिकारी को अपनी अनुज्ञि वापस कर देगा जिसम उसे ऐसी अनुज्ञि जारी क है तथा अनुज्ञापन ाधिकारी को ऐसी सूचना देने के लिए मूल अनुज्ञि धारी का उ रदायि व होगा।

(7) मूल अनुज्ञाधारी मूल अनुज्ञा के साथ कसी आवेदन के तारा अपनी अतिर अनुज्ञाधारी क कसी अनुज्ञा को तिसंह रत या निरत करने के लिए अनुरोध कर सकेगा और ऐसी सभी दशा म अनुज्ञापन अधिकारी अतिर अनुज्ञाधारी क अनुज्ञायां संहारण यार करेगा।

परीकरण - इन नियम के योजन के लिए 'निकट संबंधिय' से पति-पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई और बहिन अभिे त है।

21. छूटधारक के लिए तिधारक - (1) अनुज्ञा अपेक्षा के लिए अधिनियम क धारा 41 के अधीन छूट त कसी ि तारा अपने तिधारक को कोई ि नामनि द दान करने को प 3क म आयुध या गोला बा द को क जे म रखने या वहन करने के लिए दान होगी :

परंतु इस कार छूट त ि के तिधारक को अनुज्ञा के अंतर्गत आने वाले आयुध और गोला बा द के उपयोग का कोई अधिकार या वतंत्रता नह होगी और उस दन जिसको यह वृ आ है, अनुज्ञा विरत हो जाएगी जिसको इस कार छूट त ि को छूट दे देता है या छूट त के नामनिदशिती को तिधारक विरत हो जाएगा।

(2) अनुज्ञापन अधिकारी उपधारा (2) के अधीन नामनि द तिधारक के पूववृत्त के बारे म पुलिस से रपोट त करेगा और प 3क म अनुद कसी अनुज्ञा के तिधारक के प म उसे वीकार करने से पहले ऐसी रपोट को विचार म लेगा।

22. कंपनी के लिए तिधारक - (1) कसी कंपनी के लिए कसी कंपनी के अपने प रसर और संपि क संर त के लिए प 2 या प 3 म दान क गई कसी अनुज्ञा कसी उ रदायी ि के नाम (पदनाम सहित) जो आयुध और गोला बा द क अभिर त के लिए जवाबदार और उ रदायी है।

(2) कसी सेवक या कोई अ य ि का नाम जिसे कंपनी के प रसर या संपि के र ण के लिए आयुध और गोला बा द स पे गए है, अनुज्ञा म तिधारक के प म वि होगा।

(3) अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञा म द शत ऐसे तिधारक के येक के लिए प 3ख म अनु त अनुज्ञाधारी को जारी करेगा और ऐसी अनुज्ञा कंपनी के उ रदायी वैयि क अभिर त म बनी रहेगी तथा अनुज्ञा के अंतर्गत आने वाले आयुध और गोला बा द के साथ स पी जाएगी जब अभिर क को उसे ह तगत कया जाता है :

परंतु तिधारक के लिए आवेदन करते समय अनुज्ञाधारी प 3 म आवेदन के साथ तिधारक के चार नवीनतम पासपोट आकार के चि कंपनी म उसक नियुि और उसके नियोजन के साथ देगा :

परंतु यह और क अनुज्ञापन अधिकारी तिधारक के पूव वृि क के बारे म पुलिस से रपोट त करेगा और तिधारक के प म उसे वीकार करने से पहले उसे विचार म लेगा।

(4) कंपनी के उ रदायी ि के प रवर्तन के लिए प 2 या प 3 म अनुज्ञाधारी कसी कंपनी से आवेदन पर जिसका नाम अनुज्ञा दान क गई है या कोई तिधारक जिसके अंतर्गत अनुज्ञाधारी भी है, अनुज्ञापन अधिकारी तारा अनुज्ञा म आव यक संशोधन कए जा सकगे।

23. िच, भरण, अ ियुध म युक्त गोला बा द क प रमाण पर निब धन - (1) प 2, प 3 या प 4 म दान कए गए अनुज्ञा के लिए इस अधिनियम और इन नियम के योजन के लिए िच भरण अ ियुध के लिए नि लिखित निब धन के अधीन हगे, अर्थात् :-

कसी कैलेंडर वष के दौरान अधिकतम खरीद यो य (ति अ ियुध)	200
कसी एक समय पर अधिकतम क जे म (ति अ ियुध)	100

(2) (क) उपनियम (1) म कसी बात के होते ए भी संब रार य सरकार गुणावगुण के आधार पर और कारण को लेखब करते ए उचित और पया आधार पर मामले क आपवा दक मामल म गोला बा द क अधिकतम प रमाण को अनुज्ञात कर सकेगा।

(ख) के िय सरकार का गृह मंत्रालय इस संबंध म कसी साधारण या विशेष आदेश को जारी कर ऐसे आपवा दक मामल म गोला बा द के अधिकतम प रमाण को त कर सकेगा।

24. अनु ि का नवीकरण - (1) येक अनुज्ञा उसक समाि पर और उसको दान करते समय ऐसी शत (य द कोई ह) के अधीन रहते ए पुलिस रपोट क ि के तीस दन क अवधि के भीतर नवीकरण अधिकारी के प म अनुसूची 2 म व णत अधिकारी तारा नवीकरण होगा :

परंतु इस कार नवीकृत अनुज्ञा नियम 5 के अधीन राय सरकार द्वारा इस निमित्त विधि प से सश कसी अधिकारी द्वारा अनुज्ञा के समुचित खाने महता रत होगी।

(2) आयुध और गोला बा द के लिए कसी अनुज्ञा नवीकरण के लिए कोई आवेदन ऐसे प म जिसम विनि द उ अनुज्ञा के समा होने के कम से कम साठ दन पूर्व, प म विनि द द तावेज के साथ अनुज्ञापन अधिकारी को फाइल होगा :

परंतु नियम 48 के उप नियम (1) के अधीन जमा कए गए आयुध और गोला बा द क दशा में, जमाकता द्वारा या तो नवीकरण आवेदन फाइल होगा जहां यह संभव नह है, आवेदन सीधे बहारी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित म अधिकृत कसी अ य ि द्वारा फाइल होगा जब क आयुध या गोला बा द का इस कार जमा रहता जारी रहता है।

(3) कसी अनुज्ञा को जारी करने वाला अधिकारी अनुज्ञा के सभी भवि यकाल म नवीकरण निगरानी के लिए मामूली तौर पर उ रदायी होगा :

परंतु जहां अनुज्ञा धारी अपने निवास के थान छः मास से अधिक अवधि के लिए थायी या अ थायी प से प रवर्तन को अधिसूचित करता है, जिले के अनुज्ञा अधिकारी को जिसम ऐसा नवीकरण चाहा गया है, उ जिले का अनुज्ञापन अधिकारी उसक अनुज्ञा के सभी भवि यकालिक नवीकरण क निगरानी के लिए उ रदायी होगा।

(4) कसी अनुज्ञा धारी के संबंध म जिसने उपनियम (3) के अधीन निवास के प रवर्तन को अधिसूचित कया है, नया नवीकरण अधिकारी नियम 17 म विनि द उपबंध के अनुसरण म अपनी अधिका रता के अधीन अनुज्ञा धारी के रजि टर करेगा और उसके नवीकरण को नि पा दत करेगा और उसके प ात् मूल जारी करने वाले या अंतिम नवीकरण अधिकारी को सूचित करेगा।

(5) अनुज्ञापन अधिकारी कसी अनुज्ञा के नवीकरण के लिए कसी आवेदन पर उस समय विचार कर सकेगा, य द उसके समा होने क तारीख और आवेदन क तारीख के बीच क अवधि उसक राय में, मामले क परिथितिय को यान म रखते ए अस यक प से दीघ नह है और सभी नवीकरण फ स का संदाय कर दया गया है; अ यथा ऐसे आवेदन को नई अनुज्ञा क मंजूरी के लिए आवेदन के प म माना जाएगा।

(6) अनुज्ञापन अधिकारी, राय सरकार द्वारा सभी या कसी वग के अ यायुध के संबंध म जारी क ह अनुदेश के अनुसार, इस नियम के अधीन अनुज्ञा का नवीकरण करने से पूव आवेदक क निजी उपथितिक अपेक्षा कर सकेगा।

25. विधिक उ राधिका रय को अनु ि क मंजूरी - (1) अनुज्ञापन अधिकारी, -

(क) अनुज्ञा धारी क मृत्यु के प ात्, उसके विधिक उ राधिका रय को अनुज्ञा मंजूर कर सकेगा; या

(ख) कसी अ य मामले म, अनुज्ञा धारी द्वारा स रवष क आयु ा करने पर या प िस वष तक अ यायुध धारण करने पर, इनम से जो भी पूर्वतर हो, उसके द्वारा नामनि द कसी विधिक उ राधिका री को अनुज्ञा मंजूर कर सकेगा:

परंतु बशत इस नियमावली के नियम 12 म निहित ावधान के वि मान होते ए भी, अनुज्ञापन अधिकारी ऐसे विधिक उ राधिका री को अनुज्ञा दान करेगा य द उ विधिक उ राधिका री द्वारा अधिनियम और इन नियम के अधीन पा ता शत पूरी क जाती ह और पुलिस रपोट म कोई तिकूल ट पणियां नह ह।

(2) जहां कोई अनुज्ञा धारी अपने पीछे एक से अधिक विधिक उ राधिका री छोड़ता है और ऐसे विधिक उ राधिका री वयं से मृतक के आयुध या आयुध को धार रत करने का विनि य करते हैं, वहां सभी अ य विधिक उ राधिका रय द्वारा नाम नि द कोई एक विधिक उ राधिका री नि लिखित द तावेज के साथ उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा, अर्थात्:-

(i) शेष बचे विधिक उ राधिका रय से निरा ेप क घोषणा;

(ii) आवेदक द्वारा नि पा दत कए जाने वाले तिपूर्ति बंधप , जिसम अनुज्ञा के पूण यौरे दए गए ह और उन पर आयुध को पृष्ठांकित कया गया हो; और

(iii) मृतक अनुज्ञा धारी के मृत्यु माणप क एक ति।

(3) जहां विधिक उ राधिका री मृत अनुज्ञा धारी क अनुज्ञा पर पृष्ठांकित आयुध या आयुध का यन करने का विनि य करते ह, वहां वे अनु ापन अधिकारी को, ऐसे अधिकारी द्वारा अनु ात समय के भीतर कसी अनुज्ञा ाहारी या इन नियम के अधीन आयुध को रखने के लिए हकदार कसी अ य ि को ऐसे आयुध या आयुध का वि य करने के लिए सीमित अवधि अनुज्ञाप मंजूर करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

प िकरण -

इस नियम में, 'विधिक उ राधिकारी' पद में अनुज्ञि धारी या मृत अनुज्ञि धारी का पति, प ी, पुत्र, पुत्री, दामाद, वधु, भाई, बहन और पौ आ द सम्मिलित ह ।

- 26. कतिपय अनु िय का पु तक प म होना** - एनडीएलएल णाली में अनुज्ञि धारी के यूआईएन के अधीन सृजित प 2, प 3, प 4 या प 5 क अनुज्ञि पुस्तक प म होगी, जिसे मानुसार संख्यांकित कया जाएगा और वह नियम म विनि द प का कड़ाई से पालन करेगी और िय क दशा में, उसमें अनुज्ञि धारी का नवीनतम फोटो भी अंत व होगा : परंतु अ यायुध के निर्बंधित वग के लिए अनुज्ञि पुस्तक गाड़े भूरे लाल रंग क होगी और अ यायुध के अनुज्ञेय वगके लिए उसका रंग गहरा नीला होगा;

परंतु यह और क अनुज्ञापन ाधिकारी अनुज्ञि पुस्तक को थानीय प से मु त करा सकेगा साथ ही उसे म संख्यांकित करेगा तथा अनुसूची 4 म विनि द कए अनुसार अनु ि पुस्तक उपल ध कराने के लिए फ स का उद हण कर सकेगा ।

- 27. अनु िय के लिए फ स - (1) (क)** इन नियम के अधीन मंजूर या नवीकृत क गई येक अनु ि के लिए, इसमें अभि प से अ यथा उपबंधित के सिवाय, अनुसूची 4 म विनि द फ स (य द कोई हो) भा रत क जाएगी ।

(ख) ऐसे कसी मामले में, जहां फ स को कसी वष के लिए विहित कया गया है, वहां वष के कसी भाग के लिए उद हणीय फ स वही होगी, जो पूण वष के लिए है ।

(2) जहां कोई अनुज्ञि धारी, उस अवधि के, जिसके लिए अनु ि मंजूर क गई थी, अवसान के प ातु अपनी अनुज्ञि के नवीकरण के लिए आवेदन तुत करता है, वहां अनुज्ञापन ाधिकारी, य द वह अपने विवेकानुसार अनु ि को नवीकृत करने का विनि य करता है, -

(क) अनुज्ञि का ारंभिक मंजूर के लिए उद हीत क जाने वाली पूण फ स का उद हण कर सकेगा; और

(ख) य द उसका यह समाधान हो जाता है क विलंब उचित या माफ करने यो य नह है और न ही इतना गंभीर है क अनुज्ञि का तिसंहरण या अनुज्ञि धारी का अभियोजन कया जाए तो वह दो हजार पए क विलंब फ स का उद हण कर सकेगा:

परंतु य द कसी अनुज्ञि के नवीकरण के लिए कोई आवेदन प 3 म, अनुज्ञि के अवसान क तारीक से एक मास के भीतर कया जाता है, वहां कोई विलंब फ स उद हणीय नह होगी ।

(3) के िय सरकार, कोई साधारण या विशेष आदेश जारी करके और लिखित म कारण को लेखब करके तथा ऐसी शत के, य द कोई ह , जि ह वह आदेश म विनि द करे, कसी अनुज्ञि के संबंध म संदेय फ स के संबंध म छूट या उसमें कमी मंजूर कर सकेगा:

परंतु प 3 म कसी अनुज्ञि क मंजूरी या नवीकरण के संबंध म भाय फ स से संदाय से येक छूट के लिए यह शत होगी क य द ऐसी अनुज्ञि के नवीकरण के लिए आवेदन, अनुज्ञि के अवसान क तारीख से एक मास के भीतर नह कया जाता है तो अनुज्ञापन ाधिकारी, जब तक क आवेदक अनुज्ञापन ाधिकारी का यह समाधान न कर दे क उ अवधि के भीतर आवेदन न करने के लिए पया कारण था, अनुसूची 4 म विनि द दर पर नवीकरण फ स का उद हण कर सकेगा ।

(4) नियम 18 के दूसरे परंतुक के अधीन कसी मंजूर क गई अनुज्ञि म वि आयुध या गोला बा द के अर्जन के लिए उसक क म म प रवर्तन के संबंध म उस समय अंतरणीय फ स भाय होगी, य द इस कार प रव तत आयुध या गोला बा द के संबंध अनुज्ञि फ स मूल आयुध या गोला बा द क फ स से अधिक है ।

- 28. तिय और ितीय तिय के लिए संदेय फ स:** जहां इन नियम के अधीन मंजूर या नवीकृत क गई अनुज्ञि गुम हो जाती है या दुर्घटनावश न हो जाती है, वहां ऐसी अनुज्ञि को मंजूर करने के लिए सथ ाधिकारी मूल अनुज्ञि के लिए भाय फ स के संदाय पर अनुज्ञि क ितीय ति मंजूर कर सकेगा ।

- 29. फ स का संग्रहण-** सभी फ स का संदाय आवेदन के समय नकद म या बैंक संदाय आदेश या मांग ा ट या इलैक णिक बैंककारी अंतरण के मा यम से कया जाएगा ।

- 30. अनु ापन ाधिकारी ारा आयुध का निरी ण** - ऐसा ाधिकारी, जिसके ारा प 2, प 3, प 4 या प 5 म अनुज्ञि मंजूर अथवा नवीकृत क गई है, वयं का यह समाधान करने के योजन के लिए क ऐसी अनुज्ञि के अंतर्गत आने वाले कोई आयुध, अनुज्ञि के नवीकरण के समय या अनुज्ञि के वृत्त रहने के दौरान कसी भी समय अनुज्ञि धारी के क जे म ह, लिखित आदेश ारा अनुज्ञि धारी से, ऐसे समय और थान पर तथा ऐसे अधिकारी ारा, जैसा क आदेशम विनि द कया जाए, निरी ण के लिए आयुध या आयुध को तुत करने क अपेक्षा कर सकेगा ।

- 31. अनु िय को तुत करना** – ऐसा कोई ि, जो इन नियम के अधीन मंजूर या नवीकृत क गई कोई अनुज्ि या कोई अनुज्ञाप या माणप धारण करता है, कसी मजि ेट या कसी पुलिस थाने के भारी अधिकारी से अ यून पंि के पुलिस अधिकारी से मांग कए जाने पर ऐसी अनु ि, अनुज्ञाप या माणप को तुत करेगा।
- 32. सावजनिक थान पर अ यायुध साथ रखने पर निबधन** – (1) कोई ि, तब तक कसी सावजनिक थान पर कोई अ यायुध अपने पास नह रखेगा जब तक क इस कार पास रखे जाने वाला अ यायुध –
- (क) कसी हडगन क दशा म –
- (i) कसी हो सटर म या कसी हैंडगन को साथ रखने के लिए तैयार कए गए, विनि मत अनुकूलित समान हो डर म है और वह उसके शरीर से जुड़ा हो; या
- (ii) कसी रकसैक या समान कार के हो डर म है; या
- (ख) कसी अ य अ यायुध क दशा में, कसी अ यायुध को साथ रखने के लिए तैयार कए गए, विनि मत अनुकूलित समान हो डर म है।
- (2) उपनियम (1) म अनुध्यात कसी अ यायुध को पूण प से आवरण से ढका होना चाहिए और अ यायुध को साथ रखने वाला ि, ऐसे अ यायुध पर भावी नियंत्रण रखने म समथ होना चाहिए।
- (3) कसी सावजनिक थान या कसी अ यायुध मुक्त जोन म अ यायुध को लहराना या उसे दागना या उससे हवा गोली चलाना पूणतया तिपि है।
- (4) इस नियम का कोई उ लंघन, अनु ि के तिसंहरण के लिए दायी होगा और साथ ही अधिनियम के अधीन विनि द शाति के उद हण के साथ अ यायुध का भी अभि हण कर लिया जाएगा।
- 33. सूचना को ठीक करना** – (1) कसी अनुज्ि म अंत व कसी ऐसी सूचना को, जिसे एनडीएलएल णाली पर अशुद्ध प से अपलोड कर दया गया है, ठीक करने के लिए कोई अनुरोध, संब अनुज्ञापन िधिकारी को समथनकारी द तावेज के साथ लिखित आवेदन म तुत कया जाएगा।
- (2) जहां उपनियम (1) म नि द कोई आवेदन कसी ऐसे अ यायुध के यौरे से संबंधित है, जिसे अनुज्ि म अशुद्ध प से उपद शत कया गया है, वहां अनुज्ञापन िधिकारी, अ यायुध के यौर क पुि करने के लिए अ यायुध को उसके भौतिक निरी ण के लिए मंगा सकेगा या प 9 म अनुज्ि धारण करने वाले कसी बंदूक बनाने वाले या र ा बल, के िय सश पुलिस बल और रा य पुलिस बल म कार्यरत कसी श साज से जारी कसी माणप क मांग कर सकेगा।
- (3) उपनियम (2) म नि द बंदूक बनाने वाला या श साज या अ यायुध क परी ा करने के प ात् एक माणप तुत करेगा, जिसम अ यायुध के कार्य, डिजाइन, क म, मेक, माडल, कैलिबर और म संख्यांक या अतिर चि न का कथन होगा।
- (4) सूचना को ठीक करने के लिए आवेदक से उस समय कोई लागत नह ली जाएगी, जहां सूचना को अपलोड करने म ई ़ुटि अनुज्ञापन िधिकारी के कारण ई थी।
- 34. अ यायुध पर पहचान चि न** – (1) ऐसा कोई ि, जिसके क जे म ऐसा कोई अ यायुध है, जिस पर विशि प से विनिर्माता का नाम, संख्यांक या अ य पहचान चि न अंकित नह है, अनु ापन िधिकारी से पूव अनुमोदन ा करने के प ात् अ यायुध पर पहचान चि न अंकित कराएगा, जिसम नि लिखित म म अ यायुध के बैरल और े म या बैरल और रसीवर पर नि लिखित सभिलित हू गे, -
- (क) ऐसे विशि अ र, जो इस योजन के लिए रा य सरकार ारा विहित कए जाएं;
- (ख) आयुध अनुज्ि का म संख्यांक; और
- (ग) टांप लगाने का वष।
- (2) जब कसी आयातित अ यायुध को ाहारी ारा वि य के लिए रखा जाता है, जिस पर विनिर्माता का नाम नह है, वहां रा य सरकार ारा यथा आबंटित आयातकता के विशि चि न को, अनुज्ञापन िधिकारी से पूव अनुमति ा करने के प ात्, अ यायुध के बैरल और े म या बैरल और रसीवर पर उ क णत कया जाएगा:
- परंतु य द बैरल पर एक से अधिक संख्यांक चि नित ह तो मूल बीजक पर उपद शत संख्यांक को विशि चि न के प म अंकित कया जाएगा;

परंतु यह और क जहां विनिर्माता का संख्यांक केवल गर गाड या कसी अ य ति थापनीय भाग पर उपद शत कया गया है, वहां ऐसे संख्यांक को अ यायुध के बैरल और े म या बैरल या रसीवर पर भी उ क ण त कया जाएगा।

अ याय 3

अनु िय के विशेष वग

35. ऐसे जंगली पशु को मारने के लिए अनु ि, जो मानव या मवेशिय को ति और फसल को नुकसान पं चाते ह - (1) इस नियम के अधीन आयुध अनुञ्जिय क मंजूरी, ऐसे रा य और संघ रा येत्र के संबंध म, जहां व यजीव (संर ण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) लागू है, उसके उपबंध के अधीन होगी।

(2) प 4 म अनुञ्जि क मंजूरी के लिए इस नियम के अधीन कए जाने वाले आवेदन म ऐसी भूमि और कृषि के, जिसे सुर ा क आव यकता है तथा उस ेत्र के, जहां आयुध और गोला बा द को साथ म रखा जाना अपेति है, यौर विनि द कए जाएंगे।

(3) जहां फसल कटाई के मौसम क समाि पर, रा य सरकार कसी ेत्र म व य जीव के संर ण के लिए ऐसा करना समीचीन समझती है क प 4 म क ह आयुध या गोला बा द को कसी पुलिस थाने या अनुञ्ज ाहारी के पास जमा कया जाना चाहिए, वहां वह आदेश ारा कसी अनुञ्जि धारी से यह अपेक्षा कर सकेगी क वह ऐसी अवधि के लिए, जिसके दौरान ऐसे योजन के लिए जिसके हेतु अनु ि मंजूर क गई है और जो विनि द कए गए ह, आयुध या गोला बा द अपेति नह ह, उ ह जमा करने क अपेक्षा कर सकेगी और तदुपरांत अनुञ्जि धारी ऐसे आदेश का अनुपालन करने के लिए आव होगा।

36. शि ण और ल य को साधने के अ यास के लिए अनु ि - (1) इ स वष से कम कतु बारह वष से अधिक आयु के कसी ि को शि ण के योजन के लिए अनुज्ञेय वग के आयुध का उपयोग करने क अनुज्ञा दी जा सकेगी, जो ऐसे आयुध का उपयोग कसी वय क अनुदेशक या अनुञ्जि धारी क उपथिति या य पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अधीन कर सकेगा:

परंतु इ स वष के कम आयु के कसी ि को, ऐसे कसी ि क, जो अनुञ्जि धारी ारा ऐसे आयुध को अपने साथ रखने के लिए विधिपूर्वक ाधिकृत है, उपथिति म और पर्यवेक्षण के अधीन सिवाय सार्वजनिक थान पर अनुज्ञेय वग के ऐसे आयुध को साथ रखने क अनुज्ञा नह दी जाएगा, जिसके लिए कोई अनुञ्जि अपेति है।

(2) ऐसे कसी ि, जो निशानेबाजी क डा हेतु अ यास करने के लिए प 3 म आयुध के अनुेय वग को क जे म रखने के लिए अनुञ्जि हेतु आवेदन करता है, से इस बात का सा य द शत करने क अपेक्षा क जाएगी क वह ऐसे याकलाप म भाग लेता है और वह संरचनाब पठन या का पालन कर रहा है।

(3) ऐसे क ह आयुध का, जि ह निशानेबाजी क डा के योजन के लिए अनुञ्जि ा है, उपयोग डा निशानेबाजी लब या निशानेबाजी रज म अ यास और तियोगित तक ही सीमित होगा।

(4) प 3 म अनुञ्जि धारण करने वाला कोई सम पत खिलाडी, केवल डा के योजन के लिए कसी अ य सम पत खिलाडी को जो विधिक प से इस क म के आयुध को क जे म रखने के लिए हकदार है, तीन मास से अनधिक अवधि के लिए नि लिखित शत के अधीन रहते ए अपने आयुध को उधार देन के लिए समथ होगा,-

(क) उधार लेने वाले ि ारा आयुध का उपयोग कसी अनुञ्जि धारक क उपथिति म या उसक अनुञ्जि क माणित ति के साथ कसी लिखित ाधिकार के अधीन कया जाता है, जिसम आयुध का संख्यांक और अ य पहचान चि न और उसे उधार दए जाने क अवधि द शत होगी;

(ख) उधार लेने वाले ि क घोर अनदेखी के कारण आयुध का दु पयोग कए जाने या उसके चोरी या गुम हो जाने क दशा में, उधारकता क अनुञ्जि तिसंहरण कए जाने क दायी होगी और साथ ही वह अधिनियम के उपबंध के अधीन अभियोजन के लिए भी दायी होगा; और

(ग) उधार लेने वाला ि, मांगे जाने पर इस कार उधार लिए जाने का सबूत तुत करेगा।

(5) जहां उधारकता क अनुपथिति म उपनियम (4) के अधीन आयुध को उधार लेने वाला ि शि ण या निशानेबाजी के अ यास या कसी निशानेबाजी तियोगिता म भाग लेने के लिए आयुध और गोला बा द को कसी निशानेबाजी रज म ले जाने का आशय रखता है, वहां वह आयुध और गोला बा द के संबंध म उधारकता ारा प 5क म ह ता रत लिखित ाधिकार अपने साथ रखेगा, जिसम ेत्र और अवधि भी विनि द क जाएगी और साथ ही उधारकता क आयुध अनुञ्जि क एक माणित ति भी लगी होगी ;

परंतु जहां आयुध या गोला बा द को रा य से बाहर ले जाना आशयित है, वहां लिखित ाधिकार को ऐसे जिला या रा य राइफल संघ, जहां उधारकता रजि िकृत है, अ य या सचिव ारा अनुप्रमाणित कया जाएगा।

प िकरण - इस नियम के योजन के लिए, "वय क" से ऐसा ि अभिेत है जिसने इ स वष क आयु पूरी कर ली है।

- 37. निशानेबाजी डा संघ के अनु ि** - (1) संघ रा य राइफल संघ या भारत के रा िय राइफल संघ के साथ यायित कोई निशानेबाजी डा संघ या कोई लब या कोई सेना मैस प 5 म अनुज्ि हेतु आवेदन करने के लिए पा हूँगे और साथ ही अपने प रसर पर आयुध और गोला बा द को अजत करने तथा क ज म और उनका उपयोग और/या भंडारण करने के लिए भी पा हूँगे।
- (2) अनुज्ि क मंजूरी के लिए उपनिमय (1) के अधीन कोई आवेदन, ारंभिक मंजूरी के समय या उसके येक प ातवत नवीकरण के समय कए जाने वाला आवेदन, यथा लागू नि लिखित द तावेज के साथ तुत कया जाएगा, अर्थात्:-
- (क) उसके ापन और संघ अनुच्छेद और सद यता नियम ;
- (ख) पदधा रय और थायी सद य क सूचिय ;
- (ग) शि ण और निशानेबाजी के अ यास के लिए यायित निशानेबाजी रज क विशि ियां;
- (घ) निशानेबाजी क डा के संवर्धन या े साहन के लिए कए गए शि ण/निशानेबाजी अ यास संबंधी याकलाप के यौरे;
- (ङ) आयोजित कए गए निशानेबाजी डा टूनामट या तियोगिता के यौरे;
- (च) नियम 10 के अधीन आयुध और गोला बा द के सुर ि त भंडारण के यौरे; और
- (छ) लब या संघ और/या उसके ारा उपभोग कए गए गोला बा द के पूण अभिलेख।
- (3) जहां प 5 म कोई अनुज्ि कसी निशानेबाजी डा संघ या लब या कसी सेना मैस के नाम पर मंजूर क गई है, वहां ऐसी मैस, लब या संघ के कसी सद य के लिए, अनुज्ि क शत के अधीन रहते ए शि ण और निशानेबाजी के अ यास के योजन के लिए अनुज्ि म उलिखित निशानेबाजी रज पर अनु ि के अधीन आने वाले आयुध या गोला बा द का उपयोग करना विधिपूण होगा।
- (4) जहां कसी राइफल लब या संघ का कोई सद य, मर मत या शि ण या निशानेबाजी अ यास के लिए कसी शूटिंग रज म जाने के लिए या कसी निशानेबाजी तियोगिता म भाग लेने के योजन के लिए लब या संघ के प रसर से बाहूर आयुध या गोला बा द को ले जाने का आशय रखता है, वहां उससे यह अपेक्षा क जाएगी क वह आयुध और गोला बा द के संबंध म और ेत्र तथा पारप म विनि द अवधि के लिए लब या संघ के अ य या सचिव ारा ह ता रत प 5ख म एक पारप अपने पास रखे।
- 38. शूटिंग रज के लिए अनु ि**-(1) कोई ि कसी आंत रक या बाहरी ाइवेट शूटिंग रज के लिए अनुज्ि के लिए आवेदन कर रहा है क िय सरकार ारा इस लिमिट साधारण या विशेष आदेश ारा पा रत तकनीक और सुर ा मांग को पूरा करने क अपेक्षा होगी :
- परंतु एयर पि टल और एयर राइफल से ल य अ यास के लिए उपयोग क जाने वाली 10 मीटर क दूरी तक क आंत रक रज को अनु ापन अपेक्षाएं लागू नह होगी >
- (2) इस नियम के अधीन कोई अनुज्ि अनुद नह क जाएगी जब तक क ऐसी शूटिंग रज के वामी या चालक के पास तृतीय प कार बीमा कवर या अ ापक बैंक तिभूति बंधप अपेक्षा को पूरा करने के लिए या वि िय बंधन हो:
- परंतु सैनिक, क िय सश पुलिस बल और रा य पुलिस विभाग के वामि वाधीन या चालित रज संबंधित आंत रक मार्गदशक सि ित के अनुसार जोखिम को वयं कवर करते ह।
- (3) भारतीय खेल ाधिकरण या भारतीय रा िय राइफल संगम उनसे संब संघो, निकाय का नियमित निरी ण संचालित करगे, नियमित अंतराल पर ऐसे रज के वामी है या चालन करते ह ता क शूटिंग रज के लिए अधिकृत सुर ा मानक और अ य मानदंडो का कठोरता से पालन का सुनि ि त कया जा सके।
- (4) अनु ापन ाधिकारी उसके े ाधिकार के अधीन आने वाले फाय रग रज के सभी वग का अवधिक या औचक निरी ण भी कर सकेगा ता क यह सुनि ि त कया जा सके क ऐसे रजो को लागू तकनीक और सुर ा शत का पालन कया जा रहा है।
- (5) आयुध के सुर ि त और द ि त रखरखाव के संबंध म तथा आयुध के परी ण के संबंध म वहा रक शि ण जिसके अंतर्गत गोला-बा द को फायर करना भी है ऐसे यायित शूटिंग रज म कया जाएगा जिसके पास प 5 म अनुज्ि है।

39 यायित शि क के लिए अनुज्ञि-(1) कोई ि जो यायित शि क क अनुज्ञि के लिए आवेदन कर रहा है, से इस नियम के अधीन अनुज्ञि अनुद करने से पूर्व पा ता परी ण पूरा करने और शि ण लेने क अपेक्षा होगी :

परंतु यायित पर शि क क परी ण के लिए पा म और उसके संचालन के लिए मार्गदर्शक सि ंत अंत व करते ए नीति क िय सरकार ारा इस संबंध म साधारण या विशेष आदेश पा रत करते ए विनि द क जाएगी ।

(2) कोई ि मा टर यायित शि क क अनुज्ञि अनुद करने के लिए आवेदन कर रहा है विभि ण कार के लघु आज के ह्थालन क तकनीक जानकारी और विशेष ता रखने क अपेक्षा होगी अलवर इस संबंध म अनुज्ञापन ाधिकारी के समाधान द प से द तावेजी सा य तुत करेगा :

परंतु मा टर यायित शि क क अनुज्ञि अनुदित करने के लिए नीति मार्गदर्शक सि ंत क िय सरकार ारा इस संबंध म साधारण या विशेष आदेश पा रत करते ए विनि द कए जाएंगे :

परंतु या और क मा टर यायित शि क उपनियम (1) म विनि द यायित शि क शि ण दान करने के हकदार ह गे ।

(3) मा टर यायित शि क और यायित शि क अनुज्ञि दान करने के प ात नि लिखित के लिए पा ह गे :-

(i) आवेदक को नियम 10 म विनि द ट शि ण दान करना और इन नियम के अधीन अनु ततियां देना; और

(ii) अनुब शि ण काय म के सफलतापूर्वक पूरा करने पर विभि न कार के शि ण थय को शि ण माण प जारी करना ।

(4) यायित शि क को शि ण दान करने के लिए शूटिंग रज को उपल थ कराने के लिए मानदंड के िय सरकार ारा साधारण या विशेष आदेश पा रत करके विनि द ट कए जा सकगे ।

(5) उपनियम (4) म विनि द ट शू टग रज म र ा बल , के िय सथ पुलिस बल , रा य पुलिस विभाग के वामि वाधीन या उनके ारा चालित सरकारी शूटिंग रज और शूटिंग लब या संघ के वामि वाधीन और उनके ारा चालित शूटिंग रज भी ह, जि ह इन नियम के प 5 म अनुज्ञिति अनुद त क गई है ।

प टीकरण:- इस नियम के योजन के लिए मा टर यायित शि क लघु आयुध विशेष जि हने र ा बल , के िय सथ पुलिस बल , रा य पुलिस बल म काय कया है और नियम 40 के प टीकरण के अधीन यथा प रभाषित अंतररा िय पदक ा तकता और वि यात शूटर को नि द ट करता है ।

40. खिलाड़िय , शू टग संगम आ द को गोला बा द क मा ा- (1) खिलाड़िय के विभि न वग को उनक वैयितक खपत और शू टग डा संगम को अनु ात गोला बा द क मा ा नीचे दी गई सारणी म अधिकथित सीमा के अनुसार होगी:-

सारणी

म सं.	यित या यितय का वग	अ नायुध क क म	येक क म के गोला बा द क मा ा और विवरण	
			कसी भी समय क जे म रखने के लिए	वष के दौरान य क जा सकने वाली
1.	अर्जुन पुर कार विजेता	सभी	1,00,000	2,00,000
			सामूहिक प से सभी क म के अ नायुध के लिए	सामूहिक प से सभी क म के अ नायुध के लिए
2.	अंतररा िय पदक विजेता/वि यात शूटर	राइफल/पि टल .22एलआर; 8 मि.मीटर तक कैलीवर के साथ सटर	50,000	10,0000
			सामूहिक प से सभी क म के अ नायुध के लिए	सामूहिक प से सभी क म के अ नायुध के लिए

		फायर राइफल; रवाँ वर/पि टल; 12 बोर/गेज कैलीबर तक क शॉटगन।	लिए	लिए
3.	कनि ठल य शूटर	8 एमएम कैलीबर क सटर फायर राइफल; रवाँ वर/पि टल; 12 बोर/गेज कैलीबर तक क शॉटगन	10,000 सामूहिक प से सभी क म के अ नायुध के लिए	30000 सामूहिक प से सभी क म के अ नायुध के लिए
4.	शूटर बनने के आकां पी	.22 एलआर राइफल/पि टल कोई अ य पि टल/ रवाँ वर कैलीबर कोई अ य राइफल/शॉटगन कैलीबर	15,000 सामूहिक प से सभी क म के अ नायुध के लिए	30000 सामूहिक प से सभी क म के अ नायुध के लिए
5.	अ य शूटर (जो ऊपर म सं या 1 से 4 के अधीन नह आते हैं) जो विधिमा य आयुध अनुज्ञतियां रखते ह और जो भारतीय रा पीय राइफल संगम या भारतीय रा पीय राइफल संगम से संब रा य राइफल संगम या शूटिंग लब / रा य राइफल संगम से संब जिला राइफल संगम के सद य भी ह सद य भी ह	.22एलआर राइफल/पि टल कसी अ य कैलीबर का कोई अ य पि टल/ रवाँ वर कसी अ य कैलीबर का कोई अ य राइफल/शॉटगन	500 300 200	1000 600 500
6.	भारतीय रा पीय राइफल संगम। भारतीय रा पीय राइफल संगम से संब रा य राइफल संगम। शूटिंग लब/ राज्य राइफल संगम से संब जिला राइफल संगम रा य राइफल संघ के साथ संब संगम रा य राइफल संगम या भारतीय रा पीय राइफल संगम के साथ सहब सभी शूटिंग	माणन निकाय क सिफा रश के आधार पर गोला बा द क ऊपरी सीमा का विनि चय अनुज्ञापन अधिकारी तारा कया जाना है।		

लव । भारतीय खेल अधिकरण या राय सरकार के खेल अधिकरण के अधीन सभी शूटिंग रज	
ट पणः 12बोर/गेज तक के कैलीबर से शॉटगन के कैलीबर अभिे त ह और इसके अंतर्गत 16, 20, 28, और 410 बोर आ द के नि नतर कैलीबर समिलित ह	

(2) इस नियम के योजन के लिए माणीकरण निकाय और माणीकरण अंतव तु नीचे दी गई सारणी म यथा विनि द ट होगी, अर्थात् :-

सारणी

म सं.	खिलाड़ी का वग	माणीकरण निकाय	माणीकरण क शत
1.	अर्जुन पुर कार विजेता	खेल विभाग, युवा और खेल मामले मंत्रालय म भारत सरकार	माण प यह कथन करेगा क पुर कार शूटर के प से उ कृ टता के लिए दान कया गया था
2.	अंतररा िय पदक विजेता/वि यात शूटर	भारतीय रा िय राइफल संगम (एनआरएआई)	माण प यह कथन करेगा क अंतररा िय पदक विजेता ारा पदक अंतररा िय चैम्पीयनशिप म जीता गया था और वि यात शूटर क दशा म यो यता माण प म अर्हक कोर के साथ

			एनआरआई ारा यथानि द ट पध्दा के लिए यूनतम अहक अंक (एम यूएस)
3 और 4	कनि ठ ल य शूटर/उ चकांक्षी शूटर	भारतीय रा िय राइफल संगम या एनआरएआई के अनुमो दत या संब रा य राइफल संगम	माणप , पध्दा के लिए एनआरएआई या रा य राइफल संगम ारा यथानि द ट यूनतम अर्हक अंक सहित अहक अंक व णत करेगा ।
5	अ य शूटर	भारतीय रा िय राइफल संगम या एनआरएआई के संब रा य राइफल संगम या शूटिंग क ब/रा य राइफल संगम के साथ संब जिला राइफल संगम ।	माणप शूटर क सद यता और अ य यौरे का कथन करेगा ।
6	रा य राइफल संगम या भारतीय रा िय राइफल संगम के साथ संब शूटिंग क ब/जिला राइफल संगम ।	यथालागू रा य राइफल संगम या भारतीय रा िय राइफल संगम ।	

	राय राईफल संगम	भारतीय राय राईफल संगम	
	भारतीय राय राईफल संगम	युवा मामले और खेल मंत्रालय	
	शूटिंग रज	भारतीय खेल अधिकरण/राय सरकार का खेल अधिकरण/ भारतीय राय राईफल संगम	

प टीकरण – इस नियम के योजन के लिए,

(क) “अंतरराय चैंपियनशिप” से एशियाई खेल, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप या एशियाई महिला या एशियाई जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप रा मंडल खेल, रा मंडल शूटिंग चैंपियनशिप, ओलंपिक खेल, वि व जूनियर या सीनियर शूटिंग चैंपियनशिप और सीनियर जूनियर पधा म वि व कप अभिे त है।

(ख) “अंतरराय मेडलधारी” से कोई यति जिसने कसी अंतरराय चैंपियनशिप म यतिगत या टीम मेडल जीता है;

(ग) “वि यात शूटर” से कोई यति जिसने अंतरराय शूटिंग खेल संग (आईएसएसएफ) के नियम के अनुसार कसी राय शूटिंग चैंपियनशिप म कसी खुली पुरुष पधा या खुली महिला पधा या खुली सिविल पधा में, चाहे अर्हक टूर्नामट या वाइ ड काड वेश के मा यम से भाग लिया है और राय राईफल संगम ारा विहित यूनतम अहक अंक अभिे त कए ह ;

(घ) “कनि ठ ल य शूटर” से कोई यति जिसने बारह वष क आयु पूण क है, परंतु इ क स वष से कम आयु का है और कम से कम एक राय चैंपियनशिप (वष म एक बार आयोजित) या आंचलिक चैंपियनशिप म या राय राईफल संगम और/या संबधित राय राईफल संगम ारा मा यता ा त राय तरीय शूटिंग तियोगिता म भाग लिया है;

(ड.) “उ चकांक्षी शूटर” से कोई यति जिसने कम से कम एक राय चैंपियनशिप (वष म एक बार आयोजित) या आंचलिक चैंपियनशिप म या राय राईफल संगम और/या संबधित राय राईफल संगम ारा मा यता ा त राय तरीय शूटिंग तियोगिता म भाग लिया है और राय राईफल संगम ारा विहित यूनतम अर्हक अंक अभिे त कए ह ;

41. संग्रहालय को अनु तित – (1) आयुध और गोला-बा द के दर्शन हेतु अनुज्ञति के लिए आवेदन करने वाला कसी सं हालय को संस्कृति मंत्रालय के पास स यक यायन और किय या कसी राय अधिनियम के अधीन रजिीकरण धारण करना आव यक है।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन के साथ -

(i) दर्शन याविधिय का विवरण जिसे आयुध और गोला-बा द को द शत करने के लिए उपयोग म लाया जाएगा;

(ii) दर्शन एक यायोजित सं हालय होगा, का द तावेजी सबूत;

(iii) द शत कए जाने वाले आयुध या गोला-बा द के भंडारण, प रवहन और सुरति अभिरिे त से संबधित सुर ा उपाय का विवरण और विनिदश;

(iv) संग्रहालय, जहां आयुध या गोला-बा द द शत कए जाएंगे, को पंच नियंत्रण का विवरण; और

(v) यह माणप क संग्रहालय आम जनता के लिए खुला रहेगा।

(3) आयुध और गोला-बा द सं हालय के नियुक्त संग्रहालया य या संग्रहालया य ारा लिखित म उसके लिए ाधिकृत कसी यति, जो यह सुनिचित करेगा क आयुध और गोला-बा द तक अनधिकृत पंच और नुकसान को रोकने के लिए आव यक कदम उठाए जाते ह, के नियंत्रणाधीन द शत या भंडारत कए जाएंगे।

(4) आयुध और गोला-बा द का उपयोग केवल अनुज्ञति म यथाव णत सं हालय के रजिीकृत प रसर पर संग्रहालय ारा दर्शन और/या भंडारण के लिए कया जाएगा।

(5) अनुज्ञतिधारी कसी अ यायुध का दर्शन केवल तभी करेगा जब, -

(क) अ यायुध भरा आ नह है;

(ख) अ यायुध को कसी जंजीर या धातु केबल से बांधा गया हो, जो दवार या थायी फ चर से बंधी जंजीर या केबल के एक सिरे के साथ गर गाड म से ऐसी रिति म गुजरती है, जिससे क सं हालया य या उसके ारा ाधिकृत कसी यति से अ यथा कसी यति ारा अ यायुध को हटाने से निवारत कया जाए;

(ग) अ यायुध को सुरति त ला कग डिवाइस के मा यम से नि य बनाया जाता है और ऐसे थान पर ऐसी रिति म द शत कया जाता है, जो केवल सं हालया य या उसके ारा ाधिकृत कसी यति क पंच म हो।

42. **नाटक फ म या टेलीविजन निमाण के लिए आयुध और गोला-बा द के लिए अनुज्ञति** - (1) आयुध और गोला-बा द को अ जत करने, क जे म रखने, साथ ले जाने और उपयोग करने के लिए अनुज्ञति आवेदक को प 3 म नि नलिखित योजन के लिए जारी क जा सकेगी, अर्थात्:-

(i) ऐसे अभिनय के लिए नाटक, अभिनय और पूवा यास;

(ii) फ म के निर्माण से;

(iii) टेलीविजन काय म के निर्माण में;

(iv) ऐतिहासिक पुनःअभिनय का संगठन और आयोजन;

(v) दौड़ो या खेल कूद पधा को अरंभ करने के लिए संकेत करने।

(2) इस नियम के अधीन अनुज्ञति के लिए आवेदन नि नलिखित द तावेज के साथ तुत कया जाएगा, अर्थात् :-

(i) एक वचनबंध, जिसम पुटि क गई हो क आवेदक अ आयुध तिकृति और खाली फाय रग अ न्यायुध को अ आयुध म प रव तत नह करेगा;

(ii) अनुज्ञति अधिकारी का समाधान करते ए यह सबूत क आवेदक एक वा तविक उपयोगिता है या ऐसे आयुध या गोला-बा द को उपनियम (1) म विनि द ट योजन के लिए भाड़े पर उपल ध करवाने वाला ठेकेदार है;

(iii) आवेदक ारा कार्यावित कए जाने वाले आयुध या गोला-बा द क सुरति अभिर ा से संबंधित सुर ापाय का विवरण ;

(iv) एक वचनबंध जिसके अनुसार आवेदक या कोई यति जिसको आयुध भाड़े पर दए जाते ह भरे ए गोला बा द का उपयोग नह करेगा;

(v) उस थान के यौरे जहां आयुध या गोला-बा द जारी करने के संबंध म अभिलेख अनुज्ञति अधिकारी या निरी क क पंति से अ यून कसी पुलिस अधिकारी ारा निरी ण के लिए रखे जाएंगे।

43. **भारत आने वाले पयटक ारा आयुध या गोला-बा द का अजन क जे म रखना और नियात** - (1) कसी पयटक को प 6 म भारत म उसके ठहराव के दौराव अनुसूची 1 के वग 3, वग 4 और वग 5 म विनि द ट आयुध और गोला-बा द को अ जत करने, अपने क जे म रखने (कतु उपयोग न करने), भारत से बाहर ले जाने और निर्यात करने के लिए अनुज्ञति दान क जाएगी :

परंतु अनुसूची 1 के वग 4 म विनि द ट आयुध के निर्यात के लिए अनुज्ञति दान करने के लिए येक आवेदन के साथ क िय सरकार के पुरात व के महानिदेशक से इस भाव का माणप क निर्यात कए जाने के लिए आशयित आयुध पुरावशेष तथा ब मूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52) के अधीन "पुरावशेष" क प रभाषा के भीतर नह आते हैं, के साथ संल न कया जाएगा।

(2) अनुज्ञतिधारी भारत छोड़ने के समय आयुध या गोला-बा द पेश करेगा और अपनी अनुज्ञति पासपोट निरी ण अधिकारी या इस निमित्त जिला मजि ेट ारा सश त अ य अधिकारी को प तन पर या भारत से थान से अ य थान पर वापस करेगा।

(3) पासपोट निरी ण अधिकारी या अ य अधिकारी जिसको अनु त्तिधारी ारा अनुज्ञति लौटाई गई है, उसे उस अधिकारी को ऐसे ट पणिय के साथ क आयुध या गोला-बा द स यक प से निर्यात कए गए हैं, अेपित करेगा जिसम उसे जारी कया गया था।

44. **भारत म शूटिंग पधा म भाग लेने के लिए अंतररा िय खिलाड़ी को अनुज्ञति** - (1) कसी देश से कसी भी आयु समूह के कसी खिलाड़ी ारा जो खेल और युवा काय म मंत्रालय, भारत सरकार ारा मा यता ात कसी खेल निकाय ारा भारत म आयोजित क जाने वाली शूटिंग तियोगिता या पधा या तियोगिता या पधा क ृखला या शि ण के लिए पा ह। पधा या तियोगिता या शि ण क अवधि के दौरान और उसके लिए तय थान पर प क-5 म आवेदन कया जा सकेगा और ऐसे आवेदक को अनुसूची 1 के वग 3 म विनि द ट आयुध और गोला-बा द के लिए अनुज्ञति यथा यवहाय भारत म खिलाड़ी के आगमन क त्थाशित तारीख से एक मास पूव दान कया जा सकेगा।

(2) कसी सामूहिक आवेदन क दशम म अनुज्ञति बंधक या टीम या समूह के साथ कसी अधिकारी के नाम से जारी क जा सकेगी और आयुध और गोला-बा द के यौरे जारीकता अनुज्ञापन अधिकारी ारा संल न उपाबंध म जो अनुज्ञति का भाग होगी, म दए जा सकेगा।

(3) जहां उपनियम(1) के अधीन कसी अंतररा िय खिलाड़ी या खिलाडिय को अनुज्ञति दान क जाती है, वहां ऐसे यति क अनुज्ञति के साथ-साथ पासपोट और वीजा भी आगमन के प तन के अनुज्ञापन अधिकारी को तुत कए जाएंगे और उ त अधिकारी अनुज्ञतिधारी से लिखित म वचनबंध अभि ात करने के प चात् क वह भारत म कसी को भी आयुध या गोला-बा द नह बेचेगा या अंत रत नह करेगा, अनुज्ञति को पृष्ठांकन क तारीखसे छह मास क अवधि के लिए या वीजा क विधिमा यता तक, जो भी पूव तर हो, विधिमा य होगी और पासपोट या वीजा म उन आयुध और गोला बा द क पूव विशिष्टियां देते ए, जिनके लिए अनुज्ञति दान क गई है, पासपोट या वीजा म भी विटि करेगा।

(4) अनुज्ञतिधारी भारत को छोड़ते ए ऐसे अधिकारी जिसके नियंत्रणाधीन शूटिंग तियोगिता या पधा या शि ण संचालित कया गया था ारा जारी गोलाबा द के लिए उपभोग माणप सहित आयुध या गोला-बा द पेश करेगा और अपनी अनुज्ञति पासपोट

निरीण अधिकारी या इस निमित्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त अथवा अधिकार्य का भारत से स्थान के पतन पर अथवा स्थान पर लौटाएगा।

(5) पासपोर्ट निरीण अधिकारी या अथवा अधिकारी, जिसे उपनियम (4) के अधीन अनुज्ञतिधारी द्वारा अनुज्ञति वापस लौटाई जाती है, उसे जारी करने वाले अधिकारी को ऐसे टपणिय के साथ आयुध या उपयोग म न लाए गए गोला-बाद सयक प से पुनः निर्यात कए गए ह।

45. आयात/निर्यात अनुज्ञतिय के अथवा अथायी वग - (1) अनुसूची 1 के वग 3 म विनिद ट आयुध और गोला-बाद को, यथा यवहार्य, भारत म आगमन क याशित तारीख से छह मास पूव प 6 म नि नलिखित यतिय को अनुज्ञति दान क जा सकेगी, अर्थात् :-

(क) कसी यापार दर्शन या कसी डा यापार दर्शन म आयुध और गोला-बाद द शत करने के लिए कसी विदेशी आगंतुक को;

(ख) विदेश मंत्रालय म भारत सरकार क सिफारश पर कसी विदेशी सरकार के पदाधिकारी या विशि ट विदेशी आगंतुक या विदेशी विधि वर्तन अधिकारी को जो कसी सरकारी अनुमोदत नियंत्रण समनुदेशन पर हो;

(ग) कसी यति को, जिसने विधिस मत कारण के लिए भारत सरकार का पूव अनुमोदन ात कया है और जहां आवेदक नि नलिखित भाव का कोई वचनबंध तुत करता है -

(i) उसके पास आयुध का विधिपूण क जा है;

(ii) उसे विचाराधीन आयुध के सुरति त हथालन, सुरति त भंडारण और उपयोग तथा जहां लागू हो, उसके सार्वजनिक दर्शन का ान है;

(iii) उसे आयुध को अपने क जे म रखने क आव यकता है और उ त आव यकता का समाधान आयुध को क जे म रखने से अथवा कसी अ य साधन से नह कर सकता है; और

(iv) उसने यूनतम 21 वष क आयु पूरी कर ली है।

(2) उपनियम (1) के अधीन इस कार द त अनुज्ञति क विधिमायता भारत म कसी प तन पर आगमन के समय पर उ त अनुज्ञति क पृष्ठांकन क तारीख से ारंभ होगी और अनुज्ञति के अंतर्गत आने वाले आयुध और गोला-बाद अनुज्ञति क पृष्ठांकन क तारीख तक उपयोग म नह लाए जाएंगे।

(3) जहां उपनियम(1) के अधीन कसी यति को अनुज्ञति दान क जाती है, वहां यति के पासपोर्ट और वीजा सहित अनुज्ञति उतरने वाले प तन के अनुज्ञापन अधिकारी को तुत क जाएगी और उ त अधिकारी अनुज्ञतिधारी से लिखित म यह वचनबंध अभि ात करने के प चात् क वह भारत म कसी को आयुध या गोला-बाद नह बेचेगा या अंत रत नह करेगा, पृष्ठांकन क तारीख या वीजा क विधिमायता क तारीख, जो भी पूव तर हो, से छह मास क अवधि के लिए अनुज्ञति को विधिमाय करते ए पृष्ठांकित करेगा और पासपोर्ट या वीजा म आयुध और गोला-बाद जिनके लिए अनुज्ञति दान क गई है क पूरी विशि टियां देते ए विटि करेगा।

(4) पासपोर्ट निरीण अधिकारी या प तन पर या भारत से स्थान के कसी अ य स्थान पर इस निमित्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त कोई अ य अधिकारी यहां स यापित करेगा क अनुज्ञति म वि ट आयुध अनुज्ञतिधारी द्वारा भारत से बाहर ले जाए जा रहे ह और अनुज्ञति वसूल करते ए उसे जारी करने के लिए अधिकारी को ऐसी टपणिय के साथ अेषित करेगा क आयुध सयक प से पुनःनिर्यात कए गए ह।

46. अ यायुध-मुक्त ेत्र के लिए अनुज्ञति - (1) परसर का वामी या विधिपूण अधिभोगी प क-4 म उसम विनिद ट समथक द तावेजी सहित आवेदन, आवेदक क अधिकारता के स्थान के अनुज्ञापन अधिकारी को उ त परसर को अ यायुध-मुक्त ेत्र घोषित करने के लिए तुत कर सकेगा -

(i) कारण कथित करते ए क परसर को अ यायुध-मुक्त ेत्र के प म घोषित करना य आव यक है;

(ii) परसर को अ यायुध-मुक्त ेत्र के प म अनुरति करने क मता का सबूत देते ए;

(iii) जनसाधारण को सूचित करने के लिए संचार के मायम का उ लेख करते ए क परसर अ यायुध-मुक्त ेत्र है।

(2) अनुज्ञतिधारी क बायता के अंतर्गत - (i) अ यायुध-मुक्त ेत्र के प म घोषित परसर क प टतः पहचान करना और समांकित करना;

(ii) अ यायुध-मुक्त ेत्र के प म परसर को घोषित करते ए दोन अंजी म और थानीय भाषा म सभी मुख्य वेश थल पर या परसर या परसर के वग के साम रक थल पर सूचनाएं द शत क जाएं यह सुनिचित करने के लिए;

(iii) यह सुनिचित करना क सूचनाएं और संकेत सभी समय पर प टतः दृटिगोचर और सुस्प ट ह; और

(iv) अनुज्ञापन अधिकारी को आवेदन के समय तुत सूचना म प रवर्तन, य द कोई हो, के बारे म अधिसूचित करना।

(3) अनुज्ञापन अधिकारी, कसी शैिक सं था, जिसके अंतर्गत वि ालय, महावि ालय, वि ववि ालय; या धा मक थल, अ पताल, यायालय, सरकारी थापन, मनोरंजन या डा थल, रे टरां, होटल, शा पग माल, सिनेमा हाल या ऐसे अ य सार्वजनिक स्थान ह जिनके लिए उपनियम(1) के अंतर्गत ऐसी अनुज्ञति के लिए आवेदन कया जा सकता है, अ यायुध मुक्त जोन के लिए प 15 म अनुज्ञति जारी कर सकेगा।

(4) अ यायुध मुक्त जोन के लिए इस नियम के उपबंध नि नलिखित मामल म लागू नह हगे -

- (i) किसी यटि को, जो अ यायुध मुक्त जोन के किसी विधि पूण वामी या अधिभोगी को सुर ा और निगरानी क ूटी करता है; और
(ii) किसी विधि वर्तन अधिकारी को जो अपनी पदीय मता म काय कर रहा हो।

अ याय 4

आयुध और गोला बा द का नि ेप

47. धारा 21 के अधीन आयुध और गोला बा द का नि ेप - (1) जब कोई अनुज्ञापन ाधिकारी किसी अनुज्ञति को निलंबित करने या तिसंहत करने या उसे नवीकृत करने से इंकार करने का विनि चय करता है तो वह अपना विनि चय लिखित म अनुज्ञतिधारी को उससे धारा 21 के अधीन, ऐसे समय के भीतर जो अनुज्ञति को निलंबित करने तिसंहत करने या अनुज्ञति को नवीकृत करने से इंकार करने के लिए विनि द ट अवधि के भीतर अनुज्ञति के अंतर्गत आने वाले आयुध या गोला बा द या तो निकटतम पुलिस थाने के भारी अधिकारी के पास या प 8 म अनुज्ञति धारण करने वाले यौहारी के पास या य द वह संघ के सश बल का सद य है तो यूनिट आयुधागार म नि ेप करने क अपे ा करेगा :

परंतु अनुज्ञतिधारी क मृत्यु क दशाम, आयुध या गोला बा द विधिक तिनिधि ारा अनुज्ञतिधारी क मृत्यु के तीन मास क अवधि के भीतर निकटतम पुलिस थाने के भारी अधिकारी के पास प 8 म अनुज्ञति धारण करने वाले यौहारी के पास नि ि त कए जाएंगे।

(2) धारा 21 क उपधारा (2) के परंतुक के अ यधीन अनुज्ञतिधारी या उसक मृत्यु क दशाम उसका विधिक तिनिधि आयुध या गोला बा द किसी ऐसे यति को बेचने या अ यथा निपटाने का हकदार होगा जो उनको अपने क जे म विधिपूण ढंग से रखने का हकदार होगा तथा वि य आगम, य द कोई हो, ा त करने का सारणी के तंभ (3) म विनि द ट अवधि के दौरान, उपनियम (6) म उपसारणी के तंभ (2) म व णत आयुध और गोला बा द क दशाम हकदार होगा:

परंतु य द आयुध और गोला बा द का निपटान नह कया गया है या यथाथिति, अनुज्ञतिधारी या उसके विधिक तिनिधि ारा इस कार विनि द ट अवधि के भीतर उनका क जा विधिपूण नह बना है तो ऐसे आयुध और गोला बा द धारा 21 क उपधारा (3) के परंतुक के अ यधीन जिला मजि ेट के आदेश ारा सरकार को समप त हो जाएंगे।

(3) जहां किसी पुलिस थाना या यूनिट आयुधागार म या प 8 म अनुज्ञति धारण करने वाले यौहारी के पास धारा 21 क उपधारा (1) के अधीन कोई आयुध या गोला बा द किसी वामी ारा नि ि त कए जाते हैं, वहां, यथाथिति, पुलिस थाना या यूनिट आयुधागार का भारी अधिकारी या अनुज्ञ त यौहारी नि ि त येक व तु को एक काड बांधगा और नि ेपकता को नि नलिखित विशि टय से अंत व ट एक रसीद जारी करेगा तथा उसक ति उस ाधिकारी को भेजेगा जिसने अनुज्ञति दान क है या उसको अंतिम बार नवीकृत कया है, अर्थात् :-

(i) व तु का विवरण (सं या इ या द);

(ii) अनुज्ञति क विशि टयां या छूट (य द कोई हो);

(iii) नि ेपकता का नाम और पता;

(iv) रजि टर म मसंख्या और नि ेप क तारीख;

(v) समपहरण या निपटान के लिए देय तारीख;

(vi) नि ेपकता के ह ता र; और

(vii) यौहारी या पुलिस थाना या यूनिट अ यायुधागार के भारी अधिकारी के ह ता र।

(4) धारा 21 क उपधारा (1) के अधीन किसी यूनिट अ यायुधागार म नि ि त कोई आयुध या गोला बा द, य द पहले लौटाए या निपटाए न गए ह, तो ऐसे नि ेप के प चात् 30 दन क अवधि क समाति के प चात् निकटतम पुलिस थाना को अंत रत कए जा सकगे।

(5) धारा 21 क उपधारा (1) के अधीन पुलिस थाना म नि ि त कोई आयुध या गोला बा द, जो नि नानुसार लौटाए या निपटाए नह गए ह -

(i) इसके पास नि ेप क तारीख से तीस दन के भीतर; और

(ii) उपनियम (4) के अधीन यूनिट अ यायुधागार से अंत रत कए गए हैं, पुलिस थाना के भारी अधिकारी ारा बेहतर अनुर ण और सुर ा के लिए जिला/ता लुक मुख्यालय म पुलिस अ यायुधागार को या इस योजन के लिए रा य सरकार ारा जारी ऐसे अनुदेश के अनुसार जिला मजि ेट ारा विनि द ट ऐसे अ य थान को अंत रत कए जा सकगे:

परंतु जिला मजि ेट, य द वह आव यक समझे, तीस दन क उ त अवधि को 90 दन तक वि ता रत कर सकेगा तथा ऐसे अंतरण क सूचना व तु के नि ेपकता और अनुज्ञापन ाधिकारी, जिसने अनुज्ञति दान क है या अंतिम बार नवीकृत क है, को दी जाएगी।

(6) नि ेपकता या उसका विधिक तिनिधि धारा 21 क उपधारा (2) के अधीन किसी आयुध और गोला बा द को वापस ा त करने या निपटाने के अधिकार का योग तंभ (3) म विनि द ट अवधि के भीतर, नीचे दी गई सारणी के तंभ (2) म विनि द ट आयुध या गोला बा द के नि ेप क दशाम कर सकेगा, अर्थात् :-

सारणी

म संख्या	आयुध और गोला बा द के नि ेप के कारण	भावी तारीख
1.	2.	3.
1.	वामी ारा अधिनियम, नियम के उपबंध या अनुज्ञति क शत का उ लंघन	ऐसे नि ेप क तारीख से एक वष
2.	अनुज्ञति के निलंबन या तिसंहरण या कसी अ य कारण के कारण	निलंबन या तिसंहरण के आदेश क तारीख से एक वष
3.	जहां आयुध या गोला बा द पहले ही नि ि त है	तिसंहरण, निलंबन या अनु ित को नवीकृत करने से इंकार करने के आदेश क तारीख से एक वष
4.	जब अधिसूचना धारा 4 के अधीन जारी क गई है	उ त अधिसूचना क तारीख से एक वष
5.	जहां वामी ारा धारा 18 के अधीन अपील तुत क जाती है	अंतिम आदेश क तारीख से एक वष
6.	जहां आयुध या गोला बा द - विधिक वाद या विवाद का विषय है; या कसी ऐसे य ित के वामि वाधीन या विरासत म है, जिसने 21 वष क आयु पूरी नह क है	विवाद क समाति या अंतिम आदेश क तारीख से; या उस य ित क 21 वष क आयु पूरी होने क तारीख से एक वष
7	जहां वामी भारत से बाहर स य सेवा म है	उसके भारत लौटने क तारीख से
ट पण 1 – एक वष क अवधि जिला मजि ेट ारा और छह मास के लिए वि ता रत क जा सकेगी य द नि ेपकता या वामी को ऐसी आयुध या गोला बा द को साथ देने के लिए कसी कारण अयो य पाया जाता है ।		
ट पण 2 – रा य सरकार उ त अवधि को छह मास से और छह मास के लिए और वि ता रत कर सकेगी ।		

(7) धारा 21 क उपधारा (3) के अधीन समपहरण के योजन के लिए जिला मजि ेट के आदेश ारा उप नियम (6) के अधीन विनि द ट अवधि क समाति से पूव न लौटाए गए या न निपटाए गए आयुध या गोला बा द जिला मालखाना या ऐसे अ य थान को अंत रत कए जाएंगे :

परंतु जिला मजि ेट समपहरण का ऐसा आदेश करने से पूव धारा 21 क उपधारा (4) के अधीन यथाअपे ित नो टस ऐसी समान रीति म तामील करेगी जैसी दंड या संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन समन को तामील करने के लिए विहित है:

परंतु यह और क य द नि ेपकता के संघ के सश बल का सद य होते ए ऐसे सद य के कमान अधिकारी के मा यम से य ितगत प से तामील कया जाएगा ।

(8) नि ि त व तुओं को अनुर ित करने के लिए भार ऐसी दर पर विहित कए जा सकगे जो रा य सरकार ारा समय-समय पर नियत क जाएं ।

48. आयुध और गोला बा द का सुर ित अभिर ा के लिए नि ेप (धारा 21 के अधीन से अ यथा)- (1)(क) आयुध या गोला बा द को विधिपूण क जे म रखने वाला य ित प 8 म अनुज्ञति धारण करने वाले कसी यौहारी के पास या कसी पुलिस थाना म या य द वह संघ के सश बल का कोई सद य है तो कसी यूनिट अ यायुधागार म सुर ित अभिर ा के लिए नि ि त कर सकेगा ।

(ख) धारा 21 के अधीन से अ यथा आयुध या गोला बा द को नि ेप के लिए वीकार करने से पूव यौहारी या पुलिस थाना या यूनिट अ यायुधागार का भारी अधिकारी अपना यह समाधान करेगा क वे अधिनियम और इन नियम के अधीन जारी विधिमा य अनुज्ञति के अधीन या ऐसी अनुज्ञति क आव यकता से छूट के अधीन क जे म रखे गए ह ।

(ग) संघ के सश बल के सद य को अपने आयुध या गोला बा द यूनिट अ यायुधागार म सुर ित अभिर ा म रखने के लिए केवल उनक सेवा के कार्यकाल के दौरान ही अनुज्ञात कया जा सकेगा ।

(2) जहां आयुध या गोला बा द उपनियम (1) के अधीन नि ि त कए गए ह, वहां यथाथिति, यौहारी या पुलिस थाना या अग् यायुधागार का भारी अधिकारी नि ि त येक व तु को एक काड बांधेगा जो नियम 47 म व णत से सुगमतापूर्वक िन होगा तथा

नि नलिखित विशिष्टि से अंत व ट एक रसीद नि ेपकता को जारी करेगा और उसक एक ति उस अधिकारी को भेजेगा जिसने अनुज्ञति दान क थी या अंतिम बार नवीकृत क थी, अर्थात् :-

- (i) व तु का विवरण (सं या इ या द);
 - (ii) नि ेपकता का नाम और पता;
 - (iii) अनुज्ञति क विशि टयां या छूट (य द कोई हो);
 - (iv) रजि टर म मसंख्या और नि ेप क तारीख;
 - (v) अनुज्ञति क समाति क तारीख;
 - (vi) तारीख, जब तक नि ि त क गई
 - (vii) नि ेपकता के ह ता र; और
 - (viii) यौहारी या पुलिस थाना या यूनिट अ यायुधागार के भारी अधिकारी के ह ता र।
- (3) अनुज्ञति को नवीकृत करवाने म विफलता क दशा में, आयुध या गोला बा द प 7 म उसक अनुज्ञति के अधिकार पर यौहारी ारा या पुलिस थाने या यूनिट अ यायुधागार के भारी अधिकारी ारा क जे म रखे जाएंगे; परंतु, य द अनुज्ञति उसक समाति के प चात् नवीकृत नह क जाती है तो पुलिस थाने या यूनिट अ यायुधागार के भारी अधिकारी इसे जिला मजि ेट के यान म ऐसी कार्यवाही, जो वह आव यक समझे, के लिए लाएगा :

परंतु व तुएं तब तक कसी भी दशा म वामी को नह लौटाई जाएगी जब तक उनको अपने क जे म रखने क अनुज्ञति नवीकृत नह क जाती है या नई अनुज्ञति अभि ा त नह क जाती ।

(4) नि ेपकता से नि ि त व तुओं क अभिर ा और उनके अनुर ण के लिए नि नलिखित सारणी म विनि द ट दर पर फ स भा रत क जा सकेगी, अर्थात् :-

सारणी

1.	येक अ यायुध के लिए	200 पये ति मास या उसका भाग
2.	येक अ य आयुध या गोला बा द के पैकेज के लिए	100 पये ति मास या उसका भाग

(5) व तुओं के अ छी दशा म अनुर ण के लिए कोई अतिर त भार ऐसी दर पर विहित कए जा सकगे जो रा य सरकार ारा समय समय पर नियत क जाएं ।

(6) आयुध या गोला बा द को पुलिस थाना और यूनिट अ यायुधागार म नि ि त करने के लिए भा रत फ स खजाने म नि ि त क जाएगी ।

49. नि ि त व तु के अभिलेख और विवरणियां - (1) यौहारी या पुलिस थाना या यूनिट अ यायुधागार का भारी अधिकारी ऐसे रजि टर अनुर ि त करेगा जो नियम 75 म विनि द ट है ।

(2) येक वष मार्च, जून, सितंबर और दसंबर के अंतिम दन को समा त होने वाली तिमाहिय से संबंधित रजि टर म विटिय क , यथाथिति, यौहारी या पुलिस थाना या यूनिट अ यायुधागार के भारी अधिकारी के ह ता र के अधीन स य ति के प म माणित एक ति येक तिमाही क समाति के प चात् यथासंभवशी जिला मजि ेट को अेषित क जाएगी ।

(3) अनुज्ञ त यौहारी या पुलिस थाना या यूनिट अ यायुधागार का भारी अधिकारी या उस जिला/ता लुक मुख्यालय म पुलिस अ यायुधागार का भारी अधिकारी, जहां आयुध या गोला बा द रखे गए ह जिला मजि ेट को येक वष 15 दसंबर तक एक रपोट तुत करेगा, जिसम उनक अभिर ा म आयुध या गोला बा द क विशि टियां जो उस वष के अंत तक समपहरण के लिए दायी हो गई है या हो जाएगी, दर्शायी जाएगी ।

(4) (क) अनुज्ञ त यौहारी या पुलिस थाना या यूनिट अ यायुधागार का भारी अधिकारी या उस जिला/ता लुक मुख्यालय म पुलिस अ यायुधागार का भारी अधिकारी, जहां आयुध या गोला बा द रखे गए ह, स ताह के लिए नि ि त अ यायुध और गोला बा द के संबंध म सा ताहिक इलैक िनिक ऑन लाइन डाटा अंतरण के लिए यव था करने के लिए एन डी ए एल णाली के साथ अपनी यूजर आई डी के अंतर्गत एक ऑन लाइन इलै िनिक संपक थापित करेगा ।

(ख) य द ऐसी प रथितियां घ टत होती ह जो खंड क म नि द ट अधिका रय को इलैक िनिक नेटवक संपक के मा यम से एन डी ए एल णाली पर ऑन लाइन विवरणियां तुत करने से रोकती ह तो, सा ताहिक विवरणियां को तुत करने के लिए वैकपिक साधन थापित करने हेतु थानीय अनुज्ञापन अधिकारी को त काल सूचित कया जाएगा ।

(ग) चालू स ताह के लिए सा ताहिक विवरणियां येक शनिवार को कारबार के घंट के समाप्ति तक तुत क जाएंगी ।

50. निरी ण – (1) पुलिस थाने म या यौहारी के पास निरि त और जिला मालखाने को अंत रत आयुध और गोला बा द और उस योजन के लिए अनुरि त रजि टर का जिला मजि ेट या रा य सरकार ारा विहित या के अनुसार इस निमित रा य सरकार ारा नियुक्त कसी अ य अधिकारी ारा कालिकत: निरी ण कया जाएगा ।

(2) यूनिट अ यायुधगार म निरि त आयुध या गोला बा द और इस योजन के लिए अनुरि त रजि टर का निरी ण यूनिट कमान अधिकारी या उसके ारा रा य, जहां यूनिट त समय अवथित है, क सरकार ारा विहित या के अनुसार सश त कसी अ य अधिकारी ारा कालिकत: कया जाएगा ।

अ याय 5

विनिमाता, आयुध यौहारी और बंदूक बनाने वाला

भाग 1

अ यायुध का निमाण और सबूत परी ण

51. विनिर्माण और सबूत परी ण के लिए अनु ित – (1) अनुज्ञापन ाधिकारी, प 7 म अनुज्ञति दान करते ए अनु ित प म इन नियम म यथाविनि द ट अनु ितधारी ारा विनि मत या सबूत परी ण या दोन के लिए अनुज्ञात आयुध या गोला बा द के वग और विवरण प टत: दर्शयिगा ।

(2) अनुज्ञ त विनिर्माता ारा विनि मत अ यायुध का सबूत परी ण इस संबंध म नियम 59 म अंत व ट उपबंध के अनुसार ही कया जाएगा और ऐसे कसी विनि मत अ यायुध जिनका स यक प से सबूत परी ण नह कया गया है को बेचने के लिए अनु ात नह कया जाएगा ।

(3) अनुज्ञापन ाधिकारी ारा प 7 म द त येक अनुज्ञति क एक ति अनुज्ञतिधारी क विनिर्माण सुविधा के थान के जिला मजि ेट और संबंधित रा य सरकार के गृह विभाग को त काल भेजी जाएगी ।

(4) इन नियम के उपबंध के अधीन जिन स ता को नई अनुज्ञतियां दान क गई ह उ ह नए विनिर्माता के प म जाना जाएगा जब क ऐसी स ताएं और यति जिनके पास पहले से ही सश नियम, 162 के अधीन प 9 म विनिर्माण अनुज्ञतियां ह को वि मान विनिर्माता के प म जाना जाएगा ।

(5) इस नियम के अधीन अनुज्ञति दान करने के लिए ब -एकक सुविधा के लिए आवेदन करने वाली कसी आवेदक को कंपनी क दशा म येक एकक को पृथक अनुज्ञतियां जारी क जाएंगी ।

(6) नए विनिर्माता को आयुध और गोला-बा द के विनिमाण के लिए तथा वि मान विनिर्माता से संबंधित सभी मामल जिनके अंतर्गत इन नियम के अधीन साधारण या विशेष आदेश जारी करके मता पुनरी ण के लिए आवेदन ह, के लिए अनुज्ञति दान करने हेतु आवेदन का पुन वलोकन और संस्करण करने के लिए गृह मंत्रालय के भीतर अनुज्ञापन समिति ग ठत क जाएगी ।

52. विनिमाण और सबूत परी ण के लिए प 7 म अनु ित दान करने हेतु अ यायुध के कार-अनुज्ञापन ाधिकारी प 7 म नि नलिखित कार के आयुध के विनिर्माण या सबूत परी ण या दोन के लिए अनुज्ञति दान कर सकेगा, अर्थात् :-

- (i) I लघु आयुध
- (ii) II ह के हथियार
- (iii) III सेना उपयोग के लिए समनुरुप बनाई गई मद

परंतु य द वग । II III के अधीन आने वाली कोई मद के अंतर्गत कोई निषि आयुध और गोला-बा द आते ह तो अनुज्ञापन ाधिकारी प 7 म अनुज्ञति दान करने से पूव अधिनियम क धारा 7 के अधीन क िय सरकार क पूव अनुज्ञा अभि ा त करेगी ।

53. प 7 म अनु ित के लिए आवेदन-(1) इन नियम के अधीन नई अनुज्ञति के लिए आवेदन करने वाला येक विनिर्माता कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन निगमित कोई भारतीय कंपनी होगी:

परंतु आवेदक कंपनी निवासी भारतीय नाग रक के वामि वाधीन और नियंत्रणाधीन होगी और भारतीय कंपनियां निवासी भारतीय नाग रक के वामि वाधीन और नियंत्रणाधीन ह गी उस कंपनी,जिसका विदेशी य निवेश (एफडीआई) उनचास तिशत से अधिक है, को छोड़कर :

परंतु यह और क कंपनी का मु य कार्यपालक निवासी भारतीय होगा और आवेदक कंपनी का बंधन बोड म ब मत तिनिधि व, नामनिर्देशित और वतंत्र निदेशक को छोड़कर भारतीय के हाथ म होगा उस कंपनी,जिसका विदेशी य निवेश (एफडीआई) उनचास तिशत से अधिक है, को छोड़कर।

(2) इन नियम के अधीन प 7 म अनुज्ञति के लिए आवेदन करने वाली कंपनी नि नलिखित के लिए उपबंध करेगी-

(क) कंपनी क थापना करने वाले मूल द तावेज या माणित तियां जिनके अंतर्गत संगम ापन और संगम अनुच्छेद, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन कंपनी के रजि िकरण का माणप , निगमित पहचान सं. (सीआईएन), उसके रजि िकृत कार्यालय के पते का सबूत, थायी लेखा सं. (पैन) काड और आवेदन क तारीख को निदेशक और शेयरधारक क माणित सूचियां;

(ख) सभी निदेशक क निदेशक पहचान सं. (डीआईएन) क ति;

(ग) सभी निदेशक और उ तरदायी यित के दो यूनतम फोटो सहित पहचान सबूत यथानि नानुसार:-

(i) आधारकाड ; या

(ii) य द निदेशक या उ तरदायी यित के पास आधारकाड नह है तो इस संबंध म वैकल्पिक सबूत सहित जिसके अंतर्गत पासपोट या मतदाता पहचान काड या थायी लेखा संख्या (पैन)काड या कार्यालय पहचान काड है, शपथप के साथ म लिखित घोषणा तुत क जानी है;

(घ) निवास सबूत -

य द निदेशक या उ तरदायी यित के पास आधार काड या पासपोट नह है तो वैकल्पिक निवास सबूत तुत कया जाना है जिसके अंतर्गत मतदाता पहचान काड या बिजली का बिल या लेंडलाइन टेलिफोन बिल भाटक विलेख या प ा विलेख या संपति द तावेज या अनुज्ञापन ाधिकारी के समाधान द कोई अ य द तावेज है;

(ङ.) चाटड लेखाकार ारा स यक प से माणित कंपनी के नवीनतम तुलन-प क ति और शुद्ध मूल्य माण-प क संपरी त ति;

(च) चार्टड लेखाकार ारा स यक प से भावित प रयोजना के वि तपोषण हेतु अनुमानित प रयोजना प र यय और वि त के साधन;

(छ) वि तृत संक प को ह ता रत करने के ाधिकृत उ तरदायी यित क पूरी विशि टय सहित, इन नियम के अधीन आवेदन रखे हेतु वि तृत संक प क माणित ति;

(ज) चाटड लेखाकार ारा स यक प से माणित यथालागू आवेदक कंपनी म विदेशी नियंत्रण और/या वामि व के यौरे;

(झ) विनिर्माण या सबूत परी ण कए जाने या दोन , जिसके अंतर्गत उनके कार और मा ाएं ह, हेतु आशयित आयुध और/या गोला-बा द के पूण यौरे;

(ञ) इस भाव क सबूत सहित घोषणा क उसके विनिमाण-संयंत्र या सबूत परी ण सुविधा थापित करने हेतु, स्तावित थल को सडक प ंच, वि तुत और जल संपक थापन के यौरे, कए गए भूमि विकास क विशि टियां और अनुज्ञापन ाधिकारी ारा आव यक समझी गई कोई अ य सूचना सहित, भूमि अ जत क है ।

54. प 7 म अनुज्ञति दान करने के लिए या-(1) अनु ापन ाधिकारी ारा कसी आवेदक को जो इन नियम म अधिकथित पा ता मानदंड को पूरा करता है, विनिर्माण या सबूत परी ण या दोन के लिए अनुज्ञति दान क जाएगी, परंतु यह तब जब क आवेदक कंपनी या यथाथिति, उसके निदेशक या उ तरदायी यित के पूर्ववृत स यापित करने के लिए य त विभि न सरकारी अभिकरण से कोई विपरीत ट पणियां ा त नह ई ह ।

(2)(क) प 7 म द त अनुज्ञति ारंभ म सात वष क अवधि के लिए विधिमा य होगी जिसके भीतर अनुज्ञतिधारी से आयुध और/या गोला-बा द के विनिर्माण या सबूत परी ण के लिए सुविधा क थापना करना, तकनीक और शासनिक कर्मचारीवृंद क भत करना, आयुध और गोला-बा द के आ द प का विकास और सबूत परी ण करना, आयुध और गोला-बा द के विनिर्माण या सबूत परी ण के लिए सुविधा क थापना से संबंधित परी ण करना और कोई अ य या कलाप संचालित करना अपे ित होगा, ऐसा न कए जाने पर अनुज्ञति यपगत हो जाएगी ।

(ख) इस नियम के अधीन अनुज्ञति का येक प चातवत नवीकरण पांच वष क अवधि के लिए अनुज्ञात कया जाएगा ।

(3)(क) कोई विनिर्माण सुविधा सीमा ेत्र , तिबंधित ेत्र या निषि ेत्र और कीय सरकार ारा 'अशांत ेत्र' के प म घोषित कसी ेत्र म थापित नह क जाएगी ।

(ख) विनिर्माण आवेदक विशेष आ थक ेत्र (एसईजैड), औ िगिक पाक और इस योजन के लिए संबंधित ा य सरकार ारा स यक प से अनुमो दत कसी अ य अव थान के अतिर त अ य औ िगिक ेत्र म सुविधा को थापित कर सकेगा ।

4. अनुज्ञतिधारी वाणि यिक उ पादन ारंभ करने के लिए अपने शीर्षनामा पर आवेदन कर सकेगा जिसम नि नलिखित संल न कये जाएंगे -

(i) इस भाव क एक घोषणा क अनुज्ञतिधारी ने संयंत्र और मशीनरी थापित क है, परी ण सफलतापूर्वक कया है और विनिर्माण या सबूत परी ण के लिए अनुज्ञ त मद के वाणि यिक उ पादन के ारंभ हेतु तैयार है ;

(ii) इस भाव क एक घोषणा क अनु ितिधारी ने अ यायुध या गोला बा द के विनिर्माण या सबूत परी ण के लिए अपे ित वालिटी नियंत्रण णाली थापित और अनु यो ग क है ;

- (iii) नियम 53 म निदेशक के लिए यथाविनि द ट उनके वृत्तिक विशेष ता और लिए गए परी ण तथा पहचान द तावेज के सबूत सहित विनिर्माण या सबूत परी ण सुविधा का काया वयन करने के लिए अनुज्ञतिधारी ारा नियोजित मुख तकनीक का मक क विशि टय क सूचि ;
- (iv) इस भाव क एक घोषणा क अनु त्तिधारी ारा र ा मंत्रालय, र ा उ पादन विभाग ारा अनुज्ञ तर ा उ ाग के लिए तैयार कए गए सुर ा मैनुअल म यथअंत व ट सुर ा मागदर्शक सि ांत का पूरी तरह से अनुपालन कया गया है।
- (5) अनुज्ञापन ाधिकारी यह सुनि चित करने के लिए क आवेदक अनुज्ञतिधारी ने उपनियम (4) के खंड(iv) म विनि द ट घोषणा का अनुपालन कया है; सुर ा और मू यांकन संपरी ा करवाएगा।

55. प 7 म द त अनु त्तिथ के विषय म अ य अपे ाएं- (1) अनु त्तिधारी अधिमानतः उ पाद डिजाइन और विकास के ेत्र म आ मनिर्भर होगा और विनिर्माण कए जाने वाले उ पाद का अनुर ण और जीवन च समर्थन सुविधा होगी और विनि मत क जाने वाली मद वदेशी डिजाइन पर विशेष बल देते ए अंतररा िय और भारतीय यायित वालिटी मानक और संनियम के अनुसार ह गी :

परंतु पेटेंट यालि याधिकार का उ लंघन अनुज्ञेय नह होगा।

- (2) अनुज्ञतिधारी अ यायुध और गोला-बा द के विनिर्माण के लिए मानक और परी ण याएं सरकार ारा नामनि द ट वालिटी आ वासन अभिकरण को तुत करेगा, जो परी ण के दौरान अंतिम माल का निरी ण करेगा और डिजाइन, कारीगरी, स दर्यशा और अ य संबंधित ाचल के संबंध म वालिटी आ वासन या क संपरी ा संचालित करेगा :

परंतु विनिर्माण के लिए वालिटी विनिदश भारतीय मानक यूरो (बीआईएस) और वालिटी आ वासन के महानिदेशक, र ा उ पादन विभाग या कसी अ य अंतररा िय वालिटी आ वासन अभिकरण ारा यथाविनि द ट होगा।

- (3) विनि मत उ पाद म एक वारंटी खंड अंत व ट होगा जिसके साथ सेवा और सुर ा मैनुअल येक वि य के समय भाड क सूची होगी।
- (4) कसी संयुक्त उप म करार के अधीन कोई निर्वधन , जो विदेशी भागीदार ारा अधिरोपित कए जा सकगे, के भारतीय स ता, जिसे इन नियम के अधीन अनु त्ति दान क गई है, पर कोई विधिक प रणाम नह ह गे।
- (5) अनुज्ञापन ाधिकारी संवेदनशील कार के कतिपय आयुध और गोला-बा द क दशा में, जो सश सेना ारा उपयोग के लिए इंगित कए गए ह या सिविल यितय ारा क जे म रखने के लिए अनु ात नह है पर ऐसी अति र त निबधन अधिरोपित कर सकेगा।
- (6) विनिर्माता ारा उ पा द त लघु आयुध और ह के हथियार -

(i) गृह मंत्रालय के पूव अनुमोदन से क िय सरकार या रा य सरकार को वि त कए जाएंगे; या

(ii) विदेश मं ालय, र ा मंत्रालय और वाणि य मंत्रालय के परामश से गृह मंत्रालय के अनुमोदन के अ यधीन निर्यात के लिए अनुज्ञात कए जा सकगे;

- (7) अनुसूची 1 म विनि द ट आयुध और गोला-बा द का अनुज्ञेय वग इन नियम के अधीन विधिमा य आयुध अनुज्ञति रखने वाले यितय या यौहा रय को वि य के लिए गृह मंत्रालय म क िय सरकार के पूव अनुमोदन से वि य के लिए अनु ात कया जा सकेगा।

- (8) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 क 18) क धारा 2 के खंड 51 म यथाप रभाषित है या कंपनी के उ तरदायी यति ने कसी प रवर्तन के लिए कंपनी के निदेशक म या मुख बंधक य का मक म कसी प रवर्तन के लिए अनु ापन ाधिकारी का पूव अनुमोदन आ ापक होगा।

- (9) कंपनी के य या अ य नियंत्रण म या वामि व म प रवर्तन के लिए या प रवर्तक के शेयरधारण के तनूकरण (दोन भारतीय या विदेशी) के कारण शेयर धारण म कसी प रवर्तन के लिए या कंपनी के शेयरधारण कसी प रवर्तन के लिए या पांच तिशत (5%) से अधिक कंपनी के शेयर धारण म हिताधिकारी हित म कसी प रवर्तन के लिए अनुज्ञापन ाधिकारी का पूव अनुमोदन आ ापक होगा।

- (10) (क) प 7 म द त कोई अनुज्ञति अनुज्ञापन ाधिकारी के लिखित ाधिकार के बिना अनुज्ञतिधारी से अ य कंपनी को अंतरणीय नह होगी।

(ख) अंतरण के लिए कसी आवेदन के साथ पूरे द तावेज संल न कए जाएंगे और उ ह शत के अ यधीन होगा जो नियम 53 म विनि द ट अनुज्ञति के ारंभिक दान के समय लागू हो।

(ग) विनिर्माण अनुज्ञति के अंतरण के लिए आवेदन पर विचार करते ए अनु ापन ाधिकारी कंपनी, जिसको अभि यति अंत रत क जानी है, क पा ता का निर्धारण करेगा।

56. प 7 म अनु त्ति रखने वाले अनु त्तिधारय क बा यताएं- (1) प 7 म द त अनुज्ञति क विधिमा यता इन नियम म अंत व ट और अनुज्ञति म अंत व ट शत के विनिर्माता ारा अनुपालन के अ यधीन ह गी।

(2) प 7 म अनुज्ञति रखने वाला अनुज्ञति धारी सभी अ यायुध और गोला बा द को चिह्नित करेगा क वह नियम 58 म यथाविनि द ट रीति म विनिर्माण करता है।

(3) अनुज्ञतिधारी कंपनी भारत सरकार क विदेशी य विनिधान (एफडीआई) नीति और उ त कंपनी म विदेशी य विनिधान क दशा म भारतीय रजव बैंक ारा यथा अधसूचित विदेशी विनियम बंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन बनाए गए विनियम का अनुपालन करेगी।

(4) अनुज्ञतिधारी र ा मंत्रालय, र ा उपादन विभाग ारा अनुज्ञ त र ा उोग के लिए तैयार क गई सुर ा नियमावली म यथाअंत व ट सुर ा मार्गदर्शक सि ांत का अनुपालन करेगा।

(5) प 7 म विनि द ट या अनु ित का भाग बनने वाली शत के अति र त अनुज्ञतिधारी नियम 65 म यथाविनि द ट उसके ारा विनि मत सभी अ यायुध , उनके भाग , घटक और/या गोला बा द का अभिलेख अनुर ि त करेगा।

(6) अनुज्ञतिधारी प 7 म यथानि मत उसके ारा विनि मत सभी अ यायुध , उनके भाग , घटक और/या गोला बा द का भंडारण करेगा।

(7) अनुज्ञतिधारी अनुज्ञापन ाधिकारी (या ऐसा अ य निकाय जो उसके ारा पदाभिहित हो) ारा कार्याचित अनुज्ञतिधारी क सुविधा , विशि टत: अ यायुध और गोला-बा द के सुर ि त भंडारण के संबंध म निरी ण के लिए पूव सहयोग करेगा

(8) अनुज्ञतिधारी उसके प रसर म भंडार त अ यायुध या गोला-बा द क कसी चोरी, नुकसान या अतआशयित विनाश होने पर त काल अनुज्ञापन ाधिकारी को अधिसूचित करेगा।

(9) अनुज्ञतिधारी नि नलिखित घटना म से कसी के घटने पर तीन काय दवस के भीतर अनुज्ञापन ाधिकारी को अधिसूचित करेगा, अर्थात् :-

- (i) अपने रजि िकृत कार्यालय के पते म प रवर्तन;
- (ii) निदेशक म प रवर्तन जिस दशा म अनुज्ञतिधारी अनुज्ञापन ाधिकारी को येक नया निदेशक का, निदेशक के लिए नियम 53 म विनि द ट विशि टय और द तावेज सहित, नाम और पते उपल ध करवाएगा ;

(10) अनुज्ञतिधारी यह सुनि चित करेगा क सभी कमचारी जिनक विनिर्माण या सबूत परी ण सुविधा के भीतर पूरे कए गए विनि मत अ यायुध या गोला-बा द तक प च है, उनका हथालन करने के लिए तकनीक प से स म है।

(11) कसी नियत समय पर येक कार के अ यायुध और गोला-बा द के लिए काय गति पर और अंतिम माल क सूची अंतिम वि तीय वष या वा षक अनुज्ञ त मता, जो भी नि नतर है, के कुल वा षक आवत से दो गुणा से अधिक नह होगी :

परंतु व -एकक सुविधा वाली कंपनी क दशा म कंपनी क कुल वा षक अनुज्ञ त मता या कुल आवत पर विचार कया जाएगा।

(12) अनुज्ञतिधारी सूची और घरेलू वितरण और निर्यात क दशा म अंतिम उपयो ता के लिए यौहारी/अंतिम उपयो ता तक सूची और वितरण चयन का पूरा डाटाबेस अनुर ि त करेगा।

(13) अनुज्ञतिधारी कसी विनिर्माण च म केवल बैच उ पादन कार्याचित करेगा।

57. आयुध और गोला-बा द तथा अ य भाग इ या द के विनिमाण के लिए मशीनरी का आयात-(1) प 7 म रखने वाला अनुज्ञतिधारी थापित क जाने वाली, थानीय या आयात ारा ा तक जाने वाली मशीनरी क पूरी सूची के साथ आवेदन तुत करेगा।

(2) मशीनरी के अर्जन, क जे, आयात या प रवहन के लिए अनु ष्ति प 1 म जारी क जाएगी।

(3) अनुसूची 1 के वग 2 म विनि द ट आयुध का और धातु, मि त धातु, फाइबर, पोलीमर, का ठ और अ य सहव मद के प म ऐसे आयुध के निर्माण के लिए क ची साम ि विदेशी यापार के महानिदेशक (डीजीएफटी) ारा समय समय पर विदेशी यापार (विकास और विनियमन अधिनियम, 1992) 1992 का 22 के अधीन अधिसूचित विदेश यापार नीति के उपबंध के अ यधीन और अंतररा िय बा यता और तिब ता को यान म रखते ए विदेश मंत्रालय (एमईए) क सिफा रश पर अनुज्ञात कया जाएगा।

(4) गृह मंत्रालय, र ा उपादन विभाग क राय अभि ा त करने के प चात् ऐसे आयात के लिए इन नियम के अधीन आयात के लिए या के अनुसार ाधिकार दान करके जो थानीय ेत्र म विनि मत कए जाने संभव नह है, के पूण तकनीक यौरे से अंत व ट कसी आवेदन पर आयुध और गोला-बा द के भाग का आयात करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

58. विनिमाण के समय अ यायुध और गोला-बा द को चिह्नित करना - (1) सभी अ यायुध पर उनके विनिर्माण के समय नि नलिखित सूचना से अंत व ट चि ह्न अंकित कए जाएंगे, अर्थात् :-

- (i) विनिर्माता देश का नाम;

(ii) विनिर्माता का नाम;

(iii) विनिर्माता क विशिष्ट मस्य;

(iv) विनिर्माण का वर्ष;

(यह सूचना म संख्या म समिलित क जा सकेगी)

(v) अ यायुध कार/माँडल;

(vi) कैलीबर;

(vii) सबूत-चिह्न; और

(viii) य द अ यायुध कसी भारतीय घरेलू रा य स ता अर्थात् सेना, क्रीय सशस्त्र पुलिस बल, पुलिस इ या द के लिए आशयित है तो ऐसी अ य अति र त सूचना

(2) चिह्न अ फा संख्यांक (अर्थात् वे दोन अ र और संख्या म हो सकगे) नि न सारणी लिए गए प म य त कए जाएंगे :-

सारणी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
XX	XXX	99	99	99999	99
विनिर्माता देश (दो अंक आईएसओ कोड) भारत के लिए आईएन	विनिर्माता का नाम या कोड	विनिर्माण वर्ष (2 संख्याएं)	कार/माडल/कोड	म संख्या	कैलीबर

(3) चिह्न अ यायुध के घटक जो उसके चालन के लिए आव यक है म लगाए जाएंगे, जैसे क -

(i) म/ रसीवर

(ii) बैरल;

(iii) लाइड, सिलडर, बो ट या िच लाक; और

(iv) अ यायुध के चालन के लिए आव यक कोई अ य भाग या घटक।

(4) चिह्न ह उनके विनिर्माण के समय ट पग प ति का उपयोग करके अ यायुध के दर्शनीय तल पर लगाया जाएगा और टैपित चिह्न क गहराई कम से कम 0.20 एमएम होगी।

(5) लगाए गए चिह्न -

(i) बिना तकनीक सहायक या औजार के बिना सहजदृ य ह गे;

(ii) आसानी से पहचान यो य ह गे;

(iii) पठनीय ह गे;

(iv) लंबी अवधि तक चलने वाले ह गे; और

(v) पुनः ट त करने यो य ह गे (जहां तक तकनीक प से संभव हो)।

(6) अ यायुध के लिए गोला बा द क सबसे छोटी पैके जग ईकाइय पर नि नलिखित सूचना से अंत व ट चिह्न लगाए जाएंगे, अर्थात् :-

- (i) विनिर्माता देश का नाम
- (ii) विनिर्माता का नाम;
- (iii) विनिर्माता का लॉट या विशिष्ट बैच संख्या;
- (iv) विनिर्माण का वर्ष;
(यह सूचना लॉट या बैच संख्या में सम्मिलित की जा सकेगी)
- (v) कैलिबर;
- (vi) कारण
- (7) यदि कारतूस पर भी चिह्न अंकित किए जा सकें, जिनमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित की जा सकेगी, अर्थात् :-

- (i) विनिर्माता देश का नाम
- (ii) विनिर्माता का नाम
- (iii) विनिर्माता का विशिष्ट लॉट या बैच संख्या
- (iv) कैलिबर ; और
- (v) कारण ।

59. अ. आयुध का सबूत परीक्षण - (1) कोई नया विनिर्माता गन-बैरल, या पूण अ. आयुध के लिए सबूत परीक्षण सुविधा स्थापित कर सकेगा ।

- (2) सुविधा इसके परस्पर के भीतर इसके आयुध विनिर्माण एकक से पृथक अवस्थित होगा ।
- (3) कोई विनिर्माता, जो सबूत परीक्षण सुविधा स्थापित करना चाहता है, आयुध और गोलाबाद विनिर्माण अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन सहित परीक्षण - 6 में आवेदन करेगा ।
- (4) सबूत परीक्षण सुविधा हेतु उपनियम (3) के अधीन आवेदनक परीक्षा गृह मंत्रालय द्वारा विनिर्माण अनुज्ञापत्र के लिए विनिर्देश मार्गदर्शन सिंतांत के अनुसार गैलिट्री आसिन केमहानिदेशक (डी.जी. यू.ए), र गृह मंत्रालय के परामर्श से की जाएगी
- (5) विनिर्माण विनिर्माता अपने बैरल और पूण अ. आयुध का सबूत परीक्षण या तो आडनैस फैक्टरी या इन नियम के अधीन सबूत परीक्षण सुविधा वाले अथवा सबूत गृह से करवाएगा ।
- (6) सबूत परीक्षण वाला एक अनुज्ञापत्र धारी अपशिष्ट, जैसे अ. वीकृत बैरल या पूण अ. आयुध के सुरक्षा और निपटान के उपाय रदायी होगा ।
- (7) सबूत परीक्षण एक अनुज्ञापत्र धारी, पूण आयुध और गोलाबाद के विनियम या निपटान हेतु नियम 65 में विनिर्देश अभिलेख के अतिरिक्त सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के परीक्षण सबूत परीक्षण रजिस्टर अनुरक्षित करेगा ।
- (8) अनुज्ञापत्र धारी द्वारा उप-नियम (3) के अधीन अनुरक्षित किए जाने वाले अभिलेख के अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात्
 - (i) गन-बैरल या विनिर्माण पूण अ. आयुध के संख्याएं ;
 - (ii) विनिर्माणक तारीख, मास और वर्ष ;
 - (iii) गन-बैरल या पूण अ. आयुध के सबूत गृह कोषण ;
 - (iv) अनुज्ञापत्र (परिच्छेद 13 में पर्यवेक्षण अनुज्ञापत्र) के संख्या और तारीख, जिसके अंतर्गत गन-बैरल या पूण अ. आयुध सबूत-परीक्षण के लिए भेजे गए थे ;
 - (v) सबूत-परीक्षण के परीक्षण गन-बैरल या पूण अ. आयुध के विनिर्माण ;
 - (vi) सबूत-परीक्षण का परीक्षण ;
 - (vii) गन पूण करने के तारीख, यदि केवल गन-बैरल सिंतांत की गई है ;

(viii) तारीख, जब पूण अ यायुध वि य हेतु रजि टर को या अंत रत कए गए या नियम 65 के अधीन अंतरण अनुरित कया गया ;

(ix) य द अरंभिक तुतीकरण पर सबूत म गन-बैरल या पूण अ यायुध वीकृत नह कए गए थे, तो प रशोधन रजि टर म य संख्या ;

(x) निरी ण अधिकारी क ट पणी -

(9) इस अधिनियम के अधीन येक अनुज्ञि धारी, सबूत गृह ारा न पा रत कए गन बैरल और पूण अ यायुध के यौर से अंत व प रशोधन रजि टर का अनुर ण करेगा, जिसके अंतर्गत नि लिखित विशि णियां ह गी, अर्थात्

(i) म संख्या ;

(ii) प रशोधित क जाने वाली गन बैरल और पूण अ यायुध पर टांपित म संख्या ;

(iii) कए जाने वाले प रशोधन को उपद शत करते ए सबूत गृह प क संख्या और तारीख ;

(iv) प रशोधन के प ात् सबूत परी ण के लिए पुनः तुत गन बैरल और पूण अ यायुध क तारीख;

(v) गन बैरल और पूण अ यायुध के सबूत निरी ण के प चात् ातिक तारीख और सबूत निरी ण का प रणाम;

(vi) य द गन बैरल और पूण अ यायुध सि ए हो तो अ यायुध के पूण होने क तारीख;

(vii) तारीख, जब पूण अ यायुध वि य हेतु रजि टर को अंत रत कए गए और नियम 65 के अधीन अंतरण अनुरित कए गए;

(viii) ट पणियां ।

(10) सबूत परी ण और अभिलेख के प रशोधन का निरी ण, ेत्र के जिला मजि ेट ारा या इस निमि उसके ारा नामनि द कसी अधिकारी ारा येक वष जुलाई और जनवरी के दौरान तथा एक औचक निरी ण के दौरान कसी कैलेंडर वष म नि लिखित का स यापन करने के लिए कया जाएगा, अर्थात् :-

(i) गन बैरल और पूण अ यायुध पर म संख्याएं उसी कार पूरी तरह मानुसार टांपित क जाएंगी, जिनम वे विनि मत क गई ह;

(ii) वि य या अंतरण के लिए विटियां त काल क जाती है और नियम 65 के अधीन ऐसे अंतरण के अभिलेख के मिलान के अनुसार ह गे ;

(iii) अनुज्ञित क शत का स ती से अनुपालन कया जाता है ।

(11) अनुज्ञापन ाधिकारी ारा प 13 म एक प रवहन अनुज्ञित सबूत गृह को गन बैरल और पूण अ यायुध के प रवहन के लिए आवेदन पर जारी क जा सकेगी, परंतु यह तब जब क प 7 म अनुज्ञित ऐसी प रवहन अनुज्ञित के जारी करने क तारीख को विधिमा य है ।

(12) सबूत गृह को गन बैरल और पूण अ यायुध को प रवहन करने के लिए उपनियम (11) के अधीन जारी प रवहन अनु ित पहली बार और ़टिय के प रशोधन के लिए सबूत परी ण हेतु ेपित कए जाने वाले गन बैरल और पूण अ यायुध क कुल मा ा पृथक्तः उपद शत करेगी ।

(13) अनुज्ञितधारी ़टिय के प रशोधन के प चात् गन बैरल और पूण अ यायुध को सबूत परी ण के लिए तुत करने हेतु ऐसे तुतीकरण के लिए अवसर क संख्या क कसी सीमा के बिना पा होगा :

परंतु अनुज्ञितधारी आवश्यक प रशोधन संबंधित सबूत गृह ारा जारी ़टिय के थम परी ण प रणाम क संसूचना क तारीख से दो वष क अवधि के भीतर पूण करेगा ।

(14) सबूत परी ण के लिए गन बैरल या पूण अ यायुध, जो अयो य और प रशोधन से परे ह, सबूत गृह ारा वि त कए जाएंगे तथा इस संबंध म संबंधित सबूत गृह के ारी अधिकारी का विनि चय अंतिम होगा :

परंतु वि त कए गए भाग जो उपयोग म लाए जाने के लिए स म ह, सबूत गृह ारा अनु ितधारी को लौटाए जाएंगे ।

(15) केवल सबूत परी ित गन बैरल और पूण अ यायुध का वि य या अंतरण तिषिध होगा और सबूत परी ण के प चात् गन बैरल उसके विनिर्माण के लिए केवल ाधिकृत अनुज्ञितधारी ारा ही पूरी गन के प म जोड़ी जाएगी ।

(16) कसी कलडर वष के दौरान विनिमत गन बैरल और पूण अ यायुध विनिर्माण क तारीख से 18 मास क अवधि के भीतर सबूत परीति कए जाएंगे, ऐसा न होने पर उसे सबूत परीण के कलेंडर वष के दौरान विनिमत कया गया समझा जाएगा।

60. मता पुनःरीण और विमान विनिर्माता को नए संनियम लागू होना – (1) विमान विनिर्माता नियम 51 म विनिद ट या के अनुसार प 7 म नई अनुज्ञति दान क जाने के लिए आवेदन कर सकगे।

(2) विमान विनिर्माता अपनी अनुज्ञत मता म वृिया यावतन पुनःरीण या पुनःनियत करने के लिए, इस संबंध म कए गए कसी आवेदन ारा भारत सरकार को गृह मंत्रालय ने संबंधित राय सरकार क सिफारश सहित नि नलिखित द तावेज के साथ आवेदन कर सकेगा, अर्थात् :-

(i) विमान विनिर्माण अनुज्ञतिक एक ति;

(ii) कसी चाटड लेखाकार ारा स यक प से माणित पिछले पांच वष के लिए अनुज्ञतिधारी के वा षक लेख क माणित तियां ;

(iii) संयंत्र और मशीनरी तथा विनिर्माण सुविधा के यौरे ;

(iv) कसी चाटड लेखाकार ारा स यक प से माणित पिछले पांच वष के लिए टाक अभिलेख , विनिमत मद और वि य आवत क माणित तियां ;

(v) कसी चाटड ारा स यक प से माणित विनिमाण मता म वृि के लिए वित्त ताव, परयोजना पर यय, वित के साधन और आ थक जीवन मता के लिए औचि य तथा उ पादन मता म वृि के लिए विपणन मांग परयोजना ;

(vi) सू म, लघु और म यम उप म (एम एस एम ई) सैक्टर म विनिर्माण के लिए सुर ा मार्गदर्शक सि ांत का अनुपालन करने के लिए कैक रकाड और तैयारी ;

(vii) इन नियम म अंत व ट उपबंध का अनुपालन करने के लिए घोषणा

(3) उपनियम (2) के अधीन येक आवेदन क परी ा नियम 51 के उपनियम (6) म विनिद ट अनुज्ञापन समिति ारा क जाएगी, जो मता पुनःरीण के लिए अनुज्ञात कर सकेगी परंतु यह तब जब क विमान अनुज्ञत मता का विनिर्माता ारा पूरी तरह उपयोग कया गया है।

(4) आयुध नियम, 1962 के अधीन प 9 म अनुज्ञति रखने वाले येक विनिर्माता को प 7 म नई अनुज्ञति इन नियम क अधिसूचना से एक वष क अवधि के भीतर या अनुज्ञति के नवीकरण के समय, जो भी पूव तर हो, अनुज्ञापन ाधिकारी ारा जारी क जाएगी और विमान विनिर्माता को क ची साम ि के उपापन के लिए द त कोई अनुज्ञा या छूट इन नियम के त थानी उपबंध के अधीन जारी क गई समझी जाएगी।

61. कसी यटि या एकल व वधारी क दशा म अनु ति – (1) य द आयुध नियम, 1962 के अधीन प 9 म अनु ति रखने वाला विमान विनिर्माता कोई यटि या एकल व वधारी समु थान है, तो अनुज्ञतिधारी क दशा म वतः समा त हो जाएगी।

(2) इस नियम के अधीन अनुज्ञतिधारी के विधिक ाधिकारी प 7 म नई अनुज्ञति दान करने के लिए क िय सरकार म गृह मंत्रालय को आवेदन तुत कर सकगे, जो येक मामले के आधार पर ऐसे आवेदन पर विचार कर सकेगी।

62. विमान विनिर्माता क दशा म भागीदार को वेश – (1) य द आयुध नियम, 1962 के अधीन प 9 म अनुज्ञति रखने वाला विमान विनिर्माता कोई भागीदार फम है तो भागीदार क मृत्यु क दशा म अतिर त भागीदार को वेश दया जा सकेगा, जहां मृत भागीदार के विधिक उ तराधिकारी फम म भागीदार या भागीदार के प म क िय सरकार म गृह मंत्रालय के अनुमोदन के अ यधीन वि ट कए जाएंगे।

(2) कोई विमान भागीदार अपने जीवन काल के दौरान अपने विधिक उ तराधिकारी को इस नियम के अधीन सभी अ य विमान भागीदार , य द कोई हो, क लिखित सहमति ा त करने पर भागीदारी फम म क िय सरकार म गृह मंत्रालय के पूव अनुमोदन के अ यधीन अतिर त भागीदार के प म समिलित कर सकेगा।

63. भागीदारी फम का ाइवेट सीमित कंपनी म प रवतन – (1) कोई विमान विनिर्माता भागीदारी फम के नाते, क िय सरकार म गृह मंत्रालय को संबंधित राय सरकार क सिफारश के साथ फम को ाइवेट सीमित कंपनी म प रवतत करने के लिए अनुज्ञा दान करने हेतु आवेदन कर सकेगा और क िय सरकार ऐसी अनु ा दान कर सकेगी परंतु यह तब जब क नए निगमित कंपनी म संगम ापन और संगम अनुच्छेद म नि नलिखित अंत व ट हो –

(क) कंपनी के निदेशित मंडल म केवल विमान भागीदार या कुटुंब सद य ह;

(ख) निदेशक पर शेयर , आतिय या कंपनी के लाभ को कसी बाहरी यति को अंत रत करने पर निर्बंधन और इस भाव का कोई वचनबंध तुत करना क आवेदक कंपनी ने इस संबंध म कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के सुसंगत उपबंध का अनुपालन कया है।

(2) कृषि सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना फैटरी परस्पर, मालसूची, मशीनरी या इडवेट सीमित कंपनी के अथवा आतियां जो उपनियम (1) में निदंष्ट का कोई विषय या अंतरण अनुज्ञेय नहं होगा।

64. विमान विनिर्माता के बंद कए गए कारबार को यावतन के लिए अनुज्ञिति - कसी बंद कए गए कारबार के दशम, मृत अनुज्ञितधारी का कोई विधिक उतराधिकारी यद वह वयक है, तो प 7 में नई अनुज्ञिति दान कए जाने के लिए कृषि सरकार में गृह मंत्रालय को अनुज्ञितधारी के मृत्यु के 12 मास के भीतर और यद विधिक उतराधिकारी अवयक है तो उसके वयकता त करन के तारीख से 12 मास के भीतर आवेदन कर सकेगा।

65. संयवहार का अभिलेख प 7 में अनुज्ञिति धारण करने वाले अनुज्ञितधारय द्वारा अनुरजित कया जाना है - (1) विनिर्माता सुरजित इलैकानिक डाटा बेस के प में एक रजिटर रखेगा, जिसे 'अयायुध टाक रजिटर' के नाम से जाना जाएगा, जिसमें निनलिखित विशिष्टियां अभिलिखित क जाएंगी :-

(क) नामेप के तरफ टाक संख्या के सामने विनिर्माण क तारीख, मेक, कैलीबर, माडल और विनिर्माता क संख्या; और

(ख) जमाप के तरफ, उपनियम (क) में निदंष्ट टाक संख्या के सामने, -

(i) अयायुध के विषयक तारीख;

(ii) उस यौहारी का नाम और पता तथा अनुज्ञिति संख्या, जिसको अयायुध बेचे गए हं;

(iii) उस सरकारी विभाग क विशिष्टियां, जिसको अयायुध बेचे गए हं;

(iv) अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा इन नियम के अधीन जारी क गई निर्यात अनुज्ञित क विशिष्ट सहित उस यजित क विशिष्टियां और पता जिसको अयायुध निर्यात कए गए थे।

(2) विनिर्माता सुरजित इलैकानिक डाटा बेस के प में एक रजिटर रखेगा, जिसे 'गोला बा द टाक रजिटर' के नाम से जाना जाएगा, जिसमें निनलिखित विशिष्टियां अभिलिखित क जाएंगी :-

(क) नामेप के तरफ, -

(i) विनिमत तथा अजत सभी गोला बा द के कैलीबर, मेक और मा ा;

(ii) विनिर्माण क लॉट संख्या और तारीख या रसीद; और

(iii) गोला-बा द तथा अजत कए जाने क दशम -

(अ) यजित जिससे उसे यया अजत कया गया था; और
यया अर्जन के कारण।

(ख) जमाप के तरफ, -

(i) गोला बा द के विनिर्माता द्वारा और विषय या उपयोग कए जाने क तारीख और लॉट संख्या;

(ii) विनिर्माता द्वारा विषय या उपयोग म लागे गए गोला बा द का कैलीबर, मेक और मा ा;

(iii) उस यौहारी का नाम और पता तथा अनुज्ञिति संख्या, जिसको गोला बा द बेचे गए हं;

(iv) उस सरकारी विभाग क विशिष्टियां, जिसको गोला बा द बेचे गए हं;

(v) अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा इन नियम के अधीन जारी क गई निर्यात अनुज्ञित क विशिष्ट सहित उस यजित क विशिष्टियां और पता जिसको गोला बा द निर्यात कए गए थे;

(vi) संग्रहण क तारीख और यौहारी या सुसंगत सरकारी कर्मचारी जिसको गोला-बा द दत कया गया था के हं तार।

(3) (क) विनिर्माता सभी विनिमत अयायुध और मुख्य अयायुध घटक क अतन टाक शीट रखेगा।

(ख) उपनियम (1) और (2) में निदंष्ट रजिटर अनुज्ञिति में विनिदंष्ट कारबार परस्पर म रखे जाएंगे।

(ग) अयायुध और गोला-बा द क सभी विशिष्टियां अनुज्ञितधारी द्वारा, यथाथिति, विनिमाण, ाति, अंतरण या उपयोग और त काल अभिलिखित क जाएंगी।

(4) (क) विनिर्माता अपनी यूजर आईडी में एनडीएएल णाली के साथ एक ऑन लाइन इलैकानिक संपक थापित करेगा और उपनियम (1) और (2) में निदंष्ट रजिटर में यथाअभिलिखित सताह के लिए विनिमत और विषय या अंतरण अयायुध तथा विनिमत और विषय या अंतरण या उपभुक्त गोला बा द के संबंध में सा ताहिक इलैकानिक ऑन लाइन डाटा अंतरण क यव था करेगा।

(ख) यदि कोई ऐसी परिस्थितियां घटती हैं जो अनुज्ञतिधारी को एनडी एएल पाली पर ऑन लाइन विवरणियां इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क संपर्क के माध्यम से सुनिश्चित करने से रोकती हैं, तो स्थानीय अनुज्ञापन अधिकारी को साप्ताहिक विवरणियों को सुनिश्चित करने के लिए और वैकल्पिक साधन स्थापित करने हेतु तत्काल सूचित किया जाएगा।

(ग) चालू सप्ताह के लिए साप्ताहिक विवरणियां एक शनिवार को कारबार के घंटे के अंत तक सुनिश्चित की जाएगी।

66. निरीक्षण और अधिहरण के संबंध में वर्तन शर्तियां - (1) (क) अनुज्ञापन अधिकारी समय-समय पर अधिनियम के अधीन अनुज्ञति प्राप्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण सुविधा और अभिलेख के निरीक्षण संचालित करेगा

(ख) निरीक्षण के अंतर्गत सूची अभिलेख का सत्यापन, अयायुध को बनाने का याविधि, सुरक्षा सनियम, का मक अभिलेख और निरीक्षण टीम द्वारा उपयुक्त समझे गए किसी अन्य सुसंगत क्षेत्र का या अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा विनिश्चित संपरीक्षा और निरीक्षण कायम में अंतर्गत अनुदेश के अनुसार पुनः वलोकन।

(2) अयायुध और उनके भाग, घटक या गोला बांद जिनका विनिर्माण विधि विद्वंद्व से किया गया है, का वर्तन अभिकरण द्वारा थायीप से अधिहरण किया जाएगा।

(3) (क) अयायुध और उनके भाग, घटक या गोला बांद जिनका विनिर्माण संदेहजनक ढंग से विधि विद्वंद्व से किया गया है, का निःलिखित मामलों के संबंध में थायीप से अभिहरण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- (i) यदि विनिर्माण अनुज्ञति निलंबित निसंहृत या रोक गई है या यदि वह समाप्त हो जाती है; या
- (ii) विनिर्माण अनुज्ञति का धारक किसी अपराध के लिए दोषी है; या
- (iii) अनुज्ञापन अधिकारी के पास यह विश्वास करने के आधार है कि अपराध किया गया है या किया ही जाने वाला है और अभिगृहीत क जाने वाली मद या तो इसके साथ ही या वयं अंतर्वलत अपराध के विषयवस्तु है;

(ख) अभिहीत मद जो विधिविद्वंद्व से विनिर्मित क गई पाई गई है, अधिहरण क जाएंगी और मद जो विधिविद्वंद्व से विनिर्मित क गई नह पाई गई ह उनके वामी को तत्काल लौटाई जाएंगी।

(4) (क) अयायुध और उनके भाग, घटक या गोला बांद जिनका विनिर्माण विधि विद्वंद्व से किया गया है, का निःलिखित तत्काल अधिमानतः इन नियम के अनुसार विनष्ट करने के माध्यम से निपटारा किया जाएगा।

(ख) विनष्ट करने से अथवा निपटारा क कोई परि उपयोग में लाई जा सकेगी, परंतु यह तब जब कि अयायुध पहले चिह्नित और रजिस्ट्रीकृत कए जाएं और निपटारा क परि अभिलिखित क जाए।

भाग 2

अयायुध क तिकृति का विनिर्माण

67. अयायुध क तिकृति का विनिर्माण करने के लिए अनुज्ञति - (1) परि 7-ख में अनुज्ञति किसी यति को घरेलू बाजार और निर्यात योजन के लिए ाचीन (मजल लो डग) और समकालीन (ीच - लो डग) अयायुध क तिकृतिय का विनिर्माण करने के लिए दान क जा सकेगी।

(2) आयुध नियम, 1962 के अधीन मशीनरी रखने वाले या परि 9 में अयायुध के विनिर्माण के लिए अनुज्ञति न रखने वाले यति या अनुज्ञति रखने वाले यति इन नियम क अधिसूचना क तारीख से एक वर्ष के भीतर अयायुध क तिकृति के विनिर्माण और वि य के लिए परि 7ख में नई अनुज्ञति के लिए आवेदन करगे।

68. अयायुध क तिकृति के नमून का निरीक्षण - (1) अयायुध क तिकृतिय के विनिर्माता किसी दए गए समय पर एक कार क तिकृति के 50 नमून से अधिक नमूने नह रखेंगे।

(2) अयायुध क तिकृति का विनिर्माता, विनिर्माण ारंभ करने से पूर्व एक कार क तिकृति का निरीक्षण निदेशालय, र ा उपादन विभाग, र ा मंत्रालय से विनिर्माता द्वारा वहन क जाने वाली लागत पर निरीक्षण निदेशालय को निःलिखित सुनिश्चित करवाएगा -

- (i) विनिर्माण के लिए तावित तिकृति के एक कार के तीन नमूने;
 - (ii) एक कार क तिकृति क फोटो और रेखांकन क इसके मुख्य भाग का विवरण देते ए पांच तियां;
 - (iii) परि 7ख में जारी मूल अनुज्ञति और उसक एक ति।
- (3) निरीक्षण के पचात् निरीक्षण निदेशालय फोटो और रेखांकन पर तिकृतिय क अहानिकारकता माणित करेगा तथा ऐसे माणप निरीक्षण के लिए सुनिश्चित तिकृति के तीन नमून में से एक पर मुद्रांकित कए जाएंगे।

- (4) निरीण क गई तिकृति के येक कार का एक नमूना, उसक फोटो और रेखांकन क एक माणित ति सहित गृह मंत्रालय को तिधारण के लिए तिद त क जाएगी।
- (5) प 7ख म मूल अनुज्ञति, निरीण क गई तिकृतिय के शेष दो नमून और माणित फोटो या रेखांकन क दो तिय सहित मुद्रांकित क जाएगी और विनिर्माता का प रद त क जाएगी, जो एक निरीण कए गए नमूने को उसके फोटो या रेखांकन क एक माणित ति जिला, जिसम तिकृतिय का विनिर्माण कया जाना है, के जिला मजिेट के पास निर्ित करेगा।
- (6) तीसरा निरीित नमूना और माणित फोटो या रेखांकन क एक ति विनिर्माता ारा तिधारत क जाएगी।
- (7) निरीण निदेशालय प 7ख म अनुज्ञति क ति और माणित फोटो या रेखांकन क दो तियां तिधारत करेगा।

69. अ यायुध क तिकृतिय को चिहित करना - (1) वि य के लिए विनिमत येक तिकृति पर विनिर्माता का नाम, नि नानुसार उ क ण कया जाएगा :

“मैसस (फम और शहर का नाम)भारत

ारा विनिमत अ यायुध क तिकृति”।

(2) विनिर्माता येक तिकृति पर नि नलिखित भी उ क ण करेगा -

- (i) तिकृति का कार;
- (ii) विनिर्माता क म संख्या;
और
- (iii) निरीण निदेशालय ारा नमूने के निरीण क तारीख।

उदाहरण -

य द निरीण के प चात् चार विभि न कार अनुमो दत कए जाते ह तो नमूने क, ख, ग और घ के प म व णत कए जाएंगे और उपनियम (1) के अनुसार विनिमाता के नाम के अति र त येक तिकृति पर नि नलिखित उ क ण कया जाएगा :-

“क/001 (डीडी-एमएम- वाईवाईवाईवाई);” जहां, -

‘क’ अनुमो दत तिकृति का कार दर्शाता है;

‘001’ मसंख्या दर्शाता है; और

को ठक के भीतर तारीख निरीण महानिदेशालय ारा अभिलिखित निरीण के माणप क तारीख उपद शत करती है।

70. अ यायुध क तिकृतिय के विनिर्माता ारा अभिलेख का अनुर ण - (1) विनिर्माता तिकृतिय के विनिमाण और वि य के अभिलेख नि नलिखित सारणी म दए गए प म अनुरित करेगा, अर्थात्

सारणी

विनिमत अ यायुध तिकृति क मसंख्या	विनिर्माण क तारीख	निपटान क तारीख	ेता का नाम और पता, य द भारत म कसी यटि को बेचा गया है	आयुध यौहारय, जिनको वि य या नियात हेतु द त कया गया है, का नाम और पता	ा त निर्यात अनुज्ञा क विशि्टियां, य द सीधे निर्यात कया जाए	अहानिकारकता के माणप क विशि्टियां अहानिकारकता	ह तगत अतिशेष टाक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

(2) अभिलेख का निरीण अनुज्ञतिधारी क अधिकारता अनु ापन ाधिकारी ारा कया जाएगा।

(3) विनिमत तिकृतियां, जो निरीित नमून के अनुरूप हो, वह भारत म वि त कए जाने या विदेश को निर्यात कए जाने हेतु अनुज्ञात कया जाएगा।

(4) (क) अनुज्ञतिधारी अपनी यूजर आईडी में एनडीएएल गाली के साथ एक ऑन लाइन इलैक्ट्रॉनिक संपर्क स्थापित करेगा और उपनियम (1) में नि द ट रजि टर में यथाअभिलिखित स ताह के लिए विनिमत और वि त अ यायुध क तिकृतियां सा ताहिक इलैक्ट्रॉनिक ऑन लाइन डाटा अंतरण क यव था करेगा।

(ख) यदि कोई ऐसी परिस्थितियां घटती ह जो अनुज्ञतिधारी को एनडी एएल गाली पर ऑन लाइन विवरणियां इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क संपर्क के मायम से तुत करने से रोकती ह, तो स्थानीय अनुज्ञापन अधिकारी को सा ताहिक विवरणियों को स्तुत करने के लिए और वैकल्पिक साधन स्थापित करने हेतु त काल सूचित कया जाएगा।

(ग) चालू स ताह के लिए सा ताहिक विवरणियां एक शनिवार को कारबार के घंट के अंत तक तुत क जाएगी।

71. अ यायुध क तिकृतिय को अहानिकर बनाने क या - अ यायुध क तिकृतिय को कसी भी नि नलिखित प ति के मायम से अहानिकर बनाया जा सकेगा, अर्थात् :-

- यदि तिकृतिय क बैरल उसी धातु क बनी है जो अ यायुध क बैरल के विनिर्माण में उपयोग क गई है तो बैरल के नीचे क तरफ िच एंड से 25 एम एम क दूरी पर 12 एम एम X 6 एम एम के आकार का एक खांचा काटकर ; या
- पीतल जैसी नम धातुओं के साथ तिकृतिय क बैरल का विनिर्माण करके ; या
- बैरल में चैनल हटाकर या फायर याविधिक के साथ चैनल को न जोड़कर या फायर ग याविधि को हटा के ; या
- ठोस बैरल क यव था करके या बैरल के पिछले भाग को ठोस बनाते ए जब क बैरल का सामने के भाग को सामान्य बैरल का आकार दया जाता है।

72. अ यायुध क तिकृतिय का वि य और नियात - (1) इन नियम के अधीन अ यायुध क तिकृतिय के नियात के लिए अनुज्ञतियां दान करना विदेश यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के उपबंध के अधीन होगा।

(2) वि य या नियात के लिए येक संव्यवहार के साथ अ यायुध तिकृति के विनिर्माता से उसक मोहर और मुद्रा के अधीन एक माणप संलन कया जाएगा, जिसमें यह माणित कया जाएगा क बेची जा रही नियात क जा रही तिकृतियां अ यायुध क तरह अहानिकर बनाई गई ह तथा निरी ण महानिदेशालय, र ा उ पादन विभाग ारा निरी ित नमून के अनुरूप है और उसमें नि नलिखित विशिष्टियां अंत व ट ह गी :

- तिकृति क मसंख्या;
- नमूने क निरी ण क तारीख;
- विनिर्माण का वर्ष; और
- विनिर्माता का नाम।

(2) (क) मज़ल लो डग अ यायुध क तिकृति के विनिर्माण के लिए द त अनुज्ञतिय के लिए अनुज्ञ त मता यूनतम मा ा 250 पीस तिमास तथा अधिकतम मा ा 500 पीस तिमास तक निर्बंधित होगी।

(ख) समकालीन या आधुनिक अ यायुध क तिकृति के विनिर्माण के लिए अनुज्ञ त मता अनुसूची 2 के तंभ (5) में यथाविनि द ट अनुज्ञापन अधिकारी ार यथा अनुमो दत होगी।

भाग 3

आयुध और गोला बा द यौहारी

73. आयुध और गोला बा द यौहारी और अनु तियां दान करना - (1) आयुध और गोला बा द यौहारी को प 8 में अनुज्ञति दान करने के लिए आवेदन नि नलिखित द तावेज सहित प क-8 में कया जाएगा, अर्थात् :-

- रेखांकन क व माणित तिय सहित यह कथन करने वाली एक लिखित घोषणा क आवेदक के पास अ यायुध और गोलाबा द क सुर ित अभिर ा के लिए एक तिजोरी क सुविधा उपल ध है;
- अ यायुध और गोलाबा द क सुर ित अभिर ा के संबंध में उठाए गए कदम के विनि द ट संदभ में एक लिखित वचनबंध जिसके अंतर्गत प ंच नियंत्रण, लोज स कट टेलीविजन गाली, सुर ागाड, अग्निशमन यु तियां इ या द के लिए यव था है ;
- परसर में आवेदक क ओर से यापार करने के लिए अधिकृत येक यति, जिसके पास अ यायुध के सुर ित हथालन के लिए अपे ित शि ण हो, के नाम और पते से अंत व ट स यापन प :

परंतु क िय सरकार इस संबंध में साधारण या विशेष आदेश पा रत करके ऐसे यौहारी ारा कारबार के संचालन पर अति र त शत विनि द ट कर सकेगी, जिनका कारबार का थान सश बल विशेष शतियां अधिनियम, 1958 (ए एफ एस पी ए (1958 का 28)) या अधिनियम क धारा 24क या 24ख के अधीन 'अशांत ेत्र' के प में घोषित कसी ेत्र में है।

- (2) प 8 म अनुज्ञा के नवीकरण के लिए कोई आवेदन, उ अनुज्ञा के अवसान से कम से कम साठ दिन पूर्व अनुज्ञापन अधिकारी को उपनियम (1) में उल्लिखित द तावेज के साथ कया जाएगा।
- (3) प 8 म मंजूर क गई अनुज्ञा पांच वर्ष क अवधि के लिए विधिमा य होगी और वह वि य कए जाने वाले या वि य हेतु रखे जाने वाले आयुध और/या गोला बा द क क म और ऐसे आयुध और/या गोला बा द को विनि द करेगी, जि ह 48 या धारा 21 के अधीन सुरि त अभिर ा के लिए जमा कया जा सकेगा।
- 74. आयुध और गोला बा द के ौहारी के लिए निबधित वग के अ यायुध और गोला बा द के लिए अनु ि** - के िय सरकार का गृह मंत्रालय प 8 म मंजूर क गई कसी अनुज्ञा ारा चयनित ौहारी को अनुसूची 1 म विनि द वग I(ख) या I(ग) के अ यायुध और गोला बा द का य, वि य या वि य के लिए रखे जाने क मा ा विनि द करते ए ाधिकृत कर सकेगा और उ अनुज्ञाधारी ऐसे वग के क ह अ यायुध या गोला बा द को, अनुज्ञा धारक पर अधिका रता रखने वाले अनुज्ञापन ाधिकारी से इस संबंध म पूव पुि अभि ा कए बिना कसी ि को वि य या अंत रत नह करेगा क अनु ि धारी को ऐसे निर्बधित अ यायुध या गोला बा द क जे म रखने क अनुज्ञा जारी क गई है।
- 75. आयुध और गोला बा द ौहारी ारा रखे जाने वाले सं वहार के अभिलेख** - (1) अनुज्ञाधारी 'अ यायुध टॉक रजि टर' नामक एक रजि टर रखेगा, जिसम नि लिखित विशि ियां अंत व ह गी, अर्थात्:-
- (क) विकलन प पर, -
- (i) एक टॉक संख्यांक, जो कसी अ यायुध पर कसी अ थायी चि ह ारा प से चिहित कया जाना चाहिए;
- (ii) अ यायुध क मेक, क म और कैलिबर तथा साथ ही येक विनिर्माता का म संख्यांक या अति र पहचान चि ह, जो अ यायुध पर द शत कया जाता है;
- (iii) अ यायुध क ि क तारीख;
- (iv) ापार अंतरण क दशा म, ऐसे विनिर्माता या ौहारी का पूरा नाम, अनुज्ञा संख्यांक, अनुज्ञा क विधिमा यता क अवधि, यूआईएन और वा तविक पता, जिससे अ यायुध य अथवा अ जत कया गया था और साथ ही य बीजक, चालान, प रवहन द तावेज और प 12 म प रवहन अनुज्ञा के यौरे, य द लागू हः
- (v) ाइवेट अंतरण क दशा म ऐसे अनुज्ञाधारी का पूरा नाम, अनुज्ञा संख्यांक, अनुज्ञा क विधिमा यता क अवधि, यूआईएन, वा तविक पता, उस अनुज्ञाधारी या उसके विधिक उ राधिका रय, जिससे अ यायुध य अथवा अ जत कया गया था, को संब अनुज्ञापन ाधिकारी ारा जारी वि य ाधिकार और उस ि के ह ता र, जिससे अ यायुध अ जत कया गया था।
- (ख) यय प पर, उपनियम (1) म नि द टॉक संख्यांक के सामने,-
- (i) अ यायुध के वि य क तारीख;
- (ii) ापार अंतरण क दशा में, ऐसे ौहारी का पूरा नाम, अनु ि संख्यांक, अनुज्ञा क विधिमा यता क अवधि, यूआईएन और वा तविक पता, जिसे अ यायुध का वि य अथवा अंतरण कया गया था और साथ ही वि य बीजक, चालान, प रवहन द तावेज क विशि ियां और प 12 म प रवहन अनुज्ञा के यौरे, य द लागू होः
- (iii) ाइवेट अंतरण क दशा म ऐसे अनुज्ञाधारी का पूरा नाम, अनुज्ञा संख्यांक, अनुज्ञा क विधिमा यता क अवधि, यूआईएन, पूण पता, उस अनु िधारी, जिसे अ यायुध का वि य अथवा अंतरण कया गया था, को संब अनुज्ञापन ाधिकारी ारा जारी अनुज्ञा म उल्लिखित य ाधिकार और य अवधि और साथ ही य बीजक क विशि ियां और उस ि के ह ता र, जिसे अ यायुध वि य कया गया था।
- (iv) अ यायुध के अंतरण के लिए उ रदायी ि के ह ता र को, यथालागू खंड (i) से (iii) म उल्लिखित लेखब विशि िय म चिहित कया जाएगा।
- (2) अनुज्ञाधारी 'गोला बा द टॉक रजि टर' नामक एक रजि टर रखेगा, जिसम नि लिखित विशि ियां अंत व ह गी, अर्थात्:-
- (क) विकलन प पर, -
- (i) गोला बा द क ि क तारीख;
- (ii) ापार अंतरण क दशा में, ऐसे विनिर्माता और ौहारी का पूरा नाम, अनु ि संख्यांक, अनु ि क विधिमा यता क अवधि, यूआईएन वा तविक पता, जिससे गोला बा द य अथवा अ जत कया गया था और साथ ही य बीजक, चालान, प रवहन द तावेज क विशि ियां और प 12 म प रवहन अनुज्ञा के यौरे, य द लागू हः
- (iii) ाइवेट अंतरण क दशा में, ऐसे अनु िधारी का पूरा नाम, अनुज्ञा संख्यांक, अनुज्ञा क विधिमा यता क अवधि, यूआईएन और वा तविक पता, जिसे गोला बा द वि य कया गया था और उस ि के ह ता र, जिससे अ यायुध अ जत कया गया था।

ट पण : सभी द तावेज और रजि टर म गोला बा द के वा तविक यौर का उ लेख कया जाना अपेति त है, जिसम उसका कैलिबर, मेक और मा ा अंत व होगी।

(ख) यय प पर,

(i) गोला बा द के वि य क तारीख;

(ii) ापार अंतरण क दशा में, ऐसे ाहारी का पूरा नाम, अनु ि संख्यांक, अनुज्ञि क विधिमा यता क अवधि, यूआईएन और वा तविक पता, जिसे गोला बा द का वि य अथवा अंतरण कया गया था और साथ ही वि य बीजक, चालान, प रवहन द तावेज क विशियां और प 12 म प रवहन अनुज्ञि के यौर, य द लागू ह ;

(iii) इडवेट अंतरण क दशा म ऐसे अनुज्ञि धारी का पूरा नाम, अनुज्ञि संख्यांक, अनुज्ञि क विधिमा यता क अवधि, यूआईएन, पूण पता, य ाधिकार के यौर और उस अनुज्ञि धारी, जिसे गोला बा द का वि य अथवा अंतरण कया गया था, को संब अनु ापन ाधिकारी ारा जारी अनुज्ञि म उलिखित य अवधि और वि य बीजक क विशियां तथा उस ि के ह ता र, जिसे गोला बा द वि य कया गया था।

(iv) गोला बा द के अंतरण के लिए उ रदायी ि के ह ता र को, यथालागू खंड (i) से (iii) म उलिखित लेखब विशियि म चिहित कया जाएगा।

ट पण : सभी द तावेज और रजि टर म गोला बा द के पूण यौर का उ लेख कया जाना अपेति त है, जिसम उसका कैलिबर, मेक और मा ा अंत व होगी।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) म उलिखित ापार अंतरण क दशा में, ऐसा वि य या अंतरण करने वाला ाहारी, ऐसा संव्यवहार करने से पूव वयं का यह समाधान करेगा क वि य या अंतरण कए जाने वाले अ यायुध या गोला बा द क मा ा, य करने वाले ाहारी क अनुज्ञि म उलिखित वि य या अंतरण क तारीख को उसक कुल अनुज्ञि मा ा से अधिक नह है।

(4) इस नियम के अधीन तब तक अ यायुध और गोला बा द का कोई ापार अंतरण नह कया जाएगा जब तक क उसके साथ वि य बीजक संल न हो।

(5) उपनियम (1) और उपनियम (2) म उलिखित रजि टर को अनु ि म विनि द कारबार प रसर पर रखा जाएगा और रजि टर के येक पृष्ठ को मानुसार संख्यांकित कया जाएगा और वििय को याही म अभिलिखित कया जाएगा और भावी कए गए क ह संशोधन को याही म अंतरापंि लेखन या काट कर चिहित कया जाएगा और न क उसे मिटा कर तथा उसे करने वाले ि ारा उस पर लघु ह ता र कए जाएंगे।

(6) कोई भी ि इस नियम म परकपित कसी रजि टर से कसी पृ को नह हटाएगा या हटवाएगा और कसी तिकूल सा य क अनुपथिति म इस कार कसी पृष्ठ को हटाए जाने के संबंध म यह समझा जाएगा क उसे ऐसे अनुज्ञि धारी, जिसके ारा ऐसा रजि टर रखा जाना अपेति त है, ारा या उसके ाधिकार ारा हटाया गया है।

(7) इस नियम के अधीन रजि टर म वि क जाने वाली सभी वििय को, यथाथिति, संब अ यायुध या गोला बा द क ाि, अंतरण या वि य पर तुरंत अभिलिखित कया जाएगा और उपनियम (1) और (2) म विनि द वििय के अतिर उसम अ यायुध और गोला बा द के वि मान टॉक के दैनिक अतिशेष को भी द शत कया जाएगा।

(8) (क) अनुज्ञि धारी एनडीएएल णाली पर अपनी उपयो ा आईडी के साथ ऑनलाइन इलैक ानिक कनेटिविटी थापित करेगा और कसी स ाह के लिए, उपनियम (1) और उपनियम (2) म विनि द रजि टर म यथाअभिलिखित अ यायुध और गोला बा द के संबंध म कए गए संव्यवहार के डाटा का स ाहिक इलैक ानिक ऑनलाइन अंतरण का उपबंध करेगा।

(ख) य द कोई ऐसी प रथितियां उप होती ह, जो कसी अनुज्ञि धारी को इलैक ानिक नेटवक कनेटिविटी के मा यम से एनडीएएल णाली पर ऑनलाइन विवरणियां तुत करने से निवारत करती ह, तो थानीय अनुज्ञापन ाधिकारी को, स ाहिक विवरणियां तुत करने हेतु वैकपिक उपाय थापित करने के लिए तुरंत सूचना दी जाएगी।

(ग) चालू स ाह के लिए स ाहिक विवरणियां येक शनिवार को कारबार घंट के अंत तक तुत क जाएंगी।

76. आयुध और गोला बा द को अभिर ा म रखने क अनु ि - (1) अनुज्ञि धारी अधिनियम क धारा 21 के उपबंध के अधीन आयुध या गोला बा द को जमा करने और नियम 48 के अधीन उनक सुरति अभिर ा के लिए प 8 म उ ह तब तक वीकार नह करेगा, जब तक क उसका यह समाधान न हो जाए क जमा कराने वाले ि या ऐसे कसी ि, जिसक ओर से उ ह जमा कया जा रहा है, का कोई दुराशय नह है।

(2) अनुज्ञि धारी, धारा 21 के अधीन जमा कए गए और नियम 48 के अधीन सुरति अभिर ा के लिए रखे गए आयुध और गोला बा द के लिए पृथक रजि टर रखेगा।

(3) उपनियम (1) म नि द रजि टर म नि लिखित विशियां अंत व ह गी, अर्थात्:-

(i) अ यायुध क ाि क तारीख;

(ii) ऐसे ि का पूरा नाम व पता, जिससे आयुध या गोला बा द अ जत कया गया है;

(iii) अ यायुध क मेक, क म और कैलिबर तथा साथ ही येक विनिर्माता का म संख्यांक या अतिर पहचान चि न, जिसे अ यायुध पर उपद शत कया गया है;

- (iv) अनुज्ञाधारी क अनुज्ञा का संख्यांक, जारी होने क तारीख, विधिमायता क अवधि और यूआईएन तथा उस ि के ह ता र जिससे अ यायुध अ जत कया गया था ;
- (v) आयुध या गोला बा द को वापस, अंत रत या उसका यन करने क तारीख ; और
- (vi) उस ि के ह ता र, जिसे आयुध या गोला बा द को वापस, अंत रत या यन कया गया था ।
- (4) उपनियम (2) के अधीन रजि टर को अनुज्ञा म विनि द कारबार प रसर पर रखा जाएगा और रजि टर के येक पृष्ठ को मानुसार संख्यांकित कया जाएगा और वििय को याही म अभिलिखित कया जाएगा और भावी कए गए क ह संशोधन को याही म अंतरापी लेखन या काट कर चिहृत कया जाएगा और न क उसे मिटा कर तथा उसे करने वाले ि ारा उस पर लघु ह ता र कए जाएंगे ।
- (5) कोई भी ि इस नियम म परकपित कसी रजि टर से कसी पृ को नह हटाएगा या हटवाएगा और कसी तिकूल सा य क अनुपस्थिति म इस कार कसी पृष्ठ को हटाए जाने के संबंध म यह समझा जाएगा क उसे ऐसे अनुज्ञाधारी, जिसके ारा ऐसा रजि टर रखा जाना अपेि त है, ारा या उसके ाधिकार ारा हटाया गया है ।
- (6) इस नियम के अधीन रजि टर म वि क जाने वाली सभी वििय को, यथास्थिति, संब अ यायुध या गोला बा द क ाि, अंतरण या यन पर तुरंत अभिलिखित कया जाएगा और उपनियम (3) म विनि द वििय के अतिर उसम अ यायुध और गोला बा द के वि मान टॉक के दैनिक अतिशेष को भी द शत कया जाएगा ।
- (7) (क) अनुज्ञाधारी एनडीएएल णाली पर अपनी उपयो ा आईडी के साथ ऑनलाइन इलैक ानिक कनेटिविटी थापित करेगा और कसी स ाह के दौरान उपनियम (2) म विनि द रजि टर म यथाअभिलिखित जमा कए गए या जारी कए गए अ यायुध और गोला बा द के संबंध म कए गए संव्यवहार के डाटा का स ाहिक इलैक ानिक ऑनलाइन अंतरण का उपबंध करेगा ।
- (ख) य द कोई ऐसी प रस्थितियां उ प होती ह, जो कसी अनुज्ञाधारी को इलैक ानिक नेटवक कनेटिविटी के मा यम से एनडीएएल णाली पर ऑनलाइन विवरणियां तुत करने से निवा रत करती ह, तो थानीय अनुज्ञापन ाधिकारी को, स ाहिक विवरणियां तुत करने हेतु वैकपिक उपाय थापित करने के लिए तुरंत सूचना दी जाएगी ।
- (ग) चालू स ाह के लिए स ाहिक विवरणियां येक शनिवार को कारबार घंट के अंत तक तुत क जाएंगी ।

भाग 4

यायित बंदूक बनाने वाला

- 77. लघु मर मत करने के लिए अनु ि** – (1) प 9-क म क अनुज्ञा कसी अनुज्ञाधारी बंदूक बनाने वाले को अ यायुध म लघु मर मत करने और उ ह वीकार करने तथा उनका भंडारण करने के लिए हकदार बनाती है ।
- (2) अनुज्ञा बंदूक बनाने वाले को, अ यायुध का परी ण करने के लिए गोला बा द को अ जत करने और टॉक म रखने का हकदार बनाती है ।
- 78. बृहत मर मत, संप रवतन आ द करने के लिए अनु ि** – (1) जहां अ यायुध या गोला बा द के कसी वग के लिए बृहत मर मत करने या उनके संप रवर्तन के लिए प 9 म कोई अनुज्ञा मंजूर क जाती है, वहां वह अनु ि धारी बंदूक बनाने वाले को, ऐसे अ यायुध के संप रवर्तन या उनक बृहत मर मत करने के योजन के लिए उसके संघटक या पुज को तैयार करने के लिए हकदार बनाती है, कतु वह उसको ऐसे संघटक या पुज का, उ ह कसी वग के पूण अ यायुध या गोला बा द के संयोजन म उपयोग करने के लिए विनिमाण करने का हकदार नह बनाती ।
- (2) अनुज्ञा, अनुज्ञाधारी को अ यायुध को नि ि य बनाने और उनका भंडारण करने क भी अनुज्ञा देती है ।
- (3) प 9 म अनुज्ञा के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के पास, कसी रा िय या अंतररा िय संस्थान से या वृत्तिक अथवा तकनीक शि ण दान करने के लिए विधिक प से मा यता ा कसी निकाय से बंदूक बनाने वाले के प म काय करने के लिए वृत्तिक तकनीक विशेष ता होनी चाहिए ।
- (4) के िय सरकार का गृह मंत्रालय ऐसे तकनीक पा म क अंतव तु और उपनियम (3) म नि द शि ण और विशेष ता दान करने के लिए मा यता ा संस्था को, इस संबंध म कोई साधारण या विशेष आदेश पा रत करके अधिसूचित करेगा ।
- (5) जहां कसी अ यायुध को छोटा करने के लिए प 9 म कोई अनुज्ञा मंजूर क जाती है, वहां अनु ि विनि द प से यह कथन करेगी क अनुज्ञाधारी को कसी अ यायुध को छोटा करने क अनुमति है ; परंतु अनुज्ञाधारी को कसी शाटगन या राइफल के बैरल क लंबाई को 20 इंच से छोटा करने क अनुमति नह होगी ।
- (6) जहां ऐसी कोई अनुज्ञा गोला बा द के संप रवर्तन के लिए मंजूर क जाती है, वहां वह अनुज्ञाधारी को कसी खाली का रेज या कसी ऐसे गोला बा द को, जिसका ेप्य नह है, एकल या ब ेपित गोला बा द म संप रव तत करने या कसी गोला बा द को भरने या पुनः भरने का हकदार नह बनाएगी ।
- (7) प 9 म अनुज्ञा रखने वाला अनुज्ञाधारी, अपने काय के नि पादन के योजन के लिए कसी अ यायुध को वीकार करने और उसका भंडारण करने और कसी अ यायुध के कसी पुज को, जिसके अंतर्गत कोई मुख्य ेम वाला संघटक भी है, टॉक म रखने के लिए हकदार होगा ।
- (8) अनुज्ञा बंदूक बनाने वाले को, अ यायुध का परी ण करने के लिए गोला बा द को अ जत करने और उसे टॉक म रखने के लिए हकदार बनाती है ।
- (9) अनुज्ञाधारी, अनुज्ञापन ाधिकारी क पूव लिखित अनुमति के बिना कसी अ यायुध के म संख्यांक या कसी अ य पहचान चि ह म कोई प रवर्तन नह करेगा या उसका पुनः उ क णन नह करेगा या उसे नह हटाएगा ।

(10) अ यायुध और गोला बा द को केवल अनुज्ञि धारी ारा कसी यायित शूटिंग रज या टे ट बच या केबिनेट म परी ण के लिए चलाया जा सकेगा, वह भी केवल ऐसी रीति म और ऐसी शत के अधीन रहते ए जो उसक अनुज्ञि म विनि द प से उ लिखित ह ।

(11) ऐसा अनु ि धारी बंदूक बनाने वाला, जो संकम के पूरा होने से पूव कसी अ यायुध के तंत्र, कैलिबर या बैरल क लंबाई म कोई प रवर्तन करता है, नि लिखित के संबंध म लिखित म अनु ापन ाधिकारी को अधिसूचित करेगा,-

(i) अ यायुध क विशि ियां, जिसके अंतर्गत उसक क म, नाम, कैलिबर और विनिर्माता का म संख्यांक या अति र पहचान संख्यांक भी है;

(ii) अनुज्ञि धारी का नाम और पता, उसके यूआईएन, अनुज्ञि संख्यांक और अ यायुध के संबंध म अनुज्ञि जारी करने क तारीख के साथ;

(iii) अ यायुध पर कए गए संकम क विशि ियां ।

(12) प 9 म अनुज्ञि को धारण करने वाला अनुज्ञि धारी, केवल अनुज्ञापन ाधिकारी क पूव अनुमति से कसी अ यायुध को नि ि य कर सकेगा ।

79. प 9 और प 9-क म जारी अनु ि य क अ य शत - प 9 और प 9-क म जारी अनुज्ञि य क विधिमा यता 5 वष होगी और उसम ऐसे आयुध क क म को विनि द कया जाएगा, जि ह संप र्व तत कया जा सकेगा, जिनक मर मत (वृहत या लघु), परी ण (सबूत संबंधी परी ण से भि) कया जा सकेगा और साथ ही मर मत कए गए अ यायुध के परी ण के लिए क जे म रखे जाने के लिए अनुज्ञात गोला बा द का विवरण या इस वग के अधीन मंजूर क गई अनुज्ञि क क म के अनुसार संप र्वर्तन के लिए अनुज्ञात गोला बा द का विवरण भी विनि द कया जाएगा ।

80. अ यो य अथवा खराब तथा नि ि य अ यायुध - (1) कसी भी अ यायुध को तब तक अ यो य अथवा खराब अथवा नि ि य के प म वग कृत नह कया जाएगा जब तक क अनुज्ञापन ाधिकारी ारा इस संबंध म लिखित म माणित न कर दया गया हो ।

(2) ऐसा कोई अनुज्ञि धारी, जो अपने अ यायुध को अ यो य अथवा खराब अथवा नि ि य करने क वांछा करता है, अनुज्ञापन ाधिकारी को ऐसी नि ि यता के लिए अनुमति दान करने के लिए आवेदन कर सकेगा और अनुज्ञापन ाधिकारी ऐसे अ यायुध को अ यो य अथवा खराब अथवा नि ि य करने क अनुमति दान कर सकेगा ।

(3) कसी अ यायुध को केवल कसी बंदूक बनाने वाले ारा नियम 81 के अधीन विनि दि रीति म नि ि य कया जा सकेगा ।

(4) अ यायुध को अ यो य अथवा खराब अथवा नि ि य कए जाने पर, बंदूक बनाने वाला अनुज्ञि धारी को एक माणप जारी करेगा, जिसम वह रीति उपद शत होगी, जिसम उसे अ युक्त अथवा खराब अथवा नि ि य बनाया गया था और यह स यापित करेगा क अ यायुध के नि ि य कए जाने के मामले म, नियम 81 के तहत निहित नि ि यकरण क या का अनुपालन कया गया है और 7 दन के भीतर उ माणप क ति के साथ अनुज्ञापन ाधिकारी को इसक सूचना देगा ।

(5) अनुज्ञि धारी, उपनियम (4) के अधीन नि ि यता संबंधी माणप ा होने के 7 दन के भीतर, उ माणप को, अ यायुध के निरी ण हेतु, उसके साथ उसे अनुज्ञापन ाधिकारी को तुत करेगा :

परंतु अनुज्ञापन ाधिकारी, जब कभी अपे ित हो, अ यायुध के ापिक संबंधी परी ण के लिए उसे अेषित करेगा ।

(6) अनुज्ञापन ाधिकारी, अ यो य अथवा खराब अथवा नि ि य घोषित कए गए अ यायुध के निरी ण के प ात् और उसे तुत नि ि यता संबंधी माणप तथा ापिक रपोट के आधार पर संतुष्ट हो जाने पर, नियम 104 म निहित विधि से अ यो य अथवा खराब अ यायुध को न ट करने के संबंधी आदेश पा रत करेगा और न ट अथवा निराकृत करने संबंधी आदेश के अनुरूप अ यायुध क अनुज्ञि से उ अ यायुध को हटाने का आदेश पा रत कर देगा ।

81. अ यायुध को नि ि य बनाने के लिए तकनीक या - (1) कसी अ यायुध को नि लिखित रीति म नि ि य कया जाएगा, अर्थात्-

(i) नाल और चैम्बर; उसके पिछले छोर से एक धातु डाट को कसकर फट कया जाएगा और का ज को चैम्बर म जाने से या बा द के भरण को रोकने के लिए उसे पर वे द कया जाएगा ;

(ii) रवा वर सिलेंडर : उसके पिछले छोर से एक धातु डाट को कसकर फट कया जाएगा और का ज को चैम्बर म जाने से या बा द के भरण को रोकने के लिए उसे पर वे द कया जाएगा ;

(iii) फाइ रग पिन : इस छोटा कया जाएगा और िच फेस म फाइ रग पिन के छेद को वेल्द करके बंद कया जाएगा;

(iv) िच फेस : इसके 75 तिशत या अधिक को 45 डि ि के कोण पर हटा दया जाएगा ।

प िकरण -

कसी रवा वर क दशा में, " िच फेस" से ऐसा ंत्र नि द होता है जो नाल क रेखा म का ज के आधार को समर्थन दान करता है ;

(v) लाइड, बो ट या िच लॉक : लॉ कग सतह के 75 तिशत या अधिक को 45 डि ि के कोण पर हटा दया जाएगा ।

(vi) म या रसीवर; फ ड रै प, लॉ कग शो डर और पोट के 75 तिशत या अधिक को हटा दया जाएगा और कसी धातु रोधन को उस थान पर वे द कया जाएगा जो क लाइड, बो ट या िच लॉक क मानक फ टग को निवा रत करेगा;

(vii) प 9 म अनुज्ञि धारण करने वाले ि क तकनीक राय के आधार पर अनुज्ञापन िधिकारी िरा लिखित म यथाअनुमो दत कोई अ य रीति ।

(2) इस नियम क अधिसूचना से पूव नि ि य कए गए अ यायुध को इस नियम के अनुसार नि ि य गया समझा जाएगा ।

82. प 9 या 9क म अनु ि धारण करने वाले बंदूक बनाने वाले ि िरा रखे जाने वाला संव्यवहार का अभिलेख - (1)

अनुज्ञि धारी 'अ यायुध मर मत रजि टर' नामक एक रजि टर रखेगा, जिसम नि लिखित विशि यिं अंत व ह गी, अर्थात्:-

(क) लघु या बृहत मर मत के लिए ि येक अ यायुध के संबंध में,-

(i) टॉक संख्यांक, जिसे अ यायुध पर अ थायी चि ह िरा प प से अं कत कया जाना चाहिए;

(ii) अ यायुध क मेक, क म, कैलिबर और साथ ही येक विनिर्माता का म संख्यांक या अति र पहचान चि न, जो अ यायुध पर उपद शत है;

(iii) अ यायुध क ि क तारीख;

(iv) उस अनुज्ञि धारी का नाम, पता और यूआईएन, जिससे अ यायुध अ जत कया गया था;

(v) आयुध अनुज्ञि, अनुमति या ऐसे ि के िधिकार का संख्यांक, तारीख और विधिमा यता क अवधि, जिससे अ यायुध अ जत कया गया था;

(vi) अ यायुध के संबंध म क गई मर मत क कृति या कया गया कोई अ य संकम; और

(vii) अनुज्ञि को और अनुज्ञि के संबंध म जारी अनुमति या िधिकार को ि करने क तारीख और उसके धारक के ह ता र ।

(ख) प 9 म मंजूर क गई अनुज्ञि य के लिए टॉक म ि मुख अ यायुध संघटक के संबंध में, -

(i) अ यायुध के मुख संघटक क ि क तारीख;

(ii) ऐसी ि का योजन;

(iii) उस अनुज्ञि धारी का नाम, पता और यूआईएन, जिससे अ यायुध के मुख संघटक क ि क गई थी;

(iv) अ यायुध के मुख संघटक का अंतरण या ययन, जिसके अंतर्गत उस अनुज्ञि धारी का नाम, पता और यूआईएन भी है, जिसके िरा अ यायुध के मुख संघटक क आपूर्ति क गई थी; और

(v) उसे ि करने वाले ि के ह ता र ।

(2) अनुज्ञि धारी 'गोला बा द टॉक रजि टर' नामक एक रजि टर रखेगा, जिसम नि लिखित विशि यिं अंत व ह गी, अर्थात्:-

(क) विकलन प पर,-

(i) य कए गए या अ जत सभी गोला बा द का कैलिबर, मेक और मा ि;

(ii) ि क तारीख; और

(iii) उस ि क अनुज्ञि का सं यांक, तारीख और यूआईएन, जिससे गोला बा द य या अ जत कया गया था ।

(ख) यय प पर,-

(i) उपभोग या उपयोग कए गए सभी गोला बा द का कैलिबर, मेक और मा ि;

(ii) गोला बा द के निपटान क तारीख और कारण और वि ि य क सही के प म पुि करते ए अनुज्ञि धारी के ह ता र ।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) म उलिखित रजि टर को अनुज्ञि म विनि द कारबार प रसर पर रखा जाएगा और रजि टर के येक पृ को मानुसार संख्यांकित कया जाएगा और वि ि य को याही म अभिलिखित कया जाएगा और भावी कए गए क ह संशोधन को याही म अंतरापि लेखन या काट कर चि हित कया जाएगा और न क उसे मिटा कर तथा उसे करने वाले ि िरा उस पर लघु ह ता र कए जाएंगे ।

(4) कोई भी ि इस नियम म प रकपित कसी रजि टर से कसी पृष्ठ को नह हटाएगा या हटवाएगा और कसी तिकूल सा य क अनुपि थिति म इस कार कसी पृष्ठ को हटाए जाने के संबंध म यह समझा जाएगा क उसे ऐसे अनुज्ञि धारी, जिसके िरा ऐसा रजि टर रखा जाना अपे ि त है, िरा या उसके िधिकार िरा हटाया गया है ।

(5) इस नियम के अधीन रजि टर म वि क जाने वाली सभी वि ि य को, यथाथिति, संब अ यायुध, अ यायुध के मुख संघटक या गोला बा द क ि, अंतरण, उपयोग या निपटान पर तुरंत अभिलिखित कया जाएगा और उपनियम (1) और (2) म विनि द वि ि य के अति र, उसम मर मत या परी ण के लिए रखे गए अ यायुध, अ यायुध के मुख संघटक और गोला बा द के वि मान टॉक के दैनिक अतिशेष को भी द शत कया जाएगा ।

- (6)(क) अनुज्ञाधारी एनडीएएल गोला पर अपनी उपयो ग आईडी के साथ ऑनलाइन इलैक त्रिक कने टिविटी थापित करेगा और कसी स ाह के लिए, उपनियम (1) और उपनियम (2) म विनि द रजि टर म यथाअभिलिखित अ यायुध और गोला बा द के संबंध म कए गए संव्यवहार के डाटा का स ाहिक इलैक त्रिक ऑनलाइन अंतरण का उपबंध करेगा।
- (ख) य द कोई ऐसी प रथितियां उ प होती ह, जो कसी अनुज्ञा धारी को इलैक त्रिक नेटवक कने टिविटी के मा यम से एनडीएएल गोली पर ऑनलाइन विवरणियां तुत करने से निवार त करती ह, तो थानीय अनुज्ञापन ाधिकारी को, स ाहिक विवरणियां तुत करने हेतु वैकपिक उपाय थापित करने के लिए तुरंत सूचना दी जाएगी।
- (ग) चालू स ाह के लिए स ाहिक विवरणियां येक शनिवार को कारबार घंट के अंत तक तुत क जाएगी।

भाग 5

विनिर्माता , आयुध ौहार य और बंदूक बनाने वाल के लिए समान उपबंध

- 83. प रसर , टॉक और अभिलेख का निरी ण-** येक मजि ेट और निरी क से अ यून पंि का कोई पुलिस अधिकारी या य द के िय सरकार ऐसा निदेश करे तो उप-निरी क, जो उसके ाधिकार क थानीय सीमा के भीतर काय कर रहा है या के िय सरकार ारा इस निमि विशि ण से सश कोई अधिकारी,-

- (i) ऐसे प रसर म वेश और उनका निरी ण कर सकेगा, जिनम आयुध या गोला बा द का विनिर्माण कया जाता है या सबूत के लिए परी ण कया जाता है या उनक मर मत क जाती है, या जिन प रसर म आयुध अथवा गोला बा द को ऐसे आयुध या गोला बा द के कसी विनिर्माता या ौहारी या बंदूक बनाने वाले ारा रखा जाता है; और
- (ii) आयुध और गोला बा द के टॉक और उनक िय तथा ययन के लेखा क परी ा या कसी अ य रजि टर या द तावेज क परी ा कर सकेगा।

- 84. हवाई हथियार , जिनके अंतगत पटबाल चि हक या गन भी ह, का विनिर्माण और वि य -** (1) इन नियम के पूर्वगामी उपबंध के अंत व कसी बात के होते ए भी,-

(क) कसी विनिर्माता ारा सभी क म के हवाई हथियार , जिनके अंतगत एअर राइफलें, एअर गन और पेंटबाल चि नक भी ह, उनक मज़ल उजा या कैलिबर या बोर पर यान न देते ए, के विनिर्माण या सबूत परी ण या दोन या अंतरण, वि य अथवा वि य या अंतरण के लिए रखा जाना इन विनियम के अधीन अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षा के अ यधीन होगा:

परंतु कोई वि मान विनिर्माता, राजप म इन नियम क अधिसूचना क तारीख से एक वष क अवधि के भीतर, अनुज्ञापन ाधिकारी को ऐसे हथियार के विनिर्माण हेतु अनुज्ञा क मंजूरी के लिए आवेदन करेगा और अनुज्ञापन ाधिकारी ऐसे विनिर्माता को ण 7ग म अनुज्ञा मंजूर कर सकेगा।

(ख) सभी हवाई हथियार, जिनके अंतगत एअर राइफल और एअर गन भी ह जिनक मज़ल उजा 20 यूल या 15 फुट पाउंड और/या बोर 0.177" या 4.5 मि.मी. से अधिक है, नियम 58 म यथाविनि द चि हाकन के अ यधीन ह गे।

(2) सभी क म के हवाई हथियार, जिनके अंतगत एअर राइफल, एअर गन और पेंटबाल चि नक या गन भी ह, का वि य, अंतरण और वि य या अंतरण के लिए रखा जाना, उनक मज़ल उजा या कैलिबर बोर पर यान न देते ए केवल ाधिकृत आयुध और गोला बा द ौहार य ारा या इन नियम के अधीन अनुज्ञा हवाई हथियार ौहार य ारा ही होगा:

परंतु हवाई हथियार का कोई वि मान ौहारी, राजप म इन नियम क अधिसूचना क तारीख से 1 वष क अवधि के भीतर, ऐसे हथियार के वि य, अंतरण और वि य या अंतरण के लिए रखे जाने हेतु अनुज्ञा क मंजूरी के लिए अनुज्ञापन ाधिकारी को आवेदन करेगा और अनुज्ञापन ाधिकारी ऐसे ौहारी को ण 8क म अनुज्ञा मंजूर कर सकेगा:

परंतु यह और क ऐसे हवाई हथियार , जिनके अंतगत एअर राइफल और एअर गन तथा पटबाल चि हक या गन भी हैं, जिनक मज़ल उजा 20 यूल या 15 फुट पाउंड और/या बोर 0.177" या 4.5 मि.मी. से अधिक है और पेंटबाल चि हक या गन क मज़ल उजा 90 एम/एस या 300 फुट ति सेकड (300 एफएसपी) से अनधिक है, के वि य या अंतरण को केवल कसी ाधिकृत आयुध और गोला बा द के ौहारी ारा कसी विशिमा य आयुध अनु ि धारक को कया जाएगा।

(3) ऐसे हवाई हथियार , जिनके अंतगत एअर राइफल और एअर गन भी ह, जिनक मज़ल उजा 20 यूल या 15 फुट पाउंड और/या बोर 0.177" या 4.5 मि.मी. से अधिक है, का कसी ाधिकृत और आयुध गोला बा द ौहारी या हवाई हथियार ौहारी ारा वि य या अंतरण, उसके ेता का पहचान प और आवास का सबूत अभि ा करने के ण ात् ही कया जाएगा और वि य के समय उ विशििय को अंत व करने वाला बीजक जारी कया जाएगा।

प िकरण - इन नियम के योजन के लिए, "हवाई हथियार ौहारी" से कोई ऐसा ौहारी अभिे त है, जो 20 यूल से अधिक मज़ल उजा या 15 फुट पाउंड और/या 0.177" या 4.5 मि.मी. से अधिक बोर वाले हवाई हथियार का य, वि य, अंतरण करता है या वि य अथवा अंतरण के लिए रखता है और जिसे अनुज्ञापन ाधिकारी ारा ण 8क म अनुज्ञा मंजूर क गई है।

85. हवाई हथियार ौहार य क बा यताएं -(1) कोई हवाई हथियार ौहारी 'हवाई हथियार टॉक रजि टर' नामक एक रजि टर रखेगा, जिसम विकलन प पर, यथाथिति, विनिर्माता या ौहारी या कसी अ य ि क दशा में, उस ि के नाम और पते के यौर सहित उसके ारा जारी कसी बीजक के ति हवाई हथियार क सभी िय को, ऐसी ि क

तारीख के साथ लेखब कया जाएगा तथा यय प पर, वि य बीजक के वि हवाई हथियार के सभी वि य या अंतरण को, ऐसे वि य या अंतरण क तारीख के साथ लेखब कया जाएगा, जिसम े ता के नाम और पते से पूण यौर अंत व ह गे: परंतु अनुज्ञि धारी य के समय, ापार अंतरण के मामले के सिवाय, े ता और साथ ही वि े ता के भी पहचान और आवास के सबूत ा करेगा और उसे अपने अभिलेख म रखेगा।

(2) हवाई हथियार ैहारी यह सुनि ि त करेगा क उसके पास नियम 10 म यथाविनि द सुर ि त भंडारण अपेक्षा के अनुसार हवाई हथियार का भंडारण करने क मता होगी।

(3) हवाई हथियार का येक ैहारी, उस पर अधिका रता रखने वाले अनुज्ञापन ाधिकारी के मा यम से एनडीएएल डाटाबेस पर वयं को रजि ि कृत करने के लिए यूआईएन अभि ा करेगा और इस योजन के लिए उसे लोग-इन हेतु पृथक उपयो ा पहचान और पासवड आबंटित कया जाएगा और अनुज्ञापन ाधिकारी ऐसे ैहारी से यह अपेक्षा कर सकेगा क वह कसी स ाह के लिए स ाहिक आधार पर एनडीएएल डाटाबेस पर अपने संव्यवहार के पूण यौर अपलोड करे और यह उपनियम (1) के अधीन विनि द रजि टर रखे जाने के अति र होगा :

परंतु चालू स ाह के लिए स ाहिक विवरणियां येक शनिवार को कारबार घंटे समा होने तक तुत क जाएंगी।

86. कतिपय मामल म के ीय सरकार क शि यां—(1) जहां कसी वग या वर्णन के आयुध या गोला बा द के विनिर्माण, वि य, आयात, निर्यात या प रवहन के लिए कोई अनुज्ञि अपे ि त नह है, वहां विनिर्माता या ैहारी से यह अनुरोध कया जाएगा क वह अपने नाम और पते तथा कारबार के थान को ऐसी रीति म और ऐसे थान पर रजि टर करे, जैसा क के ीय सरकार इस निमि कोई साधारण या विशेष आदेश जारी करके विहित करे और विनिर्माता या ैहारी ऐसे रजि टर को रखेगा और के ीय सरकार को ऐसी जानकारी तुत करेगा, जिसक वह इस कार विनि मत, वि य कए गए, आयातित, निर्यातित, या प रवहन कए गए आयुध या गोला बा द के संबंध म अपेक्षा करे।

(2) उपनियम (1) म नि द येक विनिर्माता या ैहारी, उस पर अधिका रता रखने वाले अनुज्ञापन ाधिकारी के मा यम से एनडीएएल डाटाबेस पर वयं को रजि ि कृत करने के लिए यूआईएन अभि ा करेगा और इस योजन के लिए उसे लोग-इन हेतु पृथक उपयो ा पहचान और पासवड आबंटित कया जाएगा और अनुज्ञापन ाधिकारी ऐसे विनिर्माता या ैहारी से यह अपे ा कर सकेगा क वह कसी स ाह के लिए स ाहिक आधार पर एनडीएएल डाटाबेस पर अपने संव्यवहार के पूण यौर अपलोड करे और यह उपनियम (1) के अधीन विनि द रजि टर रखे जाने के अति र होगा :

परंतु चालू स ाह के लिए स ाहिक विवरणियां येक शनिवार को कारबार घंटे समा होने तक तुत क जाएंगी।

अ याय 6

आयुध और गोला बा द का आयात और नियात

87. आयुध और गोला बा द के आयात और नियात के लिए अनु ि यां—(1) इन नियम के अधीन आयुध और गोला बा द के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञि यां विदेशी ापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के उपबंध के अ यधीन होगा। अपने निजी या ि सामान के भाग प म भारत म आयुध और गोला बा द लाने वाले ि सीमा शु क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और तदधीन बनाए गए नियम ारा शासित होग :

परंतु कसी आयुध या गोला बा द के डाक कार्यालय के मा यम से आयात या पुन: आयात के लिए निर्यात हेतु कोई अनुज्ञि मंजूर नह क जाएगी।

88. आयुध और गोला बा द का आयात.—(1) आयुध और गोला बा द को उस समय कसी ि ारा भारत म लाया गया समझा जाएगा, जब ऐसे आयुध या गोला बा द को कसी अभिकता के मा यम से आयात कया जाता है और या तो सीधे उस ि को उ ह स पा जाता है या फर उ अभिकता को उस समय स पा जाता है, जब ऐसा अभिकता उ ि से इस भाव का माणप रखता है क आयुध या गोला बा द सदभावी प से उसक संपि ह और अभिकता केवल भारतीय सीमा शुल्क से ऐसे आयुध या गोला बा द क निकासी करता है और उसे अेषित करता है।

(2) ऐसा ैहारी या विनिर्माता जो कसी अ यायुध या आ यायुध के क ह पुज या गोला बा द का आयात करना चाहता है, भारत को अ यायुध या गोला बा द क लदाई से इ स दन पूव या ऐसी लघुत्तर अवधि से पूर्व, जो अनुज्ञापन ाधिकार क राय म उपयुक्त है, प 10 म अनुज्ञि क मंजूरी के लिए आवेदन करेगा और आयात अनुज्ञि के जारी होने से पूव अ यायुध या गोला बा द क लदाई के लिए व था नह करेगा।

(3) अनुज्ञि मंजूर करने वाला अनुज्ञापन ाधिकारी तुरंत आयात के प न पर अधिका रता रखने वाले अनुज्ञापन ाधिकारी को अनुज्ञि क एक ति भेजेगा।

(4) ैहार या विनिर्माता, भारत म अ यायुध या अ यायुध के पुज या गोला बा द क लदाई के प ँचने पर तुरंत अनुज्ञापन ाधिकारी और साथ ही वेश के प न, जहां लदाई प ँची है, के अनुज्ञापन ाधिकारी को लिखित म लदाई के इस कार प ँचने क सूचना देगा और आधान या परेषण और उस थान क विशि ि यां उपल ध कराएगा, जहां लदाई का निरी ण कया जा सकता है और आयात अनु ि धारी, भारत म वेश के प न पर भारतीय सीमा शुल्क ाधिका रय क उपथिति म प न के

अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा ऐसा कोई निरीक्षण कए जाने से पूर्व अयायुध या गोला बा द के आधान या परेषण को नह खोलेगा।

(5) ाहारी या विनिर्माता, भारत म अयायुध या गोला बा द के पंचने के बहुर घंट के भीतर, -

(क) वेश के पन के अनुज्ञापन अधिकारी के साथ अयायुध या गोला बा द के निरीक्षण कवथा करेगा; और

(ख) भौतिक निरीक्षण को अंतिम पदए जाने के पत्, अनुज्ञापन अधिकारी को, जिसने आयात अनुज्ञा जारी कथी, लिखित म यह माणित करेगा क आयात अनुज्ञा के त समान आयातित अयायुध या गोला बा द भारत म पंच गए ह।

(6) बहुर घंट के भीतर उपनियम (5) म विनिर्दिष्ट निरीक्षण करने म कसी विलंब के कारण लगने वाले कसी अतिरभार या डेमरेज को वेश के पन पर लिखित अनुज्ञापन अधिकारी और सीमा शुल्क अधिकारय के कारण लगा आ समझा जाएगा न क आयातकता अनुज्ञा धारी के कारण।

89. कतिपय क म के आयुध का आयात - (1) समकालीन या आधुनिक अयायुध कतिकृतिय का आयात, निर्यात के देश क विनिर्माता कंपनी से जारी होने वाले अनपकारता के माणप को तुत कए जाने के अधीन होगा और साथ ही आयातकता द्वारा इस बात का वचनबंध कया जाएगा क आयात कए जाने वाले अयायुध कतिकृतियां वयंम और साथ ही उपांतरण के साथ भी कसी विफोटक चाज या समपीडित वायु या कसी अयगैस क कार्यवाही द्वारा कसी शॉट, गोली या ापिक को छोड़ने या ंषण करने के लिए सम नह है।

(2) पेंट बाल चिह्न को या पट बाल गन का आयात, निर्यात के देश क विनिर्माता कंपनी द्वारा इस आशय का माणप तुत कए जाने के अधीन होगा क पट बाल चिह्न या गन क मजल उजा 90एम/एस या 300 फुट/से. (300 एफएसपी) से अधिक नह है और आयातकता दवारा यह वचनबंध कया जाएगा क पट बाल चिह्न या पट बाल गन का, इन नियम के अधीन रजिीकृत कसी अधिकृत आयुध और गोला बा द के ाहारी के मायम से ही वि य कया जाएगा।

(3) (क) इलैकानिक असमर्थकारी युिय (ईडीडी) का आयात, अनुज्ञापन अधिकारी को आयात के लिए आवेदन तुत करते समय ऐसे उपाद म युक्त ाैगिक के संबंध म चिकसीय अनुसंधान रपोर्ट को तुत करने के अधीन होगा, जिसके अंतर्गत नि लिखित हगे,-

(i) म दरा का सेवन कए एवय क पर दीर्घकालिक डिचाज का शरीर या मक भाव;

(ii) मानव बालंटियर के व म लगाए गए ाेव का ई होका डयोफ मूल्यांकन;

(iii) लगाए गए पेसमेकर;

(iv) पुनरावृत या दीर्घकालिक उदभासन: अकैडमिया और सन का न होना;

(v) का डयोवासकुलर भाव;

(vi) ायाम के पत् उदभासन के शरीर या मक भाव;

(vii) थके ए मानव म तनपान और पीएच मूयांकन;

(viii) युि के उपयोग के पंद्रह सैकड के दौरान आध्वा रक सन पैरामीटर क ास-हीनता।

(ख) आयातकता से इस संबंध म एक वचनबंध क सभी कार क इलैकानिक असमर्थकारी युिय (ईडीडी) का, उनक रज पर यान न देते ए, इन नियम के अधीन अनुज्ञा धारण करने वाले केवल कसी अधिकृत आयुध और गोला बा द ाहारी द्वारा ही वि य कया जाएगा।

90. आयुध और गोला बा द का निर्यात -(1) भारत म कसी सीमा शुल्क पन से विदेशी रायेत्र म लिखित कसी पन को आयुध या गोला बा द के निर्यात के लिए प 10 म अनुज्ञा मंजूर करने वाला कोई अधिकारी, ऐसी अनुज्ञा क एक ति अभिकता या जलयान के माटर या वायु वाहक के माटर या ऐसे रेल अधिकारी को भेजेगा, जिसके द्वारा अनुि के अंतर्गत आने वाले आयुध या गोला बा द को भारत से बाहर ले जाना आशयित है और उसके पत् अनुज्ञा क एक ति तुरंत उस थान के अनुज्ञापन अधिकारी को भेजेगा, जहां से ऐसे माल को भारतीय रायेत्र को छोड़ना है।

(2) अनुसूची 1 के वग 4 म विनिर्दिष्ट आयुध के निर्यात हेतु अनुज्ञा क मंजूरी के लिए येक आवेदन के साथ के िय सरकार के पुरातव महानिदेशालय से इस भाव का एक माणप संल होगा क निर्यात के लिए आशयित आयुध, पुरावशेष तथा ब मूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52) के अधीन "पुरावशेष" क परभाषा के अंतर्गत नह आते ह।

(3) ऐसे क्षेत्र पर, जहां से माल का भारत की सीमा से बाहर निर्यात किया जाना है, अधिकांश रखने वाला जिला मजिस्ट्रेट अपने विवेकानुसार अनुज्ञाधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह आयुध या गोला बंदूक को, उचित क्षेत्र छोड़ने के अनुज्ञा देने से पूर्व उसके निरीक्षण के लिए उसे सुरक्षित करे।

(4) पर 10 म कोई निर्यात अनुज्ञा अह तांतरणीय होगी और उसे तीन मूल तिय म जारी किया जाएगा।

(5) (क) निर्यात अनुज्ञािक पहली ति को, निर्यात क तारीख से 10 दन के भीतर उसे जारी करने वाले अनुज्ञापन ाधिकारी को वापस किया जाएगा और उस तारीख को भारतीय सीमा शुल्क ाधिकार य ारा स यक प से माणित किया जाना चाहिए;

(ख) उसक दूसरी ति को, निर्यात अनुज्ञाि पर कथित निर्यात तारीख के प ात् 90 दन क अवधि के भीतर अनुज्ञापन ाधिकारी को वापस किया जाएगा, जिस पर अंत उपयो ा के ह ता र, शासक य तारीख और नाम क मुद्रा होनी चाहिए ता क उसे ढाय स यापन माणप के प म माना जाए;

परंतु खंड (क) और खंड (ख) म विनि द शत के अनुपालन म असफलता के प रणाम व प निर्यातक के सभी लंबित और भावी निर्यात संव्यवहार को उस समय तक निलंबित कर दया जाएगा, जब तक क उ शत का स यक प से अनुपालन न कर दया जाए।

(6) अनुज्ञापन ाधिकारी तीन मास से अनधिक अवधि के लिए निर्यात अनुज्ञािक मा यता को केवल एक बार के लिए उस समय वि ता रत कर सकेगा, जब आवेदन म कथित क ह वा तविक कारण से निर्यात अनुज्ञािक विधि मा यता के लिए अनुबंधित समय के भीतर निर्यात संव्यवहार नहीं किया जा सका था।

(7) जहां अनुज्ञाि धारी, निर्यात अनुज्ञािक विधि मा यता के भीतर निर्यात करने म असफल रहता है, वहां वह निर्यात अनुज्ञािक सभी तीन मूल तिय को, उ संव्यवहार के अननुपालन के कारण के साथ, उसे जारी करने वाले अनुज्ञापन ाधिकारी को लौटा देगा।

(8) निर्यात संव्यवहार पूरा हो जाने पर, निर्यातकता इस कार निर्यात कए जाने वाले अ यायुध या गोला बंदूक से संबंधित निर्यात अनुज्ञाि, लदाई के बीजक या वायुयान के बीजक, पैकिंग सूचिय और निर्यात बीजक क मूल तिय को धारण करेगा और जब कभी जारी करने वाले अनुज्ञापन ाधिकारी ारा अपेक्षा क जाए, उसे उ द तावेज तुत करेगा।

91. आयुध और गोला बंदूक का निर्यात और पुनः आयात—(1) आयुध या गोला बंदूक का भारत म एक थान से निर्यात और भारत म कसी अ य थान पर उसके पुनः आयात के लिए के िय सरकार के गृह मंत्रालय ारा या उसके ारा विशेष प से सश कसी अ य ाधिकारी ारा, उस समय जब आयुध या गोला बंदूक को भारत का भाग न बनने वाले म यवत रा येत्र के पार ले जाया जाता है तो प 10 म कोई अनु ि जारी क जा सकेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन मंजूर क गई येक अनुज्ञािक एक ति को तुरंत के िय सरकार ारा ेषण के थान के अनुज्ञापन ाधिकारी और भारत म व तुओं के ग त थान के अनुज्ञापन ाधिकारी, दोन को भेजा जाएगा।

(3) दर्शनिय , मू यांकन और दर्शन के योजन के लिए भारत से निर्यात कए जाने वाले आयुध और गोला बंदूक को, प 10 म जारी निर्यात अनुज्ञाि म उपद शत निर्यात क तारीख के प ात् छह मास क अवधि के भीतर भारत म वापस लाया जाएगा।

92. अभिवहन म आयुध और गोला बंदूक—(1) कोई भी ि तब तक कसी आयुध या गोला बंदूक का निर्यात, प रवहन और पुनःनिर्यात नह करेगा, जब तक क वह के िय सरकार के गृह मंत्रालय ारा प 10 म इस निमि जारी अभिवहन अनुज्ञाि धारण न करता हो।

(2) अभिवहन अनुज्ञािक मंजूरी हेतु आवेदन के साथ नि लिखित संल किया जाएगा—

(i) मूल देश से आयुध और गोला बंदूक के निर्यात के ाधिकार का सबूत और अंतिम ग त के देश से आयात के ाधिकार का इस आशय का द तावेजी सबूत क आयुध या गोला बंदूक को विधि पूर्वक उ देश म आयात किया जा सकता है;

(ii) प रवहन के आशयित माग और प रवहन क प ति और वेश तथा निकास के तावित प न और वेश तथा निकास क संभावित तारीख और साथ ही अनुज्ञापन ाधिकारी को वीकाय ऐसी अनुज्ञाि, अनुमति, ाधिकार या कसी अ य सबूत क ऐसी माणित ति, जो भारतीय रा येत्र से अभिवहन म अ यायुध और गोला बंदूक के विधि पूर्वक क जे क पुि करती हो;

(iii) अ यायुध और गोला बंदूक क पूण सूची, जिसम अ यायुध क मा ा, काय क क म, विनिर्माता का म संख्यांक, माडल और कैलिबर तथा ऐसे गोला बंदूक , जो परेषण का भाग है, मा ा, क म और कैलिबर को भारतीय रा येत्र म अभिवहन म ले जाने वाले परेषण ट पण के साथ उपद शत किया जाएगा।

(3) अनुज्ञाधिकारी, आयुध या गोला बांद के भारत में पंचने के तुरंत पत उपनियम (1) में निद जारी करने वाले अनुज्ञापन अधिकारी और साथ ही उस क्षेत्र के, जहां लदाई पंची है, अनुज्ञापन अधिकारी को लिखित में अधिसूचित करेगा और आधान या परेषण तथा उस थान के विशिष्टियां उपलब्ध कराएगा, जहां उनका निरीक्षण किया जा सकता है और वह यह और सुनिश्चित करेगा कि परेषण को भारतीय सीमा शुल्क अधिकारी के अधिकारता के अधीन कसी बंधित भांडागार में भंडारित किया जाता है और वह आधान या परेषण को तब तक नहीं खोलेंगा जब तक कि उस क्षेत्र के अनुज्ञापन अधिकारी और सीमा अधिकारी द्वारा उसका निरीक्षण न कर लिया जाए।

(4) अनुज्ञापन अधिकारी भारतीय राज्य क्षेत्र से आधान या परेषण के परवहन और माग के संबंध में शत अधिकथित कर सकेगा और आयात के पत्र से भारतीय राज्य क्षेत्र के मायम से पुनः निर्यात के पत्र तक सुरक्षापाय से संबंधित सभी अनुपूरक दाय का वहन अनुज्ञाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(5) भारत में एक मास अनधिक क कसी अवधि के लिए आयुध या गोला बांद के भंडारण के अनुमति आपवा दक पर स्थितिय में अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा थानीय पुलिस अधिकारय के पूर्व अनुमति से दानक जाएगी और वह सुरक्षित भंडारण के ऐसी शत के अधीन होगी, जो अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा विहितक जाएं:

परंतु आयुध और गोला बांद अनुज्ञाधिकारी तथा थानीय पुलिस अधिकारी के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन हगे।

(6) इन-रिजिस्ट्रिड अनुज्ञाधिकार के अधीन आयुध या गोला-बांद को भारत में कसी भी कारण से विरय नह किया जाएगा, अंत रत नह किया जाएगा या उपयोग नह किया जाएगा।

(7) प 10 में अभिवहन अनुज्ञाधिकार मंजूर करने वाले अनुज्ञापन अधिकारी का यह कत होगा कि वह ऐसी अनुज्ञाधिकार एक ति, उस अंतिम पत्र पर, जिससे परेषण को भारत की सीमा पार करनी है, अधिकारता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

93. भारत के रायेीय समुद्र में वेश करने वाले जलयान - भारत के रायेत्रीय समुद्र में वेश करने वाले या ऐसे समुद्र को छोड़ने वाले कसी जलयान द्वारा वहन कए जाने वाले आयुध या गोला बांद को यथास्थिति, आयात या निर्यात किया गया समझा जाएगा, इस बात पर यान न देते ए क उह वहन करने वाला जलयान बथ करता है अथवा नह।

94. कतिपय मामल में भारतीय सीमा शुल्क अधिकारय को दाय कए जाने वाले आयुध या गोला बांद - जहां भारत में के कसी पत्र न से भि कसी अय पत्र को जाने वाला कोई जलयान या वायुयान अपनी यात्रा के अनुक्रम में भारत के कसी पत्र पर आता है और वहां अड़तालीस घंटे से अधिक क अवधि के लिए ठहरता है तो ऐसे कसी यात्री के, जिसे इस कार के आयुध या गोला बांद को रखने के लिए अनुज्ञाधिकार करने के दायि व से छूटा नह है, कजे वाले आयुध या गोला बांद का दाय उसके द्वारा भारतीय सीमा शुल्क अधिकारय को किया जाएगा, जो ऐसे यात्री के यथास्थिति, समुद्र या वायु माग से थान तक उह निरखेंगे और ऐसे यात्री के लिए यह आवयक नह होगा कि वह इस कार दाय या निरकए गए आयुध या गोला बांद के संबंध में अनुज्ञाधिकार करे।

95. आयुध और गोला बांद को अंत व करने वाले परेषण के अधिकारय द्वारा जांच - (1) इन नियम के अयाय 6 के अधीन अनुज्ञाधिकार को, जहां कह लागू हो, आयात या निर्यात संव्यवहार में अंतर्वलित अधिकारय को तृत किया जाएगा, जैसे कि भारतीय सीमा शुल्क अधिकारी, अधिनियम के अधीन पत्र के अनुज्ञापन अधिकारी, रेल अधिकारी, पोत परवहन अभिकर्ता, जलयान, वायुयान के माटर, परवहनकता और ऐसे संव्यवहार के साथ यया अय पत्र से संब कसी अय अधिकारी और उ अधिकारी यह सुनिश्चित करगे कि आयुध या गोला बांद को अंत व करने वाला परेषण अनुमिम अंत वौर के सम प है।

(2) जहां उपनियम (1) में निद कसी मामले में, आयातकता या निर्यातकता या समनुदेशक या अभिकता द्वारा मूल अनुज्ञाधिकार तृत नह क जाती है या यथास्थिति, मूल अथवा अनुज्ञाधिकार अधि माणित ति के साथ कोई परेषण नह है या यद अनुज्ञाधिकारी को भेजी गई ति के सारवान पत्र में समान नह है या आयुध अथवा गोला बांद ऐसी अनुज्ञाधिकार म दए गए वर्णन के अनुरूप नह है, वहां ऐसा कोई अधिकारी षण हेतु ऐसे परेषण को तृत नह करेगा या यथास्थिति, उसे और आगे जाने या परेषण के दायक अनुमति नह देगा और उस दशा में जहां वह कोई जिला मजिस्ट्रेट नह है, तुरंत उसक जानकारी निकटतम मजिस्ट्रेट को देगा।

अयाय 7

भाग 1

आयुध और गोला बांद का परवहन

96. आयुध और गोला बांद के परवहन का विषेध - (1) इसमें अथवा उपबंधित के सिवाय, कोई भी ि, इन नियम के अधीन मंजूर क गई प 12 में क अनुज्ञाधिकार के अधीन और उसक शत के अनुसार के सिवाय, कह आयुध या गोला बांद का या अनुसूची 1 के वग 5 में विनिद क ह आयुध का भारत में या उसके कसी भाग में परवहन नह करेगा।

(2) उपनियम (1) या अधिनियम क धारा 12 क कोई बात कसी ऐसे आयुध या गोला बा द को लागू होने वाली नह समझी जाएगी,-

(क) जिसका अपने वयं के उपयोग के लिए युि यु मा ा म ऐसे आयुध या गोला बा द को विधिक प से क जे म रखने या साथ लेकर चलने के लिए हकदार कसी ि ारा निजी प से या निजी समान के प म प रवहन कया जाता है ;

(ख) जिसका प रवहन ऐसे ि ारा कया जाता है, जिसके पास ऐसी व तुओं के विनिमाण के लिए अनु ि है और उसका प रवहन सबूत परी ण के लिए कसी पेटी या ऐसे पैकेज म कया जाता है, जिस पर कसी सरकारी ति ापन या इन नियम के अधीन अनुज्ञ कसी ति ापन का पता सुपा प म लिखा है या उसका पुनः प रवहन कसी ऐसे ति ापन ारा ऐसे ि को कया जाता है;

(ग) जो अनुसूची 1 म नि द प 5 के आयुध ह और जिनका प रवहन ऐसे ेत्र से कया जाता है, जहां के िय सरकार ने राजप म अधिसूचना ारा धारा 4 को लागू कया था या ऐसे े से कसी ेत्र को कया जाता है, जहां धारा 4 लागू नह होती है, परंतु आयुध को समुचित प से पैक कया जाएगा और उन पर लेबल लगाया जाएगा, जिस पर प प से उन व तुओं तथा ेषिती का नाम और पते का वर्णन होगा;

(घ) कसी अनु विनिर्माता या ैहारी ारा निर्यात के लिए या आयात के प ात् कसी अनुज्ञि के अनुसार नि लिखित प म उनके निर्यात या आयात के लिए प रवहन कया जाता है,-

(i) ेषण के थान से निर्यात के प न या अ य थान तक, या

(ii) आयात के प न या अ य थान से ग त के थान तक, या

(iii) पुनः निर्यात के लिए आयात के प न म परा-लदाई ारा;

(ङ) जिनका प रवहन,-

(i) ऐसी व तुओं को क जे म रखने के लिए विधिक प से हकदार कसी ि ारा उसके अपने उपयोग के लिए युि युक्त मा ा म अनुज्ञ विनिर्माता या ैहारी के प रसर से कया जाता है या उनक परी ा या मर मत या परी ण के योजन के लिए कया जाता है या ऐसे कसी प रसर से या ऐसी व तुओं को क जे म रखने के लिए विधिक प से हकदार कसी अ य ि के पते पर कया जाता है ; या

(ii) कसी अनुज्ञ विनिर्माता या ैहारी ारा कसी ऐसी पेटी या पैकेज म कया जाता है, जिस पर सुपा प से ऐसी व तुओं को क जे म रखने के लिए विधिक प से हकदार कसी ि का पता लिखा है और ऐसा प रवहन ऐसे ि ारा युि युक्त मा ा म अपने उपयोग के लिए ऐसी व तुओं के दाय के लिए कए गए आदेश के अनुपालन म या उनम कसी कार क आव यक मर मत करने के प ात् कया जाता है;

(iii) कसी ैहारी ारा कसी अ य ैहारी को कसी वि य बीजक के ति उसी रा य के भीतर ापार अंतरण के अधीन कया जाता है;

(च) जो लोरेट है और जिसका प रवहन सदभावी औ ोगिक, कृषि या चि क सीय योजन के लिए कया जाता है:

परंतु -

(i) खंड (घ), खंड (ङ) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) या खंड (छ) के अधीन आयुध या गोला बा द का प रवहन, नियम 98 म यथाउपबंधित व तुओं के ग त थान के अनुज्ञापन ाधिकारी से निरा ेप माणप अभि ा करने के अधीन होगा;

(ii) खंड (ङ) के उपखंड (i) म कथित योजन म से कसी के लिए निजी प से आयुध या गोला बा द का प रवहन, ऐसे ि के क जा संबंधी अनु ि क विधिमा यता के ेत्र से बाहर कसी ेत्र म उनका उपयोग कए बिना, उसके ारा प रवहन के आरंभिक थान से अनुज्ञापन ाधिकारी से प 12 म अनुज्ञि ा करने के अधीन होगा; और

(iii) खंड (ग) के अधीन अनुसूची 1 के वग 5 म विनि द आयुध और खंड (छ) के अधीन लोरेट के प रवहन क पूव संसूचना ेषण के थान के निकटतम पुलिस थाने के भारी अधिकारी या अधिका रता रखने वाले मजि ेट को दी जाएगी।

(3) उपनियम (2) के परंतुक के खंड (iii) के अधीन पूर्व सूचना 1 होने पर अधिकारी या मजिस्ट्रेट इसका सूचना तुरंत जिला मजिस्ट्रेट को देगा और यदव त्यों का परवहन रेल द्वारा किया जाना है तो निम्नलिखित पर अधिकारता रखने वाले रेल पुलिस के अधिकारी को देगा,-

(i) लोरेट के परवहन क दशमगत के थान पर, और

(ii) अनुसूची 1 के बग 5 म विनिद आयुध के परवहन क दशा में, जहां धारा 4 लागू होती है वहां क्षेत्रम वेश के थान पर।

परिीकरण - इन नियम के योजन के लिए, 'परवहन' के अंतर्गत देश के कसी भाग के आर-पार आयुध या गोला बा द का संचलन भी है, कतु इसके अंतगत कसी अनुज विनिर्माता या हैहारी द्वारा कसी भांडागार, गोदाम या कसी अय ऐसे समान थान से उसके कारखाने, दुकान या कारबार के अय थान तक उसी ाम, शहर या नगर के भीतर आयुध या गोला बा द का संचलन नह है।

97. आयुध या गोला बा द का परवहन - (1) प 12 म आयुध या गोला बा द के परवहन के लिए अनुजि मंजूर करने वाले अधिकारी क अधिकारता क थानीय सीमा से परे उसके परवहन के लिए ऐसी अनु ि क एक ति तुरंत उस ेत्र पर, जहां परेषण क गई व त्यों का गत थान अवथित है, अधिकारता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी।

(2) कसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, उसका अधिकारता क सीमा के भीतर परवहन के लिए मंजूर कए गए ऐसी येक अनुजि क एक ति तुरंत उस ेत्र पर, जहां परेषण क गई आयुध या गोला बा द का गत थान अवथित है, अधिकारता रखने वाले अधीन थ मजिस्ट्रेट को दी जाएगी।

(3) जहां आयुध या गोला बा द का परवहन रेल द्वारा किया जाता है, वहां ऐसी अनुजि क एक ति या नियम 98 म निद निराेप माणप क एक ति, यथाथिति, मार्गप क या बीजक को संल कया जाएगा और ऐसे येक अनुमोदन के लिए सूचना अेषित कए जाने वाले से ि के टेशन तक रेल अधिकारय को भेजी जाएगी।

(4) सडक माग द्वारा आयुध या गोला बा द के परवहन के लिए प 14 म अनुजि धारण करने वाले कोई परवहनकता नियम 102 म विनिद परवहनकता अनुजि के लिए या के अनुसार नियम 101 के उपनियम (3) म विनिद शत का अनुपालन करेगा।

(5) आयुध या गोला बा द के परवहन के लिए कोई अनु ि, उसे मंजूर करने वाले अधिकारी द्वारा लेखब कए जाने वाले विशेष कारण के सिवाय तीन मास से अधिक अवधि के लिए मंजूर नह क जाएगी:

परंतु कसी अनुजि धारी के गोदाम से समान जिले के भीतर, कतु जो उसी अव थान पर नह है, थित कारखाने तक क त म गोला बा द के घटक के परवहन के लिए औोगिक योजन के संबंध म छह मास से अनधिक क कसी दीर्घतर अवधि के लिए मंजूर क जा सकेगी:

परंतु यह और क ऐसा अनुजि धारी, गोदाम और कारखाने के निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारी अधिकारी को पूर्व सूचना देगा और इस योजन के लिए रखे गए टॉक रजिटर म आवयक विियां करेगा।

98. कतिपय मामल म पूर्व सहमति - (1) ऐसी कोई अनुजि, जिसका भाव उसे मंजूर करने वाले अधिकारी क थानीय सीमा से परे है, क ह आयुध या गोला बा द के कसी ऐसे थान को परवहन या नियात या पुनः निर्यात के लिए, यह अभिनिि क कए बिना मंजूर नह क जाएगी क ऐसे ेत्र पर, जिसम ऐसा थान अवथित है, अधिकारता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट क ओर से ऐसी अनुजि मंजूर करने के ति कोई आेप नह है।

(2) उपनियम (1) के योजन के लिए,-

(i) या तो आवेदक अनुजि के लिए "निराेप" माणप अभिा करेगा; या

(ii) ऐसे अधिकारी द्वारा कोई जांच क जाएगी, जिसे ऐसी अनुजि मंजूर करने के लिए आवेदन कया गया है।

99. वायुमाग द्वारा आयुध और गोला बा द का वहन - (1) इन नियम के अधीन कोई विधिमाय अनुजि धारण करने वाला या प 11 म याा अनुजि धारण करने वाला या प 10 म आयात या निर्यात अनुजि धारण करने वाला या प 12 म कोई परवहन अनुजि धारण करने वाला कोई अनुजि धारी, उसका अनुजि पर पृष्ठांकित आयुध या गोला बा द का, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के अधीन विरचित वायुयान नियम 1937 के अनुसार नगर विमानन महानिदेशालय क पूर्व अनुमति के सिवाय वायु माग द्वारा वहन नह करेगा या कराएगा या कराने क अनुमति नह देगा।

(2) ऐसे आयुध और गोला बा द को, जि ह उपनियम (1) के अधीन अनुमति दान क गई है, इस कार पैक, सुरि त और संरि त कया जाएगा ता क उनके कसी कार के खतरे का ोत बनने क संभावना से बचा जा सके और पैकेज को प और सुपा प से बाहरी ओर से चिह्ति कया जाएगा ।

100. प रवहन के दौरान आयुध और गोला बा द क पैकेजग – अ यायुध और गोला बा द के प रवहन के लिए प 12 म अनुज्ञि धारण करने वाला कोई अनुज्ञि धारी उनके प रवहन के दौरान यह सुनि त करेगा क –

(i) प रवहन से पूव अ यायुध को गोला बा द से पृथक प से पैक कया जाता है और अ यायुध से कसी सुरि त रीति म सभी गोला बा द को निकाल दया जाएगा;

(ii) अ यायुध और गोला बा द के बड़े परेषण का प रवहन एक समुचित प से तालाबंद धातु आधान म कया जाएगा और उ ह अधिकतम सुर ा और यूनतम उदभासन सुनि त करने वाली रीति म पैक कया जाएगा;

(iii) अ यायुध और गोला बा द के छोटे परेषण का प रवहन एक समुचित प से तालाबंद धातु आधान या सुदृढ का पेटिय म कया जाएगा या उ ह लौह छड़ के साथ कस कर सन के कपड़े म लपेटा जाएगा; और

(iv) प रवहन कए जा रहे आयुध और गोला बा द क बड़ी लदाईय के लिए य सतत पर्यवेक्षण और नियंत्रण को कड़ाई से बनाया रखा जाएगा ।

भाग 2

प रवहनकता क अनु ि

101. प रवहनकता क अनु ि – (1) प 14 म प रवहन क अनु ि के लिए आवेदन करने वाला कोई ि, नियम 11 म अधिकथित अपेक्षा के अति र नि लिखित तुत करेगा -

(i) इस बात का सबूत क आयुध या गोला बा द का प रवहन करने वाले यान और आवेदक के बीच एक दोहरी सुरि त संसूचना णाली, जो समुचित प से काय कर रही है, वर्तनशील है;

(ii) यान म फट कए गए सुर ा उपाय जिनके अंतर्गत जीपीएस नेविगेशन णाली भी है, का यौरैवार वर्णन ; और

(iii) प रवहन के दौरान पालन क जाने वाली सुर ा संबंधी सावधानिय का यौरैवार वर्णन ।

(2) प 14 म अनुज्ञि धारण करने वाला कोई प रवहनकर्ता, आयुध और गोला बा द का प रवहन आरंभ करने से पूव, प रवहन कए जाने वाले आयुध और गोला बा द के संबंध म समनुदेशक से प 12 म अपने प रवहन अनुज्ञि क एक ति ा करेगा ।

(3) सडक माग से प रवहन करने वाला कोई प रवहनकता प रवहन के भारी ि को, ऐसे ि य क अपने प शीष पर टंकित सूची या क पयूटर ट आउट उपल ध कराएगा, जो आयुध और गोला बा द के परेषण के प रवहन म य प से अंतर्वलित ह गे, जिसम उनके नाम और पहचान संख्या अंत व ह गे और ऐसी सूची को प 14 म अनुज्ञि क माणित ति के साथ सलं कया जाएगा:

परंतु प रवहनकता अपने कर्मचा रय के, उ ह आयुध या गोला बा द के प रवहन से संबंधित कोई कत स पने से पूव, पूववृत्त का पुलिस स यापन कराएगा ।

(4) अनुज्ञापन ाधिकारी का यह कत होगा क वह प 14 म कसी प रवहनकता को अनुज्ञि मंजूर करने से पूव यह सुनि त करे क आवेदक ने आयुध और गोला बा द के सुरि त और निरापद प रवहन तथा भंडारण के लिए आयुध और गोला बा द क ि, वहन और दाय तथा उनके सुरि त और द प रवहन, प रवहन क ऐसी प ति, जिसके ारा प रवहन कया जाना है, जिसके अंतर्गत यु कए जाने वाले यान क क म और निर्माण भी है और साथ ही आधान , उसम संलि होने वाले ि य और संसूचना सुविधा आ द के लिए व थाएं क गई ह ।

(5) कसी प रवहनकता को प 14 म मंजूर क गई अनु ि पांच वष क अवधि के लिए विधिमा य होगी ।

(6) प 14 म क अनुज्ञि म आयुध और/या गोला बा द, कसी कैलेंडर वष के दौरान उनक अधिकतम मा ा, एकल परेषण म उसक अधिकतम मा ा और कसी एकल लदाई के अधीन व परेषण म अधिकतम मा ा को विनि द करेगा, जिसका प रवहन अनुज्ञात कया जा सकेगा ।

(7) (क) प 14 म मंजूर क गई प रवहनकता अनुज्ञि पुंज प रवहन के लिए लागू होगी, जिसम कसी एकल लदाई का भाग बनने वाले कसी एकल परेषण या ब परेषण म एक सौ से अधिक अ यायुध या गोला बा द और पचास हजार से अधिक का ज सम्मिलित हो सकेगे।

(ख) पुंज प रवहन से भि आयुध और गोला बा द का प रवहन क ह आईएसओ 9001 माणित प रवहन कंपनी ारा कया जा सकेगा।

102. प रवहनकता क अनु ि के लिए या मक अपे ाएं-(1) प 14 म अनुज्ञि धारण करने वाले आयुध या गोला बा द के कसी प रवहनकता के पास ऐसे प रवहन के दौरान सभी समय पर, -

(क) एक परेषण ट पण होगा, जिसम नि लिखित विशिियां अंत व ह गी:-

(i) प रवहनकता का नाम, पता, अनुज्ञि और यूआईएन;

(ii) प रवहन कए जाने वाले आयुध और गोला बा द के संबंध म परेषक और परेषिती का नाम, पता, अनुज्ञि संख्यांक और यूआईएन;

(iii) अ यायुध क मा ा, काय क क म, विनिर्माता का म संख्यांक, मेक और कैलिबर तथा गोला बा द क मा ा, मेक और कैलिबर ; और

(iv) उस थान का वा तविक पता, जहां से अ यायुध और गोला बा द का संग्रहण कया गया था और उनके अंतिम ग त का वा तविक पता।

(ख) प 12 में, ऐसे अ यायुध और गोला बा द के प रवहन को ाधिकृत करने वाली अनुज्ञि क ति ;

(ग) ऐसा कोई अ य द तावेज, जो इन नियम या कसी अ य विधि के अधीन अपे ित हो।

(2) प 14 म अनुज्ञि धारण करने वाला ऐसा कोई प रवहनकर्ता, जिसे कसी समयावधि के लिए अ यायुध या गोला बा द का भंडारण करना अनुज्ञात है, उनक ि के प ात् और उनके ाय से पूव नियम 10 के अधीन सुरित अभिर ा और भंडारण संबंधी अपेक्षा का पालन करेगा।

(3) अनुज्ञि धारी, आयुध या गोला बा द के परेषण के माग पर वयं अपना या अपने कसी का मक के मा यम से सीधे पर्यवेक्षण सुनिित करेगा।

(4) प 14 म अनुज्ञि धारण करने वाला प रवहनकर्ता, आयुध और गोला बा द के परेषण के लिए परेषिती से एक लिखित पुि अभि ा करेगा, जिसम नि लिखित जानकारी अंत व होगी, अर्थात्,-

(i) ि कता का नाम और उपनाम ;

(ii) ि कता का पता ;

(iii) ि कता का टेलीफोन नं., मोबाइल नं. और ईमेल पता ;

(iv) ाय क तारीख और समय ;

(v) ा कए गए आयुध और गोला बा द का वर्णन ; और

(vi) ाय क पुि करने वाला ि कता का ह ता र।

(5) परेषिती से लिखित पुि क एक ति को प रवहनकता ारा प 12 म प रवहन अनुज्ञि जारी करने वाले अनु ापन ाधिकारी को तुत कया जाएगा।

(6) प 14 म अनुज्ञि धारण करने वाला कोई प रवहनकर्ता, आयुध या गोला बा द का ाय न होने, उनके गुम हो जाने या चोरी हो जाने क दशा म तुरंत लिखित म पुलिस और अनुज्ञापन ाधिकारी को अधिसूचित करेगा।

(7) उस दशा में, जहां प रवहन कए जाने वाले परेषण का दु पयोग कया जाता है या प 14 म अनुज्ञि धारण करने वाले प रवहनकता या उसके ऐसे कसी कमचारी क , जिसे ऐसे प रवहन के काय को स पा गया था, घोर उपेक्षा के कारण चोरी या गुम हो जाता है, वहां प रवहनकता क अनुज्ञि तिसंहत कए जाने क ायी होगी।

अ याय 8

अ यायुध और गोला बा द का ययन और उ ह न कया जाना

103. अ यायुध और गोला बा द का अधिहरण, क जे म लेना या अभि हण – (1) के िय सरकार या रा य सरकार के अधीन अ यायुध यूरो अधिहरण, क जे म लिए गए, अभिगृहीत, पकड़े गए या अ पत कए गए आयुध और गोला बा द के विभि वग के लिए सूची रखेगा।

(2) उपनियम (1) म नि द अ यायुध यूरो को के िय सरकार ारा यूआईएन ारा मंजूर कया जाएगा और एनडीएएल णाली के अधीन पृथक उपयो ा-आईडी और पासवड आबंटित कया जाएगा।

(3) अधिहरण, क जे म लिए गए, अभिगृहीत, पकड़े गए या अ पत कए गए आयुध और गोला बा द को, निकटतम पुलिस थाने म थम सूचना रपोट रजि टर करने के उपरांत, उनके अधिहरण, क जे म लिए जाने या अधि हण या पकड़े जाने या अपण म संलि ि (िय) ारा ह ता रत अभि हण ापन के भार के अधीन ा कया जाएगा और उ ह येक अ यायुध के इतिवृत्त, जिसम अ यायुध क मेक, क म, विनिर्माता का म सं याक, कैलिबर और कृति के यौरे अंत व ह, के साथ के िय या रा य सरकार के सश अधिकारी को स प दया जाएगा।

(4) उपनियम (2) म नि द के िय या रा य सरकार का सश अधिकारी उ आयुध और गोला बा द को संबंधित के िय या रा य अ यायुध यूरो को स प देगा और अ यायुध यूरो अपने टॉक रजि टर के ि त भ म उनक विि करेगा।

(5) के िय या रा य अ यायुध यूरो, प 9 म अनुज्ञि धरण करने वाले कसी बंदूक बनाने वाले या के िय सश पुलिस बल या रा य पुलिस विभाग के परी ा करने के लिए ाधिकृत कसी अधिकारी ारा अ यायुध और गोला बा द क परी ा कराएगा।

(6) अ यायुध के परी क ारा रपोट फाइल कए जाने पर, अ यायुध के संबंध म यह घोषणा क जा सकेगी क वह सेवा यो य या सेवा अयो य या आ थक प से मर मत कए जाने के अयो य (बीईआर) है और ऐसे सभी सेवा यो य अ यायुध क विि स य अ यायुध टॉक रजि टर म क जाएगी और उनके यौरो को अ यायुध यूरो को आबंटित यूआईएन के ति एनडीएएल णाली पर अपलोड कया जाएगा।

(7) सेवा यो य अ यायुध को, स म यायालय के आदेश क ि पर आ यायुध यूरो ारा प 3 म कसी विधिमा य आयुध अनुज्ञि के ति कसी पा आवेदक को, अ यायुध यूरो ारा जारी कए जाने वाले वि य वाउचर या बीजक के ति आ यायुध के विशि वग के लिए आबंटित कया जा सकेगा और ऐसे वि य या अंतरण के यौरे उसके ारा रखे जाने वाले रजि टर म लेखब कए जाएंगे तथा एनडीएएल णाली पर अपलोड कए जाएंगे।

प िकरण – इस नियम के योजन के लिए, अ यायुध यूरो से के िय सरकार या रा य गृह विभाग के अधीन या रा य पुलिस विभाग के अधीन कार्यरत कोई ऐसी यूनिट अभिे त है, जो अधि त, क जे म लिए गए, अभिगृहीत, पकड़े गए या अ पत कए गए आयुध और गोला बा द को जमा करने तथा उनका निपटान करने के लिए उ रदायी है।

104. अ यायुध और गोला बा द को नि कया जाना – (1) कसी अ युक्त, अ चलित, निराकृत अथवा अ यो य अ यायुध, क जे म लिए गए, पकड़े गए या अ पत कए गए अ यायुध को, जिस पर विनिर्माता का म संख्यांक या अति र पहचान चि न नह है, संब के िय या रा य यूरो ारा नियम 34 और नियम 58 म अधिकथित या के अनुसार तुरंत चि नित कया जाएगा और ऐसे अ यायुध के यौरे एक पृथक रजि टर म लेखब कए जाएंगे तथा उ ह एक विशि वग के अधीन एनडीएएल णाली पर अपलोड कया जाएगा।

(2) अ यायुध यूरो थानीय अनु ापन ाधिकारी को एक आवेदन तुत करेगा, जिसम न कए जाने वाले अ यायुध के यौरे अंत व ह गे, जिसम अ यायुध क मेक, क म, कैलिबर और साथ ही विनिर्माता के म संख्यांक या अति र पहचान चि न क विशिियां तुत क जाएंगी तथा अनुज्ञापन ाधिकारी उसे अ यायुध यूरो ारा दान क गई सूची म लेखब विशििय का स यापन करने के प ात अ यायुध को न करने क अनुमति दान करेगा।

(3) इस नियम के अधीन अ यायुध को केवल गलन, संकुचन या अनुज्ञापन ाधिकारी ारा अवधा रत कसी अ य रीति म ही न कया जा सकेगा और साथ ही यह सुनिि त कया जाएगा क अ यायुध या उसके कसी भाग के मूल आशय, डिजाइन और योजन को थायी प से या अ तिसंहाय प से न कया जाता है:

परंतु अ यायुध या गोला बा द को थानीय अनुज्ञापन ाधिकारी ारा तैनात कए गए कसी पदाभिहित अधिकारी क उपि थिति म ही न कया जाएगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन न कए गए अ यायुध या गोला बा द क एक सूची, उपनियम (2) म नि द ऐसे अ यायुध क विशििय के साथ अनुज्ञापन ाधिकारी को उ ह इस कार न कए जाने के चौदह दन के भीतर तुत क जाएगी।

अध्याय 9**आयुध अधिनियम के अधीन अपील**

- 105. अपील अधिकारी** - (1) ऐसे अपील अधिकारी, जिन्हें नीचे दी गई सारणी के तंत्र (1) में विनिर्दिष्ट अनुज्ञापन या अयुध अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करा जाएगी, वे होंगे, जिन्हें उस सारणी के तंत्र (2) में कृत श्रेणी में विनिर्दिष्ट किया जाएगा:

सारणी

अधिकारी		अपील अधिकारी
(1)		(2)
(क)	जिला मजिस्ट्रेट	भाग का आयुक्त या कोई अन्य समतुल्य पद का अधिकारी या उस राज्य में जहां भाग के आयुक्त का कोई पद नहीं है, राज्य सरकार
(ख)	पुलिस आयु	राज्य सरकार
(ग)	किसी संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा सशस्त्र अधिकारी	संघ राज्य क्षेत्र का शासक/उप-राज्यपाल
(घ)	भारतीय मिशन का ध्यान	केन्द्रीय सरकार
(ङ)	कोई विशेष रूप से सशस्त्र अयुध अधिकारी	वही अधिकारी, जिसने सशस्त्र किया है

(2) धारा 17 के उपधारा (6) के योजन के लिए अनुज्ञापन अधिकारी को अपील अधिकारी के अधीन थप समझा जाएगा।

(3) सभी अनुज्ञापन अधिकारी अपने संबंध अपील अधिकारी के निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।

- 106. कतिपय मामलों में अपील अधिकारी को संसूचित किए जाने वाले कारण** - जहां किसी अनुज्ञापन अधिकारी को यह राय है कि किसी अनुज्ञापन से इनकार करने, उसका नवीकरण करने, उसका शत में परिवर्तन करने, उसका तिसंहरण या उसे निलंबित करने हेतु आवेदक को कारण प्रस्तुत करना लोकहित में नहीं होगा, वहां उसके कारण को लेखबद्ध किया जाएगा और मामले के तथ्यों को संसूचना उसके द्वारा अपील अधिकारी को दी जाएगी।

- 107. अधिनियम के धारा 17 के उपधारा (6) के अधीन अनुज्ञापन अधिकारी या किसी अनुज्ञापन को निलंबित या तिसंहृत करने वाले अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील** - किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें कोई अधिकारी निम्नानुसार कोई आदेश जारी करता है -

(i) किसी अनुज्ञापन को मंजूर करने या उसका नवीकरण से इनकार करने वाला या ऐसी मंजूरी या नवीकरण के लिए "निराशापूर्ण माणप" देने से इनकार करने वाला; या

(ii) किसी अनुज्ञापन को किसी शत में परिवर्तन करने वाला या अधिनियम के धारा 17 के उपधारा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन किसी अनुज्ञापन को निलंबित या तिसंहृत करने वाला,

वहां ऐसे किसी आदेश द्वारा शिथिल कोई निर्णय, आदेश जारी करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर और धारा 18 के उपधारा (2) के परंतुक के अधीन रहते हुए संबंध अपील अधिकारी को उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा।

- 108. अपील अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली शक्ति** - किसी अपील के परिणाम पर, अपील अधिकारी, उस अधिकारी से, जिसने वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित करने वाले अधिकारी से मामले के अभिलेख मंगा सकेगा और उसके पारित अपीलार्थ को सुनवाई के युक्त अवसर प्रदान करने के पारित अपील के परिणाम से साठ दिनों के भीतर अंतिम आदेश को पारित कर सकेगा।

- 109. अधिनियम के धारा 18 के उपधारा (1) के अधीन कृत जाने वाली अपील के याचिका के संबंध में संदेय फस** - धारा 18 के उपधारा (1) के अधीन अपील के प्रत्येक याचिका के साथ एक हजार पण्ड फस लगी होगी।

अ याय 10**नेपाल से संबंधित उपबंध**

110. नेपाल सरकार के लिए आयुध और गोला बा द का आयात, प रवहन और नियात - (1) जहां क ह आयुध या गोला बा द का आयात भारत म नेपाल सरकार को उनके ेषण के लिए कया जाता है, वहां उतराई के प न पर सीमा शु क अधिकारी या अ य थान पर अनुज्ञापन अधिकारी के ीय सरकार से ा आयुध या गोला बा द क सूची के ति परेषण क जांच करेगा और उसके प ात् पैकेज को सीमा शु क जांचकता या के ीय सरकार ारा इस योजन के लिए नियुक्त कसी अ य अधिकारी क उपस्थिति म सीलबंद कया जाएगा।

(2) (क) जहां आयुध या गोला बा द का भारत म आयात या अ जत, उ ह नेपाल सरकार के लिए नेपाल को ेषण हेतु कया जाता है, वहां उनके साथ भारतीय सीमा शु क अधिकारी या संब ेत्र के अनुज्ञापन अधिकारी से इस भाव का एक माणप संल कया जाएगा क उसम येक पैकेज या पेटी पर लगे चि ह का ऐसा वर्णन अंत व होगा, जो उनक तुरंत पहचान करने म समथ बनाने हेतु पया हो और साथ ही ऐसे पैकेज या पेटी क अंतव तु का साधारण विवरण भी लगाया जाएगा;

(ख) यथास्थिति, निकासी अभिकता या संब फम से अ यपेक्षा ा होने पर जिला मजि ेट रेलवे ेशन तक आव यक अनुर क उपल ध कराएगा;

(ग) रेल अधिकारी, तब तक ेषण हेतु आयुध या गोला बा द को अंत व करने वाले कसी पैकेज या पेटी को ा नह करेगा, जब तक क उसके साथ खंड (क) के अधीन अपेित माणप न लगा हो।

(3) जहां ऐसे कसी मामले में, -

(i) उपनियम (1) म नि द सूची के ीय सरकार को ा नह होती है, या

(ii) भारत म आयातित या भारत से ेषित कए जाने के लिए आशयित आयुध या गोला बा द ऐसी सूची म दए गए वर्णन के त समान नह ह,

वहां संब अधिकारी परेषण को नेपाल ेषित कए जाने क अनु ा नह दगे और इसक जानकारी तुरंत के ीय सरकार को दगे।

111. नेपाल म कसी थान से भारतीय रा य े के मा यम से नेपाल के कसी अ य थान को आयुध का प रवहन - (1) नियम 6 और नियम 87 म अंत व कसी बात के होते ए भी, नेपाल म भारत का राजदूत, नेपाल सरकार ारा कए जाने वाले कसी आवेदन पर तथा के ीय सरकार ारा पुि के अधीन रहते ए, अनुसूची 1 के वग 1 और 2 म या अनुसूची 1 के कसी अ य वग म विनि द आयुध या गोला बा द को नेपाल के रा य ेत्र म कसी थान से भारत क सीमा से होते ए नेपाल रा य ेत्र के कसी अ य थान को, यथास्थिति, नेपाल सरकार क सेना या पुलिस के ारा भेजे जाने के लिए भारत म उनके आयात, क जे म रखने, भारत के रा य ेत्र से आर-पार गुजरने या भारत से उनके निर्यात करने के लिए प 15 म अनुज्ञि मंजूर कर सकेगा।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन मंजूर क गई कसी अनु ि के अधिकार के अधीन आयुध या गोला बा द को भारतीय रा य ेत्र से होकर गुजरना है, -

(क) य द ऐसा पूण प से रेल ारा कया जाना है तो अनुज्ञि क एक ति राजदूत ारा तुरंत उन जिला मजि ेट को भेजी जाएगी, जो ऐसे ेत्र पर अधिका रता रखते ह, जहां से भारतीय सीमा के भीतर आयुध या गोला बा द को होकर गुजरना है और साथ ही भारतीय रा य ेत्र म ऐसे थान के, जहां से परेषण गुजरेगा, रेल अधिकार य को भी दी जाएगी;

(ख) य द ऐसा प रवहन सड़क या नदी माग ारा कया जाना है, तो अनुज्ञि क एक ति राजदूत ारा तुरंत उन जिला मजि ेट को भेजी जाएगी, जो ऐसे ेत्र पर अधिका रता रखते ह, जहां से भारतीय सीमा के भीतर आयुध या गोला बा द को गुजर कर नेपाल जाना है।

(3) के ीय सरकार या के ीय सरकार के अनुमोदन से नेपाल म भारत का राजदूत, इस नियम म उल्लिखित आयुध या गोला बा द को भारत क सीमा से गुजर कर नेपाल को सुरित प रवहन को विनियमित करने वाला कोई आदेश कर सकेगा।

अ याय 11**क ण**

112. सभी क म क अनु िय को लागू समान शत - (1) अनुज्ञि धारी,-

(क) नियम 2 के खंड (22) म यथाप रभाषित सरकारी आयुध और गोला बा द को क जे म नह रखेगा:

परंतु उपरो शत को, अनुज्ञि जारी करने वाले ऐसे ाधिकारी ारा र कया जा सकेगा, जिसे के िय सरकार ारा ऐसा करने के लिए सश कया गया है और ऐसे सरकारी आयुध या गोला बा द को, जिसे अनुज्ञि धारी क जे म रखने के लिए ाधिकृत है, द शत करने वाला पृष्ठांकन उसम जोड़ा जाएगा;

(ख) ाधिकृत ाधिकारी ारा मांग कए जाने पर, अनुज्ञि के अधीन उसके क जे म रखे गए अ यायुध को तुत करेगा;

(ग) उसक अनुज्ञि के अधीन आने वाले क ह अ यायुध या गोला बा द या उनके कसी भाग को, कसी ऐसे ि को वि य या अंतरण नह करेगा, जो उ ह क जे म रखने के लिए विधिपूर्वक हकदार नह है;

(घ) इस अनुज्ञि के अधीन आने वाले क ह आयुध या गोला बा द के गुम हो जाने या चोरी होने क सूचना तुरंत निकटतम पुलिस थाने को देगा ।

(2) अनुज्ञि के जारी रहने के दौरान, अनुज्ञि मंजूर या उसका नवीकरण करने वाले ाधिकारी को कसी भी समय यह जांच करने का अधिकार होगा क या ऐसे आयुध या गोला बा द, जिनके लिए अनु ि मंजूर क गई है, अभी भी अनु ि धारी के क जे म ह अथवा नह और वह ऐसी कसी जांच के योजन के लिए ऐसे आयुध या गोला बा द को तुत करने क अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) वहां के सिवाय, जहां वह संब जिला मजि ेट ारा इस निमि विशेष प से ाधिकृत है, अनुज्ञि धारी अनुज्ञि के अधीन आने वाले कसी आयुध को कसी शैक्षणिक संस्था या इन नियम के अधीन अ यायुध मुक्त जोन के प म घोषित कसी ेत्र के प रसर या प रसीमा के भीतर अपने पास नह रखेगा ।

113. अनुसूची 1 के बग 6 म विनि द गोला बा द के घटक के भंडारण के लिए सुर ा और पूर्वावधानी संबंधी शत -

(क) लोरे स को कसी ऐसे भवन म रखा जाएगा, जिसका संनिर्माण केवल अ वलनशील सामयि से आ है जो आवासीय गृह , अ य भवन , राजमार्ग, गली, लोक आवाजाही के थान या सार्वजनिक थान से कम से कम 10 फुट क दूरी पर होगा:

परंतु जहां भंडा रत क गई लोरेट क कुल मा ा एक सौ कलो से अनधिक है, वहां लोरेट को अन य प से बंद और सुरि त पा म कसी ऐसे भवन म रखा जाएगा, जिसका उपयोग अ य ऐसी व तुओं को रखने के लिए कया जाता है, जो वि फोटक या अति वलनशील कृति क नह है।

(ख) स फर को अनुज्ञि म विनि द प रसर म कसी क म सा टपीटर के साथ नह रखा जाएगा:

परंतु जब स फर और सा टपीटर म से येक क मा ा एक सौ कलो ाम से अधिक न हो, तब उन दोन को पृथक-पृथक बंद पा म एक ही क म रखा जा सकेगा ।

(ग) अनुज्ञि म विनि द प रसर या खंड (क) और (ख) के परंतुक म उलिखित पा के आस-पास के ेत्र म कसी भी समय कोई ि धूम्रपान नह करेगा और खुले म आग नह लगाएगा ।

(घ) जहां ऐसी सामयि के भंडारण के लिए युक्त कए जाने वाले कसी भवन म इलैि क लाइ टग या विुत फट क गई है, वहां अ नुि धारी वष म कम से कम एक बार या अनुज्ञि जारी रहने के दौरान एक बार ऐसे ति ापन का परी ण विुत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन नियुक्त कसी इलैि कल निरी क से करवाएगा ।

(ङ) अनुज्ञि म विनि द प रसर के भीतर कसी दुर्घटना, आगजनी या वि फोट के संबंध में, जिसके प रणाम व प कसी मानवीय जीवन क हानि ई है या कसी ि या संपि को गंभीर ति पंची है, अनुज्ञि धारी ारा तुरंत, उसके कारबार या कारखाने के थान पर अधिका रता रखने वाले निकटतम पुलिस थाने के भारी ाधिकारी और साथ ही संब सकल के वि फोटक निरी क को रपोट क जाएगी ।

(च) लोरेट के साथ मिि त करके स फर को वि फोटक म प रव तत करने क अनुमति केवल नि लिखित योजन (और कसी भी अ य योजन के लिए नह) के लिए दी जाएगी, अर्थात्:-

(i) वैज्ञानिक योजन के लिए लघु मा ा म; या

(ii) माचिस क तीलिय के शीष भाग के विनिर्माण के योजन के लिए; या

(iii) खिलोना एमो सस म उपयोग के लिए (खिलोना पि तोल के लिए कागज के आवरण)

अनुसूची—1
(नियम—3 देख)
भाग—क

वर्ग	आयुध	गोला बा द
(1)	(2)	(3)
I	तिषि आयु	तिषि गोला बा द
(क)	<p>(i) अधिनियम क धारा—2(1)(i) म यथा प रभाषित तिषि आयुद्ध ;</p> <p>(ii) सैनिक योग के लिए समनरूप मदे ;</p> <p>(iii) ह के श ;</p> <p>(iv) वर्ग I(ख), I(ग) और III म प रभाषित के अलावा लघु आयुध जिसके अंतर्गत वचालित और चयनीय फायर है ।</p>	<p>(i) अधिनियम क धारा—2(i)(ज) म यथा प रभाषित तिषि गोला बा द ;</p> <p>(ii) सैनिक योग के लिए समन प गोला बा</p> <p>(iii) ह के हथियार के लिए गोला बा</p> <p>(iv) वर्ग I(ख), I(ग) और III म प रभाषित के अलावा लघु आयुध के लिए गोला बा जिसके अंतर्गत वचालित और चयनीय फायर है ।</p>
(ख)	निर्बधित आयुध	निर्बधित गोला बा द
	<p>अ वचालित अ यायुध जि ह वचालित अ यायुध और वर्ग III(क), III(ख) और III(ग) म उनके अलावा प रभाषित अ म संप रव तत नह कया जा सकता है ;</p> <p>साफ नलवाली बंदूक जिसम 20 ईच से कम ल बा बैरल है ;</p> <p>कसी भी बैरल ल बाई क सैन्टरफायर राईफल (अ वचालित) ;</p> <p>पंद्रह फ ट से अधिक क फाय रग रज जिसम इलेक ोनिक निःश तता यु ति हो ।</p>	<p>आयुध के वर्ग I (ख) के लिए गोला बा द</p>
(ग)	निर्बधित आयुध	निर्बधित गोला बा द
	<p>आयुध के वर्ग</p> <p>(i) वर्ग I(ख), III(ख) और III(ग) म उ लिखित राईफल से भि न राईफल</p>	<p>वर्ग I(ग) के आयुध के लिए गोला बा द ।</p>
	<p>अधि यास/को ठ विनिदश</p> <p>7.62 एम.एम (7.62 एम.एम नाटो/7.62X51 नाटो)</p> <p>5.56 एम.एम (5.56 एम.एम नाटो/5.56X45 एम.एम) 7.62 एम.एम X39 एम.एम</p> <p>.303 ि टश या 7.7X56 एम.एम.आर</p>	

		(i)	पि तोल	9 एम.एम पैराबेलम (9X19 एम.एम/9 एम.एम लूगर/9 एम.एम पैराबेलम लस/9 एम.एम पैराबेलम	
		(ii)	रवों वर	.38 रवों वर एम.के II जेड .38/200X20 आर, .380/200 रवों वर एम.के—II .455 वैब्ले आर	
II		अ यायुध के विनिर्माण या माण परी ण के लिए मशीनरी			गोला बा द के विनिर्माण के लिए मशीनरी
III		अनुेय आयुध			अनुेय गोला बा द
		वग I, II और IV म प रभाषित आयुध से भि न आयुध, अर्थात् :			वग I, II और IV म प रभाषित से भि न गोला बा द, अर्थात् :
	(क)	है डगन (रवा वर और पि टल जिसके अंतर्गत अ वचालित है)			वग III(क) के आयुध के लिए गोलाबा द
	(ख)	नालपृष्ठ भरण के फायर राईफल (जो अ - वचालित नह ह)			वग III(ख) के आयुध के लिए गोलाबा द
	(ग)	.22 बोर रमफायर बंदूक (जिसके अंतर्गत अ वचालित भी है)			वग III(ग) के आयुध के लिए गोलाबा द
	(घ)	साफ बोर नलपृष्ठ भरण शॉटग स (जिसके अंतर्गत अ वाचालित भी है)			वग III(घ) के आयुध के लिए गोलाबा द
	(ङ)	नालमुख—भरण ग स			वग III(ङ) के आयुध के लिए गोलाबा द
	(च)	वायु श जिसके अंतर्गत एयर राईफल और एयर गन ह ।			
		(i)	जिसम 20 जूल या 15 फ ट एल.बी.एस से अधिक नालमुख ऊजा हो और/या 0.177" या 4.5 एम.एम से कम बोर		वग (च)(i) के आयुध के लिए गोलाबा द
		(ii)	जिसम 20 जून या 15 फ ट एल.बी.एस से अधिक नालमुख ऊजा हो और/या 0.177" या 4.5 एम.एम से कम बोर		वग (च)(ii) के आयुध के लिए गोलाबा द
	(छ)	अ यायुध विकृतियां			
		(i)	आधुनिक या समकालीन अ यायुध		शून्य
		(ii)	नालमुख भरण ाचीन श		शून्य
	(ज)	इलेक् ोनिक प से असमथ यु तियां जिनक गोली चलाने क रज पंद्रह फ ट से कम है			वग (ज) के आयुध के लिए गोलाबा द

	(झ)	पेंटबाल माकर या पटबाल ग स जिसम 900 एम.एम या 300 फ ट/एस (300 एफ.सी.एस) से अधिक नालमुख ऊजा हो ।	शून्य
	(ञ)	खाली-गोलीबारी वाले अ यायुध	वग III(ञ) के आयुध के लिए गोलाबा द
	(ट)	कसी अ यायुध के लिए उपसाधक को इस तरह डिजाइन या प रश्चितिय के अनुकूल बनाया गया है जिससे गोलीबारी से होने वाले शोर या चमक को कम कया जा सके ।	शून्य
IV		अधिनियम क धारा 45(ग) के अधीन उन अपव जत श के अति र त कलाकृतिक और ऐतिहासिक श ।	कलाकृतिक और ऐतिहासिक गोलाबा द
V		अ यायुध के अति र त आयुध तेजधार और घातक श , अर्थात् तलवार (जिसके अंतर्गत तलवार छड है) कटार, बेनट, भाला, (जिसके अंतर्गत ब म और बरछा है), युद्ध-कु हाडी, छूरा (जिसके अंतर्गत कृपाण और खुखरी है) और इसके अति र त घरेलू कृषि, वैज्ञानिक या औ गिक योजनाथ उपयोग के लिए डिजाइन कए गए के अति र त अ य ऐसे श जिनक धार 9 से ल बी या 2 से चौडी हो, इ पात, बेद्धन, "जिपो" और अ य ऐसे श जो जीव प रर क आयुध बनाने के लिए मशीने जो वग II के अति र त है और अ य काई आयुध जो के िय सरकार अधिनियम क धारा 4 के अधीन अधिसूचित कर सके	शून्य
		भाग ख	
		अ य मद और आयुध के संघटक	
	वग	मद	
VI	(क)	वि फोटक या फूर्जनकारी माल यु त व तुएं : खाली गोली बारी वाले कारतूस के अति र त पलीता और घषण नलिका	
	(ख)	अधिनियम क धारा 2(1)(ख)(vii) म यथा प रभाषित संघटक, जिसके अंतर्गत :—	
		(i) सीसा, स फर, शोश और सोडियम अजाइड ; (ii) लोरे स और ति कलोरे स ; (iii) विखंडनीय साम ि ; और (iv) वासावरोधी, जहरीला, वाहजनक था अ य गैस और सदृश दृव, साम ि या य , जो भारत म स िविक औ गिक या म योग नह होते ह	

अनुसूची II (नियम 5 देखें)								
अनुज्ञापन अधिकारी बंद								
मद सं०	योजन	अनुसूची I म यथाप रभाषित आयुध/गोलाबा द के बग	थान/वप के यति	अनुज्ञापन धिकारी	ेत्र जिसके लिए अनु ति अनुद क जा सकती है	नवीकरण धिकारी	प सं०	शत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजन/क जा आयात और प रवहन	I (क) II	स पूण भारत	के सरकार गृह मंत्रालय	संपूण भारत या कोई विनि द ट भाग	के सरकार या गृह मंत्रालय	I	—
2	अजन/क जा और उपयोग	III (I) III (ग) III (घ) III (ङ) V, VI	जिला	जिला मजि ेट	सब जिला	जिला मजि ेट	II	—
3	अर्जन/क जा/ संरण के लिए बहन और उपयोग/खेल/ लय/प ति/ संप्रदर्शन	(i) I (ख) I (ग)	संपूण भारत	के सरकार का गृह मंत्रालय	संपूण भारत या उसका कोई विनि द ट भाग	जिला मजि ेट	III	—
		(ii) III [च(ii) और (छ) (ii) के सिवाय], V, VII	(ii) जिला	जिला मजि ेट	सब जिला या उनका अधिका रता ेत्र	जिला मजि ेट	III/IV	—
		III [च(ii) और (छ) (ii)] V, VI	(ii) संपूण भारत	जिला मजि ेट	संपूण भारत	जिला मजि ेट	III/IV	—
		III [च(ii) और (छ) (ii)] V, VI	(ii) संपूण भारत	जिला मजि ेट	संपूण भारत	जिला मजि ेट	III/IV	नियम 19 उप-नियम (2) म उलिखित अनुज्ञतिधा रय के बग के लिए जिला मजि ेट संपूण भारत म अनु ति अनुद करने के लिए सश त है
		(iii) I (ख), I (ग)	छूट ा तकता के तिधारण क दशाम	के सरकार का गृह मंत्रालय	भारत या उसका कोई विनि द ट भाग	रा स सरकार या रा य सरकार ारा इस निमित्त विशेष प से सश त अधिकारी	III अ	—

		III [(घ)(ii) और (छ) (ii) के सिवाय] V VI	(i) जिला	जिला मजि ेट	सब	जिला मेजि ेट	III-अ	—
			(ii) रा य	जिला मजि ेट	संपूण रा य	जिला मेजि ेट	III-अ	—
			(iii) संपूण भारत	रा य सरकार	संपूण	जिला मेजि ेट	III-अ	—
4.	अर्जन/क जा/ व य जीव, जंतुओं के विनाश के लिए उपयोग औ वहन, जो मनुष्य पालतु पशुओं को ति करना है और फसल को नुकसान पं चता है।	III(ख), III(ग), III(घ), III(ङ) V	जिला	रा य सरकार ारा इस निमि विशेष प से सश त जिला मेजि ेट या कोई अधिकारी	सब जिला	अनुज्ञापन ाधिकारी के समान	IV	—
5(क)	खेल तियोगिता/ आयोजन या खेल तयोगिता खला/या पशि ण म भाग लेने के लिए भारत म दौरे पर आए अंतरा ीय खिलाड़ीयो ारा आयुध या गोलावा द का आयात, क जा, वहन और उपयोग	III [(च)(ii) और (छ) (ii) के सिवाय]	संपूण भारत	उस देश का, जिससे खिलाड़ी संबंध रखते है भारतीय उ च आयोग का मुख या भारतीय दूतावास का मुख या भारत म वेश करने/पं चने वाले बंदरगाह का जिला मेजि ेट या के ीय सरकार ारा विशेष प से सश त कोई अ य अधिकारी	भारत या उसका कोई विनि द ट भाग	अनवीकरणीय	VI	अनुज्ञति, अधिकतम छह मास क अवधि या बीजा क वैद्यता क अवधि तक जो भी पूर्वतर हो के लिए विधिमा य होगी और केवल निशाने -बाजी खेल के योजन के लिए अनुदत क जाएगी।
5(ख)	कसी पर्यटक ारा उसके ठहरने के अनुष्ठान के दौरान अर्जन, क जा (परंतु उपयोग नह) और भारत से बाहर निर्यात और म वहन	III [(च)(ii) और (छ)(ii) के सिवाय] IV,V (केवल भारत म नि मत)	—	रा य सरकार ारा विशेष प से सश त जिला मजि ेट या कोई अधिकारी	—	अनवीकरणीय	VI	अनु ति अधिकतम छह मास क अवधि या बीजा क वैद्यता क अवधि तक जो भी पूर्वतर हो, के लिए विधिमा य होगी और केवल भारत म नि मत हथियार के लिए अनुद क जाएगी।

5(ग)	आयात/निर्यात अनुज्ञति क अ य अ थार्ड वग	III	संपूण	नियम 45(ii) म प रभाषित यित जिस देश से संबंध रखते है का मुख्य भारतीय उ च आयोग या भारतीय दूतावास	भारत या उसका कोई विनि द ट भाग	—		अनु ति अधिकतम छह मास क अवधि या वीजा क वैद्यता क अवधि तक जो भी पूर्वतर हो, के लिए विधिमा य होगी और नियम 45(1) म यथा उ लिखित योजन के लिए अनुद क जाएगी।
6(क)	विनिर्माण या माण परी ण या दोन , अंतरण, वि य, वि य के लिए रख या अंतरण	सम त [III(च) के सिवाय]	सब भारत	के िय सरकार का गृह मंत्रालय	परसर के भीतर जो अनुज्ञति म विनि द ट कया जाए	के सरकार का गृह मंत्रालय	VII	प X म अनु ति धारण करने वाले वि मान विनिर्माता के लिए नवीकरण अधिकारी रा य सरकार होगी।
		III (च)	सब भारत	रा य सरकार	परसर के भीतर जो अनुज्ञति म विनि द ट कया जाए	जिला मजि ेट	VII	इन नियम क अधिसूचना के एक वष के भीतर सभी कार के सभी वायु श के सभी विनिर्माता को विनिर्माण अनु ति अभि ा त करनी होगी।
6 (ख)	विनिर्माण, अंतरण, वि य, वि य के लिए रखे, या अंतरण	V	रा य	जिला मेजि ेट	परसर के भीतर जो अनुज्ञति म विनि द ट कया जाए	जिला मजि ेट	VII—अ	—
6 (ग)	विनिर्माण, अंतरण, वि य, वि य के लिए रख या अ नयायुध क अंतर तिकृति	III (छ)	रा य	जिला मेजि ेट	परसर के भीतर जो अनुज्ञति म विनि द ट कया जाए	जिला मजि ेट	VII—अ	इन नियम क अधिसूचना के एक वष के भीतर, अ यायुध ति तियां जिसके अंतर्गत ाचीन हथियार भी है के सभी

								वियमान विनिर्माता को विनिर्माण अनुति प्राप्त करनी है
7 (क)	वि.य., अंतरण या परीण (माण परीण के अतिरत) और वि.य. अंतरण या परीण के लिए रखे	I (ख) I (ग)	रा.य.	रा.य. सरकार	परसर के भीतर जो अनुज्ञति म विनिद ट कया जाए	रा.य. सरकार	VIII	—
		III, V, VI	रा.य.	रा.स. सरकार	परसर के भीतर जो अनुज्ञति म विनिद ट कया जाए	जिला मजिेट	VIII	—
7 (ख)	सुरति अभिरा म रखे जाने के लिए	स. 7(क) के अधीन जारी अनुज्ञति म आयुध और गोलाबाद के वग के लिए						
		I(ख), I(ग) III, V, VI	रा.य.	रा.य. सरकार	परसर के भीतर जो अनुज्ञति म विनिद ट कया जाए	जिला मजिेट	VIII	—
7 (ग)	वि.य., अंतरण और वि.य. के लिए रखे, अंतरण	III (च) (ii)	रा.य.	जिला मजिेट	परसर के भीतर जो अनुज्ञति म विनिद ट कया जाए	जिला मजिेट	VII अ	इन नियम क अधिसूचना के एक वष के भीतर वग III (च)(ii) के वायुश के सभी विमान, यवहारय को वायुश यवहारी अनुति प्राप्त करनी होगी।
8(क)	अ.यायुध को, संपरवतत, लघुतर, मरमत (मुख्य) या (माण) शिण के अतिरत या संपरवतत के लिए रखे जाने के लिए मरमत (मुख्य) या शिण माण	I(ख), I(ग) III, V, (ख)	रा.य.	रा.य. सरकार	परसर के भीतर जो अनुज्ञति म विनिद ट हो।	जिला मजिेट	IX	वग I(क) और II के अतिरत

	शि ण के अति र त के अति र त के लिए बंदूक बनाने वाले को अनुज्ञति							
8 (ख)	अ यायुध को मर मत (लघु) या शि ण (माण) शि (माण शि ण के अति र त) या मर मत म रखे जाने के लिए (लघु) या शि ण के अत र त के लिए बंदूक बनाने वाले को अनुज्ञति ।	I (ख), I (ग), III	रा य	जिला मजि ेट			IX अ	—
9 (क)	भारत म आयुध और गोला बा द का आयात	(i) I (ख) I (ग)	(i) भारत म कसी सीमा शुल्क बंदरगाह पर	(क) के िय सरकार का गृह मंत्रालय		अनवीकरणीय	I	—
		(i) III	(ii) भारत म कसी सीमा शुल्क बंदरगाह पर	(ख) के िय सरकार का गृह मंत्रालय			X	—
	अ वलित आयुध गोला IV	बोर और जो भारत म विनि द ट नह है के लिए यवहा रय ारा बा द का आयात V VI	(ii) भारत म कसी सीमा शुल्क बंदरगाह पर	(ग) थान जहां पर आयातक िथत है या जिसक अधिकारता म आयात बंदरगाह िथत है के जिला मजि ेट		अनवीकरणीय	X	—
		(iv) स फर	(vi) काक नाडा, टूटीकोरीन औ कोच्चि के बंदरगाह पर	(ग) आंध्र देश, तमिलनाडु या केरला क रा य रा य सरकार		अनवीकरणीय	X	त्रि क सीय, कृषिय या औ गिक योजन के लिए उचित मा ा
9 (ख)	(i) सम त	(i) विदेशी ेत्र को आयात	(i) भारत म कस सीमा शुल्क बंदरगाह से विदेशी ेत्र के बंदरगाह म	के िय सरकार का गृह मंत्रालय या के िय सरकार के गृह मंत्रालय ारा विशेष प से सश ता कोई अधिकारी	- -	अनवीकरणीय	X	—
		(ii) III(छ)(i), IV, V, VI		(ii) रा य क सरकार जिसम नियतिक िथत है		अनवीकरणीय	X	—

9 (ग)	(i) अभिवहन अनुज्ञति और निर्यात और पुनःनिर्यात के लिए अनुज्ञति	(i) सम त	(क) भारत के एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह के बीच	(क) के िय सरकार का गृह मंत्रालय ारा योजन के लिए विशेष प से सश त कोई अधिकारी		अनवीकरणीय	X	—
		(ii) III IV V VI	(ख) नेपाल म कसी थान से	(ख) नेपाल म भारत का राजपूत		अनवीकरणीय		—
10.	भारत म कसी बंदरगाह म या से होकर या ा का वहन	सम त III (च) (ii), III (छ) (ii)के सिवाय]	सब भारत	जिला मजि ेट	भारत या उसका कोई विनि द ट भाग	अनवीकरणीय	XII	—
11	प रवहन	I(ख), I(ग), III(च) (ii) और (छ) (ii) के सिवाय] IV V VI	सब भारत	जिला मजि ेट	भारत या उसका कोई विनि द ट भाग	अनवीकरणीय	XII	—

12	माण शि ण के लिए गन बैरल/ पूण अ नयायुध के ेषण के लिए प रवहन अनुज्ञति	III	सब भारत	जिला मजि ेट	-	अनवीकरणीय	XIII	-
13	प रवाहक को अनुज्ञति	I(I), I(ग), III [(च) (ii) और (छ) (ii) के सिवाय] IV, V, VI	सब भारत	रा य सरकार	भारत का उसका कोई विनि द ट भाग	जिला मजि ेट	XIV	-
14	नेपाल सरकार क सेना और पुलिस ारा भारत से बाहर आयात में, क जा और प रवहन	सम त	नेपाल	नेपाल म भारत के राजदूत	-	अनवीकरणीय	XV	के िय सरकार के पुष्ट के अ यधीन रहते ए
15	अ नायुध मुक्त ज़ोन	सम त	जिला	जिला मजि ेट	प रसर के भीतर जो अनुज्ञति म विनि द ट हो	जिला मजि ेट	XVI	-

अनुसूची III**भाग-I****अनुतिप****प-I**

नि नलिखित के लिए अनुज्ञति—

(अ) अनुसूची I [के वग I (क) और II म अ यायुध या गोलाबा द का अर्जन/क जा/ आयात और प र्वहन ; और]

(आ) अनुसूची I [के वग I (ख) और I (ग) म अ यायुध और गोलाबा द का आयात]

यू०आई०एन०

अनुज्ञतिधारी और अभिकता (य द कोई है) का नाम, विवरण और निवास	पैकेज संख्या	तोप के केलिवर या अ य व तुओं के विनिदश के सहित विवरण	व तुओं क संख्या	आयात या प र्वहन क दशा म तंभ का भरा जाना			अवधि जिसके लिए अनु ति विधिमा य है	उपयोग जिसके लिए व तुओं का रखा जाना
				ेषण का थान और माग	गंत य थान	परेषिती का नाम, विवरण और निवास		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

20

नियम (7) के अधीन तारीख जिस पर नि नलिखित को ति भेजी गई—

जिला मजि ेट _____, जिला

20

(ह ता र)

सचिव/ संयुक्त सचिव
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

(मोहर)

या
नियम के अधीन ह ता र हेतु विशेष प से
सश त अधिकारी के ह ता र और पदनाम

अनुज्ञति के नवीकरण का प			
नवीकरण क तारीख और वष	तारीख जिस पर नवीकृत का अवसान होता है	नवीकरण अधिकरण का ह ता र और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शत

इन नियम के नियम 112 म अंत व ट साधारण शत के अति र त, यह अनुज्ञति नि नलिखित अतिर त शत के अ यधीन रहते ए होगी जिसम—

1. आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सभी उपबंध के अधीन रहते ए, यह अनुज्ञति अनुद क जाती है।
2. यह केवल त भ 2, 3 और 4 म विनि द ट आयुध और गोलाबा द और त भ 9 म द शत योजन का समावेश करता है।
3. आयात और प र्वहन क दशा म—

(क) येक पैकेज को विषय-व तुओं का लेखा उस पर सुपा प से लिखा जाएगा ;

(ख) व तुओं के गंत य थान पर प चने से पहले व क टूटेगा नह ;

(ग) व तुएं केवल उसी यित को यित प रद क जाएंगी जो वैधानिक प से उ ह ा त करने का हकदार है।

4. अनुज्ञतिधारी कसी अ आयुध या गोलाबा द या उसके कसी भाग के विघटन या निपटान के उसके आशय का संब अनुज्ञापन अधिकारी को पूव सूचना देगा ; जिसके न होने पर, व तु के विघटन या निपटान का माण अनुपन अधिकारी क संतुटि के लिए उ ह देना होगा ।

प ॥

अनुसूची I के वग III (ख), III (ग), III (घ), III (ङ), IV या VI क के आयुध या गोलाबा द के अजन, क जे और उपयोग के लिए अनु ति यू०आई०एन० _____

अनुज्ञतिधारी और अभिकता (य द कोई है) का नाम, विवरण और निवास	आयुध का नाम और विवरण	गोला बा द		थान (विवरण सहित) जहां व तुओं को रखा जाए	अवधि जिसके लिए अनुज्ञति विधिमा य है
		विवरण	परमाण		
1	2	3	4	5	6

_____ 20 _____

ह तार

अनुज्ञापन अधिकारी _____

पदनाम _____

थान _____

अनु ति नवीकरण का प			
नवीकरण क तारीख और वर्ष	तारीख जिस पर नवीकृत अनुज्ञति का अवसान होता है	नवीकरण अधिकारी का ह तार और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शत

नियम 112 म अंत व ट साधारण शत और इन नियम के नियम 113 म अंत व ट गोलाबा द के संघटक से संबंधित विनि द ट सुरा शत के अतिर त, यह अनुज्ञति नि नलिखित साधारण शत के अधीन रहते ए होगी—

1. आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सभी उपबंध अधीन रहते ए, यह अनुज्ञति अनुद क जाती है ।

2. यह केवल त भ 2, 3 और 4 म विनि द ट आयुध या गोलाबा द का तब तक समावेश करता है, जब तक क वह त भ 5 म व णत थान पर रखा रहता है, लेकिन अनुज्ञति धारक को नि नलिखित के लिए अधिकृत नह करता है—

(i) आयुध का वहन करना ;

(ii) सरकारी आयुध या गोलाबा द को रखना ।

3. जहां शैक्षणिक संस्थान ारा पोटेथियम लोरेट का क जाधीन करने के लिए अनुज्ञति इन प म अनुद क जाती है, नि नलिखित अिम शत लागू ह गी :—

(क) योगशाला के योजन के लिए अपेित भ डा रत लोरेट का परमाण नि नतम होना चाहिए जो क अनुज्ञापन अधिकारी को सं थान अ य ारा यथा माणित कया गया हो ;

(ख) क जाधीन लोरेट टॉक को एक सुनि मत ताला व चाबी युक्त कप बोड या अलमारी कर्मचारी वृंद के जि मेदार सद य के निय ण और पर्यवेक्षण के अधीन रखा जाना चाहिए और थान जहां रसायन को रखा जाना है, पया त प से सुरित होना चाहिए ;

(ग) कमचा रवृद के जि मेदार सद य ारा निर तर अंतराल पर क जाधीन लोरेट का जारी करने और बकाया के लेख को रखा जाना चाहिए और वा तविक टॉक के साथ जांच क जानी चाहिए। कसी मेजि ेट या कसी पुलिस अधिकारी ारा या इ पेक्टर के टक से कम कान हो ारा मांग करने पर जांच के लिए लेखे उपल ध कराए जाने चाहिए।

प III

अनुसूची I के वग। (ख), I (ग), III, V, VI के खेल/ ल य प ति/ संर ण/ सं दशन हेतु आयुध या गोलाबा द के अजन/ क जा/ वहन और उपयोग के लिए अनु ति

अनुसूची I

यूआईएन	अनु ति का म सं०	अनुज्ञति धारक का नाम ज मतिथि और निवास	आयुध और गोलाबार द जिसे अनु ति धारक क जे के लिए हकदार है					
			यौरे सहित येक हथियार का संि त विवरण उदारणथ पहचान चि न, विनिर्माता क म सं० आ द	येक तरह के गोलाब द का प रमाण और विवरण				
				कसी एक समय पर क जा कया जाना है	वष के दौरान खरीद यो य	ेत्र जिसम अनुज्ञति विधिमा य है	तारीख जिस पर अनुज्ञतिका अवसान होता है	तारीख, जिस पर नियम 18 के अधीन अनुज्ञापन अधिकारी के सम जांच हेतु अनुज्ञति या आयुध या दोन को तुत जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8	

200

अनुज्ञापन अधिकारी का नाम

(प ट अ र म)/ह ता र

पदनाम _____

थान _____

मोहर

या
नियम 5 के अधीन ह ता र हेतु विशेष
प से सश त अधिकारी के ह ता र
पदनाम _____

थान _____

तिधारक क विशिष्टियां (कंपनिय क दशा म)			
1.	तिधारक का नाम		
2.	पिता का नाम		
3.	ज म क तारीख		
4.	थाई पता और नज़दीक पुलिस थाना		

ट पण :- अनुज्ञापन तिधारक त्तिधिकारी त्तरा स यक् प से सटांपित और ह त्तरा रत अनुज्ञति पर तिधारक का फोटो चिपकाया जाए।

नवीकरण अनु ति का प				
नवीकरण क तारीख और वष	तारीख जिस पर नवीकृत अनुज्ञति का अवसान होता है	नवीकरण तिधिकारी का नाम (बड़े अ रो में)/ ह त्तरा र और पदनाम	नियम 5 के अधीन अनुज्ञति को ह त्तरा रत करने के लिए वेशेष प से सश त्ति अधिकारी के ह त्तरा और पदनाम	मोहर
1	2	3	4	5

शत

इन नियम के नियम 12 म अंत व ट साधारण शत के अति र त, यह अनु ति निलिखित अति र त शत के अ यधीन रहते ए होगी—

- (1) आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सम त उपबंध के अधीन रहते ए अनुज्ञति अनुद क जाती है।
- (2) यह केवल इसम व णत नामित यति और आयुध या गोलाबा द का समावेश करता है।

(3) अनुज्ञति धारक त भ 9 म यथाविनि द ट अनुद या वि ता रत समय सीमा के भीतर आयुध को अनुज्ञति के साथ अनुज्ञापन तिधिकारी के सम अ जत और तुत करेगा। य द विनि द ट या वि ता रत अवधि के भीतर अनुज्ञतिधारी, आयुध अ जत करने म और अनुज्ञति या आयुध तुत करने म या दोन म असफल रहता है, यथाथिति अनुज्ञति क मा यता समा त हो जाएगी।

(4) अनुज्ञतिधारी, कसी आयुध या गोलाबा द को खरीदते समय विे ता के ह त्तरा रत नि नलिखित विशिष्टिय को अपनी अनुज्ञति पर, पृष्ठांकित करना होगा, अर्थात्—

- (क) यति, जो य क गई व तुओं को ा त करता है, का नाम, विवरण और विवास ;
- (ख) य क गई व तुओं क कृति और प रमाण ; और
- (ग) य क तारीख,

और आयुध या गोलाबा द, अनु तिधारी यवहारी के अति र त कसी अ य यति से य कया गया है, ऐसे तिधिकरण त्तरा इस योजन के लिए विहित ऐसी अवधि के भीतर तिधिकारी जिसने अनु ति अनुद क है, को ख ड (ख) और (ग) म विनि द ट विशिष्टियां लिखित प म तुत करेगा।

(5) अनुज्ञतिधारी, एक वष म य के लिए रकम और रकम और एक समय म क जाधीन कया सकने वाली रकम जैसा क नियम 23 म अधिकथित है अधिकतम विहित से अधिक कसी कार के गोलाबा द क खरीद नह करेगा। य द, तथापि, कोई अनुज्ञतिधारी वष के अंत से पूव ही उसे य यो य गोलाबा द के कुल प रमाण का नि:शेष कर देता है, तो उसे अनु ापन तिधिकारी के विवेक पर य यो य कुल प रमाण म अ छे और पया त कारण से थाई बढौतरी दी जा सकती है :

परंतु यह क अनुज्ञतिधारी को संबद्ध अनु ापन तिधिकारी त्तरा समझे गए समुचित पडोसी रा य के कसी तिधिकृत आयुध और गोलाबा द यवहारी से गोलाबा द य करने क अनु ा दी जा सकती है और ऐसे अनु ापन तिधिकारी त्तरा इसके भाव म अनुज्ञति पर पृष्ठांकन कया जाएगा।

(6) क ह पूर्वगामी शत के उ लंघन के लिए इस अनु ति के अमा यकरण पर तिकूल भाव डाले बिना, यह शून्य होगी, य द—

- (क) अनुज्ञतिधारी क मृत्यु हो जाती है ; या
- (ख) उसके अंतर्गत कोई हथियार—
 - (i) वि त या अत रत है ; या
 - (ii) डि के नि पादन म संल न है ;

परंतु यह क जहां हथियार वि त या अंत रत कया गया है, अनुज्ञापन ाधिकारी, उपर लिखित शत (3) क पूर्ति के अ यधीन रहते ए और अनुज्ञति धारक को उसके ारा इस निमित विनि द ट ऐसी अवधि के भीतर समान विवरण के नए हथियार अ जत करने क अनुज्ञा दे सकता है।

(7) अनुज्ञतिधारी, इन नियम के अधीन अनुज्ञ त अनयायुध मु त ज्ञोन म कसी अ यायुध का वहन नह करेगा। आगे, अनुज्ञतिधारी सावजनिक थान पर अ यायुध का वहन नह करेगा जब तक क—

(क) है ड न क दशा म—

(i) है ड न के वहन और अपने शरीर से लगाकर रखने के लिए म अ यायुध डिजाइन, विनि मत या उपयुक्त का वहन न कया गया हो; या

(ii) रकसैक या समान पकड़ म अ यायुध का वहन न कया गया हो; या

(ख) कसी अ य अ यायुध क दशा में, अ यायुध लाने ले जाने के लिए डिजाइन, विनि मत या उपयुक्त पकड़ का वहन न कया गया हो।

आगे अ यायुध-पूरी तरह से ढका होना चाहिए और अ यायुध का वहन करने वाला यति ऐसे अ यायुध पर भावशाली नियंत्रण का योग करने म समथ होना चाहिए।

(8) अनुज्ञतिधारी सार्वजनिक थान पर अ यायुध क िडिंग के लिए नह घुमाएंगा, न ही कसी विवाह के अवसर पर जन सभा, या जलूस या कसी पलिक समारोह या नि मत ेत्र म अ यायुध का वहन या निर्वहन करेगा।

(9) अनुज्ञतिधारी कसी अ यायुध को चििनित नह करेगा, चाहे वह उचित कारण बिना कसी के कसी अ य यति पर भरा गया हो या नह या निर्वहन के यो य है।

(10) अनुज्ञतिधारी, जब ऐसे अ यायुध, अपने पास वहन नह कर रहा हो या उसके सीधे निय ण म न हो, तो वह अपने क जाधीन अ यायुध को ताला और चाबी लगाकर सुरि त थान पर रखना सुनिचित करेगा।

(11) अनु त्तिधारी, अनुज्ञति या अ यायुध के हानि चोरी या न ट होने के जानकार होने के प चात् 24 घ टे के भीतर आयुध अनुज्ञति या अ यायुध के कसी हानि; चोरी या न ट होने पर ऐसी घटना के बारे म नजदीक पुलिस थाने म रपट करेगा।

(12) अनुज्ञतिधारी, अनुसूची IV के अधीन लागू फ स के संदाय के साथ संब अनुज्ञापन ाधिकारी के पास अपनी अनुज्ञति क विधिमा य अवधि के अवसान से नि नतम 60 दन पूव अनुज्ञति नवीकरण का आवेदन जमा करेगा।

(13) सरकारी आयुध या गोलाबा द को क जे म रखने क अनुज्ञा अनुज्ञापन ाधिकारी ारा जी सकती है, य द ऐसा करने के लिए के िय सरकार ारा, अनु त्तिधारी क अनुज्ञति जिसे वह रखने के लिए ाधिकृत है पर सरकारी आयुध या अ यायुध को दखा कर पृष्ठांकन करते ए, सश त कया जाता है।

अति र त अनुज्ञति के अधीन नियम 20 के लिए शत : —

(14) अति र त अनुज्ञतिधारी, अति र त अनुज्ञति के अनुद के लिए आवेदन करने के समय पर अपने नाम पर कोई वैयितिक अनुज्ञति नह धारण करेगा। आगे, अति र त अनुज्ञतिधारी, अवधि जिसके दौरान वह अति र त अनुज्ञतिधारी है कसी वैयितिक अनुज्ञति के आवेदन हेतु पा नह होता है।

(15) अति र त अनुज्ञति धारक अपनी अति र त अनुज्ञति पर कसी आयुध और गोलाबा द के अर्जन या य, वि य या अंतरण करने के लिए तिषि है। केवल मूल अनुज्ञति पर पृष्ठांकत आयुध और गोलाबा द को अति र त अनुज्ञति पर पृष्ठांकित करवाया जा सकता है।

(16) अति र त अनुज्ञति क विधिमा यता क अवधि और विधिमा यता का ेत्र मूल अनुज्ञति के सम प दज का होगा। अति र त अनुज्ञति क विधिमा यता के सम प दज का होगा। अति र त अनुज्ञति क विधिमा यता मूल अनुज्ञति के साथ यपगत हो जाएगी और य द कसी संभा यता मूल अनुज्ञपति निलंबित, तिसंहित या र हो जाती है, तो अति र त अनुज्ञति समान प रणाम के अ ययधीन होगी।

(17) अति र त अनुज्ञति धा रत यति का मूल अनुज्ञतिधारी के प रसर से अ थाई या थाई तौर पर थाना त रत हो जाने क दशा म अति र त अनुज्ञति वत: यपगत हो जाएगी और ऐसी अति र त अनुज्ञति को अनु ापन के पास तुरंत अ य पत कया जाएगा।

प III-अ

खेल/संरण/संप्रदशन के योजन हेतु आयुध या गोलाबा द के एक छूट ा कता के तिधारक ारा क जे और वहन के लिए अनु ि

यू आई एन	अनुज्ञि म सं०	अधिनियम क धारा 41 के अधीन छूट ा ि का नाम, विवरण और निवास, जिसने अनुज्ञि को नामनि द कया है	अनुज्ञितधारी का नाम और निवास	अनुज्ञितधारी के माता-पिता का नाम और निवास	आयुध और गोलाबा द जिनका अनुज्ञितधारी क जा करने और वहन करने का हकदार है	अनुज्ञि क विधिमा यता का ेत्र अर्थात् सब भारत या जिला है	तारीख जिस पर अनुज्ञि का अवसान होता है या अधिनियम क धारा 41 के अधीन तारीख जिस पर तंभ 3 म विनि द ि को छूट ा होना समा होती है (जो भी पहले हो)	
					यौरे सहित येक हथियार का संि विवरण उदारहण के लिए पहचान चि न, विनिर्माता क म सं० आ द	येक क म के गोलाबा द का प रमाण और विवरण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अनुज्ञापन अधिकारी का नाम (प ट अ र में)/ह ता र पदनाम थान

...../...../20 (मोहर)

या

नियम 5 के अधीन अनुज्ञि ह ता र करने के लिए विशेष प से सश अधिकारी के ह ता र पदनाम थान

अनु ि के नवीकरण हेतु प				
नवीकरण का तारीख और वर्ष	तारीख जिस पर नवीकृत अनुज्ञि का अवसान आ	अनुज्ञापन ाधिकारी का नाम (पूरे अ र में)/ह ता र और पदनाम	नियम 5 के अधीन ह ता र हेतु विशेष प से सश अधिकारी के ह ता र और पदनाम	मोहर
1	2	3	4	5

शत

इन नियम के नियम 112 म रखी गई साधारण शत के अति र , यह अनुज्ञि नि लिखित अति र शत के अ यधीन रहते ए होगी :-

1. आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सम त उपबंध के अधीन रहते ए यह अनु ि अनुद क जाती है।

2. यह केवल इस अनुज्ञा के तंभ 4 म नामित ि और तंभ 6 और 7 म व णत गोलाबा द के अंतगत आता है।
3. यह अनुज्ञा उस ि को, जो उसक ओर से नामनि द है और अधिनियम क धारा 41 के अधीन छूट ा ि जिसने वयं को ही अपना तिधारक माणित कया है, को अनुद होगी और केवल इसक ओर से ऐसे छूट ा ि क संपा के प म विनि द गोला बा द के संदभ म अनुद होगी।
4. इस अनुज्ञा का अनुद /तवीकरण उस शत के अ यधीन है क अधिनियम क धारा 41 के अधीन तारीख, जिस पर अनुज्ञा के तंभ 3 म विनि द ि को ा छूट समा होती है, को इसका अवसान होगा, जहां ऐसी तारीख उस तारीख से पूर्वतम है अनुक्रम म अ यथा अवसान हो गई होती।
5. अनुज्ञातिधारी, इस अनु ि के अंतर्गत आने वाले कसी आयुध का वहन नह करेगा अ यथा खेल/संरण/संप्रदर्शन के योजन के लिए स ाव के अंतर्गत हो।

प III-आ
कंपनिय के तिधारक को अनु ाप

कंपनी ारा
स यापित
तिधारक का
पासपोट आकार
फोटो

अनु िधारी क विशिां		
1.	कंपनी का नाम	
2.	अनुज्ञा पर व णत पता	
3.	अनुज्ञा संख्या और यू आई एन	
4.	अनुज्ञा क विधिमा यता क अवधि	
5.	अनुज्ञा क विधिमा यता का ेत्र	
6.	जि मेदार ि का नाम, पदनाम सहित	
<p>ि जिसक विशिां नीचे यौरव हैं, एतद ारा कंपनी के आयुध तिधारक के प म नियुक्त आ है, उसे कंपनी तंभ 3 म उल्लिखित कंपनी क अनुज्ञा के अंतर्गत त भ 10 और 11 म उल्लिखित आयुध या गोलाबा द के जि मेदार ि के तौर पर मेरे ारा जारी सम त विधिपूण आदेश के क जे, वहन और उपयोग क हकदारी दी जारी है</p>		
तिधारक क विशिां		
7.	तिधारक का नाम	
8.	पिता का नाम	
9.	तिधारक का नाम और नजदीक पुलिस थाना	
10.	तिधारक को य त श के यौरे	
	कार	
	केलिबर/बोर	
	हथियार संख्या	
11.	तिधारक को य त गोला बा द का प रमाण	
12.	अनुज्ञापन क विधिमा यता	दन/माह/वष
13.	तिधारक के ह ता र	
<p>तंभ 7 म उल्लिखित तिधारक अपने साथ यह अनुज्ञापन आयुध और गोलाबा द के वहन पर ले कर जाएगा और अनुज्ञा के अंतर्गत नह आने वाले ेत्र म आयुध या गोला बा द का वहन नह करेगा</p>		

अनुज्ञापन ाधिकारी क टे प और मोहर
कंपनी क ओर से ह ता र करने वाले जि मेदार ि के ह ता र टेम्प सहित

प IV

जंगली जानवर, जो मनुष्य या पशुओं को हानि और फसल को नुकसान पहुंचाते ह, के विनाश हेतु आयुध या गोला बा द के अजन/क जे/वहन और उपयोग के लिए सम्मिलित अनु ि

यू आई एन	अनुज्ञा संख्या	अनुज्ञातिथारी का नाम, विवरण और निवास	आयुध और गोला बा द		थान और ेत्र जिसके भीतर अनुज्ञा विधिमा य है	अवधि जिसके लिए अनुज्ञा विधिमा य है	नियम 18 के अधीन तारीख जिस पर अनुज्ञा या आयुध या दोन को निरी ण हेतु अनुज्ञापन ाधिकारी के सम उपल ध करावाया जाएगा ।	
			येक हथियार क यौरे सहित संि विवरण, उदारहण, के लिए विनिर्माता का मांक सं० और पहचान चि ह य द कोई है	येक कार के गोला बा द का परमाण और विवरण				
				कसी एक समय पर अधिकतम क जाधीन	वष के दौरान अधिकतम य यो य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

जंगली जानवर जो मनुष्य या पशु को हानि पहुंचाते ह, के विनाश क दशा म	फसल के नुकसान के वि संर ण
अनुज्ञातिथारी को व य जीव (संर ण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन अनुदत अनु ा-प के अनुसार इस अनुज्ञा के अधीन जंगली जानवर का विनिदश जो विनाश हेतु अनुज्ञा ा ह	मैजि ेट क उपाधि और निवास जिसे येक वष 15 नवंबर और 31 दस वर के बीच अनुज्ञा और हथियार दखाए जाने चाहिए
10	11

...../...../20 (मोहर)

(ह ता र)
अनुज्ञापन ाधिकारी
पदनाम
थान

अनुज्ञा नवीकरण का प			
नवीकरण का तारीख और वर्ष	तारीख जिस पर नवीकृत अनुज्ञा का अवसान होगा	नवीकरण अधिकारी का हता और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शत

इन नियम के नियम 112 म रखी गई साधारण शत के अतिर, यह अनुज्ञा नि लिखित अतिर शत के अ यधीन रहते ए होगी—

1. यह अनुज्ञा —

(क) आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सभी उपबंध के अधीन अनुदत क जाती है ;

(ख) यथाश्चित्, रा य और संघ रा य ेत्र के संदभ म जहां उ अधिनियम लागू है, व य जीव (संरण) अधिनियम, 1972 के उपबंध 11 और 39 (1972 का 53) या अ य सुसंगत धारा के अ यधीन अनुदत है ।

2. अनुज्ञातिधारी त भ 7 म अंत व थान या ेत्र के अलावा अ य थान या ेत्र में, जंगली जानवर, जो मनुष्य या पशुओं को हानि और फसल को नुकसान पं चाते ह, के स ावपूर्वक विनाश से अ यथा इस अनुज्ञा के अंतर्गत आने वाले कसी आयुध का वहन नह करेगा ।

3. अनुज्ञातिधारी, नियम 23 म दी गई अधिकतम सीमा के अ यधीन रहते ए, अनुज्ञा के त भ 5 और 6 के अधीन अधिकतम अनुज्ञात से अधिक कसी कार के गोला बा द का य या क ज नह करेगा ।

4. अनुज्ञातिधारी कसी आयुध या गोलाबा द क खरीद के समय विं ता के ह ता र अधीन अपनी अनुज्ञा पर नि लिखित विशि य को पृष्ठांकिक करेगा, अर्थात् :—

(क) ि, जो य क गई व तुओं का प रदान करता है, का नाम, विवरण और निवास ;

(ख) य क गई व तुओं क कृति और प रमाण, और

(ग) य क तारीख ;

और य द आयुध अनुज्ञा वहारी के अतिर कसी अ य ि से य कया जाता है, तो वह ाधिकारण के सम जिसने उसे अनु ि अनद क थी, को खंड (ख) और (ग) म विनि द विशि य को लिखित प म ऐसे ाधिकरण ारा इस योजन के लिए विहित अवधि के भीतर देगा ।

5. अनुज्ञातिधारी त भ (9) म विनि द अनुद या वि ता रत समय सीमा के भीतर, अनुज्ञापन ाधिकारी के सम, अनुज्ञा के साथ आयुध को अ जत और तुत करेगा । य द अनुज्ञातिधारी विनि द या वि ता रत अवधि के भीतर आयुध अ जत करने और आयुध या अनुज्ञा या दोन को तुत करने म असफल रहता है, यथाश्चित्, अनुज्ञा कृत नह रहेगी ।

6. जंगली जानवर, जो मनुष्य या पशुओं को हानि और फलल को नुकसान पं चाते ह के लिए अनुद इस अनुज्ञा और इसके अंतर्गत आने वाले हथियार को अनुज्ञातिधारी येक वर्ष म एक बार 15 वर्ष नवंबर और 31 दस बर के बीच त भ 11 म नि द मेजि ेट के सम तुत करेगा ।

7. आगे,

(क) अनुज्ञातिधारी, इस अनुज्ञा के अंतर्गत आने वाले कसी आयुध या गोला बा द को कसी ि को उधार नह देगा

(ख) जहां, कसी फसल के मौसम को समाि के प ात्, रा य सरकार के विचार से यह समीचीन है क कसी ेत्र म व य जीव के संरण के लिए इस कार का कोई अनु आयुध या गोला बा द पुलिस थाने म या अनुज्ञा वहार य के पास जमा करना चाहिए, जो आदेश ारा ऐसी अवधि के लिए कसी अनुज्ञातिधारी ारा ऐसे अ यायुध या गोलाबा द को जमा करने क अपेक्षा करता है जिसम फसल के संरण और जैसा इसम विनि द हो सके के लिए आयुध अपेि त नह है, और ऐसा होने पर अनुज्ञातिधारी ऐसे आदेश क अनुपालन के लिए बा य होगा ।

8. क ह पूर्वगामी शत के उ लंघन के लिए इस अनुज्ञा के अमा यकरण पर तिकूल भाव डाले बिना, यह शून्य होगी,

य द—

(क) अनुज्ञातिधारी क मृत्यु हो जाती है ; या

(ख) इसके कोई हथियार—

(i) वि त या अंत रत है ; या

(ii) डि के नि पादन म संल है ;

पर तु यह क जहां हथियार वि त या अंत रत कया गया है, अनुज्ञापन ाधिकारी, अनुज्ञातिधारी को उसके ारा इस निमि विनि द ऐसी अवधि के भीतर समान विवरण के नए हथियार अ जत करने क अनुज्ञा दे सकता है ।

प V

अ आयुध या गोलाबा द के, खेल/लियत अ यास के योजन के लिए अनुज्ञि का अजन/क जा और उपयोग

यू आई एन	अनुज्ञि का मांक सं०	मैस, लब या संगम या फाय रग रज का नाम, विवरण और थान	आयुध और गोलाबा द जिनको अनुज्ञि धारक क जा करने का हकदार है	थान जिसके भीतर अनु ि विधिमा य है	तारीख जिसपर अनुज्ञि अवसान होता है	नियम 18 के अधीन तारीख जिस पर अनुज्ञि या आयुध या दोन अनुज्ञापन अधिकारी के सम जांच के लिए तुत क जाएगी	
1	2	3	4	5	6	7	8
			कसी एक समय म अधिकतम क जाधीन	वष के दौरान अधिकतम य यो य			

मोहर

अनुज्ञापन अधिकारी का नाम (बड़े अ र में)/ह ता र पदनाम
थान
या
नियम 5 के अधीन अनुज्ञि ह ता र करने के लिए विशेष प से सश अधिकारी के ह ता र पदनाम
थान

अनु ि के नवीकरण का प				
नवीकरण क तारीख और वष	तारीख जिस पर नवीकृत अनुज्ञि का अवसान आ	नवीकरण अधिकारी का नाम (बड़े अ र में) ह ता र और पदनाम	नियम 5 के अधीन अनुज्ञि को ह ता रत करने के लिए विशेष प से सश अधिकारी का ह ता र और पदनाम	मोहर
1	2	3	4	5

शत

इन नियम के नियम 112 म रखी गई साधारण शत के अतिर , यह अनुज्ञि नि लिखित अतिर शत के अ यधीन रहते ए होगी—

- (1) आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सभी उपबंध के अधीन रहते ए यह अनुज्ञि अनुद क जाती है।
- (2) इसके अंतर्गत केवल नामित मैस, लब, संगम या फाय रग रज और इसम व णत आयुध और गोला बा द आते ह।
- (3) अनुज्ञि धारक त भ 8 म यथाविनि द अनुद या वि ता रत समय सीमा के भीतर, अनुज्ञि सहित आयुध का अर्जन और उ पादन एक साथ अनुज्ञापन अधिकारी के सम करेगा। य द अनुज्ञि धारक विनि द या वि ता रत समय के भीतर आयुध को अ जत और अनु ि या आयुध या दोन को तुत करने म असफल रहता है, यथाथिति अनुज्ञि कृत नह रहेगी।

(4) अनुज्ञतिधारी, कसी आयुध या गोलाबा द के य के समय, विे ता के ह ता र के अधीन अपनी अनुज्ञि पर नि लिखित विशििय को पृष्टंकित करेगा, अर्थात्

(क) ि जो मैस, लव या संगम क ओर से य क गई व तुओं का प रदान करता है, का नाम, विवरण और निवास ;

(ख) य क गई व तुओं क कृति और प रमाण ; और

(ग) य करने क तारीख ;

और य द आयुध या गोलाबा द, अनुज्ञ वहारी के अतिर कसी अ य ि से य करता है, तो इस योजन के लिए उस िधिकरण ारा विहित ऐसी अवधि जिसके भीतर िधिकारी जिसने यह अनुज्ञि अनुदत क है को खंड (ख) और (ग) म विनि द विशििय को लिखित म तुत कया जाएगा।

(5) अनुज्ञतिधारी का लिखित माणप जो तावित य क रकम को माणित करता हो के सिवाय गोलाबा द का य तथापि अनुज्ञात नह है, उसके क जाधीन गोलाबा द का कुल प रमाण, जो वह एक समय म क जा करने का हकदार है या 2 वष के लिए उसके कुल भे से, अधिक नह होगा।

(6) मैस, लव या संगम या फाय रग रज अनुज्ञि के त भ 4 और 5 के अधीन अनुज्ञात प रमाण से अधिक या अधिकतम गोला बा द का य का क जा नह करेगा, जो के िय सरकार ारा एक वष म य यो य रकम और कसी एक समय म रखी जा सकने वाली रकम, का समय समय पर निर्धारण कर जा सकता है। वयं के उपयोग हेतु उपयुक्त गोलाबा द और ऐसी मैस, क व, संगम या फाय रग रज के रजि िकृत सद य ारा उपयुक्त को अंत व करने के लिए अ जत और उपयुक्त गोला बा द क तालिक पोषित क जाएगी।

प V-अ

धिकार प

[नियम 36 (4) के अधीन उधारदाता ारा जारी कया जाना है]

उधारदाता क विशिियां

1.	उधारदाता का नाम, जो सम पत खिलाड़ी है	
2.	यू आई एन	
3.	अनुज्ञि संख्या	
4.	अनुज्ञि क विधिमा यता क अवधि	
5.	अनुज्ञि म यथा उलिखित पता	
6.	दूरभाष/मोबाईल संख्या	

ऋणी क विशिियां

1.	ऋणी का नाम, जो सम पत खिलाड़ी है	
2.	माता-पिता/पति-प ि का नाम	
3.	सद यता संख्या (ऋणी के राईफल लव या संगम का रजि िकृत सद य होने क दशा में)	
4.	निवास का पता	
5.	दूरभाष/मोबाईल संख्या	
6.	धिकरण के अनुद का योजन (शि ण/ल य/अ यास/खेल आयोजन)	
7.	अवधि जिसके हेतु िधिकार को जारी कया जा रहा है (अधिकतम अवधि : 3 मास)	
8.	ेत्र जिसके भीतर िधिकरण विधिमा य है	
9.	शूटिंग रज का नाम और पता जहां अ यायुध और गोला बा द का वहन कया जाना है	

आयुध और गोलाबा द, जिसे ऋणी शि ण/ल य अ यास के लिए बहन और उपयोग करने का हकदार है, का यौरा			
विशि ियां	अ यायुध-1	अ यायुध-2	अ यायुध-3
अ यायुध का यौरा			
कार			
बोर			
संख्या			
गोला बा द			
कारतूस क संख्या			
उपसाधन			

(उधारदाता का नाम और ह ता र)

प V-आ

राईफल लब/संगम के सद य को पास (लब/संगम के सु त लेटरहेड पर जारी कया जाए) अनुज्ञतिधारी क विशि ियां	
1.	राईफल लब/संगम का नाम
2.	यू आई एन
3.	अनुज्ञि संख्या
4.	जि मेदार ि का नाम
5.	रजि िकृत पता
6.	दूरभाष/मोबाईल संख्या
सद य जिसे पास जारी कया जा रहा है, क विशि ियां	
1.	सद य का नाम
2.	माता-पिता/पति-प ि का नाम
3.	सद यता संख्या
4.	निवास पता
5.	दूरभाष/मोबाईल संख्या
6.	पास के अनुद का योजन (मर मत/ शि ण/ल य/अ यास/खेल आयोजन)
7.	अवधि जिसके पास जारी कया जा रहा है
8.	ेत्र जिसके भीतर पास विधिमा य है
9.	शूटिंग रज का नाम और पता जहां अ यायुध और गोला बा द का बहन कया जाना है

आयुध और गोलाबा द, जिसे पास धारक मर मत/ शि ण/ल य अ यास के लिए बहन करने का हकदार है, का यौरा			
विशि ियां	अ यायुध-1	अ यायुध-2	अ यायुध-3
अ यायुध का यौरा			
कार			
बोर			
संख्या			
गोला बा द			
कारतूस संख्या			
उपसाधन			

शूटिंग लब/संगम क ओर से जि मेदार ि ारा ह ता रत/ टांपित

प VI
ब थाई आयात/निर्यात अनु ि
अनु ि सं या

*अनुज्ञिधारी का वग जैसा लागू हो	अनुज्ञिधारी का नाम और विवरण, अनुज्ञिधारी क रा ियता और पासपोर्ट संख्या या खेलने वाली टीम/समूह का समूह नेता या बंधक	आयुध या गोलाबा द ज जो वग (1) म उ लिखित अनुज्ञिधारी क जा करने और वहन करने का हकदार है		भारत म आगमन का थान	भारत थान थान	म का	अवधि जिसके लिए अनुज्ञि विधिमा य है
		येक हथियार का सं ि विवरण	येक तरह के गोलाबा द का प रमाण और विवरण				
1	2	4	5	6	7	8	

मोहर

(ह तार)

अनुज्ञापन िधिकारी

पदनाम

थान

* ऊपर दए गए त भ 1 के अनुसार अनुज्ञिधारी का वग

वग	अनुज्ञि का कार	अनुसूची। म विनि द आयुध का वग
(क)	खिलाडी, शूटिंग खेल आयोजन के दौरान या विज्ञा क विधिमा यता तक, जो भी पहले हो, के लिए भारत म आयात करने क जाधीन, उपयोग (शूटिंग खेल आयोजन हेतु), या ि, आर-पार प रवहन और भारत से बाहर निर्यात का हकदार है	III
(ख)	पर्यटक, भारत म अपने ठहरने के दौरान, अर्जन, क जा (परंतु उपयोग नह) करने का वहन/निर्यात भारत के बाहर करने का हकदार है	III, IV, V
(ग)	विदेशी आगंतुक, आयात, क जा, िपार या खेल शो परसंप्रदर्शन करने और भारत से बाहर निर्यात करने का हकदार है	III
(घ)	विदेशी सरकार का कोई अधिकारी या वि यात विदेशी आगंतुक या विदेशी विधि वर्तन अधिकारी, विदेश मंत्रालय के पूर्विक अनुमोदन के साथ आयात, क जा, वहन और भारत से बाहर निर्यात करने का हकदार है	III
(ङ)	एक विधिस मत ि, के िय सरकार के पूर्विक अनुमोदन के साथ आयात, क जा, वहन और भारत से बाहर निर्यात करने का हकदार है	III

-----20-----
 तारीख जब एक ति नियम 7 (2) के तारा -----राय सरकार के -----जिले के जिला मजि ेट को भेजी गई है।
 -----20-----
 (मोहर)

(ह तार)
 सचिव/संयु सचिव
 भारत सरकार, गृह मंत्रालय
 या
 नियम 5 के अधीन अनुज्ञि पर
 ह तार करने के लिए विशेष प से
 सश अधिकारी का ह तार और
 पदनाम

अनुज्ञि के नवीकरण का प			
नवीकरण क तारीख और वर्ष	नवीकृत अनुज्ञि के अवसान क तारीख	नवीकरण करने वाले अधिकारी का ह तार	मोहर
1	2	3	4

शत

- (क) यह अनुज्ञि आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सभी उपबंध के अधीन दान क जाती है।
- (ख) यह अनुज्ञि, अनुज्ञिधारी को मश: तंभ 3 और तंभ 5 म यथाविनि द अ यायुध या गोला बा द के विनिर्माण, या माण परी ण का हक देता है
2. अनुज्ञि धारी से अनुज्ञि दान कए जाने के 7 वर्ष के अ दर कारखाना परसर का सनिर्माण करना, संय और मशीन रय को थापित करना अपे त होगा।
3. अनुज्ञि धारी को अनुज्ञि क आरंभिक विधि मा य अवधि के अ दर परी ण करना और आ द प विकसित करना अनुज्ञात है।
4. अनुज्ञि धारी को अधिमानत: उ पाद डिजाईन और विकास के ेत्र म आ मनिर्भर होना चाहिए और विनि मत माण परी ण कये जाने वाले उ पाद के अनुर ण और जीवन च सहायता क सुविधा होना चाहिए।
5. विदेशी सहयोगी से या देशी अनुसंधान और विकास से अनुज्ञि के अधीन उ पा दत कए जाने वाले अ यायुध और गोला बा द के लिए मानक और परी ण य को अनुज्ञि धारी तारा सरकार नामित गुणव ा आ ासन एंजेसी को उपल ध कराया जायेगा, जो अनुज्ञि धारी के वाणिज्यिक उ पादन को ार भ करने क अनु ा के लिए आवेदन करने से पढ़ने तैयार उ पाद का परी ण और निगरानी तारा और गुणव ा आ ासन या क संपरी ा करके निरी ण करेगी।
6. कसी नई विनिर्माण या माण परी ण सुविधा क थापना करने वाला अनुज्ञि धारी, अ यायुध और गोला बा द के विनिर्माण हेतु वाणिज्यिक उ पादन के लिए सूचना फाईल करने से पहले, र ा उ पादन विभाग तारा तैयार सुर ा निदशिका म अ त व सुरक्षा शत का पूण प से अनुपालन करेगा।
- (क) अनुज्ञि, अनुज्ञि धारी को, अनुज्ञि ाधिकारी क पूव अनुज्ञा से कसी यायित शूटिंग रैज म परी ण के लिए कसी अ यायुध या गोला बा द को ले जाने का हकदार बनाती है।
- (ख) अनुज्ञि, केवल तब तक विधि मा य है जब तक अनुज्ञि धारी उसके तंभ 1 म द शत जारी रखता है और य द कारबार लगातार छ: मास क अवधि से अधिक जारी नह रहता है तो यह बमेव ही पगत हो जायगा।
- (ग) अनुज्ञि धारी अनुज्ञि ाधिकारी क मंजूरी के बिना इस अनुज्ञि से संबंधित कोई भागीदारी नह करेगा।
7. अनुज्ञि धारी सभी विनि मत या माण परी त अ यायुध का वि नमित या अ त रत सभी गोला बा द का हाथ म सभी टाक का, और सभी ि य का, ऐसे पो म जो नियम म विहित कए है वि रा----- को दर्शाते ए रजि का अनुर ण करेगा, और अनुज्ञि धारी उन अ यायुध पर जि हे इन नियम के नियम 59 के अनुसार माणित कया गया है माण परी ण और टा प परी ण-चि ह के काय को जारी रखेगा।

8. अनुज्ञाधारी, कसी मजिेट या के िय सरकार ऐसी निदेश करती है, पुलिस अधिकारी निर क या कोई उप-निर क प्ि से अ युन रैक का कोई मांग करने पर अपने टांक और अपने रजि र को निरी ण हेतु उपल ध करायेगा।
9. अनुज्ञाधारी अपने कारबार के थान और कारखाने के उस भाग पर जो स दृश्यमान हो पर कोई ऐसा साइन बोर्ड लगायेगा जिस पर अंग्रेजी/ हदी और जिले क भाषा म उसका नाम और अ यायुध तथा गोला बा द के विनिर्माण और /या माण परी ण के लिये अनुज्ञ श द बडे अ र म लिखे ह गे।
10. अनुज्ञाधारी तंभ 2 और 4 के अधीन विनिर्माण कए जाने वाने अ यायुध और गोला-बा द का विनिर्माण नह करेगा, के िय सरकार क पूव अनुज्ञा के बिना और ऐसो शत के अधीन जि हे के िय सरकार ार विहित कया जाए के सिवाय अपने कारबार का वि तार नह करेगा।
11. अनुज्ञाधारी उसके ारा विनि मत कसी अ यायुध का कसी को तब तक नह वि य नह करेगा जब तक क -----
(क) ऐसे अ यायुध को कसी सरकारी थापन या इन नियम के अधीन अनुज्ञ कसी माण गृह या संयुक्त अनुज्ञा क दशा म गृह म माण परी त ारा स यक प से माण परी त नह कया गया है।
(ख) ऐसे अ यायुध पर माण-चि ह न लगा हो और
(ग) ऐसे अ यायुध पर नियम 58 ारा अपे त पहचान चि ह नह लगा है।
12. अनुज्ञाधारी अ यायुध या गोला-बा द का तंभ 1 म विनि द कारबार या कारखाने के थान से अ य कही वि य नह करेगा।
13. अनुज्ञाधारी विनिर्माण के समय अ यायुध पर टा प कये गए या अ यथा विनिर्माता म संख्याक और अ य पहचान चि ह क , य द कोई हो, अपने रजि टर म वि करेगा।
14. अनुज्ञाधारी अ यायुध और गोला बा द के सभी वि य और अ तरण क जानकारी ऐसी ि यो को और ऐसी रीति म देगा जैसा के िय सरकार निदेश कर देगा ।
15. अनुज्ञाधारी कसी ऐसे यति को, जो अ यायुध या गोला बा द के क जे के या साथ रखने के लिए अनुज्ञ त है, उस भाव के ऐसे यति पहला लिखित माणप ा त कए बिना गोला बा द क कसी मा ा का वि य या अंतरण नह करेगा क उसके ारा य कए जाने वाले तावित गोला बा द क मा ा उसके क जे म कुल मा ा उस मा ा से अधिक नह होगी जिसका वह वष म कसी एक समय पर क जे या वष अपने कुल अनुज्ञात का हकदार है ।
परंतु वह कसी यति को गोला बा द क कसी ऐसी अधिकतम मा ा, जो क िय सरकार ारा ऐसे यति के लिए नियत कया गया है या जिसे ऐसे यति के अनुज्ञात पर पृष्ठांकित कया गया है, से अधिक मा ा क दशा म वि य या अंतरण नह करेगा ।
16. अनुज्ञाधारी अ यायुध या गोला बा द को कसी ऐसी ि को जिसके पास प III, प IV या V म अनुज्ञा है वि य या अ तरण के समय अनुज्ञा पर नि लिखित पृष्ठांकित करेगा-
(क) उस ि का नाम, वर्णन घर का पता जो वि य या अ त रत व तुओं को लेता है।
(ख) वि त या अ त रत व तुओं क कृति और मा ा
(ग) वि य या अ तरण क तारीख और पृष्ठांकन पर ह ता र करेगा (और अपनी मोहर लगायेगा)
17. अनुज्ञाधारी सिक ऐसे अधिकारी, गैर समीशन ा अधिकारी या संध क सश सेना सैनिक को अ यायुध और गोलाबा द का वि य नह करेगा, जब तक क ऐसी ि कमांट करने वाले अपने अधिकारी ारा लिखित वेश प या अनुज्ञता तुत नह करता है, और तब केवल उस वि तार तक और ऐसी शत पर करेगा जैसा वेश या अनुज्ञता म विनि द कया गया है।

नियम 56 (5) के अनुसार तालिका बंधन पति से संबंधित शत**1.1 शि य का पृथ रण**

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अयायुध और गोला बालू सुविधा के विनिर्माण के बंधन मलगे एक मक को एक साथ ऐसा उरदायि व न दया जाए जिससे क उपकरण क दृि से छिपने पर या अयायुध को चुराया या अयथा उपयोगन करना उनके लिए सुविधाकर हो जाए, ऐसे रोक और संतुलन लगाये जाने चाहिए। उदाहरण के लिए

- (क) भंडारण, लेखो और संपरी ा के कृ य को करने के लिए उसी का मक को एक साथ उरदायी नह बनाया जाना चाहिए।
- (ख) अयायुध के अतरण का भौतिक सयापन करने वाले उरदायी का मक को अयायुध अतरण के भौतततिक अभिलेख के संचालन के लिए उरदायी नह बनाया जाना चाहिए।
- (ग) अयायुध लेखो के लिए उरदायी का मक को भंडार का मक क सीधी निगरानी के बिना टाक जांच मसमिलित नह कया जाना चाहिए।
- (घ) अयायुध टाको क वत निकायो ारा नियमित बा संपरी ा क जानी चाहिए।

1.2 अयायुध लेखा

येक विनिर्माण सुविधा पर एक ऐसे लेखा का अनुर ण कया जाना चाहिए जो भंडार म येक अयायुध के लिए नि लिखित सूचना का अभिलेख रखता है।

- (क) बनावट
- (ख) माडल
- (ग) कैलीबर
- (घ) मांक संख्या
- (ङ) तैयार टाक म वि तारीख
- (च) अंत रत/वि य/नियतिक तारीख
- (छ) संशोधन और/या मर मत का अभिलेख: और
- (ज) कार ारा अहग कए गए अयायुध क कुल मा ा

अयायुध लेखा को इलेक ानिक प म रखना चाहिए और उसका बैकअप भी होना चाहिए। बैकअप इलेक ानिक और हाई ति दोनो म होना चाहिए, लेकिन केवल हाई ति म भी रखा जा सकेगा। इसके अति र चालू स ाह को सं वहार के ख म होने से पहने अपलोड करना आव यक है।

कसी भी प म लिए गए बैकअप को, हथियार के लेखा कार्यालय म चोरी, जो जानेस आग हग जाने आ द क घटना म सभी डाटा क हानि से बचने के लिए उ हे मूल तता एक दूसरे से अहग रखा जाना चाहिए। अयायुध लेख को अ त तक रखा जाना चाहिए।

1.3 अयायुध का जारी कया जाना

केवल ाधिकृत अधिकारी ही अयायुध और गोला बालू को भंडार ेत्र क विनिर्माण इकाई से हटा कसगे। सकारा मक प से पहचान करने के लिए और भंडार ेत्र करने के लिए और ाधिकृत ि य को अधि ामणित करने के लिए एक पति को विससित कया जायेगा और हागू कया जाएगा ऐसी कसी प ति म कसी ऐसी रजि टर या लोग को समिलित कया जाना चाहिए जिसम सुगमता से उन अयायुध लेख के साथ ति निर्देशित कया जा सके जिनम कम से कम नि लिखित सूचान अभिलिखित हो-

- (क) अयायुध/अयायुध को हटाने वाले ि का नाम और ह ता र।
- (ख) अयायुध/अयायुध को जारी करने और वापिस करने क तारीख और समय।
- (ग) हटाए गए तथा वापिस कए गये अयायुध/अयायुधो का बनावट, मांडल और मांक संख्या।
- (घ) अयायुध/अयायुध को हटाने का योजन

1.4 टांक जांच

अ यायुध टांक क विषय व तु को अ यायुध लेखा के सापेक्ष नियमित आधार पर यापित कया जाना चाहिए, विशेषतया-

(क) अ यायुध क उसक मा ा और कार से एक भौतिक टांक जांच क जानी चाहिए-

- लघु मा ा म विनिर्माण क इकाई क दशा म येक दन
- वृहत् मा ा म विनिर्माण इकाई क दशा म येक स ाह

(ख) टांक म अ यायुध के कम से कम 10 तिशत मांक संख्या ारा भौतिक टांक जांच क जानी चाहिए

- लघु मा ा म विनिर्माण क इकाई क दशा म येक स ाह वृहत् मा ा म विनिर्माण क इकाई क दशा म येक माह

(ग) मा ा कार और मांक संख्या ारा एक 100 तिशत भौतिक टांक जांच क जानी चाहिए-

- भंडार म अ यायुध क मा ा को यान म रखे बिना येक छःमाह

- जब भा चिविय क अभिर ा का अ दर आने वाले और बाहर जाने वाले जाबी अभिर क थाई प से अ तरण कया जाता है।

(झ) हानिय को रपोट करना और जांच

अ यायुध क कसी हानि या चोरी के संदेह को शी प से समुचित ाधिकारी को रपोट कया जायेगा जो अ यायुध बंधन प ति से असंबद्धित कसी ि या संघठन ारा कसी वत जांच को शी ेरित करेगा।

कसी जांच रपोट म नि लिखित सूचना को सम्मिलित करके समेकित कया जाना चाहिए:

(क) अ यायुध जिसम नि लिखित है क पहचान करना

- (1) बनावट
- (2) माडल
- (3) कैलीबर
- (4) मांक संख्या

(ख) अ र्तवलित तारीख, अवथिति और इकाई

(ग) हानि क प रथितय का सारांश

(घ) हानि का प िकरण (उदाहरणार्थ उपेक्षा, चोरी, आ द)

(ङ) क गई अनुशासना मक और /या अपराधिक कारवाइ

(च) पुनः घटना से बचने के लिए सिफा रश

(छ) अ यायुध/अ यायुध के वसूली क तारीख और अवथिति (य द लागू हो)

(ज) वसूली क प रथितिय का सारांश (य द लागू हो)

अ यायुध क हानी या चोरी क पहचान, जौसा क ऊपर (क) म उपव णत ह, को वसूरी पर समय से उनक पहचान को सुकर बनाने के लिए एन डी ए एल प ति म अभिलेखित और तिध्वा रत कया जाएगा।

तालिक समायोजन के संस्करण से समय कसी अ यायुध हानि को लेखा या तालिका विसंगति नह माना जा सकेगा जब तक क जांच ारा यह अवधा रत नह कया गया है क हानि कसी चोरी का प रणाम नह था।

1.5 अधिशेष टांक का अवधारण

उन अ यायुध जो रा िय /अंतर्रा ियक अपेक्षा से अधिशेष हो गया ह के कार और संख्या का अवधारण करने के दृ िकोण से अ यायुध के कार और संख्या का पुर्नविलोकन करना विनिर्माण इकाईय का परमाधिकार है।

अधिशेष टांक ऐसे कार्यशील (जसम उनके भाग, संघटक और गोलाबा द भी शामिल है के प म ात है आ त रक और बा सुर ा को सुनि ि त करने के लिए हा य क आयुध सेवा ारा अब अपे ि त नह है और न ही विधिपूण ता को निर्यात नियत कया जा सकता है। अधिशेष होने वाले अवधा रत अ यायुध।

(क) अधिशेष के प म शकासक य प से घोषित कया जाना चाहिए।

(ख) अ यायुध के लेखा म अधिशेष के प म अभिलेखित कया जाना चाहिए।

- (ग) सेवाओं से बाहर कया जाना चाहिए।
 (घ) पृथक प से भंडा रत कया जाना चाहिए: और
 (ङ) दशा-निर्देशो के अनुसार न कया जाना चाहिए।

प - VI- अ

अनुसूची। के वग V के आयुध और गोला-बा द विनिर्माण, वि य, अ तरण, वि य के लिए रखने, अ तरण क अनु ि

यू आई एन-	अनुज्ञा संख्या विवरण	अनुज्ञा का नाम और कारबार का पता	विनि मत् कए जाने वाले अनुज्ञात आयुध का विवरण (केवल वर्ग)		अनुज्ञा के अवसान क तारीख
1	2	3	4	5	6

-----20------(मोहर)

(ह ता र)
 नियम 5 के अधीन अनुज्ञा पर
 ह ता र करने के लिए
 सश अधिकारी या अनुज्ञा अधिकारी

 पदनाम-----
 थान-----

अनु ि के नवीकरण का प			
नवीकरण क तारीख और वर्ष	तारीख जब नवीकृत अनु ि का अवसान होता है	नवीकरण अधिकारी के ह ता र और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शत

- (क) यह अनुज्ञा आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सभी उपबंध के अधीन दान क जाती है।
 (ख) यह अनुज्ञा केवल तब तक विधि मा य है जब तक अनुज्ञा धारी उसको तंभ 3 म द शत प रसर म ापार या कारबार करना जारी रखता है और य द कारबार लगातार छः मास क अवधि के अधिक जारी नह रहता है तो यह बमेंब ही पगत हो जायेगी।
- अनुज्ञा धारी वग V के कसी अ यायुध का वि य या अ तरण उस ि को नह करेगा जो ऐसे ेत्र म रहता है जिस पर अधिनियम क धारा 4 लागू होती है, जब तक क, उ ि उस ेत्र म ऐसे अ यायुध का अर्जन करने, धारण करने, या साथ रखने क अनुज्ञा तुत नह करता है या उसे अनुज्ञा लेने के ब धन के छूट दी गई हो।
- अनुज्ञा धारी नियम 86 के अधीन के िय सरकार ारा योजन के लिए यथा विहित ऐसे प म सभी विशि य को दर्शाते ए वि नमित, या अ त रत सभी अ यायुध और गोलाबा द के हाथ म उनके सभी टाक के और सभी वि य के रजि का अनुर ण करेगा।
- अनुज्ञा धारी कसी मजि ेट, या कसी पुलिस अधिकारी या य द के िय सरकार ारा ऐसा निदेश करने पर नि र क या उप-नि र क से अ यून पंि के अधिकारी के मांग करने पर अनपने टाक और अपने रजि टर को नि र ण के लिए उपल ध करायेगा।
- अनुज्ञा धारी अपने कारबार के थान, कराखाने, या दुकान के उस भाग पर जो सहजदृ यमान हो पर कोई ऐसी साईन बोड लगायेगा जिस पर अंग्रेजी/ हदी म और जिले क भाषा म उसका नाम तथा " वग V के सभी अ यायुध या गोलाबा द के विनिर्माण/अ तरण/वि य के लिए अनुज्ञात" श द बडे अ र म लिखे ह गे।
- अनुज्ञा धारी तंभ (40) के अधीन विनिर्माण कये जाने के लिए अनु ात कये गये उन आयुधो से भि कसी अ य वग या वर्णन के आयुध का विनिर्माण नह करेगा।

प - VII- बा

अ यायुध क तिकृति के विनिर्माण वि य, अ तरण वि य, अ तरण के लिए रखने क अनु ि

यू आई एन-	अनुज्ञा संख्या विवरण	अनुज्ञा का नाम और कारबार का पता	विनिर्माण कए जाने वाले अनुज्ञात अ यायुध कृति का विवरण		अनुज्ञा के अवसान क तारीख
			आयुध का वग	वा षक उ पादन संख्या	
1	2	3	4	5	6

-----20------(मोहर)

(ह ता र)
अनुज्ञा अधिकारी या नियम 5 के अधीन ह ता र करने के लिए विशेष प से सश अधिकारी

पदनाम-----
थान-----

अनु ि के नवीकरण का प			
नवीकरण क तारीख और वष	वह तारीख जब नवीकृत अनु ि अवसान होती है	नवीकरण अधिकारी के ह ता र और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शत

- (क) यह अनुज्ञा आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सभी उपबंध के अधीन दान क जाती है।
(ख) यह अनुज्ञा केवल तब तक विधि मा य है जब तक अनुज्ञा धारी उसको तंभ 3 म द शत प रसर म ापार या कारबार करना जारी रखता है और य द कारबार लगातार छः मास क अवधि के अधिक जारी नह रहता है तो यह वमेंव ही षगत हो जायेगी।
(ग) अनुज्ञा धारी अनुज्ञा अधिकारी के पूव अनुमोदन के बिना अनु ि से संबंधित कोई भागीदारी नह करेगा।
- अनुज्ञा धारी के नियम 70 के अधीन यथा विहित ऐसे प म सभी विशि य को दशति ए, विनि मत, या अ त रत सभी अ यायुध और गोला बा द के हाथ म उनके सभी टाक के और उनके सभी वि य के रजि का अनुसरण करेगा।
- अनुज्ञा धारी कसी मजि ेट, या कसी पुलिस अधिकारी या य द के िय सरकार ारा ऐसा निदेश करने पर नि र क या उप-नि र क से अ यून पंि के कसी अधिकारी के मांग करने पर अपने रजि टर को नि र ण के लिए उपल ध करायेगा।
- अनुज्ञा धारी अपने कारबार के थान, कराखाने, या दुकान के उस भाग पर जो सहजदृ यमान हो पर कोई ऐसी साईन बोड लगायेगा जिस पर अंेजी/ हदी म और जिले क भाषा म अपना नाम तथा "अ यायुध क तिकृति के विनिर्माण/अ तरण/वि य के लिए अनुज्ञात" श द बडे अ र म लिखे ह गे।
- अनुज्ञा धारी तंभ (4) के अधीन विनि मत क जाने वाली उन अनु ित अ यायुध तिकृति से षि अ य कसी वर्ग या वर्णन के अ यायुध क तिकृति या विनिर्माण नह करेगा।

प - VII-इ

वायु श जिसम एयर राईफ स और एयर पि टल भी शामिल है के विनिर्माण, वि य, अ तरण, वि य के लिए रखने, क अनु ि

यू आई एन	अनुज्ञा संख्या	अनुज्ञा धारी का नाम विवरण और कारबार का पता	विनिर्माण कए जाने वाले अनुज्ञात वायु का विवरण		अनुज्ञा के अवसान क तारीख
			नालमुख ऊजा अंतर्पास सहित वायु के कार	वा पक उ पादन (संख्या)	
1	2	3	4	5	6

-----20------(मोहर)

(ह ता र)
अनुज्ञा अधिकारी या नियम 5 के
ह ता र करने के लिए विशेषतया
सश अधीन पर अधिकारी

पदनाम-----
थान-----

अनु ि के नवीकरण का प			
नवीकरण क तारीख और वर्ष	वह तारीख जब नवीकृत अनुज्ञा अवसान होती है	नवीकरण अधिकारी के ह ता र और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शत

- (क) यह अनुज्ञा आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबंध के अधीन दान क जाती है
(ख) यह अनुज्ञा के वह जब तक विधिमा य है जब तक अनुज्ञा धारी उसके तंभ (3) म द शत प रसर म ापार या कारबार करना जारी रखता है और य द कारबार लगातार छः मास से अधिक अवधि तक जारी नह रहता है तो यह वमेव ही यगत हो जाएगा।
(ग) अनुज्ञा धारी अनुज्ञा अधिकारी के अनुमोदन के बिना इस अनुज्ञा से संबंधित कोई भागादारी नह करेगा।
- अनुज्ञा धारी कसी ि को कसी वायुश जिसम 20 जूल या 15 फट एल बी एस से कम या 0.177" से कम बोर या 4.5 मिमी. क नालमुख ऊजा वाली एयर राईफ स और एयर ब दूके भी शामिल है का वि य या अ तरण नह करेगा, जब तक क उ ि ऐसे वायु श को आर्जन करने, धारण करने या साथ रखने क अनुज्ञा तुत नह करता है या उसे अनुज्ञा लेने के ब धन से छूट ा है।
- अनुज्ञा धारी कसी ि को बिना उ ा से उसके पहचान माण और निवास माण ा करे कसी ऐसे वायुश जिसम 20 जूल या 15 फट एल बी एस से कम या 0.177" से कम बोर या 4.5 मिमी. क नालमुख ऊजा वाली एयर राईफ स और एयर ब दूके भी शामिल है, का वि य या अ तरण नह करेगा।
- अनुज्ञा धारी नियम 65 म यथा विनि द ऐसे प म विशि ियां दर्शाते ए विनि मत या अ त रत सभी वायुश के, हाथ म उनके सभी टाक के, और उनक सभी वि य के रजि टर का अनुर ण करेगा।
- अनुज्ञा धारी कसी मजि ेट के िय सरकार ारा सेवा निदेश करने पर निर क या उप-निर क क पं ि से अ यून कसी पुलिस अधिकारी के मांग करने पर अपने टाक और अपने रजि टर को निर ण के लिए उपल ध करायेगा।
- अनुज्ञा धारी अपने कारबार के थान, कारखाने या दुकार के उस भाग पर जो सहजदृ यमान हो पर कोई ऐसा साईन बोड लगायेगा जिस पर अ ेजी/हि दी म और जिले क भाषा म उसका नाम और "वायुश के विनिर्माण/अ तरण/वि य के लिए अनुज्ञ " श द बड़े अ र म लिखे ह गे।
- अनुज्ञा धारी तंभ (4) के अधीन विनि मत कये जाने वाले उन अनुज्ञात वायुश से भि अ य कसी कार या विवरण के वायु श का विनिर्माण नह करेगा।

प VIII

अ आयुध और गोलाबा द वहारी के लिए संयु अनु ि
वहारी अनु ि आयुध का जमा करना

अनु ि क मांक सं या _____ यू आई एन _____

अनुज्ञा के अवसान क तारीख और वष _____ / _____ / _____

अनुज्ञा धारी का नाम, विवरण और कारबार का पता	आयुध का विवरण और संख्या	गोला बा द का विवरण और मा ा	जहां प र ण करना अनुज्ञात कया गया है उस शूटिंग रज का नाम
	वि य कए जाने वाले या वि य के लिए रखे गए नियम 48 या नियम 21 के अधीन सुरति अभिर ा के लिए जमा कये जाने वाले	वि य कये जाने वाले या वि य के लिए रखे गए नियम 48 या नियम 21 के अधीन सुरति अभिर ा के लिए जमा कये जाने वाले	

(मोहर)

(ह ता र)

अनुज्ञा िधिकारी _____ या
नियम (5) के अधीन अनुज्ञा पर ह ता र करने के लिए विशेष प से सश िधिकारी पदनाम _____
थान _____

अनु ि के नवीकरण के लिए प			
नवीकरण क तारीख और वष	वह तारीख जब नवीकृत अनुज्ञा अवसान करती है	नवीकरण िधिकारी या विशेष प से सश िधिकारी के ह ता र और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शत

1. (क) यह अनुज्ञा आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबंध के अधीन दान क जाती है
(ख) अनुज्ञा, वहारी को केवल अनुज्ञा िधिकारी क पूव अनुज्ञा के प ात् ही शूटिंग रज पर दर्शन के लिए कसी आयुध या गोलाबा द को परी ण या फाय रज के लिए जाने हेतू हकदार बनाता है।
(ग) यह अनुज्ञा के वह जब तक विधिमा य है जब तक अनुज्ञा धारी उसके तंभ (3) म द शत प रसर म ापार या कारबार करना जारी रखता है और य द कारबार लगातार छः मास से अधिक अवधि तक जारी नह रहता है तो यह वमेव ही यगत हो जाएगा।

2. अनुज्ञा धारी नियम 75 म यथाव णत ऐसी रीति और प म विशि य को दशति ए टाक म और जमा कये गए सभी आयुध और गोलाबा द तथा उनके वि य के रजि टर का अनुर ण करेगा।

3. अनुज्ञा धारी कसी मजि ेट, के िय सरकार ारा सेवा निदेश करने पर नि र क या उप-नि र क क पंि से अ यून कसी पुलिस िधिकारी के मांग करने पर अपने टाक और अपने रजि टर को नि र ण के लिए उपल ध करायेगा।

4. अनुज्ञा धारी अपने कारबार के थान या दुकान के ऐसे भाग पर जो सहजदृ यमान होगा एक ऐसा साईन बोड लगाएगा जिस पर अंग्रेजी/हि दी म और थानीय भाषा म उसका नाम और " दान क गई अनुज्ञा के वग के अनुसार आयुध और गोलाबा द क वि य करने/अ तरण करने के लिए अनुज्ञ " श द बड़े श द म लिखे ह गे।

5. अनुज्ञा धारी अनुज्ञा के अ दर आने वाले आयुध या गोलाबा द को तंभ 1 म विनि द कारबार के थान से अ य कह वि य नह करेगा।

6. अनुज्ञाधारी कसी ऐसे ि को जिसके पास प II, प III, प IV तथा प V म अनु ि है कसी आयुध या गोलाबा द के वि य या अ तरण के समय अनुज्ञाि पर नि लिखित पृष्ठांकित करेगा—

(क) उस ि का नाम, विवरण और निवास पता जो वि य क गई या अ त रत क गई व तुओं के दाय को लेता है।

(ख) वि य क गई या अ त रत क गई व तुओं क कृति और उनक मा ा, और

(ग) वि य या अ तरण क तारीख

और अनुज्ञािधारी और पृष्ठांकन पर ह ता र करेगा तथा अपनी मोहर लगायेगा।

7. अनुज्ञािधारी कसी श के वि य या अ तरण के समय अ यायुध के विनिर्माण के समय उस पर टापित या अ यथा विनिर्माण क मांक संख्या और अ य पहचान चि न य द कोई हो क अपने रजि टर म विि करेगा।

8. अनुज्ञािधारी आयुध और गोलाबा द के सभी वि य या अ तरण क सूचना ऐसे ि को और ऐसी रीति म जैसा के िय सरकार निदेश करे, को देगा।

9. अनुज्ञािधारी कसी ऐसे ि को जो आयुध को क जे म रखने या साथ रखने के लिए अनुज्ञ है, पहले इस भाव म लिखित माण प कये बिना गोलाबा द का वि य या अ तरण नह करेगा क उसके ारा अ जत कए जाने के लिए तावित गोलाबा द क मा ा, उसके क जे म गोलाबा द क कुल मा ा उस मा ा से अधिक नह होगी जिसका वह वष म कसी समय पर क जे का या वष के लिए अपने कुल अनुज्ञात मा ा का हकदार है

पर तु वह कसी ि को कसी ऐसी अधिकतम मा ा जो के िय सरकार ारा ऐसे ि के लिए नियत क गई है या जिसे ऐसे ि क अनुज्ञाि पर पृ ांकित कया गया है से अधिक मा ा क दशा में, वि य या अ तरण नह करेगा।

10. इसम अ त व अ य शत के अधीन कोई अनुज्ञािधारी, बिना कसी युि युि कारण के, कसी ऐसे ि को आयुध या गोलाबा द का वि य करने से इंकार नह करेगा जो आयुध अधिनियम, 1959 या आयुध नियम 2016, के उपबंध के अधीन ऐसे आयुध या गोलाबा द को य करने या अर्जन करने का हकदार है।

11. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञ प रसर ब द होता है तो सभी उन अ यायुध और गोलाबा द को जो प रसर म है अ यायुध क सुरि त अभिर ा हेतू कसी कोष क या तिजोरी म ब द रखा जाना चाहिए।

12. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञ प रसर कारबार या अ य कसी योजन के लिए खुला होता है उन अ यायुध और गोलाबा द को संप्रद शत नह कया गया है उन अ यायुध क सुरि त अभिर ा हेतू उ ह कसी कोष क ा या तिजोरी म ब द रखा जाना चाहिए।

13. अनुज्ञािधारी अ यायुध या गोलाबा द का दर्शन कामकाज के समय कर सकेगा तथापि संप्रद शत अ यायुध को खाली रखा जाना चाहिए और हैंडग स क दशा म उ ह संप्रद शत काउंटर या कैबिनेट म ब द रखा जाना चाहिए जो उसम संप्रद शत हैंडग स को अनाधिकृत प ंच से बचा सके और हडग स को छोड़कर अ य अ यायुध क दशा म उ हें, कसी सुरि त तालाब दी युि से या कसी ऐसे सुरि त धातु ब से जो असुवा संरचना से ऐसी रीति म संल है क जिसे आसानी से नह हटाया जा सकता है के ारा अ यशील बनाया जाना चाहिए। और ऐसे अ यायुध को ऐसे गोलाबा द के साथ संप्रद शत नह कया जाएगा जिससे इस छोड़ा जा सके।

14. वहारी कसी भी समय क ह अ यायुध और गोलाबा द को कसी ऐसे दर्शन मंजूषा म या दर्शन खिडक म जो य प से कसी ऐसी पलिक गली, सड़क रा ता या पलिक थान जहां सामा य पलिक क प ंच है पर बाहर जाती है या दखाई देती है द शत या संप्रद शत नह करेगा या संप्रद शत करने या द शत करने के लिए या ऐसे सं द शत या द शत करने के कारक को अनुज्ञात नह करेगा।

15. वहारी और वहारी ारा नियोजित सभी ि य को आयुध अधिनियम 1959, और आयुध नियम, 2016 के उपबंध से अवगत होना चाहिए और नियम 10 म यथाउ लेखित श को संभालने और सुरि त भंडारण विहित शि ण लेग और यह सुनि ि त करगे क—

(i) काम काज क अवधि के दौरान सारे समय स पूण अ यायुध और गोलाबा द पर समुचित नियंत्रण कर लिया गया है।

(ii) विहित रजि टर को समुचित प से अनुरि त कया गया है।

(iii) अ यायुध और गोलाबा द क हानि या चोरी के सापेक्ष येक युि युक्त सावधानी ली गई है।

सुरि त अभिर ा हेतु रखे गए अ यायुध और गोलाबा द पर तथा धारा 21 के अधीन लागू शत

16. इसके अ तर्गत केवल तंभ 3 और 5 म दये गए विवरण के आयुध और गोलाबा द आते है जब तक क वे तंभ 1 म व णत थान पर रखे होते है, लेकिन यह अनुज्ञािधारी को आयुध साथ रखने के लिए ाधिकृत नह करती है।

17. अनुज्ञािधारी इस अनुज्ञाि के अधीन उसके ारा जमा कए गए सभी आयुध या गोलाबा द के इन नियम के नियम 76 के उप-नियम (3) म यथाव णत ऐसे प और रीति म विशि य को दर्शाते ए पृथक रजि र का अनुर ण करेगा।

(i) अधिनियम क धारा 21 के अधीन, और

(ii) अधिनियम क धारा 21 के अधीन के अ यथा सुरि त अभिर ा हेतू

18. अनुज्ञाधिकारी नि लिखित स यापन के बिना आयुध या गोलाबा द के जमा करने हेतू नह लेगा—

(क) क उ ह कसी असदभाव आशय के साथ जमा नह कया जा रहा है और

(ख) अधिनियम क धारा 21 के अधीन से अ यथा जमा कए जाने क दशा में, क वे इन नियम के अधीन जारी क गई कसी वैद्य अनुज्ञा के अ तर्गत आते है।

19. जमा कये गए अ यायुध या गोलाबा द के समपहरण के लिए विहित अवधि के अवसान पर अनुज्ञाधिकारी उ ह जिले या रा य सरकार ारा योजन के लिए यथा विनि द कए गए ऐसे थान के मालखाने म जमा करेगा।

प VIII-अ

वायुश यवहा रय के लिए अनु तित

अनुज्ञाति	यू०आई०एन	अनुज्ञातिधारी का नाम, विवरण और कारबार का पता	वि य कये जाने वाले या वि य के लिए रखे गये वायु श का विवरण और संख्या	वि य कये जाने वाले या वि य के लिए रखे गये वायु श के लिए गोलाबा द का विवरण और मा ा	अनुज्ञाति के अवसान क तारीख
1	2	3	4	5	6

...../...../20..... (मोहर)

(ह ता र)

अनुज्ञाति ाधिकारी या

नियम (5) के अधीन ह ता र करने के लिए विशेष प से सश त अधिकारी _____

पदनाम _____

थान _____

अनु तित के नवीकरण हेतु प

नवीकरण क तारीख और वष	वह तारीख जब नवीकृत अनुज्ञाति अवसान होती है	नवीकरण ाधिकारी या विशेष प से सश त अधिकारी के ह ता र, पदना	मोहर
1	2	3	4

शत

1. (क) यह अनुज्ञाति आयुध अधिनियम 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपब धो के अधीन दान क जाती है।

(ख) यह अनुज्ञाति के बल जब तक विधिमा है जब तक अनुज्ञातिधारी उसके तंभ (3) द शत प रसर म यापार या कारबार करना जारी रखता है और य द कारबार लगातार छः मास से अधिक अवधि तक जारी नही रहता है तो यह वमेव ही यपगत हो जायेगा।

2. अनुज्ञातिधारी नियम 85 म यथाव णत ऐसी रीति और प मे विशिष्टि को दशति ए टॉक म तथा जमा कये गये सभी आयुधो और गोला-बा द के और उसके सभी वि य के रजि टरो का अनुर ण करेगा।

3. अनुज्ञातिधारी कसी मजि ेट, के िय सरकार ारा ऐसा निदेश करने पर निरी िक या उप-नि र क भी पंति से अ यून कसी पुलिस अधिकारी के मांग करने पर अपने टाक और अपने रजि टर को नि र ण के लिए उपल ध करायेगा।

4. अनुज्ञातिधारी अपने कारबार के थान या दुकान के उस भाग पर सहणदृ यमान हो एक ऐसा साईन बोड लगायेगा जिस पर अंग्रेजी/हि दी म और थानीय भाषा म उसका नाम और वायु श ो के वि य/अ तरण करने के लिए अनुज्ञ त श द बड़े अ रो मे लिखे होंगे।

5. अनुज्ञातिधारी तंभ (3) म विनि द ट कारबार के थान से अ य कसी थान पर अनुज्ञाति के अ तगत आने वाले आयुध या गोलाबा द का वि य नह करेगा।

6. अनुज्ञातिधारी कसी यति को बिना उ त े ताने पहचान माण तथा निवास माण ा त करे ऐसे वायुश ो का जिसम 20 जूल या 15 फट एल.बी.एस. अधिक और या 0.177 या 4.5 मिमी से कम से कम बोर क नालमुख ऊजा वाला एयर राईफल और एयर ब दूके शामिल है वि य या अ तरण नह करेगा

7. अनुज्ञतिधारी कसी वायु श के वि य या अ तरण के समय अ नयायुध के विनिर्माण के समय उस पर टा पित या अ यथा विनिर्माण क मांक संख्या और अ य पहचान चि ह य द कोई हो क अपने रजि टर म विटि करेगा ।

8. अनुज्ञतिधारी कसी ऐसे यति को और ऐसी रीति म जैसा के िय सरकार निदेश करे, वायु श े के सभी वि य या सभी अ तरणो क सूचना देगा ।

9. इसम अ तीवि ट अ य शत के अधीन कोई अनुज्ञतिधारी, बिना कसी युतियुक्त कारण के, कसी ऐसे यति को आयुध या गोलाबा द का वि य करने से इंकार नही करेगा जो आयुध अधिनियम 1959 या आयुध नियम, 2016 के उपबंधो के अधीन ऐसे आयुधो या गोलाबार द को य करने या अर्जन करने का हकदार है ।

10. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञ त प रसर कारबार योजन के लिए ब द होता है तो सभी उन अ यायुधो और गोलाबा को जो प रसर म है को अ यायुध क सुरति अभिर ा हेतु कसी कोष क या तिजोरी मे ब द रखा जाना चाहिए ।

11. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञ त प रसर कारबार या अ य कसी योजन के लिए खुला होता है जो अ यायुध और गोलाबा द संप्रद शत नह कये गये है उन अ नयायुधो क सुरति अभिर ा हेतु उ ह कसी कोष क ा या तिजोरी म ब द रखा जाना चाहिए ।

12. अनुज्ञतिधारी अ यायुधो या गोलाबा का दर्शन कामकाज के समय कर सकेगा, तथापि संप्रद शत अ यायुधो को खाली रखा जाना चाहिए और द डग स क दशा म उ हे स द शत काउटर या कैबिनेट मे ब द रखा जाना चाहिए ता क उसमे संप्रद शत है डग स को अनाधिकृत प चं से बचाया जा सके और है डग स को छोडकर अ य अ यायुधो भी दशा म उ ह, कसी सुरति तालाब दी युति से या कसी ऐसे सुरति धातु ब से जो सुवाह्यि संरचना से ऐसी रीति म संल न है क जिसे आसानी से नह हटाया जा सकता है, के ारा अ यशील बनाया जाना चाहिए । और ऐसे अ यायुधो को ऐसे गोलाब के साथ स दंशित नह कया जायेगा जिससे इसे छोडा जा सके ।

प IX

ब दूक बनाने वाले को अ यायुधो को संप रव तत करने, छोटा करने, मर मत (वृह) करने या प र ण करने (माण प र ण से भि न) या संप रवर्तन, मर मत (वृह) या प र ण (माण प र ण से भि न) के लिये रखने हेतू अनुज्ञति

यू.आई.एन _____

अनुज्ञति संख्या _____

अनुज्ञतिधारी का नाम, विवरण और कारबार का पता	संपत्तिव तत कये जाने, छोटे कये जाने, मर मत (वृह) कये जाने, प र ण कये जाने (माण प र ण से भि न या सप रवर्तन के लिए, छोटा करने के लिए, मर मत (वृह) के लिए या प र ण (माण प र ण से भि न) के लिखे रखने के लिए अनुज्ञात अ नयायुधो का विवरण		मर मत कये गये अ नयायुध के प र ण के लिए अपने पास रखे जाने वाले अनुज्ञात गोलाबा द का विवरण और संप रव तत कये जाने वाले अनुज्ञात गोलाबा द का विवरण		अनुज्ञति के अवसान क तारीख
	वग	मा ा (संख्या)	वग	मा ा (संख्या या भार क ा म)	
1	2	3	4	5	6

...../.....20.... (मोहर)

(ह ता र)

अनुज्ञति ाधिकारी—या नियम

(5) के अधीन ह ता र करने के लिए

विशेष प से सश त अधिकारी

पदनाम _____

थान _____

अनुति के नवीकरण का प			
नवीकरण क तारीख और वष	वह तारीख जब नवीकृत अनु ति अवसान करती है	नवीकरण अधिकारी के ह ता र और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शत

1. (क) यह अनुज्ञति आयुध अधिनियम 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबन्धों के अधीन दान क जाती है।
- (ख) यह अनुज्ञति के बल जब तक विधिमा है जब तक अनुज्ञतिधारी उसके तंभ (3) द शत प रसर म यापार या कारबार करना जारी रखता है और य द कारबार लगातार छः मास से अधिक अवधि तक जारी नहीं रहता है तो यह वमैव ही यपगत हो जायेगा।
- (ग) अनुज्ञतिधारी अनुज्ञति अधिकारी के अनुमोदन के बिना इस अनुज्ञति से संबंधित कोई भागीदारी नहीं करेगा ;
2. अनुज्ञतिधारी इन नियम के नियम 82 के अधीन यथा विहित ऐसे प म विशिष्टि दशति ए संप रव तत छोटे कये गये, मर मत (वृह) कये गये सभी आयुधो और गोलाबा के रजि टरो का अनुर ण करेगा।
3. अनुज्ञतिधारी कसी मजि ेट, के िय सरकार ारा ऐसे निदेश करने पर निरी क या उप-नि र क क पंित से अ यून कसी पुलिस अधिकारी के मांग करने पर अपने टाक और अपने रजि टर को नि र ण के लिए उपल ध करायेगा।
4. अनुज्ञतिधारी अपने कारबार कारखाने के थान या दुकान के उस भाग पर जो सहजदृ यमान हो पर एक ऐसा साईन बोड लगाएगा जिस पर हि दी/अंेजी और जिले क भाषा म उसका नाम और "आयुधो और गोलाबा को सप रवर्तन करने/छोटा करने और मर मत (वृह) करने के लिए अनुज्ञ त" श द बड़े अ रो म लिखे होंग।
5. अनुज्ञतिधारी तंभ 2 और 4 के अधीन अनुज्ञात से भि न अ य कसी वग या विवरण के आयुधो और/या गोलाबा का सप रवर्तन/छोटा करना/ मर मत (वृह) नह करेगा।
6. अनुज्ञतिधारी तंभ 1 म विनि द ट कारबार या कारखाने के थान से भि न कसी थान पर आयुध या गोलाबा द का सप रवर्तन/छोटा करना/मर मत (वृह) नह करेगा।
7. यह अनुज्ञति, तंभ 2 म द शत वग के अनयायुध क मर मत के योजन के लिए अ यायुधो के संघटको और पुज को बनाने के लिए अनु तिधारी को हकदार बनाती है, क तु यह उसे ऐसे संघटको या पुज का पूण आयुध या गोलाबा म संमजन करने के योजन के लिए उनका विनिर्माण या उपयोग करने का हकदार नहीं बनाता है। ऐसे निबंधित र्वग [र्वग 1 (ख) और 1 (ग)] के आयुध और अ चिलित अ त यास श े जिनका उ पादन ब द हो गया है या जिनके लिए कोई गोलाबा द आसानी से उपल ध नहीं का अनुज्ञे वग आयुध मे संप रवर्तन को अनुज्ञति अधिकारी क पूव अनुज्ञा के अ यधीन इस अनु ति के अधीन अनुज्ञात कया जायेगा। वृह मर मत के अधीन आने वाले श े क नाल का ति थापन भी शत 8 के अ यधीन अनुज्ञे है।
8. अनुज्ञतिधारी कसी भी दशम 20 इंच से अ यून कसी अ यायुध क नल को छोटा नहीं करेगा।
9. यह अनुज्ञति, अनुज्ञतिधारी को वाली कारतूस या बिना ेप्य वाले कसी गोलाबा द को एकल/ब ल ेप्य गोलाबा द म सप रव तत करने या कसी गोलाबा को भरने या खाली करने का हकदार नह बनाती है।
10. उस अवधि के दौरान जब अनु त प रसर कारबार योजन के लिए ब द होता है तो सभी उन अ यायुधो और गोलाबा द को जो प रसर म है को सुरति अभिर ा हेतु कसी कोष क या तिजोरी म ब द रखा जाना चाहिए।
11. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञ त प रसर कारबार या अ य कसी योजन के लिए खुला होता है जो अ यायुध और गोलाबा स दशत नह कये गये है उन अनयायुध क सुरति अभिर ा हेतु उ ह कसी कोष क या तिजोरी म ब द रखा जाना चाहिए।
12. अनुज्ञतिधारी उन अ यायुधो को जिन पर उसने अपनी शि पकारी को अ सर करने के लिए आयुध नियम के उपबंधो के अनुसार काय कया है संप्रद शत कर सकेगा, तथापि स द शत अ यायुध खाली होने चाहिए और है डग स क दशम म उ ह संप्रद शत काउ टर या कैबीनेट म ब द रखा जाना चाहिए ता क उसम द शत है डग स को अनाधिकृत प चं से बचाया जा सके।
13. अनुज्ञतिधारी केवल अनुज्ञति अधिकारी क पूव सहमति से कसी अ यायुध को नि य कर सकेगा।
14. अनुज्ञतिधारी को कसी यति को एक शिु के प म नियोजित करना अनुज्ञात है य द ऐसा यति भारत लागू म विधि के अधीन कसी ऐसे शि ण के लिए रजि ीकृत है तथा ऐसे शि पर वैयतिक निय ण या पर्यवेक्षण से रखेगा जो कसी अ यायुध पर कोई काय करता है।
15. अनुज्ञतिधारी उसे दान क गई अनुज्ञति के अधीन कारबार का ार भ करने से पूव अनुमो दत तिजोरी या कोष क क थापना को सुनिचित करेगा।

प IX अ

ब दूक बनाने वाले को अ यायुधो क मर मत (लघु) करने या प र ण करने (माण प र ण से भि न) करने या मर मत (लघु) या प र ण (माण प र ण से भि न) के लिये रखने क अनुज्ञति

यू०आई०एन _____

अनुज्ञति संख्या _____

अनुज्ञिधारी का नाम, विवरण और कारबार का पता	मर मत (लघु) कये जाने वाले या प र ण (माण प र ण से कया) कये जाने वाले या मर मत (लघु) या प र ण (माण प र ण से भि न) के लिए रखने हेतु अनुज्ञात अ यायुधो का विवरण		मर मत (लघु) कये अ यायुध को प र ण के लिए अपने पास रखने वाले अनुज्ञात गोलाबा द का विवरण		अनुज्ञति के अवसान क तारीख
	वग	मा ा (संख्या)	वग	मा ा (संख्या या भार क ा म)	
1	2	3	4	5	6

...../.....20.... (मोहर)

(ह ता र)

अनुज्ञति ाधिकारी-या नियम (5) के अधीन ह ता र करने के लिए

विशेष प से सश त अधिकारी

पदनाम _____

थान _____

अनु त्त के नवीकरण का प			
नवीकरण क तारीख और वष	वह तारीख जब नवीकृत अनु त्त अवसान करती है	नवीकरण ाधिकारी के ह ता र और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शत

1. (क) यह अनुज्ञति आयुध अधिनियम 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपब धो के अधीन दान क जाती है।

(ख) यह अनुज्ञति के बल जब तक विधिमा है जब तक अनुज्ञतिधारी उसके तंभ (3) द शत प रसर म यापार या कारबार करना जारी रखता है और य द कारबार लगातार छः मास से अधिक अवधि तक जारी नहीं रहता है तो यह वमेव ही यपगत हो जायेगा।

(ग) अनुज्ञतिधारी अनुज्ञति ाधिकारी के अनुमोदन के बिना इस अनुज्ञति से संबंधित कोई भागीदारी नहीं करेगा ;

2. अनुज्ञतिधारी इन नियम के नियम 82 के अधीन यथा विहित ऐसे प म विशिठिय दशति ए, मर मत (लघु) कये गये सभी आयुधो और गोलाबा के रजि टरो का अनुर ण करेगा।

3. अनुज्ञतिधारी कसी मजि ेट, के िय सरकार ारा ऐसे निदेश करने पर निरी क या उप-नि र क क पंित से अ यून कसी पुलिस अधिकारी के मांग करने पर अपने टाक और अपने रजि टर को नि र ण के लिए उपल ध करायेगा।

4. अनुज्ञतिधारी अपने कारबार कारखाने के थान या दुकान के उस भाग पर जो सहजदृ यमान हो पर एक ऐसा साईन बोड लगाएगा जिस पर हि दी/अं जी और जिले क भाषा म उसका नाम और "आयुधो और गोलाबा को सप रवर्तन करने/छोटा करने और मर मत (लघु) करने के लिए अनुज्ञ त" श द वड़े अ रो म लिखे होग।

5. अनुज्ञतिधारी कसी भी दशा म 20 इंच से अ यून कसी अ यायुध क नली को छोटा नहीं करेगा।

6. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञ त प रसर कारबार योजन के लिए ब द होता है तो सभी उन अ यायुधो और गोलाबा द को जो प रसर म है को सुर ति अभिर ा हेतु कसी कोष क या तिजोरी म ब द रखा जाना चाहिए।

7. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञत परसर कारबार या अ य कसी योजन के लिए खुला होता है जो अ यायुध और गोलाबा द स दशत नह कये गये है उन अनयायुध क सुरति अभिर । हेतु उ ह कसी कोष क या तिजोरी म ब द रखा जाना चाहिए।

8. अनुज्ञतिधारी उन अ यायुधो को जिन पर उसने अपनी शि पकारी को अ सर करने के लिए आयुध नियम के उपबंधो के अनुसार काय कया है संप्रद शत कर सकेगा, तथापि स द शत अ यायुध खाली होने चाहिए और है डग स क दशा म उ ह संप्रद शत काउ टर या कैबिनेट म ब द रखा जाना चाहिए ता क उसम द शत है डग स को अनाधिकृत प चं से बचाया जा सके।

9. अनुज्ञतिधारी को कसी यति को एक शिु के प म नियोजित करना अनुज्ञात है य द ऐसा यति भारत लागू म विधि के अधीन कसी ऐसे शि ण के लिए रजि ीकृत है तथा ऐसे शि पर वैयतिक निय ण या पर्यवेक्षण से रखेगा जो कसी अ यायुध पर कोई काय करता है।

10. अनुज्ञतिधारी उसे दान क गई अनुज्ञति के अधीन कारबार का ार भ करने से पूव अनुमो दत तिजोरी या कोष क क थापना को सुनि चित करेगा।

प X

**आयुध और गोलाबा द के लिए
संयुक्त आयात/निर्यात अनु ति**

आयात निर्यात पुनः आयात के लिए निर्यात अभिवहन म

अनुसूची 1 के अनुसार मद का वग ---		(कृपया विनि द ट कर)	
अनुज्ञति सं०		यू०आई०एस	
आयात ब दरगाह		निर्यात ब दरगाह	

1.	अनुतिधारी का नाम, विवरण और पता	
2.	इस परेषण के योजन के लिए ाधिकृत अभिकता (य द कोई हो) का नाम, विवरण और पता	
3.	पैकेज क संख्या	
4.	आयुध	
	विवरण	
	मा ा	
5.	गोला बा द	
	विवरण	
	भार (ो ा म) या संख्या	
6.	योजन जिसके लिए अपेि त है	
7.	आयात क दशा में, वह थान जहां आयतित व तु को अडा रत या जमा कये गये है	
8.	ेषण और माग का थान	
9.	गंत य का थान	
10.	परेषिती का नाम विवरण और पता	
11.	अनुज्ञति क विधिमा यता क अवधि	

...../...../ 20..... (मोहर)

(ह ता र)

अनुज्ञति ाधिकारी_____

पदनाम_____

थान_____

शत

1. अनुज्ञति आयुध अधिनियम 1956 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबन्धों के अधीन दान क जाती है।
2. एक पैकेज के विषय में वस्तु का कोई लेखा और रेल द्वारा वस्तुओं को जहाँ से तातं रत किया जा रहा है उन पैकेजों पर सुपाठ्य प से लिखा होना चाहिए। एक पैकेज "आयुध" या "गोलाबा" यथास्थिति शब्द से चिह्नित होगा, ताकि रेल अधिकारियों द्वारा इस आसानी से पहचाना जा सके।
3. वस्तुओं को तब 8 म विनिर्देश से भिन्न अथवा किसी मांग से परेपित नहीं किया जाएगा और वस्तुओं के गंतय के स्थान पर पंचने से पूर्व न तो पंज को तोड़ा जायेगा और न ही रोका जायेगा।
4. आयातक दशा में, वस्तु को—
(क) या तो अधिनियम के धारा 34 के अधीन के्रीय सरकार के साधारण या विशेष मंजूरी के अधीन, सीमाशु क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के धारा 58 के अधीन अनुज्ञत भांडागार में जमा किया जायेगा।
(ख) या त काल उनके गंतय स्थान को ेषित करेगा।
5. वस्तुओं को केवल किसी ऐसे यति को दाय किया जायेगा जो उह त करने का विधिपूर्वक हकदार है।

प XI**या त अनु त्त**

[तब जारी क जाये य द अ यायुध अनुज्ञति पर पहले से पृष्ठा कत है]

यू०आई०एन० _____

अनुज्ञति सं० _____

1.	अनुज्ञतिधारी का नाम	
2.	अनुज्ञतिधारी के निवास का पता जो उसे आयुध के अनुज्ञति पर पृष्ठा कत है	
3.	वे अ यायुध और गोलाबा द जि ह अनुज्ञतिधारी साथ ले जाने के लिए हकदार है	
4.	एक अ यायुध का विवरण के साथ संित वर्णन, उदाहरणार्थ विनर्माता म संख्यांक और अ य पहचान चि ह	
5.	एक कार के गोलाबा द क मा त और विवरण	
6.	ेषण का नाम	
7.	या त का मांग	
8.	गंतय स्थान	
9.	वह अवधि जिसमें संभवतः या त होने वाली है	
10.	वह अवधि जिसके लिए या त अनुज्ञति विधिमा य है	

...../...../ 20 (मोहर)

(ह ता र)

अनुज्ञति अधिकारी _____

पदनाम _____

स्थान _____

शत

1. (क) यह अनुज्ञति आयुध अधिनियम 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबन्धों के अधीन दान क जाती है।
2. अनुज्ञतिधारी
(क) किसी तिकृत अधिकारी द्वारा मांग करने पर, इस अनुज्ञति के अर्तगत आने वाले हथियारों को त्त करेगा ;
(ख) इस अनुज्ञति के अर्तगत आने वाले किसी अ यायुध या गोलाबा द क हानि या चोररी हो जाने पर त काल नजदीक पुलिस टेशन पर इसक सूचना देगा
(ग) अनुज्ञति के वंय 7 के यथा उ लेखित या त के मांग का अनुसरण करेगा।
3. इसके अर्तगत केवल तंभ 7 म नामित यति और तंभ 3 म उ लेखित आयुध या गोलाबा द आते है।

प XII

प रवहन अनुज्ञति

[तब जारी कए जाए य द जब अ यायुधो को विनिर्माता या यवहारी ारा
अनुज्ञति पर या प रवहन के लिए पृष्ठा कत नह कया गया है]

यू०आई०एन० _____

अनुज्ञति सं० _____

1.	इस परेषण के योजन के लिए अनुज्ञतिधारी और ाधिकृत अभिकता (य द कोई हो) का नाम, विवरण और निवास का पता	
2.	अनुज्ञतिधारी के कारबार का थान (य द कोई हो)	
3.	प रवहन कये जाने वाले आयुध और गोलाबा द	
	पैकेजो क संख्या	
	आयुध का सित विवरण और सं या	
	गोलाबा द का सित विवरण और क ा म भार या संख्या	
4.	ेषण का नाम	
5.	प रवहन का माग	
6.	प रवहन का मा यम	
7.	गंत य थान	
8.	परेषिती का नाम, विवरण और पता	
9.	अवधि जिसके लिए अनु तित विधि मा य है [नियम 97 (5) के अधीन यथा उपबंधित तीन मास से अनधिक]	

...../...../ 20 (मोहर)

(ह तार)

अनुज्ञति ाधिकारी _____

पदनाम _____

थान _____

पृ ठांकन 1

तारीख जब से नियम 98 ारा अनापि माण प (एन०ओ०सी) ा त कया है		
ाधिकारी	थान	तारीख
रा य सरकार		
जिलाधिकारी		

पृ ठांकन 2

तारीख जब नियम 97(1) ारा प रवहन अनुज्ञति क तित भेजी गई है		
ाधिकारी	थान	तारीख
रा य सरकार		
जिलाधिकारी		

शत

1. (क) यह अनुज्ञति आयुध अधिनियम 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबन्ध के अधीन दानक जाती है।

2. अनुज्ञतिधारी

(क) किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर इस अनुज्ञति के अर्तगत आने वाले हथियार को तुरंत करेगा; और

(ख) अनुज्ञति के अर्तगत आने वाले किसी आयुध या गोलाबादक हानि या चोरी होने पर तत्काल नजदीक पुलिस स्टेशन को इसका सूचना देगा।

3. वतुओं को तंभ 5 म विनिद ट माग से भिन् अ य कसी माग द्वारा ेपित नह कया जायेगा; और वतुओं के गंत य थान पर पं चने से पूव न तो मूख को तोडा जायेगा और न ही परेषण को रोका जायेगा।

पर वतु जहां परेषण तैयार है क वतु अनुज्ञतिधारी के निय ण से बाहर होने के कारण से एक पुंज म ेपित नह कया जा सकता है या, वतुओं को उपल ध ख ड म भेजा जा सकेगा, यद आव यक हो, इसक समुचित सूचना अनुज्ञति अधिकारी को भेजी जानी चाहिए जो इसक समय शिति को बढा सकेगी।

4. येक पैकेज क विषय वतु का कोई लेखा और रेल द्वारा वतुओं को यहां ह तातर कया जा रहा है उन पैकेजो पर सुपाठय प से लिखा होना चाहिए, येक पैकेज "आयुध" या "गोलाबाद" यथाथिति श द से चिहित होगा, ता क रेल अधिकारयो द्वारा इसे आसानी से पहचाना जा सके।

5. वतुओं को केवल तंभ 8 म यथा उ लेखित कसी ऐसे यिति को दाय कया जाएगा जो उह ात करने का विधि पूवक हकदार है।

6. जहां अनुज्ञति औ गिक योजन हेतु दानक गई है जिसे तीन मास से अधिक अवधि के लिए विधिमा य बनाया गया है विनिर्माता या यवहारी द्वारा थान उदाहरणार्थ, गोदाम और कारखाना के योजन हेतु अनुरित टाकरजि टर म आव यक विटियां क जाएंगी।

प XIII

परी ण के लिए ब दूक क नाल या पूण गोलाबारी भेजने के लिए प रवहन अनु तित

यू आई एन _____ अनुज्ञति सं० _____

1.	अनु तित निर्माता का नाम	
2.	अनुज्ञति निर्माता का पता	
3.	उ रदायी यिति का नाम और पदनाम	
4.	प 7 म निर्माता क अनुज्ञति संख्या	
5.	प 7 म अनुज्ञति क मा यता अवधि	
6.	ति वष नि मत क जाने वाली अनुमत गोलाबारी क संख्या	
7.	पहली बार परी ण के लिए अभी तक परी ण गृह भेजे गए ब दूक क नाल/पूण गोला बारी क कुल संख्या	

8.	भेजे जाने वाले अनुमत ब दूक नाल/ पूण गोलाबारी क कुल मा ा			
म सं०	क म	वर्तमान वष के दौरान नि मत	प रशोधित	कुल
	(1)	(2)	(3)	(4)
(क)				
(ख)				
(ग)				
	कुल			

9.	प रशोधन के प चात् भेजे जाने वाली ब दूक क नाल/ विनि मत गोलाबारी क कुल मा ा (मद 8 का तंभ 3)			
म सं०	निर्माण का वष	प रशोधन का परामश देने वाले परी ण के से संचारण क संख्या और तारीख	प रशोधित ब दूक क नाल और पूण गोलाबारी क म सं०	कुल
	(1)	(2)	(3)	(4)

- माणित कया जाता है क इस अनुज्ञति के जारी होने क तारीख को, अनुज्ञति धारी अनुज्ञति ाधिकारी या नवीनीकरण ाधिकारी या जिला मजि ेट ारा उसके प 7 अनुज्ञति के क ह ाधिकर के चालन से तिबंधित नह रहा है।
- अनुज्ञति धारी को मद 8 के ारा ब दूक क नाल/ पूण गोलाबारी को उसके प 7 अनुज्ञति के तंभ 7 म नि द ट थापन म प रवहन करने के लिए एत ारा अनुमति दी जाती है। उसे इस अनुज्ञति ारा आवृत ब दूक क नाल/ पूण गोलाबारी को परी ण के प चात् एक या अधिक क तो म थापन से वापस लाने क भी अनुमति दी जाती है।

(मुहर और ह ता र)

(जिला मजि ेट)

थान :

तारीख :

ट पण :- मद 7 और मद 8 के तंभ 2 के अंक का कुल योग मद 6 ारा अनुज्ञ त मता से अधिक नह होगी।

प XIV

आयुध और गोला बा द के प रवहन के लिए प रवहन दाता अनु तित
यू आई एन _____ अनु तित सं० _____

अनुज्ञति धारी का नाम, कार और कारबार का पता	प रवहन होने के लिए अनुमत आयुध और गोला बा द का कार				अनुज्ञति ख म होने क तारीख
	आयुध और गोला बा द क ेणी	एक कैलेन्डर वष के दौरान अधिकतम मा ा	एक ेषण म अधिकतम मा ा	एक लदान म अनेक ेषण म अधिकतम मा ा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

..... 20

(मुहर)

(ह ता र)

अनुज्ञति ाधिकारी _____ या
नियम (5) के अधीन अनु तित ह ता रत करने
के लिए विशेष अधिकार ा त अधिकारी
पदनाम _____
थान _____

अनु तित के नवीकरण का प			
नवीकरण क तारीख और वष	तारीख जिस पर नवीकृत अनु तित समा त होती है	नवीकरण ाधिकारी के ह ता र और पदनाम	मुहर
1	2	3	4

शत

1. (क) आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के समत उपबंध के अधीन रहते ए अनुज्ञति अनुदत्त है।
(ख) अनुज्ञति धारक तंभ (1) यह अनुज्ञति तभी तक वैध है जब तक द शत परसर के भीतर यापार या कारबार करता है, और वह वयमेव ही यपगत हो जाएगी यद छह मास से अधिक समय तक निरंतर कारबार नह कया जाता।
(ग) अनुज्ञति धारक अनुज्ञति अधिकारी के अनुमोदन के बिना इस अनुज्ञति से सहब कसी भागीदारी को नह करेगा।
2. अनुज्ञतिधारी यातायात के लिए ता सभी आयुध और गोलाबा द का, टॉक का तथा सभी परवहन कए गए माल का विशिष्टिय समेत के िय सरकार ारा विहित षम रजि टर रखेगा।
3. अनुज्ञतिधारी मांग कए जाने पर मजि ेट या निरी ण से अयून पुलिस अधिकारी या के िय सरकार के निदेश पर उपनिरी क के निरी ण के लिए अपना टॉक और रजि टर उपल ध करवाएगा।
4. अनुज्ञतिधारी अपने कारबार, कारखाने या दुकान के दृ यमान थान पर अंग्रेजी/हि दी और अपने जिले क भाषा म बड़े अ र म "आयुध और गोलाबा द के परवहन क अनुज्ञति" लगवाएगा।
5. अनुज्ञतिधारी तंभ (2) म अनुज्ञात वर्णन के सिवाय कसी अ य वग के आयुध और/या गोलाबा द का परवहन नह करेगा।
6. अनुज्ञतिधारी तंभ (1) म विनि द ट थान के सिवाय या ष 14 म अनुज्ञति के लिए आवेदन करते समय घोषित शाखा कार्यालय या तिनिधि कार्यालय के सिवाय कह अ यथा आयुध या गोलाबा द नह रखेगा।
7. वह ष 12 म परेषिती से परवहन अनुज्ञति क थम ति ता कए बिना आयुध और गोलाबा द क मा ा का परवहन नह करेगा और लिखित घोषणा के आधार पर ऐसे परवहन का योजन सुनिचित करेगा और अधिनियम या इन नियम के अधीन परेषण ता करने के सदभाव सा य के बिना परेषण परेषिती को ह तगत नह करेगा।
8. परवहनकता अनुज्ञति अधिकारी को नि नलिखित द तावेज तुत करेगा -
(क) इस बात का सबूत क आयुध या गोलाबा द का परवहन करने वाला यान तथा आवेदक के बीच संचार का दो तरफा मा यम उचित चालन म है;
(ख) उपयोग कए जाने वाले यान म लगे ए सुर षोपाय का त्रि तुत वर्णन;
(ग) सुर षापूर्वधानिय का परवहन के दौरान वि तुत वर्णन।
9. परवहन कता परवहन के भारसाधक को टाइप क ई सूची या कं यूटर ट आउट आने लेटरहेड पर देगा जिसम परवहन से सीधे सम्मिलित यतिय के नाम, पहचान संख्या आ द ह गे तथा ऐसी सूची ष 14 म अनुज्ञति क माणित ति से संल न होनी चाहिए।
10. ष 14 म अनुज्ञति धारण करने वाला आयुध या गोलाबा द परवहनकता ऐसे परवहन के दौरान नि नलिखित रखेगा—
नि नलिखित विशिष्टिय सहित परेषण नोट:
(i) (क) परवहनकता का पूरा नाम, पता, अन ति और यूआईएन;
(ख) परवहन कए जाने वाले आयुध और गोलाबा द के संबंध म परेषक और परेषिती के नाम, पते और यूआईएन;
(ग) आयुध क मा ा, कार ए थन, विनिर्माता का म सं., मेक और कैलिबर तथा गोलाबा द क मा ा, मेक और कैलिबर;
(घ) आयुध और गोलाबा द संग्रह के थान तथा अंतिम भेजने वाले थान का भौतिक पता;
(ii) ष 12 म ऐसे आयुध और गोलाबा द का परवहन अधिकृत करने वाली अनुज्ञति;
(iii) कोई अ य द तावेज जो इन नियम या कसी अ य विधि के अधीन अपेक्षत हो।
11. जहां ष 14 म अनुज्ञतिधारण करने वाला यति ताति और परदान के बीच कसी अवधि के लिए भंडारण करता है तो ऐसा भंडारण नियम 10 क अपेक्षा के अनुरूप सुरित भंडारण के अनुसार होना चाहिए।
12. अनुज्ञतिधारी कम से कम दो स मर क के साथ वयं या अपने का मक ारा माग म आयुध और गोलाबा द का निरी ण सुनिचित करेगा।
13. अ नायुध परवहनकता परेषिती से आयुध और गोलाबा द के परेषण क लिखित संपुटि ता करेगा जिसम नि नलिखित अंत व ट होगा--
(i) ता तकता का नाम और उपनाम;
(ii) ता तकता का पता;
(iii) परदान क तारीख और समय;
(iv) ता त आयुध और गोलाबा द का वर्णन; और
(v) ता तकता के ह ता र जिससे सही परदान क पुटि हो।
ता त लिखित संपुटि क ति ष 12 म परवहन अनुज्ञति जारी करने वाले अनुज्ञति अधिकारी को परवहनकता ारा परदान क जीएगी।
14. ष 14 म अनुज्ञति धारण करने वाला अनुज्ञतिधारी आयुध या गोलाबा द क परदान न होने, ति या चोरी क दशा म तुरंत पुलिस तथा अनुज्ञति अधिकारी के लिखित म सूचना देगा।

15. आयुध और गोलाबा द ले जाने वाला यान युतियुक्त प से अपे त अवधि से अधिक अवधि के लिए नह सकेगा तथा ऐसे थान पर कने से बचेगा जहां लोक सुर ा खतरे म होने क संभावना हो और आयुध तथा गोलाबा द ले जाने वाला यान प 14 म अनुज्ञतिधारी के यय पर पूर्णतः सुरि त और अनि शामक यंत्र से पूर्णतः सुसजित होगा ।

प XV

नेपाल म एक थान से नेपाल म दूसरे थान तक नेपाल क सरकारी फौज या पुलिस ारा आयुध और गोलाबा द के भारतीय रा य े म आयात, या ा क अवधि के लिए क जा, प रवहन और भारत से बाहर नियात के लिए अनु ति

यू आई एन _____ अनुज्ञति सं० _____

अनुज्ञतिधारी/ अधिकता का विवरण	रटेनर क संख्या	वह आयुध और गोला बा द जिनके आयात/ क जे/ प रवहन/ निर्यात के लिए अनुज्ञति धारी हकदार है		भारत म वेश का थान	जिला/ जिले जहां से आयुध और गोला बा द गुजरगे	भारत से निकासी का थान	अवधि जिसम अनुज्ञति मा य है
1	2	3	4	5	6	7	8

से

तक

जिला मजि ेट को ति भेजने क तारीख

.....जिला

[नियम 111 (2) ारा]

(मुहर)

(ह ता र)

भारतीय राजदूत नेपाल

शत

1. यह अनुज्ञति आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध अधिनियम, 2016 के सभी उपबंध के अ यधीन दी गई है ।
2. इसके अंतर्गत सिफ वह यति और आयुध या गोला बा द आते है जिनका इसम वर्णन है ।
3. अनुज्ञति धारी इस अनुज्ञति के अंतर्गत आने वाले कसी आयुध या गोला बा द का, जब भारत म है, वि य या अंतरण नह कर सकेगा ।

प XVI

अनिआयुध मु त े के लिए अनु ति

यू०आई०एन०	अनुज्ञति संख्या	नाम, विवरण और अनुज्ञतिधारी का कारबार पता	संल न सादर लान के अनुसार अनिआयुध मुक्त ेत्र के प म घोषित निधा रत ेत्र (लाल से चििनित)	कसी तारीख को अनु ति अवसान होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

तारीख

मोहर

(ह ता र)

अनुज्ञति ाधिकारी

पदनाम

थान

अनु ति के नवीकरण का प			
नवीकरण क तारीख व वष	कस तारीख को नवीकृत अनुज्ञति अवमान होगा	नवीरण करने वाले ाधिकारी के ह ता र और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शत

1. यह अनुज्ञति आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सभी उपबंध के अधीन रहते ए दान क गई है।
2. इसको केवल अनुज्ञति के तंभ (4) म उलिखित सीमांकित ेत्र के लिए अनिआयुध मुक्त ेत्र के प म घोषित प रसर के वामी के नाम को लिया गया है।
3. अनुज्ञतिधारी अनिआयुध मुक्त े के प म प रसर को घोषित करते ए अंग्रेजी और थानीय भाषा दोन म तंभ (4) म उलिखित प रसर के सभी मुख्य वेश या अनुकूल थान पर सूचना लगाएगा।
4. सूचनाएं और साइन बोर्ड हर समय साफ और प ट दखनी होगी।
5. अनिआयुध मुक्त ेत्र के लिए आवेदन भरते समय दी गई सूचना म कोई प रवर्तन, अनुज्ञति ाधिकारी को सात काय दवस क अवधि के भीतर सुचित करना होगा।

अनुसूची-III

भाग-II
आवेदन प
प क-1
(टि के लिए)

आवेदक का
पासपोट साइज
का फोटो

प-II, III और IV म कसी अनिआयुध अनुज्ञति के लिए आवेदन का प
(नियम 11 देखे)

आवेदक क पहचान			
1	नाम		
2	अभिभावक/ पति प नी का नाम		
3	लग	पुरुष	ी
4	ज म थान (ज म भूमि)	देश	रा य जिला
5	इ वी सन् म ज म क तारीख	आवेदन क तारीख को 21 वष का होना ज री है	
	अंक म	दन/मास/वष	
	श द म		
6	थायी खाता सं० (पेन)		
7	आधार काड सं या		
8	वर्तमान पता	जिला	रा य
(क)	वर्तमान पते पर कब से रह रहे ह	दन/मास/वष	
(ख)	दूरभाष संख्या	कार्यालय	निवास
(ग)	मोबाइल संख्या		
(घ)	*नजदीक पुलिस थाना		
9	थायी पता	जिला	रा य
(क)	नजदीक पुलिस थाना		
10	यवसाय		
* ट ण :- नजदीक पुलिस थाना से वह पुलिस थाना अभिे त है जिसको अधिका रता म दया गया पता आता है।			
11	कार्यालय/ कारबार पता		
12	अति र त विशिष्टियां, य द नियम 35 के अधीन फसल संर ण के लिए अनुज्ञति अपेि त है	अवथिति (ाम)	जुताई के अधीन भूमिेत्र

आवेदक क अ य विशिष्टियां				
13	या आवेदक,—			
(क)	दोष सि आ है	हां	नह	य द हां, तो उसका यौरा अपराध द डादेश द डादेश क तारीख दन/मास/वष
(ख)	शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए दंड या संहिता, 1973 (1974 का 2) के अ याय 8 के अधीन बंधप या वित होने का आदेश आ है	हां	नह	य द हां, तो उसका यौरा तारीख दन/मास/वष (कस सीमा के लिए उसक अवधि)
(ग)	आयुध या गोला बा द रखने से आयुध अधिनियम, 1959 या कोई अ य विधि के अधीन निषेध आ है	हां	नह	य द हां, तो उसका यौरा तारीख दन/मास/वष निषेध के लिए अवधि
14	या,—			
(क)	आवेदक ने अनुज्ञति के लिए पहले आवेदन, कया है, - य द हां, कब से कब तक और उसका प रणाम या था ।	हां	नह	य द हां, तो उसका यौरा आवेदन कए जाने क तारीख दन/मास/वष अनुज्ञति अधिकारी का नाम प रणाम (कृपया विनि द ट करे) अनुमो दत/अ वीकृत/लंबित
(ख)	आवेदक का अनुज्ञति कभी निलंबित, या निर त/ तिसंह रत आ था	हां	नह	य द हां, तो उसका यौरा अनुज्ञति अधिकारी का नाम कारण
(ग)	आवेदक के प रवार का कोई अ य सद य जिसके पास कोई आयुध अनुज्ञति है, य द हां, तो उसक विशिष्टियां	हां	नह	य द हां, तो उसका यौरा नाम अनुज्ञति सं० आयुध पृष्ठांकन
				1.
				2.
				3.
(घ)	आवेदक के पास आयुध और गोला बा द रखने क सुरि त जगह है	हां	नह	य द हां, तो उसका यौरा
(ङ)	आवेदक ने नियम 10 के अधीन यथाविनि द ट शि ण ा त कया है (के िय सरकार ारा जहां कही लागू हो)	हां	नह	य द हां, तो उसका यौरा
आवेदन कए गए वि ति क विशिष्टियां				
15	अनुज्ञति के लिए आव यकता (ट पण 1 देखे)			
16	आयुध का विवरण			
(क)	जिसके लिए अनुज्ञति मांगी गई है	राइफल <input type="checkbox"/>		

	(कसी एक विक प पर सही का निशान लगाए)	शाट गन (बी एल/ एम एल)	<input type="checkbox"/>
		हडगन (रवालवर/ पि टल)	<input type="checkbox"/>
		अ य	<input type="checkbox"/>
(ख)	गोलाबा द का विवरण या गोलाबा द संघटक जिसके लिए अनुज्ञति मांगी गई है।		
17	ेत्र के भीतर जिसम आवेदक ने आयुध को ले जाने क चाह रखी है (कसी एक विक प पर सही का निशान लगाए)	जिला रा य पूरे भारत भर म	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	अनुज्ञति ात करने के लिए विशेष विचारण के लिए दावा, य द कोई हो (साथ स तो संल न क जिए)		
अति र त सूचना			
19	प IV म अनुज्ञति के लिए कसी आवेदन का यौरा		
(क)	थान या ेत्र जिसके लिए अनुज्ञति मांगी गई है		
(ख)			

घोषणा :

मैं, यह घोषणा करता ं क आवेदन म दए गए उपरो त विशिष्टियां मेरी सब तम जानकारी और वि वास के साथ स य, पूण और सही है। मुझे ात है क कसी भी तर पर दी गई जानकारी झूठी या अस य पाई जाती है, आयुध अधिनियम, 1959, आयुध नियम, 2016 और अ य के िय अधिनियम या त समय वृत्त विधि के संबंधित उपबंध के अधीन मेरे वि कारवाई करने के लिए दायी होगा।

थान :

(आवेदक के अंगुठ का निशान/ ह सा र)

तारीख :

ट पण :

- तंभ 15 के सामने, आवेदक को प ट प से उस योजन का उ लेख करना चाहिए जिसके लिए अनु ित अपे ित है - जैसे क (प II, III या IV) आवेदित अनुज्ञति के वग के अनुसार, उपयोग, अर्जन क जा, ले जाना, खेल, दर्शन, जंगली जानवर का ना ा जो क मनुष्य ारा तिक गई हो या मवेशी और फसल को नुकसान आ द।
- नियम II के अधीन नि नलिखित द तावेज आवेदन के साथ तुत करना है
(क) आवेदक का नवीनतम फोटो क (सफेद पृष्ठभूमि म) चार पासपोट साईज क तियां ;
(ख) ज म क तारीख का सबूत ;
(ग) पहचान सबूत - आधार काड या आवेदक के पास आधार काड न होने क दशा में, वैकपिक पहचान सबूत जैसे - पासपोट, मतदाता पहचान प , पेन काड या कर्मचारी को जारी कया आ पहचान प के साथ शपथप के प म एक लिखित घोषणा तुत करेगा ;
(घ) निवास सबूत, आवेदक के पास आधार काड या पासपोट न होने क दशा म - (निर्वाचन काड या वि तुत बिल, या लैंडलाइन टेलिफोन बिला, या कराया विलेख या प ा विलेख या संपि द तावेज या अनुज्ञति ाधिकारी के समाधान का कोई अ य द तावेज) ;
(ङ) प घ-1 म अनिआयुध शि ण माणप (साधारण या विशेष आदेश पा रत ारा के िय सरकार ारा जहां कही लागू हो) ;
(च) प घ-2 म वचनबंध अनिआयुध के सुरि त उपयोग और भंडारण ;
(छ) नियम 12 के उपनियम (3) के ख ड (क) म यथाविनि द ट वृ क वग आवेदक से शै क और वृ क अर्हता माणप क वयं-अनुप्रमाणित तियां ;
(ज) प घ-3 म मानसिक वा य और शारी रक यो यता के बारे म चि क सा माणाप ;
(झ) जंगली जानवर के नाश जो क मनुष्य ारा तिक गई हो या मवेशी और फसल को नुकसान के लिए संर ण क दशा में, व य जीव (संर ण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन सश त ाधिकारी से अनुज्ञा दी जाएगी ;

3. जो विटियां संबंधित नह है उसे काट द।

चेतावनी : आयुद्ध नियम के अति मण म आवेदन प म दी गई कसी त यपूण सूचना या कसी कार क झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 क धारा 30 के अधीन दंड कके लिए दायी होगा।

प क-2

(क पनिय के लिए)

प II, III और V म आयुध अनु ित के लिए आवेदन का प

(नियम 11 देख)

आवेदक क पहचान	
1	आवेदक क पनी का नाम
	थायी पहचान संख्या (पेन)
	कारपोरेट पहचान संख्या (सी० आई० इन०)
2	क पनी क आवेदक शाखा या तिनिधि कार्यालय का नाम (य द आवेदन ऐसी शाखा या तिनिधि कार्यालय ारा भरा गा है)
3	आवेदक क पनी क थापना (नीचे ट पण 1 देखे)
4	'उ रदायी यित' का पदनाम जो आवेदक क पनी क ओर से ह ता र करेगा (लिखित म अधिकृत कया जाए या जहां कह अपेित हो बोड संक प के मा यम से) 'उ रदायी यित' का नाम, आवेदन पर ह ता र करने वाला
5	क पनी का रजि ड कार्यालय पता दूरभाष सं० (कायालय) उ रदायी यित का मोबाइल सं या ई-मेल *नजदीक पुलिस थाना
6	शाखा या तिनिधि कार्यालय का पता जो क आवेदन म भरा गया है दूरभाष (कार्यालय/ निवास) मोबाइल सं० ई मेल नजदीक पुलिस थाना

* ट पण – नजदीक पुलिस थाना से वह पुलिस थाना अभिेत है जिसक अधिका रता म दया गया पता आता है

आवेदक क अ य विशिष्टियां				
7	या आवेदक या उसके कार्यालय का पदधा रय या निदेशक को कभी :--			
(क)	दोष सि एह (पृथक् कागज म यौरा संल न करे य द उ र सकारा मक है)	हां	नह	य द ह्रां, तो उसका यौरा अपराध द डदेश द डदेश तारीख दन/ मास/ वष
(ख)	आयुध या गोलाबा द रखने से आयुध अवधिनियम, 1959 या कोई अ य विधि के अधीन निषेध आ है	हां	नह	य द ह्रां, तो उसका यौरा तारीख दन/ मास/ वष निषेध के लिए अवधि
8	या —			
(क)	आवेदक ने अनुज्ञति के लिए पहले आवेदन कया है, - य द ह्रां, कब से कब तक और उसका प रणाम या था	हां	नह	य द ह्रां, तो उसका यौरा आवेदन कए जाने क तारीख दन/ मास/वष अनुज्ञति अधिकारी का नाम प रणाम (कृपया विनि द ट कर) अनुमो दत/अ वीकृत/लंबित
(ख)	आवेदक का अनुज्ञति कभी निलंबित या निस त/ तिसंह रत आ था	हां	नह	य द ह्रां, तो उसका यौरा अनुज्ञति अधिकारी का नाम कारण
(ग)	क पनी ारा पहले से ही कोई अ य आयुध अनुज्ञति धारण कया आ है या जहां आवेदक ऐसी क पनी क शाखा या तिनिधि कार्यालय है, वहां ऐसी शाखा या तिनिधि कार्यालय ारा धारण कया आ है	हां	नह	य द ह्रां, तो उसका यौरा नाम अनुज्ञति संख्या आयुध पृष्ठांक 1. 2. 3.
(घ)	आवेदक के पास आयुध और गोलाबा द रखने का सुरि त थान है	हां	नह	य द ह्रां, तो उसका यौरा
(ङ)	आवेदक ारा नियोजित करने वाले तिधारक या तिधारक को नियम 10 में, यथाविनि द ट शि ण दया गया है। (जहां कह के िय सरकार ारा लागू)			

आवेदन कए गए अनु तित क विशिष्टियां	
9	अनुज्ञति के लिए आव यकता (नीचे ट पण 2 देख)
10 (क)	आयुध का विवरण जिसके लिए अनुज्ञति मांगी गई है (कोई एक विक प पर सही का निशान लगाए)
	वग - निबधित/ अनुज्ञेय राइफल <input type="checkbox"/> शाटगन (बीएल/एम एमल) <input type="checkbox"/> हड गन (रवालवर/पि टल) <input type="checkbox"/> अ य <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

(ख)	गोला ब्रा द का विवरण या गोलाब्रा द संघटक जिसके लिए अनुज्ञति मांगी गई है	
11	अनिआयुध क संख्या जिसके लिए आवेदक ने आवेदन म चाह है	
12	ेत्र के भीतर जिसम आवेदक ने आयुध को ले जाने क चाह रखी है (कसी एक विक प पर सही का निशान लगाएं)	जिला रा य पूरे भारत म <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	अनुज्ञति ात करने के लिए विशेष विचारण के लिए दावा, य द कोई हो (स य द तावेज संल न क जिए)	

घोषणा :

मैं,, उ रदायी यति,, तंभ (3) म यथाउलिखित पदनाम (कंपनी नाम) यह घोषणा करता ं क आवेदन म दए गए विशिटियां मेरी सव तम जानकारी और वि वास के साथ स य, पूण और सही है। मुझे ात है क कसी भी तर पर दी गई जानकारी झूठी या अस य पाई जाती है, मैं, वयं, साथ ही साथ कंपनी, आयुध अधिनियम, 1959, आयुध नियम, 2016 और अ य के िय अधिनियमन या त समय वृत्त उपबंध के अधीन मेरे वि कारवाई करने के लिए दायी होगी।

थान :

(मोहर सहित उ रदायी यति के ह ता र)

तारीख :

क पनी क ओर से ह ता र करने वाला

ट पण :

1. क पनी के गठन का उ लेख कया जाना—

कसी विशेष अधिनियम या अ यथा आ द के अधीन पाईवेट लिमिटेड क पनी, लिमिटेड क पनी, सरकारी उप म, सोसाइटी, कॉ-आपरे टव सोसाइटी, सं थान, वि ववि ालय, भागीदार फर्म, यतिय का संघ, (ए०ओ०पी०) या कोई अ य निकाय

2. तंभ 8 के सामने, आवेदन को प ट प से उस योन का उ लेख करना चाहिए जिसके लिए अनुज्ञति अपे त है जैसे क उपयोग, अर्जन, क जा ले जाना, संरण, दर्शन, लित यवसाय या गोलीबारी।

3. आवेदक, आवेदन के साथ नि नलिखित द तावेज को तुत करना अपे त है :—

(क) आयुध नियम के अधीन आवेदन करने के लिए नियम 2 के ख ड (44) ारा नियुक्त उ रदायी यति ारा ह ता रत कया आ आवेदक क पनी के लेटर हैड पर लिखित वचनबंध ;

(ख) उपरो त ख ड (क) म नि द ट पा रत बोड संक प या उ रदायी ित क नियुतिक पुटिका ाधिकृत प क मूल ति ;

(ग) क पनी के थापना द तावेज जिसके अंतर्गत संगम ापन भी है क अनुप्रमाणित तियां ;

(घ) नियम 10 म यथाविनि दष्ट, प ख-2 म अनिआयुध का सुरित उपयोग और भंडारण का वचनबंध ;

चेतावनी : आयुध नियम के अति मण म आवेदन प म दी गई कसी त यपूण सूचना या कसी कार क झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 क धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।


प क-3

(यटिक के लिए)

प 2, 3, 4 म अनुद त अनुज्ञति(य) के लिए आयुध के नवीकरण हेतु आवेदन का
प
(नियम 24 देखें)

अनु तितधारी क पहचान

1. यूआईएन (16 अंक)
2. नाम
3. पिता/माता/पति/प नी का नाम



4. ई वी सन् म ज म क तारीख
(क) अंक म
(ख) श द म
5. वर्तमान पता
(क) दूरभाष (कार्यालय/निवास)
(ख) मोबाइल
(ग) ई मेल
(घ) निकटतम पुलिस थाना
6. यवसाय
7. कार्यालय/कारबार का पता

अनुज्ञति क विशिष्टियां और शर्तें

8. अनुज्ञति सं.
9. अवसान क तारीख
10. षेत्र वैधता
11. पृष्ठांकित आयुध आयुध 1 आयुध 2 आयुध 3
(क) कार (राइफल/शॉट गन/हड गन
(रवॉलवर/पि टल))
(ख) बोर/कैलिबर
(ग) आयुध संख्यांक
12. अनुज्ञात गोला बा द काट रज गन पाउडर/परकशन
कै स

आवेदक क अय विशिष्टियां

13. या अनुज्ञति के पिछले नवीकरण या जारी करने के समय से आवेदक
(क) सि दोष आ है हां नह य द हां तो उसके यौरे
अपराध
दंड
दंड क तारीख
य द हां तो उसके यौरे
तारीख
वह अवधि जिसके लिए ब ह
य द हां तो उसके यौरे
तारीख
वह अवधि जिसके लिए तिपि कया
गया है
14. या--
(क) अनुज्ञति के पिछले नवीकरण या जारी करने हां नह य द हां तो उसके यौरे
के समय से आवेदक क अनुज्ञति कभी
निबंलित या निरत/वापस ली गई है। अनुज्ञति अधिकारी का नाम
कारण
(ख) आवेदक के परिवार का कोई अय सद य हां नह य द हां तो उसके यौरे
कोई अय आयुध अनुज्ञति रखता है य द हां
तो उसक विशिष्टियां नाम
अनुज्ञति सं.

- (ग) आवेदक के पास आयुध और गोलाबा द हां नह पृष्ठांकित आयुध 1. 2. 3.
रखने के लिए सुरि त थान है य द हां तो उसके यौरे
- (घ) आवेदक ने नियम 10 के अधीन हां नह य द हां तो उसके यौरे
यथाविनि द ट विहित शि ण ा त कया
है (जब भी के िय सरकार ारा लागू
करवाया जाए)

घोषणा :

म यह घोषणा करता ं क आवेदन म दए गए उपरो त विशि्टियां मेरी सब तम जानकारी और वि वास के साथ स य, पूण और सही ह। मुझे ात है क कसी भी तर पर दी गई जानकारी झूठी या अस य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अ य के िय अधिनियमन या त समय वृत्त विधि के संबंधित उपबंधो के अधीन म मेरे वि कारवाई करने के लिए दायी ं।
आवेदक के ह ता र या अंगूठे का निशान

थान

तारीख

ट पणः--

छूट ा त खिलाड़ी तंभ 11 और 12 के सामने पृथक शीट म उनके ारा रखे गए आयुध और गोलाबा द क सूची संल न करगे।

चेतावनी:

आयुध नियम के अति मण म आवेदन प म दी गई कसी त यपूण सूचना या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक आयुध अधिनियम, 1959 क धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।

प क 4

(कंपनिय के लिए)

प 2, 3, 4 म अनुद त अनुज्ञति(य) के लिए नवीकरण हेतु आवेदन का प

(नियम 24 देखें)

अनु त्तधारी क पहचान

1. यूआईएन (16 अंक)
2. अनु त्तधारी कंपनी का नाम
(ट पण 1 देखें)
3. अनुज्ञतिधारी कंपनी का गठन
पैन/सीआईएन
4. उ तरदायी यि त का नाम
5. अनुज्ञतिधारी कंपनी का पता

दूरभाष सं. (कार्यालय)
उ तरदायी यि त क मोबाइल
सं.
ई-मेल
निकटवत पुलिस थाना

अनु त्त क विशि्टियां और श पृ ठांकन

6. अनुज्ञति सं.
7. अवसान क तारीख
8. ेत्र वैधता

9.	पृष्ठांकित आयुध क कुल संख्या		
10	आयुध के यौरे	1	2
(क)	कार (राइफल/शॉट गन/हंड गन (रवॉलवर/पि टल))		
(ख)	बोर		
(ग)	आयुध संख्यांक	तीन से अधिक आयुध के लिए पृथक सूची संल न क जाए	
11.	अनुज्ञात गोला-बा द	काट रज गन पाउडर/परकशन कै स	

आवेदक क अ य विशिष्टियां

12.	या अनुज्ञति के पिछले नवीकरण या जारी करने के समय से आवेदक या पदधारी या निदेशक या उ तरदायी यति--			
(क)	सि दोष आ है (य द उ तर हां म है तो पृथक शीट म संल न कर)	हां	नह	<u>य द हां तो उसके यौरे</u> अपराध दंड दंड क तारीख <u>य द हां तो उसके यौरे</u> तारीख वह अवधि जिसके लिए तिपि कया गया है
(ख)	आयुध अधिनियम, 1959 या कसी अ य विधि के अधीन आयुध या गोलाबा द रखने के लिए तिपि कया गया है।	हां	नह	<u>य द हां तो उसके यौरे</u> तारीख वह अवधि जिसके लिए तिपि कया गया है
13.	या अनुज्ञति के पिछले नवीकरण या जारी करने के समय से आवेदक क अनुज्ञति कभी निबंलित या निर त/वापस ली गई है।	हां	नह	<u>य द हां तो उसके यौरे</u> अनुज्ञति ाधिकारी का नाम कारण
(ख)	आवेदक के पास आयुध और गोलाबा द रखने के लिए सुरि त थान है	हां	नह	<u>य द हां तो उसके यौरे</u>
(ग)	कंपनी ारा नियुक्त धारक ने नियम 10 के अधीन यथाविनि द ट विहित शि ण ा त कया है (जब भी के िय सरकार ारा लागू करवाया जाए)	हां	नह	<u>य द हां तो उसके यौरे</u>

घोषणा :

म(तंभ 4 म नामित) उ तरदायी यति (कंपनी का नाम) यह घोषणा करता ं क आवेदन म दए गए उपरो त विशिष्टियां मेरी सब तम जानकारी और वि वास के साथ स य, पूण और सही है। मुझे ात है क कसी भी तर पर दी गई जानकारी झूठी या अस य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अ य के िय अधिनियमन या त समय वृत्त विधि के संबंथित उपबंधो के अधीन म मेरे वि कारवाई करने के लिए दायी ं।

कंपनी के निमि त ह ता र करने वाले
उ तरदायी यति के मुहर के साथ ह ता र

ट पणः--

कंपनी का गठन व णत कया जाए--

ाइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, सरकारी उप म, सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी, संस्थान, वि ववि ालय, भागीदारी फम, यतिय का संगम या कसी विशेष अधिनियम या अ यथा के अधीन कोई अ य निकाय।

चेतावनी:

आयुध नियम के अति मण म आवेदन प म दी गई कसी त यपूण सूचना या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक आयुध अधिनियम, 1959 क धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा ।

प क-5

(यटिक /टीम या समूह के लिए)

प 6 म आयुध और गोलाबा द के अ थायी आयात और नियात के लिए आयुध अनुज्ञति हेतु आवेदन का प भाग क

(नियम 44, 45 देखें)

यटिक ारा आवेदन

भारत म अनुसूची 1 के वग के अ नायुध को लाना

1. नाम
2. पिता/माता/पति/प नी का नाम
3. रा ीयता
4. पासपोर्ट संख्या
5. भारत के लिए वीजा विशि्टिया
6. ई वी सन् म ज म क तारीख
7. वैधता के साथ निवासी देश का मूल आयुध अनुज्ञति संख्यांक
8. वर्तमान पता (पासपोर्ट के अनुसार)
दूरभाष (कार्यालय/निवास)
मोबाईल संख्या
ई-मेल
9. भारत म अ नायुध लाने का योजन
10. भारत म रहने क अवधि जिसके लिए अनुज्ञति क वांछा क गई है
11. भारत म आगमन क अनुमानित तारीख और वेश का प तन
12. भारत से थान क अनुमानित तारीख और निकास का प तन
13. अ नायुध जिसके लिए अनुज्ञति क वांछा क गई है
कार
बोर
संख्या
14. भारत म खेल गतिविधि/टूर्नामेंट के लिए ायोजक /आयोजक के यौरे

खेल टीम /समूह के मामले म अति र त जानकारी

1. बंधक या समूह नेता का नाम
2. पिता/माता/पति/प नी का नाम
3. रा ीयता
4. पासपोर्ट संख्या
5. भारत के लिए वीजा विशि्टियां
6. ज म का थान
7. ई वी सन् म ज म क तारीख
8. वर्तमान पता (पासपोर्ट के अनुसार)
दूरभाष (कार्यालय/निवास)
मोबाईल संख्या
ई-मेल
9. टीम के सद य क संख्या
10. खेल गतिविधि/टूर्नामेंट के यौरे
थान
तारीख

11. अवधि जिसके लिए अनुज्ञति क
वांछा क गई है
12. भारत म आयोजक/ ायोजक

घोषणा :

म यह घोषणा करता ं क आवेदन म दए गए उपरो त विशिष्टियां मेरी सव तम जानकारी और वि वास के साथ स य, पूण और सही ह । मुझे ात है क कसी भी तर पर दी गई जानकारी झूठी या अस य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अ य के िय अधिनियमन या त समय वृत्त विधि के संबंधित उपबंधो के अधीन म मेरे वि कारवाई करने के लिए दायी ं ।

आवेदक/समूह या टीम के नेता के ह ता र

थान

तारीख

ट पण:-

1. भाग क म यथाविनि द ट यटिक टीम सद य के यौरे देते ए भारत म आने वाले समूह/खेल टीम के नेता ारा ऊपर दए गए अति र त यौर के साथ आवेदन फाइल कया जा सकेगा ।
2. भारत म आयोजित होने वाली खेल गतिविधिय /टूर्नामट के लिए खेल और युवा काय म मंत्रालय ारा स यक् प से अधि माणित भारतीय आयोजक / ायोजक से अनुमोदन प के आधार पर अनुज्ञति ात करने के लिए भारतीय कानसूलेट/उ चायोग को आवेदन अिम प से दया जा सकेगा ।

भाग ख

(नियम 43 देखें)

भारत म आने वाले पयटक के लिए लागू—

(केवल भारत म नि मत आयुध के लिए) वग 3, 4, 5 के भारत म, ठहरने/ले जाने/निर्यात करने के दौरान अर्जन और अधिभोग (क तु उपयोग नह)

1. नाम
2. पिता/माता/पति/प ती का नाम
3. रा ियता
4. पासपोर्ट संख्या
5. वीजा यौरे
6. ई वी सन् म ज म क तारीख
7. वर्तमान पता (पासपोर्ट के अनुसार)
दूरभाष (कार्यालय/निवास)
मोबाईल संख्या

ई-मेल

8. भारत म आगमन क तारीख और वेश का प तन
9. भारत से थान क अनुमानित तारीख और निकास का प तन
10. अ यायुध जिनके लिए अनुज्ञति क वांछा क जा रही है
वग
कार
बोर
11. विे ता/अंत रती के यौरे, जिनसे ये आयुध उपा त कए जाने ह
नाम
पता
यूआईएन
अनुज्ञति सं.

ट पण --

1. मूल वीजक/बिल/अंतरण प के साथ अनुज्ञति पर आव यक पृष्ठांकन के लिए अजन पर आयुध(ध) को अनुज्ञति ाधिकारी के सम तुत कया जाना है ।
वग 4 के आयुध के निर्यात के लिए अनु ि जारी करने के लिए येक आवेदन के साथ के िय सरकार के पुरात व

महानिदेशक से इस भाव का माणप संलन होगा क निर्यात कए जाने के लिए आशयित आयुध पुरावशेष तथा ब मू य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52) के अधीन "पुरावशेष" क प रभाषा के अंतर्गत नह आता है ।

घोषणा :

म यह घोषणा करता ं क आवेदन म दए गए उपरो त विशिष्टियां मेरी सव तम जानकारी और वि वास के साथ स य, पूण और सही ह । मुझे ात है क कसी भी तर पर दी गई जानकारी झूठी या अस य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अ य के िय अधिनियमन या त समय वृत्त विधि के संबंधित उपबंधो के अधीन म मेरे वि कारवाई करने के लिए दायी ं ।

आवेदक के ह ता र

थान

तारीख

भाग क 6

(कंपनिय के लिए)

विनिर्माण और सा य परी ण के लिए प-7 म आयुध अनुज्ञति हेतु आवेदन का प
(नियम 51 देखें)

1. आवेदक का नाम
2. अनुज्ञतिधारी कंपनी का गठन
3. कंपनी पहचान संख्यांक
(सीआईएन)
4. रजि िकृत कार्यालय का पता
दूरभाष
मोबाइल सं.
ई-मेल
5. उ तरदायी यति का पदनाम के साथ नाम
6. विनिर्माण और सा य परी ण के लिए
कारखाने का पता
दूरभाष
मोबाइल सं.
ई मेल
7. विनि मत/सा य प रित होने वाले
अ नायुध का वणन
वग
तावित वा षक मता (संख्या)
8. विनि मत/सा य प रित होने वाले
गोलाबा द का वर्णन
वग
तावित वा षक मता (संख्या या
कलो ाम म भार)
9. उस मामले म जहां विनिर्माता इनहाउस
सा य परी ण नह चाहता आवेदित सा य
परी ण के लिए रज या अ य थान का नाम

घोषणा :

म(तंभ 5 म नामित) उ तरदायी यति (कंपनी का नाम) यह घोषणा करता ं क आवेदन म दए गए उपरो त विशिष्टियां मेरी सव तम जानकारी और वि वास के साथ स य, पूण और सही है । मुझे ात है क कसी भी तर पर दी गई जानकारी झूठी या अस य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अ य के िय अधिनियमन या त समय वृत्त विधि के संबंधित उपबंधो के अधीन म मेरे वि कारवाई करने के लिए दायी ं ।

कंपनी के निमित्त ह ता र करने वाले
उ तरदायी यति के मुहर के साथ ह ता र

चेतावनी:

आयुध नियम के अति मण म आवेदन प म दी गई कसी त यपूण सूचना या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक आयुध अधिनियम, 1959 क धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा ।

नियम 53 म यथाविनि द ट संल न कए जाने वाले द तावेज--

इन नियम के अधीन प 7 म अनुज्ञति के लिए आवेदन करने वाली कंपनी से नि नलिखित दान करने क अपेक्षा क जाएगी--

- (क) कंपनी क थापना करने वाले द तावेज क मूल या माणित तियां जिसके अंतर्गत संगम ापन और अनुच्छेद भी ह, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनी के रजि िकरण का माणन, सीआईएन (कारपोरेट पहचान संख्यांक) इसके रजि िकृत कार्यालय के पते का सा य, आवेदन क तारीख पर निदेशक और शेयर धारक के पैन काड और माणित सूचियां ;
- (ख) सभी निदेशक के निदेशक पहचान संख्यांक (डीआईएन) क ति ;
- (ग) नियम 2 के खंड (44) म यथाप रभाषित सभी निदेशक और उ तरदायी यित के दो नवीनतम छायाचि के साथ पहचान का सा य (पासपोट या पैनकाड या निर्वाचक पहचान काड) ;
- (घ) सभी निदेशक और उ तरदायी यित के आधार काड क ति ;
- (ङ) निवास का माण (सभी निदेशक और उ तरदायी यित के पासपोट या निर्वाचक पहचान काड या बिजली बिल या लडलाइन दूरभाष बिल या कराया विलेख या प ा विलेख या अनुज्ञति ाधिकारी के समाधान वाला कोई अ य द तावेज);
- (च) चार्टर्ड अकाउंटेंट ारा स यक् प से माणित कंपनी क नवीनतम तुलनप और नेटवथ माणप क संपरीित ति ;
- (छ) चार्टर्ड अकाउंटेंट ारा स यक् प से माणित प रयोजना के वि तपोषण के लिए अनुमानित प रयोजना आउटले और वि त के साधन ;
- (ज) ह ता र करने के लिए ाधिकृत उ तरदायी यित क पूण विशिष्टिय के साथ आयुध नियम के अधीन आवेदन फाइल करने के लिए बोड के संक प क माणित ति ;
- (झ) चार्टर्ड अकाउंटेंट ारा स यक् प से माणित आवेदक कंपनी म यथाअनुयो य विदेशी नियंत्रण और/या वामि व के यौरे ।

प क-7

प 7 क - अनुज्ञति 1 के वग 5 के आयुध के विनिर्माण के लिए

प 7ख - अ नायुध के रैलिका के विनिर्माण के लिए

प 7ग - वायु आयुध के विनिर्माण के लिए

आयुध क अनु ित हेतु आवेदन का प

1. आवेदक का नाम
2. कंपनी/ यटिक क नाम प ति
3. पैन/सीआईएन
4. कारवार का पता
दूरभाष
मोबाइल संख्या
ई-मेल
5. उ तरदायी यित का नाम
6. वग 5 के आयुध के विनिर्माण या अ नायुध या वायु आयुध के रैलिका के विनिर्माण के लिए कारखाने का पता
दूरभाष
मोबाइल संख्या
ई मेल
7. विनि मत होने वाले आयुध /अ नायुध /वायु आयुध के रैलिका का वर्णन
वग

घोषणा :

म(तंभ 5 म नामित) उ तरदायी यित (कंपनी का नाम) यह घोषणा करता ं क आवेदन म दए गए उपरो त विशिष्टियां मेरी सव तम जानकारी और वि वास के साथ स य, पूण और सही है। मुझे ात है क कसी भी तर पर दी गई जानकारी झूठी या अस य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अ य के िय अधिनियमन या त समय वृत्त विशि के संबंधित उपबंधो के अधीन म मेरे वि कारवाई करने के लिए दायी ं ।

यटि आवेदक के ह ता र

या

उ तरदायी यित के ह ता र और मुहर

आवेदक कंपनी क ओर से ह ता रत

चेतावनी:

आयुध नियम के अति मण म आवेदन प म दी गई कसी त यपूण सूचना या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक आयुध अधिनियम, 1959 क धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।

नए आवेदक के मामल म द तावेज को संल न करना

(क) फम और उसके भागीदार

इन नियम के अधीन प VII क, प VII ख या प VII ग म अनुज्ञति के लिए कसी फम और उसके भागीदार ारा कए गए आवेदन के लिए उपल ध कराना अपे त होगा--

(क) भागीदार और सभी यितय क पहचान का सबूत, कारबार म नियोजन क आवेदन फम के प रयोजना, जिससे नाम, भौतिक पता और हाल क ख ची गई फोटो भी है।

(ख) चि क सा माणप

(ग) अनुसूची 1 क ेणी 5 के आयुध पर सूचना या नि मत कए जाने वाले अनि आयुध क तिकृति जिसके अंतर्गत कार और मा ा भी है।

(घ) यथालागू, वामि व और वग कृत सूचना के संरण के लिए मानक ा त करने का सबूत।

(ख) कंपनी

इन नियम के अधीन प VII क, प VII ख या प VII ग म अनुज्ञति के लिए कसी फम और उसके भागीदार ारा कए गए आवेदन के लिए उपल ध कराना अपे त होगा--

(क) कंपनी संस्थापन द तावेज, समावेशन के अनु छेद या कारबार अनुज्ञति के अ य सबूत क मूल या अनुप्रमाणित तियां;

(ख) अनुसूची 1 क ेणी 5 के आयुध पर सूचना या नि मत कए जाने वाले अनि आयुध क तिकृति जिसके अंतर्गत कार और मा ा भी है।

(ग) वामि व और वग कृत सूचना के संरण के लिए मानक ा त करने का सबूत, यथालागू; और

(घ) विदेशी नियंत्रण पर सूचना और/या आवेदक कंपनी म वामि व; यथालागू।

कंपनी से उपल ध कराने क यह भी अपेक्षा क जाती है--

(ङ) कंपनी ने अधिका रय क पहचान;

(च) यित क पहचान जो (उ तरदायी यित) विनिर्माण सुविधाएं के बंधन का दन ति दन के लिए उ तरदायी होगा;

और

(छ) उ तरदायी यित क पहचान का सबूत, जिसके अंतर्गत नाम, भौतिक पता और हाल ही म ख चे फोटो भी ह।

प क-8**भाग 1**

आयुध और गोलाबा द के लिए प VIII म आयुध अनु तित के लिए आवेदन का प

(नियम 73 देखें)

1.	आवेदक का नाम	
2.	कंपनी/ यिट क नामावली	
3.	कारबार पता (दुकान)	
	दूरभाष	
	मोबाइल सं.	
	ई-मेल	
4.	उ तरदायी यित का नाम	
5.	अनुज्ञति क ेणी जिसके लिए आवेदन कया है	यौहारी अनुज्ञति <input type="checkbox"/> आयुध का नि ेप <input type="checkbox"/>
6.	बि के लिए बेचे या रखने वाले आयुध का विवरण	
7.	बि के लिए बेचे या रखने वाले अ यायुध का विवरण	
8.	अधिनियम क धारा 21 के अधीन नि ेप कए जाने वाले आयुध या गोला-बा द या नियम 48 के अधीन सुरित अभिर ा का विवरण	

घोषणा :

मैं, _____, वामी/भागीदार/निदेशक/उ तरदायी यति _____ (कंपनी नाम) यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन म दए गए उपरो त विशिष्टियां मेरी सव तम जानकारी और वि वास के साथ स य, पूण और सही है। मुझे ात है क कसी भी तर पर दी गई जानकारी झूठी या अस य पाई जाती है तो साथ ही कंपनी आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अ य के िय अधिनियमन या त समय वृत्त विधि के संबंधित उपबंधो के अधीन मेरे वि कारवाई करने के लिए दायी होगी।

थान

आवेदक के ह ता र

तारीख

चेतावनी :

आयुध नियम के अति मण म आवेदन प म दी गई कसी त यपूण सूचना या कसी कार क झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 क धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।

आवेदन और उसके प चातवत नवीकरण के समय जमा कए जाने वाले द तावेज क सूची:-

- (1) अनुप्रमाणित न शे क तिय के साथ एक लिखित घोषणा जिसम व णत है क आवेदक के पास अ यायुध और गोला-बा द क सुर ा क अभिर ा के लिए एक ांग म क सुविधाएं उपल ध है।
- (2) उपाय के विनि द ट संदभ के साथ आवेदन के समर्थन म एक लिखित वचनबंध अ यायुध और गोला-बा द क सुर ा क अभिर ा के संदभ को यान म रख कर जिसके अंतर्गत नियंत्रण वेश पंहुच, लोज स कट, टेलिविजन सि टम, सुर ा गार्ड, अनिरोधक उपकरण के लिए उपबंध समिलित है;
- (3) प रसर पर यौहारी आवेदक क ओर से वसाय के येक ाधिकृत यति का नाम और पता अंत व ट स यापन प जो क नियम 10 म यथाविनि द ट अ यायुध को सुर ि त रखने के लिए अपे ि त शि ण ज र रखता हो।

प क-8**भाग 2****वायु हथियार यौहारी के लिए प-क म आयुध अनु ित के लिए आवेदन का प**

(नियम 84, 85 देखें)

1.	आवेदक का नाम	
2.	कंपनी/ यटि क नामावली	
3.	कारबार पता (दुकान)	
	दूरभाष	
	मोबाइल सं.	
	ई मेल	
4.	उ तरदायी यति का नाम	
5.	बि के लिए बेचे जाने या रखने वाले वायु आयुध का विवरण	
6.	बि के लिए बेचे जाने या रखने वाले वायु आयुध के लिए गोला-बा द का विवरण	

घोषणा :

मैं, _____, वामी/भागीदार/निदेशक/उ तरदायी यति _____ (कंपनी नाम) यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन म दए गए उपरो त विशिष्टियां मेरी सव तम जानकारी और वि वास के साथ स य, पूण और सही ह। मुझे ात है क कसी भी तर पर दी गई जानकारी झूठी या अस य पाई जाती है तो साथ ही कंपनी आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अ य के िय अधिनियमन या त समय वृत्त विधि के संबंधित उपबंधो के अधीन मेरे वि कारवाई करने के लिए दायी होगी।

थान

आवेदक के ह ता र

तारीख

चेतावनी :

आयुध नियम के अति मण म आवेदन प म दी गई कसी त यपूण सूचना या कसी कार क झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 क धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।

प क-9**याचित बंदूक बनाने वाले के लिए प IX या प IX-क म आयुध अनु ित के लिए आवेदन का प**

(नियम 77 और 78 देखें)

1.	आवेदक का नाम	
2.	कंपनी/ यटि क नामावली	
3.	कारबार पता (दुकान)	

	दूरभाष	
	मोबाइल सं.	
	ई-मेल	
4.	उ तरदायी यति का नाम	
5.	बंदूक बनाने क अनुज्ञति के लिए बंदूक बनाने के प म आवेदन करने वाला यटि या आवेदन करने वाली कंपनी के कमचा रय क यवसायिक अहता (केवल प IX म अनुज्ञति के लिए लागू)	
6.	प रव तत करने, कम करने या मर मत कए जाने वाले अ यायुध का विवरण (प IX-क म अनुज्ञति के अधीन लघु मर मत)	
7.	भंडारण कए जाने वाले अ यायुध के भाग या अ यायुध का विवरण	
8.	परी ण के लिए भंडारण कए जाने वाले गोला-बा द का विवरण	

घोषणा :

म, _____, वामी/भागीदार/निदेशक/उ तरदायी यति _____ (कंपनी नाम) यह घोषणा करता ं क आवेदन म दए गए उपरो त विशिष्टियां मेरी सव तम जानकारी और वि वास के साथ स य, पूण और सही ह। मुझे ात है क कसी भी तर पर दी गई जानकारी झूठी या अस य पाई जाती है तो साथ ही कंपनी आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अ य के िय अधिनियमन या त समय वृत्त विधि के संबंधित उपबंधो के अधीन मेरे वि कारवाई करने के लिए दायी होगी।

थान

आवेदक के ह ता र

तारीख

चेतावनी :

आयुध नियम के अति मण म आवेदन प म दी गई कसी त यपूण सूचना या कसी कार क झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 क धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।

आवेदन और उसके प चातवत नवीकरण के समय जमा कए जाने वाले द तावेज क सूची:-

- (1) अनुप्रमाणित न शे क तिय के साथ एक लिखित घोषणा जिसम व णत है क आवेदक के पास अ यायुध और गोला-बा द क सुर ा क अभिर ा के लिए एक ांग म क सुविधाएं उपल ध ह।
- (2) उपाय के विनि द ट संदभ के साथ आवेदन के समर्थन म एक लिखित वचनबंध अ यायुध और गोला-बा द क सुर ा क अभिर ा के संदभ को यान म रख कर जिसके अंतर्गत नियंत्रण वेश पंहच, लोज स कट, टेलिविजन सि टम, सुर ा गार्ड, अतिरोधक उपकरण के लिए उपबंध स मलित है;
- (3) प रसर पर यौहारी आवेदक क ओर से वसाय के येक ाधिकृत यति का नाम और पता अंत व ट स यापन प जो क नियम 10 म यथाविनि द ट अ यायुध को सुर ि त रखने के लिए अपे ि त शि ण ज र रखता हो।

प क-10

पुनःआयात या नियात, प रवहन और पुनःनियात के लिए नियात, आयात नियात के लिए प X म आयुध अनु ित के लिए आवेदन का

प

(नियम 87, 88, 89, 90 और 91 देखें)

आवेदक क पहचान	
1.	आवेदक का नाम
2.	यूआईएन
3.	पहले से आयुध अनुज्ञति रखने का विवरण और उसक संख्या
4.	यटि/कंपनी क नामावली
5.	कारबार पता
	दूरभाष
	मोबाइल सं.
	ई-मेल
6.	उ तरदायी यति का नाम

7.	आवेदन करने के लिए अनुज्ञति क ेणी	आयात निर्यात - <input type="checkbox"/> पुनःआयात के लिए निर्यात - <input type="checkbox"/> आयात, प रवहन और पुनःनिर्यात - <input type="checkbox"/>
8.	अनुसूची 1 के अनुसार आयुध या गोला बा द क ेणी जिसके लिए अनुज्ञति मांगी गई है - I(ख), I(ग), II, III, IV, V VI, (स फर/ लोरेट)	
9.	पैकेज क संख्या	
10.	ेषण के लिए आयुध के भाग के प म मा ा और विवरण जिसके लिए अनुज्ञति मांगी गई है	
11.	ेषण के लिए गोला बा द के भाग के प म मा ा या वजन और विवरण जिसके लिए अनुज्ञति मांगी गई है।	
12.	आयात का प तन	
13.	निर्यात का प तन	
14.	निर्यात और पुनःआयात का प तन	
15.	आयात और पुनःआयात का प तन (प रवहन के माग के सहित)	
16.	समुंद्र या वायु ारा आयात क दशा म, वह थान जहां आयातित व तु को नि ेप कया जाना है।	
17.	ेषण का थान और निर्यात कए जाने वाले ेषण का माग	
18.	गत य थान और आयात कए जाने वाले ेषण का माग	
19.	जहाज या ा/या ा के लिए जाने वाला अनुमानित समय	
20.	आयात/निर्यात के लिए ेषिति का नाम, विवरण और पता	

घोषणा :

मैं, _____, वामी/भागीदार/निदेशक/उ तरदायी य तित _____ (कंपनी नाम) यह घोषणा करता ं क आवेदन म दए गए उपरो त विशि टियां मेरी सव तम जानकारी और त्रि वास के साथ स य, पूण और सही ह। मुझे ात है क कसी भी तर पर दी गई जानकारी झूठी या अस य पाई जाती है तो साथ ही कंपनी आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अ य के िय अधिनियमन या त समय वृत्त विधि के संबंधित उपबंधो के अधीन मेरे वि कारवाई करने के लिए दायी होगी।

थान

आवेदक के ह ता र

तारीख

चेतावनी :

आयुध नियम के अति मण म आवेदन प म दी गई कसी त यपूण सूचना या कसी कार क झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 क धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।

प-क-11**आयुध और गोला-बा द ले जाने के लिए प XI म या ा अनु तित के लिए आवेदन का प**

या ा अनुज्ञति के लिए आवेदन		
1.	नाम	
2.	अभिभावक/पति/प नी का नाम	
3.	यू०आई०एन	
4.	प-III म अनुज्ञति के अनुसार पता	
	मोबाइल सं०	
5.	अनुज्ञति सं०	

6.	अनुज्ञाति क अ तन वैधता	दन/मास/वष
7.	प- III म अनुज्ञाति के अनुसार वैधता प	
8.	या I का कार (सड़क/रेल/वायु)	
9.	या I के दौरान देखे जाने वाले रा य के नाम	
10.	या I म लगने वाले समय क अवधि	
11.	आयुध कार आयुध संख्या	
12.	अनुज्ञाति पर गोला बा द पृष्ठाकन का विवरण जिसके लिए आवेदक ने या I के दौरान ले जाने के लिए चाह है	

घोषणा :

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन म दए गए उपरो त विशिष्टियां मेरी सव तम जानकारी और वि वास के साथ स य, पूण और सही ह। मुझे त है क कसी भी तर पर दी गई जानकारी झूठी या अस य पाई जाती है, तो साथ ही साथ कंपनी, आयुध अधिनियम, 1959, आयुध निगम, 2016 और अ य के ीय अधिनियमन या त समय वृ विधि के संबंधित उपबंध के अधीन मेरे वि कारवाई करने के लिए दायी होगी।

थान :

(आवेदक के अंगूठे क छाप/ह ता र)

तारीख :

प क-12**प XII म प रवहन अनु ति के लिए आवेदन का प****(नियम 96 देख)**

प रवहन अनु ति के लिए आवेदन		
1.	ेषक यौरा (विनिर्माता/ यौहारी आ द)	
	यू०आई०एन	
	अनुज्ञाति के अनुसार पता	
	अनुज्ञाति सं०	
	अनुज्ञाति क अ तन वैधता	दन/मास/वष
2.	ेषिती का यौरा	
	यू०आई०एन	
	अनुज्ञाति के अनुसार पता	
	अनुज्ञाति सं०	
	अनुज्ञाति क अ तन वैधता	दन/मास/वष
3.	ेषण का थान	
4.	गत य का थान	
5.	प रवहन का कार (सड़क/रेल/वायु)	यतिगत प से
6.	प रवहन के दौरान आने वाले रा य के नाम	
7.	प रवहन क संभावित अवधि	
8.	प रवहन कए जाने वाले आयुध का विवरण	हथियार कार-- हथियार संख्या--
9.	प रवहन कए जाने वाले गोला-बा द का विवरण	
10.	नियम 98 के अधीन अपे त संबंधित ाधिकारी से पूव मंजूरी का यौरा।	

घोषणा :

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियों मेरी सबसे तम जानकारी और विवास के साथ सत्य, पूर्ण और सही है। मुझे पता है कि किसी भी तरह पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है, तो साथ ही साथ कंपनी, आयुध अधिनियम, 1959, आयुध निगम, 2016 और अय के नियम अधिनियमन या तत्समय वृत्त विधि के संबंधित उपबंध के अधीन मेरे विचारवाई करने के लिए दायी होगी।

थान :

(आवेदक के अंगूठे के छाप/हस्ताक्षर)

तारीख :

पक-13

**परवाहक अनुचित के लिए पक XIV में आयुध अनुचित के लिए आवेदन का पत्र
(नियम 101 देखें)**

1.	आवेदक का नाम	
2.	यदि/कंपनी का नामावली	
3.	परवाहन कारबार के शुरुआत की तारीख	
4.	रजिस्ट्रार कार्यालय पता	
	दूरभाष	
	मोबाइल सं.	
	ईमेल	
5.	उत्तरदायी यति का नाम	
6.	परवाहन किए जाने वाले अनियमित आयुध का विवरण	
7.	परवाहन किए जाने वाले गोला बरत का विवरण	
8.	भारत में शाखा कार्यालय या प्रतिनिधि कार्यालय की संख्या	
9.	परवाहन कारबार में लगाए गए कर्मचारियों की संख्या	
10.	परवाहक द्वारा लीट अनुरोध किए जाने वाले विशिष्टियों	

घोषणा :

मैं,....., वामी/भागीदार/निदेशक/उत्तरदायी यति,..... (कंपनी नाम) यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियों मेरी सबसे तम जानकारी और विवास के साथ सत्य, पूर्ण और सही है। मुझे पता है कि किसी भी तरह पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है, तो साथ ही साथ कंपनी, आयुध अधिनियम, 1959, आयुध नियम, 2016 और अय के नियम अधिनियमन या तत्समय वृत्त विधि के संबंधित उपबंध के अधीन मेरे विचारवाई करने के लिए दायी होगी।

थान :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख :

पक-14

**अनियमित आयुध मुक्त के लिए पक XV में अनुचित के लिए आवेदन का पत्र
(नियम 46 देखें)**

1.	आवेदक का नाम	
2.	यदि/कंपनी/अय का नामावली	
3.	कारबार शुरुआत करने की तारीख	
4.	कारबार की कृति या किए गए याकलाप	
	पता	
	दूरभाष	
	मोबाइल सं०	
	ईमेल	

5.	यदि आवेदक क पनी है तो उ तरदायी यति का नाम	
6.	अनि आयुध मुक्त ेत्र के प म घोषित ेत्र का विवरण (साईट लान सलंगन कर और उस ेत्र को लाल रंग से चिह्नित कर जिसे अनि मुक्त ेत्र के प म घोषित कया गया है)	
7.	अनि आयुध ेत्र के प म घोषित प रसर के लिए आवेदन का कारण	
8.	अनि मुक्त ेत्र के प म घोषित प रसर पर नियोजित निगरानी कर्मचा रवृंद क संख्या	

घोषणा :

मैं,....., वामी/भागीदार/निदेशक/उ रदायी यति,..... (कंपनी नाम) यह घोषणा करता ं क आवेदन म दए गए उपरो त विशिष्टियां मेरी सव तम जानकारी और वि वास के साथ स य, पूण और सही ह। मुझे ात है क कसी भी तर पर दी गई जानकारी झूठी या अस य पाई जाती है, तो साथ ही साथ कंपनी, आयुध अधिनियम, 1959, आयुध नियम, 2016 और अ य के िय अधिनियमन या त समय वृत्त विधि के संबंधित उपबंध के अधीन मेरे वि कारवाई करने के लिए दायी होगी।

थान :

(आवेदक के ह ता र)

तारीख :

अनुपूरक प

प ख-1

**कसी बाहरी अनु तित अधिकरण के साथ रजि िकरण के लिए आवेदन
(नियम 17 देख)****भाग क****आवेदक क पहचान**

1.	यू०आई०एन	
2.	नाम	
3.	अभिभावक/पति/प नी का नाम	
4.	ज म थान (पैतुक)	
5.	ईशा स वत् म ज म क तारीख	
	अंको म दन/मास/वष	
	श द म	
6.	वर्तमान पता	
	दूरभाष (कार्यालय/निवास)	
	मोबाइल सं०	
	ई मेल	
	नजदीक पुलिस थाना	
7.	अनुज्ञति पर दखाए जाने के प म पता	
	नजदीक पुलिस थाना	
8.	यवसाय	
9.	थानीय अधिकारता म कने क अवधि	

भाग-ख**वि मान अनु तित विशिष्टियां और आयुध पुष्ठाकंन**

10.	अनुज्ञति संख्या	
11.	जारीकता िधिकारी	
12.	अंतिम नवीकरण करने वाला िधिकारी	
13.	अवसान क तारीख	

14.	त्र वैधता			
15.	आयुध पृष्ठांकन	आयुध-1	आयुध-2	आयुध-3
	कार [राइफल/शाट गन/हड गन (रवालवर/पि तौल)]			
	वोर			
	आयुध संख्या			
16.	गोला बा द अनुज्ञात	का टज गन पाउडर/परकशन केप		
17.	हथियार क वि पर निबंधन उ लेख करना, य द कोई हो ।			
18.	नियम 19 के अधीन अति र त अनुज्ञतिय का यौरा, य द कोई हो ।			
	अति र त अनुज्ञति सं० 1			
	नाम			
	पिता/पति/प नी का नाम			
	अनुज्ञति सं०			
	अति र त अनुज्ञति सं० 2			
	नाम			
	पिता/पति प नी का नाम			
	अनुज्ञति सं०			

भाग ग**अनु तित्तधारी क अ य विशिष्टियां**

19.	या अनुज्ञतित्तधारी, अनुज्ञति के विगत नवीकरण/ जारी कए जाने के समय से,—	
(क)	दोष सि —य द कोई हो, अपराध (अपराधो), दंडादेश और दंडादेश क तारीख	
(ख)	शांति बनाए रखने या सदाचार के लिए दंड या संहिता, 1973 (1973 का 2) के अ याय 8 के अधीन बंधप के नि पादन का आदेश कया गया है, य द हो, तो कब और उसक अवधि या ह ।	
(ग)	आयुध/गोला बा द रखने से आयुध अधिनियम, 1959 या कसी अ य विधि के अधीन निषेद्ध कया गया है ।	
20.	या-	
(क)	आवेदक का अनुज्ञति विगत नवीकरण जारी कए जाने के समय से निलंबित या र / तिसंहरण कया गया है, य द हां तो तब, और कसके ारा और कस कारण से	
(ख)	आवेदक के प रवार के कसी अ य सद य के पास कोई आयुध अनु ति है, य द ह , तो उसक विशिष्टियां (पैरा 18 ारा अति र त अनुज्ञति के अलावा)	
(ग)	आवेदक के पास आयुध को रखने का सुर ति थान है ।	

घोषणा :

मैं, यह घोषणा करता ं क आवेदन म दए गए उपरो त विशिष्टियां मेरी सब तम जानकारी और वि बास के साथ स य, पूण और सही ह । मुझे ात है क कसी भी तर पर दी गई जानकारी झूठी या अस य पाई जाती है, तो साथ ही साथ कंपनी, आयुध अधिनियम, 1959, आयुध नियम, 2016 और अ य के िय अधिनियमन या त समय वृ विधि के संबंधित उपबंध के अधीन मेरे वि कारवाई करने के लिए दायी होगा ।

थान :

(आवेदक के अंगूठे क छाप/ह ता र)

तारीख :

चेतावनी : आयुध नियम के अति मण म आवेदन प म दी गई कसी त यपूण सूचना या कसी कार क झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 क धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा ।

प ख-2

प II, III और IV म जारी कए जाने कए जाने वाले अनु तिय से संबंधित सहव सेवा के लिए आवेदन

भाग क

अनु तिधारी क पहचान

1.	अनुज्ञतिधारी का नाम			
2.	अभिभावक/पति प नी का नाम			
3.	वर्तमान पता			
		जिला	रा य	
	दूरभाष संख्या	कार्यालय	निवास	
	मोबाइल संख्या			
	नजदीक पुलिस थाना			
4.	यू०आई०एन			
5.	अनु ति संख्या अवसान क तारीख	दन/मास/वष		
6.	अनुज्ञति का वैधता ेत्र			
7.	अनुज्ञति या अनि आयुध पृष्ठांकन	आयुध 1	आयुध 2	आयुध 3
	कार (राइफल/शॉटगन/हैंडगन)			
	बोर/के लिबर			
	आयुध संख्या			

भाग ख

अनि आयुध का अर्जन

1.	अ जत कए जाने वाले अनि आयुध का कार (राइफल/शॉटगन/हैंड गन अ य)	
2.	अनि आयुध के अर्जन के लिए कारण	
3.	अति र त अनि आयुध के अजन के लिए विशेष विचार करने के लिए दावा	

भाग - ग

अनु ति पर अनि आयुध का पृ ठांकन

(अ)	अनि आयुध का अजन	
(क)	अर्जन क अनुमति क वैधता	दन/मास/वष
(ख)	अनि आयुध के अर्जन क तारीख	दन/मास/वष
(आ)	विनिमाता या आयुध यौहारी से अजन	
(क)	विे ता का नाम	
(ख)	विे ता का यू०आई०एन	
(ग)	बीजक संख्या	
(घ)	बीजक तारीख	दन/मास/वष
(इ)	अ य अनु तिधारी से अजन	
(क)	अंत रती अनुज्ञतिधारी का नाम	
(ख)	अभिभावक/पति-प नी का नाम	
9.	यू०आई०एन	

10.	अनुज्ञति संख्या	
11.	अनुज्ञति क वैधता अवधि	
12.	अंत रती ारा अभि ा त बि क अनुमति का यौरा	दन/मास/वष
	अनुज्ञति ाधिकरण का नाम	
	संदभ संख्या	
	तारीख	दन/मास/वष
	अवसान तारीख (य द कोई हो)	दन/मास/वष
(ई)	आवेदक क अनु तित क वैधता े के अधीन कोई थान नही आता है से अनि आयुध अजन करने क दशा म का यौरा दया जाए ।	
13.	नियम 98 के अधीन अनुज्ञति ाधिकरण ारा जारी क गई एन०ओ०सी का संदभ संख्या	
	एन०ओ०सी क तारीख	दन/मास/वष
	एन०ओ०सी क वैधता	दन/मास/वष
14.	प XII म जारी प रवहन अनुज्ञति	
	प रवहन अनुज्ञति जारी कए जाने वाले ाधिकरण का नाम	
	प रवहन अनुज्ञति क तारीख	दन/मास/वष
	प रवहन अनुज्ञति क वैधता अवधि	दन/मास/वष
उ	पू ठाकन कए जाने वाले अनि आयुध का यौरे	
15.	अनि आयुध (हड गन/ शाट गन/राइफल)	
	अनि आयुध क बनावट	
	के लिबोर/बोर	
	अनि आयुध का म संख्या	

पू ठाकन के लिए जाने वाले द तावेज क सूची

1.	मूल बीजक (पैरा ख संदभ)	
2.	अंत रती अनुज्ञतिधारी से क पूटि (पैरा ग संदभ)	
3.	अनुपि माणप और प रवहन अनुज्ञति (पैरा घ संदभ)	
4.	अनि आयुध का म संख्या दखाई देने वाला अजत अनि आयुध का रंगीन फोटो	
ट पण : अनुज्ञति ाधिकारी, अनु तित पर पूठाकन करने से पहले अनि आयुध का भौतिक निरी ण ा त करना अनुज्ञतिधारी से अपे ित होगा ।		

भाग – घ

आयुध अधिनियम, 1959 क धारा 5 के अधीन बि या अनि आयुध या गोला बा द का अंतरण करने क अनुमति		
1.	िकि या अंतरण कए जाने वाले अनि आयुध के यौरे	
	अनि आयुध का कार (राइफल/शाट गन/हडगन)	
	बोर/कैलीबी	
	आयुध संख्या	
2.	बि या अंतरण कए जाने वाला गोला-बा द के यौरे	
	गोला/बा द का बोर/कैलीबर	
	गोला बा द क मा ा	

3. अग्नि आयुध या गोला बाँदक बंदूक या अंतरण के कारण (अग्नि आयुध के खराब स्थिति/आँधक कारण/काई अय कारण)
4. ेता या अंत रती के विशिष्टियां जिस अग्निआयुध या गोला बाँदक को कि या अंतरण कया जा रहा है य द, अय अनुज्ञतिधारी को कि या अंतरण कया जा रहा है
- य द, अय अनुज्ञतिधारी को वि त या अंत रत कया गया है**
- (क) भावी ेता या अंत रती का नाम
- (ख) भावी ेता या अंत रती का पता
- (ग) यू आई एन
- (घ) अनुज्ञति संख्या
- (ङ.) अनुज्ञति के वैधता दन/मास/वष
- (च) खरीद अवधि के वैधता दन/मास/वष

य द अधिकृत आयुध और गोला बाँदक यौहारी को वि य कया गया है

- (क) यौहारी का नाम
- (ख) यौहारी का पता
- (ग) यू आई एन

इसे आयुध अधिनियम, 1959 के धारा 5 के उपधारा 2 के ख ड (ख) के अधीन आ ापक माना जाए

भाग- ड.

अनुज्ञति से अग्निआयुध या गोला बाँदक हटाया जाना

1. कि या अंतरण कए अग्नि आयुध के योरे अग्निआयुध का कार (राईफल/शॉटगन/हडगन) बोर/कैलीबर हथियार संख्या
2. कि या अंतरण कए गोला बाँदक के योरे गोला बाँदक का बोर/कैलीबर गोला बाँदक का मा ा
3. वि य मंजूरी के गई अनुमति का योरा संदभ संख्या तारीख दन/मास/वष
4. ेता या अंत रती के विशिष्टियां
- (क) आयुध यौहारी को वि त करने के दशा म आयुध और गोलाबाँदक यौहारी का नाम और पता यू आई एन अर्जन माणप के म सं. अर्जन माणप के तारीख दन/मास/वष
- (ख) **अय अनुज्ञतिधारी को वि त करने के दशा म**
5. ेता या अंत रती का नाम यूआईएन अनुज्ञति सरकार अनुज्ञति के वैधता अंत रती ारा अजत कए जाने के अनुमति के वैधता दन/मास/वष

संलग्न कए जाने वाले द तावेज के सूची

1. अग्नि आयुध यौहारी का अर्जन माणप ; या
2. उसके अनुज्ञति के ह ता रत ति के साथ ेता या अंत रती से लिखित पुटि

भाग च
अनि आयुध के अर्जन के लिए समय सीमा का वि तार
(नियम 18 देखें)

1	अ नायुध अर्जन क अनुमति क मंजूरी क तारीख	दन/मास/वष
2	अ नायुध अर्जन क अनुमति के अवसान क तारीख	दन/मास/वष
3	अनुज्ञति क वैधता क अवधि	दन/मास/वष
4	नियत अवधि के भीतर आयुध के अर्जन न कर पाने के लिए कारण	
5	अर्जन कए जाने वाले आयुध का यौरे जिसके लिए वि तार मांगा गया है	
6	विशेष पु टि के लिए कोई अ य दावा ।	

घोषणा :

म यह घोषणा करता ं क आवेदन म दए गए उपरो त विशि टियां मेरी सब तम जानकारी और वि वास के साथ स य, पूण और सही ह । मुझे ात है क कसी भी तर पर दी गई जानकारी झूठी या अस य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अ य के िय अधिनियमन या त समय वृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन म मेरे वि कारवाई करने के लिए दायी ं । आवेदक के ह ता र या अंगूठे का निशान

थान

तारीख

चेतावनी:

आयुध नियम के अति मण म आवेदन प म दी गई कसी त यपूण सूचना या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक आयुध अधिनियम, 1959 क धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा ।

प ख-3

(तिधारण जोड़ने/ घटाने के लिए आवेदन)
(नियम 22 देख)

क पनिय के लिए		
येक जोड़ने या घटाने के लिए पृथक: भरा जाए		
1.	अनुज्ञतिधारी क पनी का नाम	
2.	यू आई एन	
3.	अनुज्ञति संख्या	
4.	अनुज्ञति क वैधता	दन/ माह/ वष
5.	अनुज्ञति पर पृष्ठकन हथियार का यौरा	
		1.
		2.
		3.
6.	तिधारण यौरे	
(क)	तिधारण का नाम	
(ख)	अभिभावक/ पति-प नी का नाम	
(ग)	ज म तारीख	दन/ माह/ वष
(घ)	संगठन के साथ नियोजित क तारीख	दन/ माह/ वष
(ङ)	वर्तमान पता	
(च)	नजदीक पुलिस थाना	
(छ)	दूरभाष/ मोबाइल संख्या (संख्याएं)	
(ज)	थायी पता	
(i)	नजदीक पुलिस थाना	

तारीख _____

अनु तिधारी के ह ता र

(तिधारक के ह ता र)

प ख-4

प-III म अनु तित के अधीन अति र त अनु तितय के लिए आवेदन

(नियम 20 देखे)

(प क-1 के साथ भरा जाए)

भाग क

अभिभावक अनु तितधारी क पहचान				
1.	अनुज्ञतिधारी का नाम			
2.	अभिभावक/ पति-प नी का नाम			
3.	वर्तमान पता	जिला	रा य	
	दूरभाष संख्या	कार्यालय	निवास	
	मोबाइल संख्या			
	नजदीक पुलिस थाना			
4.	यू आई एन			
5.	अनुज्ञति संख्या	दन/ माह/ वष		
	अव न क तारीख			
6.	अनुज्ञति का वैद्यता ेत्र			
7.	अनुज्ञति पर अनिआयुध पृष्ठांकन	आयुध 1	आयुध 2	आयुध 3
	कार			
	(राइफल/शाट गन/हंड गन)			
	बोर / केलीबर			
	हथियार संख्या			
भाग ख				
थम अति र त अनु तितधारी क पहचान				
1.	थम अति र त अनुज्ञतिधारी का नाम			
2.	अभिभावक/ पति प नी नाम			
3.	अभिभावक अनुज्ञतिधारी से संबंध			
4.	वर्तमान पता	जिला	रा य	
		कार्यालय	निवास	
	दूरभाष संख्या			
	मोबाइल संख्या			
	नजदीक पुलिस थाना			
5.	अति र त अनुज्ञति पर पृष्ठांकन कए जाने वाले अनिआयुध	आयुध 1	आयुध 2	आयुध 3
	कार			
	(राइफल/शाट गन / हंड गन)			
	बोर केलीबर			
	आयुध संख्या			
भाग ग				
तितय अति र त अनुज्ञतिधारी क पहचान				
1.	तितय अति र त अनुज्ञतिधारी का नाम			
2.	अभिभावक/ पति-प नी का नाम			

3.	अभिभावक अनुज्ञतिधारी के साथ संबंध			
4.	वर्तमान पता	जिला		रा य
		कार्यालय		निवास
	दूरभाष संख्या			
	मोबाइल संख्या			
	नजदक पुलिस थाना			
5.	अतिरत अनुज्ञति पर पृष्ठांकन कए जाने वाले अनिआयुध			
		कार	आयुध 1	आयुध 2
	(राइफल/ शाट गन/ हैड गन)			
	बोर/ केलीवर			
	आयुध संख्या			

घोषणा :

म यह घोषणा करता हूँ कि, अतिरत अनुज्ञतिधारी के प म नियुक्त वह यति प III म मेरी अनुज्ञति म यथावगत मेरे रजि ड पते पर मेरे साथ निवास करता है और नियम 20 के अधीन दए गए नजदीक नातेदार क प रभाषा म आता है। मेरे प रवार से अ थायी या थायी अतिरत अनुज्ञतिधारी के थानातरण होने क दश म, ऐसे अतिरत अनुज्ञतिधारी के अनुज्ञति के र करण के लिए अनुज्ञति अधिकारी को सूचना देने क मेरा उ रदायी होगा।

(अभिभावक अनुज्ञतिधारी के ह ता र)

थान :

तारीख :

प घ-1**शि ण माणप का मानक प**

(नियम 10(1) देखे)

सेवा में,

अनुज्ञति अधिकारी

शि ण माणप

यह माणित कया जाता है क उस यति क विशिटियां जो नीचे दी गई है ने आयुध नियम, 2016 के नियम, 10(1) के अधीन यथानियत शि ण को पूरा कया है:—

1.	व्यति का नाम				
2.	पिता का नाम/ पति त नी का नाम				
3.	निवास थान पता				
4.	आयु और ज म क तारीख				
5.	लिए जाने वाला शि ा अवधि		से		तक
6.	दान कए गए उस शि ण के लिए अनिआयुध के यौरे (कृपया बनि द ट कर)	1.	हडगन		
		2.	राइफल		
		3.	शाट गन		
		4.	वायु आयुध		
7.	शि ण का योजन (कृपया बनि द ट कर)	1.	आयुध अनुज्ञति के लिए आवेदन		
		2.	आयुध यौहारी के साथ नियोजन		
		3.	वि नमाता के साथ नियोजन		

		4.	अ य
शि ण पा म जिसम नि नलिखित मापद ड ह :--			
(क)	बुनियादी आयुध और गोला बा द सुर ा मक चलन जिसक अंतर्गत सुर ा, रखरखाव और या का करना भी सम्मिलित है :—		
(ख)	गोलाबारी तकनीक और कयाएं		
(ग)	आयुध और गोला बा द क रखवाली		
(घ)	आयुध और गोलाबा द का सुरि त भंडारण और प रवहन		

उपरो त नामित यित को आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 उनसे संबंधित मह वपूर्ण उपबंध का युितयुक्त काय साधक ान दान कया गया था और आयुध वामी या योगकता बलाक के संबंध म विशि ट तौर पर उ र दायि व समझाया गया था । तारीख

मोहर

माणित करने वाले यित के ह ता र

थान

प ष-2

अनिआयुध के सुरि त भंडारण के लिए वचनबंध का मानक प (नियम 10(4) देखे)

सेवा में,

अनुज्ञति ाधिकारी

वचनबंध

यह स यनि ठा से ति ान और घोषणा करता ँ क :—

1.	मैं, नए आयुध अनुज्ञति / आयुध अनुज्ञति के नवीकरण के दान के लिए आवेदन करता ँ (सं० _____ और मेरा यू आई एन _____ है)
2.	म वचन देता ँ (गिनी ई थिति में) जब म अपने साथ आयुध को नह ले जा रहा ँ । अनि आयुध के सुरि त ांडारण यवहार कं गा ।
3.	म वचन देता ँ क आयुध और गोला बा द के साथ संपक होने के खतरे के बारे म व च को शि त कं गा
4.	मेरे पास अनिआयुध को सेफ या इ पात अलमारी म सुरि त और सुनिचित प से रखने क भंडारण मता है जिससे यह जोखिम कम कया जा सके क इसे कसी अ य यित ारा चुराया जा सकता है या इस तक उस यित क पं च हो सकती है ।

यह स यनि ठा से ति ान करता ँ क उपरो त घोषणा म दी गई जानकारी मेरी सब म जानकारी और वि वास के साथ सही है और य द, कसी प चा वत तारीख पर, य द कोई उ त घोषणा झूठी और अस य पाई जाती है तो मैं, उसके ल कए जिसके अंतर्गत मेरे अनुज्ञति के र करण या तिसंहरण भी है तथा आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन शाति उपबंध के अ यधीन दायी ँ गा ।

तारीख _____

(आवेदन/ अनुज्ञतिधारी का ह ता र)

द ली _____

ट पण : म सं० 4 पर यथाव णत सुरि त भंडारण का सबूत संल न करे ।

प घ-3**चि क सा माणप का मानक प**

(नियम 11 के उप-नियम (4) के खंड (छ) देखें)

(चि क सा वसायी के लेटर हैड पर)

यह माणित कया जाता है क मैंने चि का सावधानीपूर्वक परी ण कर लिया है जिसक विवि ियां नीचे दी गई ह :—

1. परी ण कए गए चि का नाम _____
2. पिता का नाम/पति/प ि का नाम _____
3. निवास थान पता _____
4. आयु और ज म तारीख _____
5. ऊँचाई _____
6. वजन (क० ट० में) _____
7. र चाप (कृपया विनि द कर) _____
8. वि षण, य द कोई हो
(ऊपरी हाथ पैर म विशि ि तौर पर)
9. कोई अ य अवलोकन

परी ण के आधार पर, यह माणित कया जाता है क उपरो तंभ म यथाव णत परी ि त ि :—

1. का अ छा वा य है और कसी भौतिक वि षण से मु है ;
2. क मानसिक िथिति थिर पाई गई है और उ ता वृत्त नह है ;
3. का मदो मत या वापक पदाथ के भाव के कसी त व पर निर्भर नह पाया गया है ।

तंभ (1) म नामित परी ि त ि के ह ता र

चि क सा वसायी के ह ता र

रजि िकरण संख्या

(मोहर)

प घ-4**पुलिस रपोट का मानक प**

(नियम देख)

आवरण प ि प

डीएम/पुलिस आयु का कार्यालय

संदभ सं० _____

तारीख _____

सेवा में,

थाना अ य

_____ पुलिस थाना

विषय : आयुध अनुज्ञि या आयुध अनुज्ञि के नवीकरण के लिए आवेदन पर (आवेदक के वर्तमान पते के) नजदीक पुलिस थाना के भारी अधिकारी को आयुध अधिनियम, 1939 क धारा 13 (2) के अधीन रपोट ।

म सं०	विशि ियां	सारांश
1.	आवेदक का नाम	ी/ िमती/मेसस
2.	आवेदन कए गए अनुज्ञि क कृति	
3.	अनुज्ञि सं०	
4.	आवेदन का पता	

ट षण :— आयुध अधिनियम, 1959 क धारा 13 (2) के उपबंध के अनुसार, कसी आवेदन के ि होने पर, अनुज्ञि िधिकारी, आवेदन पर नजदीक पुलिस थाना के भारी अधिकारी से रपोट के लिए बुलाएगा और ऐसा अधिकारी विहित समय के भीतर उसे रपोट भेजेगा । तदनुसार, 30 दन के भीतर संल प म रपोट भेजी जाएगी ।

कृते डीएम/पुलि० आयुध

संल :—संल के साथ आवेदन प (मूल)/नवीकरण ि प क ि ।

**पूर्व स यापन रपोट
(पुलिस विभाग ारा भरा जाएगा)**

1. आवेदक का नाम		
2. पिता/पति-प ि का नाम		
3. वतमान पता		
वतमान पता का नजदीक पुलिस थाना		
4. या आवेदन कभी दोषसि ा है ?	हाँ	नह
(क) य द हाँ, अपराध, दंडादेश और दंडादेश क तारीख		
(ख) शांति बनाए रखने या सदाचार के लिए दंड या संहिता, 1973 (1974 का 2) के अ याय 7 के अधीन बंध प के नि पादन का आदेश कया गया है।	हाँ	नह
य द हाँ, तो कब और उसक अवधि या है ?		
(ग) कसी अपराध या गोलाबा द उसके पास या ले जाने म अर्जन कए जाने से आयुध अधिनियम, 1959 या कसी अ य विधि के अधीन निपि कया गया है।		
य द हाँ, उसका यौरा या है।		
5. या आवेदक का कसी से शु ता या झगडा है जिससे शांति भंग होने क संभावना है ? य द हाँ, यौरा दीजिए।	हाँ	नह
6. या आवेदक का पता और ज म तारीख का स यापन कया गया है ? यौरा दीजिए।	हाँ	नह
7. या आवेदक का वसाय/कारवार का स यापन कया गया है ? यौरा दीजिए।	हाँ	नह
8. या पुलिस थाने म आवेदक के वि कोई शिकायत रजि टड है ?	हाँ	नह
य द हाँ, यौरा दीजिए।		
9. या आवेदक कसी अपराध म संलि रहा है ?	हाँ	नह
य द हाँ, यौरा दीजिए।		
10. या आवेदक कसी अपराध म गिर तार आ था ?	हाँ	नह
य द हाँ, यौरा दीजिए।		
11. या आवेदक का नाम पुलिस थाने के खराब च र रजि टर म सूचीब है ?	हाँ	नह
य द हाँ, पुलिस थाने के अभिलेख के अनुसार यौरा दीजिए।		
12. या आवेदक का नाम भारत सरकार के अ य विभाग जैसे- सीबीआई, वापक नियंत्रण यूरो, डीआरआई, वर्तन निदेशालय आ द ारा कसी मामले म रजि ड कया गया है जिसम पुलिस थाने के दैनिक डायरी रजि टर, समन, वारंट आ द म व णत पाया गया है ?	हाँ	नह
य द हाँ, यौरा दीजिए।		
13. या आवेदक ने पुलिस थाने म जान से मारने क धमक के संबंध म कोई शिकायत रजि ड कराई है ?	हाँ	नह
य द हाँ, यौरा दीजिए।		
14. कसी राजनीतिक या सा ादायिक संगठन जिसम आवेदक सद य है का यौरा		

माणित कया जाता है क मैंने आवेदक ारा जमा कए गए आयुध अनुज्ञि दान करने के लिए आवेदन प क विषय-व तुओं को चैक कर लिया है।

तारीख

मोहर

ह ता र
थाना भारी
पुलिस थाना

अनुसूची IV
(नियम 27 देखें)
तालिका क
अनुज्ञिय के लिए देय फस

भाग 1				
अर्जन और कजे के लिए धारा 3 के अधीन अनुज्ञिय को जारी करना				
म सं०		अनुज्ञि प सं०	अनुज्ञि दान करते समय पर अनुज्ञि फस	येक प ा वत वष के लिए नवीकरण फस
1		2	3	4
1.	I		2000	1000
2.	II		1000	1000
3.	III, IV, V			
	(क)	हड गन- रवा वर/पि टोल (निर्वधित या अनुज्ञेय दोन)	1000	500
	(ख)	के िय फायर राइफल (सेमी आटोमेटिक) और ेणी। (ख) या। (ग) क कोई अ य निवधित अि आयुध	1000	1000
	(ग)	ीच लो डग सेंटर फायर राइफल (सेमी आटोमेटिक नहीं)	1000	500
	(घ)	22 बोर रम फायर राइफल (जिसके अंतर्गत सेमी आटोमेटिक भी है)	1000	500
	(ङ)	मूथ बोर िच लो डग शाटगन (जिसके अंतर्गत सेमी आटोमेटिक भी है)	1000	500
	(च)	वायु आयुध जिसके अंतर्गत एयर राइफल और एयर गन भी ह, 20 जो स या 15 फ ट एलबीएस से अधिक या 0.177" or 4.5 एमएम बोर से अधिक नाल मुख रखते ह। आयुध ति कृति इलेक ालिक डिसएव लग डिवाइज 15 फ ट से कम क फाय रग रेज रखते ह। पाइंट बाल मारकर या गन खाली फाय रग अि आयुध भरी नालमुख (एमएल) गन उसके गोलाबारी ारा कसी डिजाइन कए गए अि आयुध या शोर को कम करने के अनुकूल या च ध के कारण के लिए सहायक उपकरण	1000	500
	(छ)	तलवार, संगीन, कटार और भाला व लम	500	100
	(ज)	अनुसूची 1 क ेणी 5 के आयुध (छ) म व णत के अलावा	500	100

भाग-II

अनुज्ञिय के अ य कार				
म सं०		प सं०	अनुज्ञि दान करते समय पर अनुज्ञि फस (पए में)	येक प ा वत वष जो भी लागू हो के लिए नवीकरण फस (पए में)
1		2	3	4
4.	III-ख	क पनिय के तिधारण का अनुज्ञात (जोड़ने/हटाने क येक विि के लिए)	1000	लागू नह होता
5.	V-ख	राइफल संघ / लव के सद य को अनुज्ञा	-	लागू नह होता
6.	VI	पर्यटक /खिलाडिय /अ य को अ थायी निर्यात/आयात अनुज्ञियाँ (येक अि आयुध के लिए)	1000	" "
7.	VII	विनिर्माण और सबूत शि ण (अनुज्ञि मता के अनुसार)	ति अि आयुध 500/-	" "

8.	VII-क	अनुसूची के ंणी आयुध का विनिर्माण (अनुज्ञा मता के अनुसार)	ति आयुध 200 पए	" "
9.	VII-ख	अि आयुध क ति कृति का विनिर्माण जिसके अंतगत पुरानी नाल मुख भरी ई भी है आयुध और वायु आयुध जिसम एयर राइफल एयर गन भी सम्मिलित है। (अनुज्ञा मता के अनुसार)	ति आयुध 200 पए	" "
10.	VII-ग	वायु आयुध का विनिर्माण	ति वायु आयुध 100 पए	" "
11.	VIII	आयुध और गोला बा द ंहारी	2000	1000
12.	VIII-क	वायु आयुध ंहारी	1000	500
11.	IX	गन बनाने वाला (अंतरण और यादा मर मत के लिए)	5000	2000
12.	IX	गन बनाने वाला (छोटी मोटी मर मत करने के लिए)	2000	1000
13.	X	आयुध और गोला बा द के लिए संयु आयात/निर्यात अनुज्ञा (येक अि आयुध के लिए)	1000	लागू नह होता
14.	X	या ा अनुज्ञा (येक अि आयुध के लिए)	500	लागू नह होता
15.	XII	प रवहन अनुज्ञा		लागू नह होता
		आयुध और गोला बा द (िय के लिए) (येक अि आयुध के लिए)	500	लागू नह होता
		आयुध और गोला बा द (ंहारा रय और विनिर्माता के लिए) (उसी प रवहन अनुज्ञा के अधीन 3 मास क अवधि के साथ एकल ंषण या अधिकतम तीन भाग ंषण के लिए)	2000	लागू नह होता
16.	XIII	सा य परी ण के लिए प रवहन अनुज्ञा (येक ंषण के लिए)	10000	लागू नह होता
17.	XIV	प रवहनकता क अनुज्ञा	10000	2000
18.	XV	नेपाल क स रकार के आयात और प रवहन के लिए (येक अ यायुध के लिए)	500	लागू नह होता

तालिका ख
सहब सेवा के लिए फ स

म सं०	अनुज्ञा प	सेवा क विशियां	फ स रकम (पए)
1	2	3	4
1.	III	नियम 17 (1) के अधीन बाहरी अनुज्ञा ाधिकारी के साथ रजि िकरण	500
2.	III	नियम 21/22 के अधीन तिधारण का जुड़ना/हटाना (क पनिय के लिए)	500
3.	सभी	नियम 17(3) के अधीन वि मान अनुज्ञा ाधिकारी के भीतर पते का प रवर्तन	500
4.	II III IV	नियम 18 के अधीन अि आयुध का पृष्ठांकन (येक अि आयुध के लिए)	500
5.	II III IV	अि आयुध का जुड़ना/हटाना (येक अि आयुध के लिए)	500
6.	II III IV	नियम 25 के अधीन विधिक वा रस को अि आयुध का अंतरण (येक अि आयुध के लिए)	1000
7.	II III V	कंपनिय ारा नियम 22 (3) के अधीन "उ रदायी ि " क विशियां का प रवर्तन	1000
8.	सभी	नियम 33 के अधीन अनुज्ञा म सूचना का संशोधन	500
9.	सभी	नियम 98 के अधीन एनओसी का ान	500
10.	II III IV V	अनुज्ञा पुतिका	100
11.	सभी	कोई अ य सेवा जो उपरो व णत नह है	500

अनुसूची V

(नियम 16 देखें)

अनुसूची II के अधीन अनुज्ञप्ति अधिकरण के लिए नियम के अधीन विभिन्न सेवा के लिए विहित समय सीमाएं

म सं०	सेवा क कृति	नियम सं०	विहित समय अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पुलिस स यापन करना	14	आवेदन ति 30 दन म
2.	अनुज्ञप्ति का दान या अ वीकृत करना	13	नियम 13 के अधीन पुलिस रपोट क ति से 60 दन म
3.	अति र अनुज्ञप्ति का दान या अ वीकृत करना	20	नियम 13 के अधीन पुलिस रपोट क ति से 30 दन म
4.	अनुज्ञप्ति का नवीकरण	24	नियम 13 के अधीन पुलिस रपोट क ति से 30 दन म
5.	अनुज्ञप्ति पर आयुध या गोला बा द का पृष्ठांकन	18	आयुध पृष्ठांकन के आवेदन ति से 7 दन म
6.	कसी बाहरी अनुज्ञप्ति अधिकारी ारा अनुज्ञप्ति धारी का रजि िकरण	17	नए अनुज्ञप्ति अधिकरण ारा आवेदन के रजि िकरण क ति से 15 दन म
7.	आयुध का जोड़ना/हटाना	18	आवेदन क ति के 7 दन म
8.	अि आयुध के वि य क अनुज्ञा	-	धारा 5 के अधीन समुचित अवधि के अवसान के 3 दन म
9.	अनुज्ञप्ति क वैद्यता ेत्र का वि तार	18	अनुसूची II के अधीन स म अधिकारी ारा आवेदन क ति के 15 दन म
10.	पता प रवर्तन	17	अनुज्ञप्ति अधिकारी ारा आवेदन के रजि िकरण क ति के 15 दन म
11.	क पनिय के तिधारण का जोड़ना/हटाया जाना	22	आवेदन ति के 7 दन म
12.	या ा अनुज्ञप्ति का दान करना	-	आवेदन क ति के 2 काय दवस म
13.	प रवहन अनुज्ञप्ति का दान करना	96	आवेदन क ति के 2 काय दवस म
14.	एनओसी का दान करना	98	आवेदन क ति के 2 काय दवस म
15.	अनुलिपि पुितिका का जारी कया जाना	28	आवेदन क ति के 7 दन म
16.	अपील का निपटान	108	अपील क ति के 60 दन म
17.	कोई अ य सेवा जो ऊपरो प रभाषित नह क गई है	-	आवेदन क ति के 7 दन म

[सं. वी-11026/104/2014-आ स (वोल्यम-III)]

मुकेश मि तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2016

G.S.R. 701(E).—In exercise of the powers conferred by sections 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 41 read with section 44 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), and in supersession of the Arms Rules, 1962, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I

General

1. **Short title.**— (1) These rules may be called the Arms Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**— (I) In these rules, unless the context otherwise requires, —
 - (1) “Act” means the Arms Act, 1959 (54 of 1959);
 - (2) “air weapon” means a device that discharges a projectile from a barrel under the pressure of compressed air or other gas but that does not employ an explosive charge to do so;
 - (3) “antique small arm” means firearms manufactured before 1899;
 - (4) “appellate authority” means the appellate authority referred to in rule 105;
 - (5) “authority” or “officer” means, except where otherwise specifically provided in these rules, the district magistrate or such other officer as may, from time to time, be notified in the Official Gazette by the Central Government;
 - (6) “automatic” means a small arm or light weapon that, after each discharge, automatically performs all the steps necessary to prepare the weapon to fire again; and that will continue to fire for as long as the trigger (or other activating device) remains depressed (assuming that ammunition remains and jamming does not occur) and an automatic weapon uses a portion of the energy from a firing cartridge to extract the spent cartridge case from the firing chamber and eject it from the weapon, re-cock the firing mechanism and load a new round of ammunition from the weapon’s feed-device or magazine into the firing chamber and if the trigger or other activating device remains depressed, the firing pin is automatically released to begin a new firing cycle;
 - (7) “blank cartridge” means a cartridge without a bullet or any other projectile;
 - (8) “blank firing firearms” means firearms capable of firing a blank cartridge;
 - (9) “bullet” means the conical head of the cartridge normally made of lead or copper that is expelled out of barrel or cylinder by means of explosive charge or compressed air or other gas;
 - (10) “caliber” means the internal diameter or bore of the barrel of a firearm measured in inches or millimeters or geometric circumference;
 - (11) “carry” means to bear a small arm, upon, about or in the proximity of one’s person;
 - (12) “cartridge” means a complete object consisting of a cartridge case, primer, propellant, bullet or any single or multiple projectile;
 - (13) “chartered accountant” means a chartered accountant as defined in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) who holds a valid certificate of practice under sub-section (1) of section 6 of that Act;
 - (14) “company” has the same meaning as assigned to it in the *Explanation* under section 33 of the Act;

- (15) “conversion” of firearm refers to a permanent change of caliber or bore of a firearm and includes replacement or relining or reboring of a barrel having an integral or separate chamber, replacement of cylinder and/or barrel or related parts and change in configuration of action or mechanism of a firearm but does not include converting a permissible category firearm into a restricted or prohibited category firearm;
- (16) “configured for military use” means firearms and ammunition (other than small arms and light weapons) manufactured and configured according to specifications set by the Department of Defence Production, Ministry of Defence;
- (17) “curio” means a small arm manufactured at least fifty years prior to the current date or certified by the curator of a Government regulated museum or that derives at least half of its monetary value from the fact that it is novel, rare, bizarre, or associated with some historical figure, period, or event and includes an antique small arm;
- (18) “deactivation” means to render a small arm or light weapon incapable of expelling or launching a shot, bullet, missile or other projectile by the action of an explosive, and which cannot be readily restored to its original capability, and that has been certified and marked as deactivated by an accredited gunsmith or a competent State authority.

Explanation. —

Deactivation requires that all pressure-bearing components of a small arm or light weapon be permanently altered in such a way so as to render the weapon unusable and includes modifications to the barrel, bolt, cylinder, slide, firing pin and receiver or frame;

- (19) “dealer” means a person who, by way of trade or business, buys, sells, tests (other than proof-test), exports, imports or transfers or keeps for sale, or test (other than proof-test) arms or ammunition and includes the Sports Authority of India (SAI), the National Rifle Association of India (NRAI) and the State Rifle Associations affiliated to NRAI or directly affiliated units of NRAI;
- (20) “dedicated sports person” means a person who actively participates in sports-shooting and who is a member of an accredited sports shooting organisation;
- (21) “electronic disabling device” means an electronic device capable of firing electrode projectiles propelled by compressed gas, which stays connected to the main unit or device by a conductive wire, and causes temporary neuro-muscular incapacitation of the target;
- (22) “Government arms” means a firearm or other weapon which is the property of Government; and
“Government ammunition” means ammunition manufactured in any Government factory or prepared for and supplied to Government other than such ammunition as may be released by Government for civilian use;
- (23) “gunsmith” means any person who performs work of minor or major repairs of firearms and subject to grant of prior permission of the licensing authority, may alter the caliber or barrel length of a firearm or perform such other work as may be specified by the licensing authority;
- (24) “handgun” means a small arm with a short stock at an angle to and extending below the line of the barrel, that is designed to be held and fired with one hand and includes pistols and revolvers;
- (25) “in-transit” means the conveyance through India to another country of firearms or ammunition that have been imported;
- (26) “firearm replica” means an object designed to resemble a firearm which has an appearance that is so realistic as to make it indistinguishable, for all practical purposes, from a real firearm and which has been rendered innocuous;
- (27) “Form” means a Form as set out in Schedule III of these rules;
- (28) “light weapon” means any man-portable weapon designed for use by two or three persons serving as a crew (although some may be carried and used by a single person) that expels or launches, is

- designed to expel or launch, or may be readily converted to expel or launch a shot, bullet or projectile by the action of an explosive and includes, inter alia, heavy machine guns, hand-held under barrel and mounted grenade launchers, portable anti-aircraft guns, recoilless rifles, portable launchers of anti-tank missile and rocket systems, portable launchers of anti-aircraft missile systems, and mortars of a caliber of less than 100 millimeters, as well as their parts, components and ammunition;
- (29) “main firearm component” means the barrel, frame or receiver, slide, bolt or breech-block of a firearm;
- (30) “manufacturer” means a person, who manufactures, sells, tests (other than proof-test), exports, imports or transfers or keeps for sale, or test (other than proof-test) firearms, their parts, components or ammunition or arms other than firearms;
- (31) “manufacturing” means making, producing or assembling: —
- (i) a complete firearm;
 - (ii) a pressure-bearing part or component of a firearm (e.g. barrel, slide, cylinder, bolt, breech lock, firing pin, etc.);
 - (iii) ammunition for firearm; or
 - (iv) an arm other than a firearm, *and includes* —
 - (i) reactivating a deactivated firearm; and
 - (ii) substantially modifying the function of a firearm (e.g. conversion to fully automatic), *but does not include* —
 - (i) repair, restoration, maintenance or cosmetic enhancement or alteration of a firearm; nor
 - (ii) the non-commercial reloading of ammunition;
- (32) “marking” means application of permanent inscriptions on firearms, ammunition and ammunition packaging to permit their identification;
- (33) “muzzle energy” means the kinetic energy of a projectile as it is expelled from the muzzle of a firearm and expressed in joules or foot-pounds;
- (34) “NDAL” means National Database of Arms Licences;
- (35) “paintball” means a projectile (spherical gelatin capsule) that primarily consists of non-toxic water soluble substances and dye designed to mark a person or an object;
- (36) “paintball marker or paintball gun” means a device capable of firing paintballs by use of an expanding gas or compressed air, whether operated mechanically or electro-pneumatically;
- (37) “parts and components” mean any element or replacement element specifically designed for a firearm and essential to its operation and includes barrel, frame or receiver, slide or cylinder, bolt or breech block, and any device designed or adapted to diminish the sound caused by firing;
- (38) “pistol” means a handgun with a chamber as an integral part of, or permanently aligned with, the barrel;
- (39) “port” includes a seaport, an airport and a land port;
- (40) “rimless” means a cartridge where the rim has the same diameter as the base of the case and used in firearms that feed from a box magazine;
- (41) “rimmed cartridge” means where the rim has a significantly larger diameter than the base of the cartridge with the rim serving to hold the cartridge at the proper depth in the chamber;
- (42) “revolver” means a handgun with a breech-loading, chambered cylinder so arranged that the cocking of the hammer or depression of the trigger rotates the cylinder and brings the next cartridge in line with the barrel for firing;

- (43) “repair” of firearm may be minor or major –
‘minor repair’ includes –
- (i) *cleaning and carrying out* re-finishing, fixing slings, recoil pads, installation of pre-fabricated stock, general accessories, preservative packaging and ensuring accuracy or safe working of the firearm and its components;
 - (ii) *fabricating or replacing or working* on old, damaged, worn-out, eroded, shot-out part of a firearm (excluding barrels or receivers or frames or breech bodies or bolts) for the purpose of repair and safe functioning;
 - (iii) *making and replacing* stocks, grips (butt stock) and other parts;
 - (iv) *ensuring accuracy or safe working* of the firearm by means of carrying out work on complete barreled action, fabricating, fitting or adjusting optics, sights, other components, etc., including test firing;
 - (v) *making and installing* accessories and *tuning* fabricated parts.
- ‘major repair’ requires extensive primary and secondary machining operations of critical parts and includes –
- (i) *working on critical parts including fabrication of components* like barrels and actions (re-boring or re-chambering or replacing or remaking barrels, re-machining of receivers or frames, bolts, slides, cylinders, breech, etc. and other components) for the purpose of repair or conversion;
 - (ii) *shortening, conversion, working on triggers, safeties and general safety testing of firearms and devices including firing or testing of firearms repaired or converted.*
- (44) “responsible person” means in the case of a company, the person nominated in an application for an arms licence by a company;
- (45) “rifle” means a small arm designed to expel, through the action of an explosive, a single projectile through a rifled barrel, while supported against the shoulder and held with both hands;
- (46) “Schedule” means a Schedule appended to these rules;
- (47) “selective fire” means capability of a small arm or light weapon that can be adjusted to fire in two or more of the following ways:
- (i) semi-automatic (i.e. one shot per depression of the trigger);
 - (ii) multi-shot burst (i.e. a set number of shots per depression of the trigger); or
 - (iii) automatic (i.e. continuous fire while the trigger is depressed)
- (48) “self-loading” means semi-automatic;
- (49) “semi-automatic” means a small arm or light weapon that, after each discharge, automatically performs all of the steps necessary to prepare the weapon to fire again, but that requires a separate depression of the trigger to fire each round of ammunition;
- (50) “shotgun” means a small arm designed to expel, through the action of an explosive, shot or a single projectile through a smooth-bored barrel, while supported against the shoulder and held with both hands;
- (51) “small arm” means any man-portable lethal weapon designed for individual use (of caliber up to 12.7 mm) that expels or launches, is designed to expel or launch, or may be readily converted to expel or launch a shot, bullet or projectile by the action of an explosive and includes inter alia, revolvers and self-loading pistols, rifles and carbines, sub-machine guns, assault rifles and light machine guns, as well as their parts, components and ammunition but does not include antique small arms and firearm replica.

Note:

Shotguns, sporting rifles and muzzle loading black powder firearms, though of caliber of more than 12.7 mm are also covered under small arms;

- (52) “sportshooting” means competitive and recreational sports that involve tests of proficiency (accuracy and speed) using permissible category of firearms, ammunition and targets;
- (53) “section” means a section of the Act;
- (54) “trade transfer” means sale or transfer of arms or ammunition between a manufacturer and a dealer or between a dealer and another dealer during the normal course of the business and includes a sale or transfer on consignment basis;
- (55) “unloaded” means that any propellant, projectile or cartridge which can be discharged from the firearm is not contained in the breech-block or firing chamber of the firearm nor in the cartridge, magazine or cylinder attached to or inserted into the firearm;
- (56) “use of a firearm” includes displaying, aiming and firing as well as manipulating the working parts of a firearm but does not include cleaning or maintenance;
- (57) “UIN” means Unique Identification Number generated in NDAL for a licensee under these rules.

(II) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Classification of arms and ammunition.**— For the purposes of the Act and these rules, arms and ammunition shall be of the categories specified in columns (2) and (3) respectively of Schedule I and references to any category of arms or ammunition in these rules shall be construed accordingly.
4. **Licence for arms other than firearms and applicability of section 4.**— (1) Unless the Central or the State Government by notification in the Official Gazette so directs, no licence shall be required for the manufacture, sale, possession for sale or test, of arms of category V in Schedule I except in the areas notified under section 4.
- (2) In any area specified in the notification issued by the Central Government under section 4 of the Act, licence for acquisition, possession or carrying in that area of arms of such class or description as may be specified in that notification may also be granted or renewed as provided in Schedule II, subject to such conditions as may be specified in these rules, that Schedule and in the licence.

CHAPTER II

Licensing Procedure

5. **Licensing authority and forms of licences.**— Licences under Chapter II of the Act may be granted or renewed for, such purposes, by such authorities, in such forms and to be valid for such period and in such areas as are specified in Schedule II, subject to such conditions as are specified in these rules, that Schedule and in the licence:
- Provided that the licences granted or renewed by a licensing authority may be signed by such officer subordinate to that authority as may be specially empowered in this behalf by the State Government.
6. **Restriction in granting licences for acquisition, possession or carrying of arms or ammunition of category I of Schedule I.**— No licence shall be granted for acquisition, possession or carrying of arms or ammunition specified in category I(b) or I(c) in Schedule I unless they have been legally manufactured in India or lawfully possessed or lawfully imported into India or are being imported into India with the sanction of the Central Government.
7. **Licensing authorities to furnish information to district magistrate.**— (1) A copy of every licence granted for arms or ammunition specified in category I(a), I(b), I(c) and category II in Schedule I shall forthwith be sent to the district magistrate of the place in which the arms or ammunition are to be kept.

- (2) A copy of every other licence granted in any Form by any authority other than a district magistrate shall be sent forthwith to the district magistrate having jurisdiction over the area in which the place of business or residence of the licensee is situated.
- (3) The licences granted under sub-rule (1) and sub-rule (2) shall be intimated through NDAL system to the district magistrate of the place having jurisdiction over the area in which the place of business or residence of the licensee is situated.
- 8. Possession of arms or ammunition for certain purposes to include use thereof.**— Possession of the following arms or ammunition for the purposes mentioned against each, includes use thereof, for such purposes only provided that such use does not involve manufacture of any arms or ammunition (including explosives and fireworks) :-
- arms for theatrical performance, historical re-enactment, historical research (including assessment of performance), cinematograph or television production or signaling for starting races or athletic meets and safety equipment including signal flare guns, line throwing guns, avalanche cannon, etc.;
 - ingredients of ammunition including sulphur and chlorates for *bona fide* industrial, agricultural or medicinal purposes.
- 9. Restrictions by Central Government in certain cases.**— Any licence having effect outside the State in which it is granted, shall be subject to any restrictions, which may be imposed by a general or special order of the Central Government.
- 10. Safe use and storage of firearms.**— (1) Every applicant applying for a licence in Form II, Form III and Form IV; or a rifle club or association or firing range or staff employed by such club, association or firing range, applying for a licence in Form V; or a manufacturer or dealer or gunsmith or staff employed by such manufacturer, dealer or gunsmith applying for a licence in Form VII, Form VIII, Form IX or Form IX-A, shall be required to complete arms and ammunition safety training course which shall include –
- basic arms and ammunition safety practices, including safe handling and carry procedures;
 - firing techniques and procedures;
 - care of arms and ammunition;
 - safe storage and transportation of arms and ammunition;
 - reasonable working knowledge of important provisions of the Act and these rules; and
 - responsibilities of the arms owner or user, particularly in relation to children.
- (2) The safety training course under sub-rule (1) shall be conducted by the accredited trainer or master accredited trainer having licence under rule 39, who shall issue a certificate in Form S-1, to the applicant, on successful completion of the said course.
- (3) The effective date and duration of the safety training course as laid down in sub-rule (1) shall be notified by the Central Government by issuing a general or special order in this regard.
- (4) Every application for a licence in Form II, Form III and Form IV shall be accompanied by –
- a written undertaking that the applicant has the capacity to store the firearm safely and securely in a safe or steel almirah in order to minimize the risk that it could be stolen or accessed by someone other than the licensee; and
 - a written undertaking to practice safe storage of the firearm (in knocked down condition) and its ammunition and to educate the children about the dangers of interacting with arms and ammunition, in Form S-2.
- (5) The licensing authority responsible for the grant or renewal of a licence shall conduct periodic inspections of the premises of companies, dealers, gunsmiths and manufacturers where arms and ammunition are stored in order to ensure compliance with safe storage requirements.
- 11. Application for licence.**— (1) Every application for the grant of a licence under these rules –

- (a) shall be submitted in Form A-1 to A -14 as applicable to the category of the licence applied;
- (b) may be presented by the applicant in person or sent through the medium of post office or filed electronically or otherwise, to the licensing authority, as far as possible, having jurisdiction in respect of the place where he ordinarily resides or has his occupation.
- (2) Where the grant of licence requires a certificate of no objection from some other authority as provided in rule 98, shall state whether such certificate has been obtained and, if so, be supported by evidence thereof either in physical form or by an electronically generated confirmation on NDAL system for the particular UIN of the applicant.
- (3) Every application for grant of licence for special category under Chapter III of these rules, shall be subject to such additional requirements specified for these categories in that chapter.
- (4) Every application in Form A-1 submitted by an individual for grant of a licence in Form II, Form III or Form IV shall be accompanied by the following documents, namely:—
- (a) four passport size copies of the latest photograph of the applicant (in white background);
- (b) proof of date of birth;
- (c) identification proof —
- (i) Aadhar Card; or
- (ii) in case the applicant does not have Aadhar Card, a written declaration in the form of an Affidavit to be submitted in this regard along with an alternative identification proof which may include Passport or Voter's Identification Card or Permanent Account Number (PAN) card or Identity Card issued to the employees;
- (iii) in case of exemptee sports persons, shooters identification card issued by the National Rifle Association of India.
- (d) residence proof in case the applicant does not possess Aadhar Card or Passport, which may include —
- (i) voter's identification card; or
- (ii) electricity bill; or
- (iii) landline telephone bill; or
- (iv) rent deed or lease deed or property documents; or
- (v) any other document to the satisfaction of the licensing authority.
- (e) safe use and storage of firearms undertaking referred to in sub-rule (4) of rule 10;
- (f) for professional category applicant, referred to under clause (a) of sub-rule (3) of rule 12, self-attested copies of the educational and professional qualification certificates, wherever applicable;
- (g) medical certificate about mental health and physical fitness of the applicant with specific mention that the applicant is not dependent on intoxicating or narcotic substances (in Form S-3);
- (h) in case of an application for a licence in Form IV, the particulars specified in sub-rule (2) of rule 35 along with a permit from the authority empowered under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);
- (5) Every application in Form A-2 submitted by a company for the grant of a licence in Form II or Form III, shall be accompanied by the following documents, namely:—
- (a) written undertaking on the letter head of the applicant duly signed by the responsible person defined under clause (44) of rule 2;
- (b) original copy of the board resolution passed or an authority letter confirming the appointment of responsible person referred to in clause (a);
- (c) certified copies of the founding documents of the company including Memorandum and Articles of Association;

(d) safe use and storage of firearms undertaking referred to in sub-rule (4) of rule 10.

(6) An application by a member of the armed forces of the Union shall be made through his Commanding Officer to the licensing authority having jurisdiction in respect of the place to which he is for the time being posted.

(7) The licensing authority may, in accordance with any instructions issued by the State Government in respect of all or any class of firearms, require the personal attendance of the applicant before granting the licence under this rule.

(8) The applicant shall not suppress any factual information or furnish any false or wrong information in the application form.

12. Obligations of licensing authority in certain cases.— (1) Save as otherwise provided in the Act, every licensing authority granting a licence in Form III to an individual for the restricted or permissible arms or ammunition as specified in category I(b) and I(c) or category III respectively in Schedule I, shall have due regard to the application of norms specified in sub-rules (2) and (3).

(2) For grant of a licence for the restricted arms or ammunition specified in category I(b) and I(c) in Schedule I, the licensing authority, may consider the application of—

(a) any person who faces grave and anticipated threat to his life by reason of –

(i) being resident of a geographical area or areas where militants, terrorists or extremists are most active; or

(ii) being the prime target in the eyes of militants, terrorists or extremists; or

(iii) facing danger to his life for being inimical to the aims and objectives of the militants, terrorists or extremists; or

(b) any Government official who by virtue of the office occupied by him or by the nature of duty performed by him and/or in due discharge of his official duty is exposed to anticipated risk to his life; or

(c) any Member of Parliament or Member of Legislative Assembly, who by virtue of having close or active association with anti-militant, anti-terrorist or anti-extremist programmes and policies of the Government or by mere reason of holding views, political or otherwise, exposed himself to anticipated risk to his life; or

(d) any family member or kith and kin of a person who by the very nature of his duty or performance (past or present) or position occupied in the Government (past or present) or even otherwise for known or unknown reasons exposed himself to anticipated risk to his life; or

(e) any other person, for any legitimate and genuine reason, to the satisfaction of the licensing authority, by passing of a speaking order in this regard:

Provided that before grant of a licence under this sub-rule, the licensing authority based on the recommendations of the district magistrate and of the State Government concerned and on examination of the police report and after conducting a separate verification from its own source, shall satisfy itself that the applicant requires such licence.

(3) For grant of a licence for the permissible arms or ammunition specified in category III in Schedule I, and without prejudice to the provisions contained in clause (a) of sub-section (3) of section 13, the licensing authority, based on the police report and on his own assessment, may consider the applications of –

(a) any person who by the very nature of his business, profession, job or otherwise has genuine requirement to protect his life and/or property; or

(b) any dedicated sports person being active member for the last two years, of a shooting club or a rifle association, licensed under these rules and who wants to pursue sport shooting for target practice in a structured learning process; or

(c) any person in service or having served in the Defence Forces, Central Armed Police Forces or the State Police Force and has genuine requirement to protect his life and/or property.

- 13. Time limit for grant of licence.**— The licensing authority, after considering the application and on being satisfied that the applicant has fulfilled the eligibility conditions, shall grant or refuse to grant a licence for permissible category of arms or ammunition specified in category III of Schedule I, to any person by recording in writing the reasons for such grant or refusal, by passing a speaking order, within a period of sixty days of the receipt of the police report:

Provided that the licensing authority shall specify, the type of arms and ammunition to be procured by the applicant after assessing the reason and the need for possession of the type of arms and ammunition applied for by the applicant, considering its lethality or fire-power.

- 14. Time limit for police report for grant of licences.**— (1) On receipt of an application for grant of a licence under sub-section (1) of section 13 or every subsequent renewal thereof under section 15, the licensing authority shall call for a report of the officer-in-charge of the nearest police station on that application, and such officer shall send his report in Form S-4, within a period of thirty days from the date of receipt of application by him.

(2) The Central Government may by issuance of a general or special order, extend the period of thirty days as specified in sub-rule (1) up to ninety days for certain areas or States for any reason deemed appropriate by it.

(3) The licensing authority may in case of non-receipt of police report within the period of thirty days under sub-rule (1) or within the extended period under sub-rule (2), make an order in writing for grant or refusal of licence, without further waiting for the report.

- 15. Maintenance of records in electronic format and consolidation of licences.**— (1) Every licensing authority and the renewing authority specified in Schedule II, while granting a license or renewing a licence, thereof, shall enter the data of the record locally in an electronic format specified by the Central Government.

(2) Every licensing authority and the renewing authority shall also enter such data in the NDAL system which shall generate a unique identification number (UIN) and with effect from the 1st day of April, 2017, any arms license without UIN shall be considered invalid.

(3) The UIN so generated under sub-rule (2) shall be unique for a licensee.

(4) Any existing licensee holding multiple licences in Form III shall on or before the 1st day of April, 2017, make an application for grant of a single licence in respect of all the firearms held by him under his UIN, to the concerned licensing authority:

Provided that where the applicant applying a licence for restricted category of arms or ammunition specified in Schedule I is also a holder of a licence for permissible category of arms or ammunition specified in the said Schedule; or where the applicant, applying for permissible category of arms or ammunition is also a holder of a licence for restricted category of arms or ammunition specified in the said Schedule, the licensing authority concerned shall issue a new licence for such restricted or permissible category of arms or ammunition, as may be applicable, under the existing UIN of the licensee:

Provided further that separate licence books shall be generated in case of each licence in Form II, Form III and Form IV and in case of a licence in Form III, separately for restricted and permissible categories of arms and ammunition specified in Schedule I, with an overall ceiling of three firearms under a single UIN.

(5) The licensing authority on receipt of an application from a multiple licence holder under sub-rule (4) shall cancel the existing multiple licences of the applicant and issue in lieu thereof, a new licence endorsing therein, all the existing firearms of the said licensee.

(6) The period of validity of the new licence so issued by the licensing authority under sub-rule (5) shall be the farthest period as mentioned in any of the cancelled licences and the area validity endorsed on the new licence shall be the more extensive area in any of the cancelled licences.

- 16. Duty of licensing authority under NDAL.**— (1) The licensing authority, while granting or renewing a licence or at the time of providing any allied service to any licensee under these rules shall ensure that the data of the transaction approved by him, is simultaneously updated in the electronic format locally and on the NDAL system under its log-in ID:

Provided that the licensee shall not be held accountable for failure on the part of the licensing authority to update such data in the electronic format.

(2) The licensing authority shall ensure compliance of delivery of different services specified in column (2) of Schedule V, within the time specified in column (4), of the said Schedule.

- 17. Registration of licence with an outside licensing authority and change of address with existing licensing authority.**— (1) If a person who holds a licence in Form III changes his place of residence, permanently, or temporarily for a period of more than six months, and carries with him the arms covered by the licence, to a place falling, other than within the jurisdiction of the existing licensing authority indicated in the licence, he shall, immediately before the expiry of a period of six months, send intimation about such change to the licensing authority of the place of his new residence and shall on demand, forthwith produce the licence and the arm or arms to the new licensing authority by applying in Form B-1 and indicating there in the particulars of his new residence.

(2) The licensing authority of the new place of residence of the licensee on receiving an application in Form B-1 under sub-rule (1), shall within a period of fifteen days, register the licensee in the NDAL system whereby the UIN of the licensee shall stand activated and transferred to its jurisdiction and de-activated from the records of the original licensing authority or the last renewing authority as the case may be and thereupon a new licence book shall be issued to the licensee and such new authority shall be the licensing or the renewing authority in relation to the said licence.

(3) Where the licensee changes his permanent place of residence within the jurisdiction of the existing licensing authority, he shall forthwith inform the same to the licensing authority with the proof of his new place of residence and if such change has resulted in change of jurisdiction of police station, along with information of the police station of his new place of residence and the licensing authority shall within a period of fifteen days, register the change of residence of the licensee in the NDAL system whereby the UIN of the licensee shall stand activated under the new police station and de-activated from that of the last police station.

- 18. Permission for possession of arms to be acquired subsequent to grant of licence.**— When a licence is granted in Form II, Form III, Form IV or Form V for the possession of arms to be acquired by the licensee subsequent to the grant of the licence, the authority granting the licence shall at the time of granting the same, direct that the arms covered by the licence shall be acquired within a period of two years and that the licence or the arms or both shall be produced for his inspection and if within the said period of two years, the licensee fails to acquire the arms and to produce the licence, or the arms or both, as the case may be, the licence shall cease to be in force:

Provided that the licensing authority may extend the period of two years by a further period of one year, on the basis of a written representation received from the licensee and after recording the reasons for granting such an extension:

Provided further that if during the period of two years or the extended period of one year, as the case may be the licensee wishes to acquire and possess any arm or arms of a different description and the licensing authority has no objection to allow the acquisition and possession of such arm or arms, he may amend the licence accordingly:

Provided also that where the licensee changes his place of residence, after the grant of licence but before acquisition of any arm, he may produce the licence or arm or both for inspection before the licensing authority of the place of his new residence to which the licensee may have shifted and the said authority on inspecting the arm, shall register and update the information on NDAL system:

Provided also that the provisions contained in this rule shall apply *mutatis mutandis* to any acquisition of an additional arm or arms which the licensee may desire to acquire subsequent to grant of licence on account of sale or transfer or disposal of the arm or arms already possessed or otherwise as a fresh acquisition subject to the overall limit of three firearms.

- 19. Extension of area validity of licence.**— (1) On receipt of an application from a licensee holding a licence in Form III, the licensing authority may extend the area of validity specified in his licence, if he is satisfied about

the need of such extension subject to the condition that the licensing authority has the power to grant a licence in relation to the area to which extension is being sought.

(2) The application for extending the area validity for whole of India may be granted by the licensing authority as specified in column (5) of Schedule II, in respect of the following category of licensees, namely:-

- (a) Union Ministers or Members of Parliament;
- (b) Personnel of Defence Forces and Central Armed Police Forces;
- (c) Officers of All-India Services;
- (d) Officers in the Government or Government Sector Undertakings or Public Sector Undertakings with liability to serve anywhere in India;
- (e) Dedicated sports persons and the sports persons specified in serial numbers (1) to (4) of the table in sub-rule (2) of rule 40.

(3) In other cases, where the licensing authority is satisfied that the nature of business or profession of the applicant requires him to carry arm or arms frequently beyond the existing jurisdiction and such a requirement may not be met by the issuance of a journey licence in Form XI of these rules, the application for extending the area validity for whole of India may be granted by the licensing authority specified in column (5) of Schedule II to the applicant.

20. Additional licences for individuals.— (1) The holder of a licence in Form III, for permissible category of firearms, as specified in Schedule I, may apply for grant of additional licence for any two of his close relatives who are not in possession of any licence in Form III and who are residing with him at the address given in the licence, to possess, carry or use any of the arms or ammunition covered by his licence and the licensing authority shall grant a licence to such additional licensee if the eligibility conditions under the Act and these rules are fulfilled by the said additional licensee and there are no adverse remarks in the police report.

(2) The additional licensee under his UIN shall be granted a separate licence, with the arms and ammunition of the parent licence endorsed thereupon:

Provided that the additional licensee shall not be permitted to, acquire any arms or ammunition on his licence.

(3) The additional licensee shall not obtain a licence in his individual capacity during the period he holds an additional licence under this rule.

(4) The licensing authority shall ensure that the details of additional licensees are endorsed on the parent licence and the period of validity and the area validity of the additional licence are *pari-passu* with that of the parent licence and if the parent licence is suspended, revoked or cancelled, the additional licences shall also be subject to the same consequence.

(5) The additional licensee shall not sell or transfer the arms and ammunition endorsed on his licence.

(6) In case the holder of an additional licence shifts temporarily or permanently from the premises of the parent licensee, such additional licence shall automatically lapse and the person to whom such additional licence was issued, shall return his licence to the licensing authority by whom the licence was issued and the responsibility for furnishing such intimation to the licensing authority shall be that of the parent licensee.

(7) The parent licensee may request the licensing authority to revoke or cancel the licence of any of his additional licensees by submitting an application along with the original licence and in all such cases, the licensing authority shall revoke or cancel the licence of the additional licensee.

Explanation. —

For the purposes of this rule, 'close relatives' mean spouse, son, daughter, brother and sister.

21. Retainers for exemptees.— (1) A licence in Form III-A for possession and carrying of arms or ammunition may be granted to a person nominated to be his retainer by a person exempted under section 41 of the Act from licensing requirements:

Provided that the retainer shall have no right, independent of the person so exempted, to use the arms or ammunition covered by the licence, and the licence shall cease to be in force on the day on which the person so exempted has ceased to be an exemptee, or the retainer has ceased to be a nominee of the exemptee.

(2) The licensing authority shall obtain a report from the Police, about the antecedents of the retainer nominated under sub-rule (1) and take into consideration such report before admitting him as a retainer in a licence granted in Form III-A.

22. Retainers for companies.— (1) A licence in Form II or Form III granted to a company for the protection of its premises or property shall be in the name (with designation) of the responsible person who shall be accountable and responsible for the custody of the arms and ammunition.

(2) The name of a servant or any other employee entrusted with the arms and ammunition for guarding the premises or property of the company shall be entered as a retainer in the licence.

(3) The licensing authority shall issue to the licensee a permit in Form III-B for each of such retainers shown in the licence and such permit shall remain in the personal custody of the responsible person of the company and shall be handed over to the retainers when they are entrusted with the arms and ammunition covered by the licence:

Provided that the licensee at the time of making application for retainer shall submit along with the application in Form B-3, four recent passport size photographs of the retainer to be appointed and the proof of his employment with the company:

Provided further that the licensing authority, shall obtain a report from the Police about the antecedents of the retainer and take into consideration such report before admitting him as a retainer.

(4) On an application from a company, holding a licence in Form II or Form III, for a change of the responsible person of the company in whose name the licence has been granted or of a retainer included in the licence, the necessary amendments may be made in the licence by the licensing authority.

23. Restriction on the quantity of ammunition used in breech loading firearms.— (1) For the purposes of the Act and these rules, quantity of ammunition for the licences granted in Form II, Form III or Form IV for breech loading firearms shall be restricted as under, namely:-

Maximum purchasable during a calendar year (per firearm)	200
Maximum to be possessed at any given time (per firearm)	100

(2) (a) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the State Government concerned may allow a higher quantity of ammunition in exceptional cases on merits and on the basis of good and sufficient reasons to be recorded in writing.

(b) The Central Government in the Ministry of Home Affairs may allow a higher quantity of ammunition in exceptional cases by issuance of a general or special order in this regard.

24. Renewal of licences.— (1) Every licence may, at its expiration and subject to the same conditions (if any) as to the grant thereof, be renewed by the authority mentioned in Schedule II as renewing authority within a period of thirty days of receipt of the police report:

Provided that the licence so renewed may be signed in the appropriate column of the licence by such officer as may be specifically empowered in this behalf by the State Government under rule 5.

(2) An application for renewal of a licence for arms or ammunition shall be filed in the Form wherein specified at least sixty days prior to the expiry of the said licence with the licensing authority along with the documents wherein specified in the Form:

Provided that in the case of arms and ammunition deposited under sub-rule (1) of rule 48, the renewal application may be filed either by the depositor, or where it is not practicable to make the application direct,

through the dealer or any other person authorised by him in writing in this behalf, while the arms or ammunition continue to be so deposited.

(3) The authority issuing a licence shall ordinarily be responsible for watching all future renewals of the licence:

Provided that where a licensee notifies a change of his place of residence, permanently or temporarily for a period of more than six months, to the licensing authority of the district in which the renewal is sought, the licensing authority of that district shall thenceforth become responsible for watching all future renewals of his licence.

(4) The new renewing authority shall, in respect of a licensee who notifies a change of his place of residence under sub-rule (3), register the licensee under its own jurisdiction in accordance with the provisions specified in rule 17 and carry out the renewal thereof and forthwith, inform the original issuing or last renewing authority.

(5) The licensing authority may consider an application for renewal of a licence, if the period between the date of its expiry and the date of application is not, in his opinion, unduly long with due regard to the circumstances of the case, and all renewal fees are paid; otherwise the application may be treated as one for grant of a fresh licence.

(6) The licensing authority may, in accordance with any instructions issued by the State Government in respect of all or any class of firearms, require the personal attendance of the applicant before renewing the licence under this rule.

25. Grant of licences to legal heirs.— (1) The licensing authority may grant a licence —

(a) after the death of the licensee, to his legal heir; or

(b) in any other case, on the licensee attaining the age of seventy years or on holding the firearm for twenty-five years, whichever is earlier, to any legal heir nominated by him:

Provided that notwithstanding the provisions contained in rule 12 of these rules, the licensing authority may grant a licence to such legal heir if the eligibility conditions under the Act and these rules are fulfilled by the said legal heir and there are no adverse remarks in the police report.

(2) Where a licensee leaves behind more than one legal heir and the legal heirs decide amongst themselves to retain the arm or arms of the deceased, one of the legal heirs nominated by all other legal heirs may apply for a licence under sub-rule (1) along with the following documents, namely:-

(i) a declaration of no-objection from the remaining legal heirs;

(ii) an indemnity bond executed by the applicant giving full details of the licence and the arm or arms endorsed thereupon; and

(iii) a copy of the death certificate of the deceased licensee.

(3) Where the legal heirs decide to dispose of the arm or arms endorsed on the licence of the deceased licensee, they may apply to the licensing authority for grant of a limited period permission to sell the arm or arms, within the time allowed by such authority, to any licensed dealer or to any other person entitled to possess an arm under these rules.

Explanation. —

For the purposes of this rule, 'legal heir' includes husband, wife, son, daughter, son-in-law, daughter-in-law, brother, sister and grandchildren of the licensee or the deceased licensee.

26. Certain licences to be in book form.— A licence in Form II, Form III, Form IV or Form V generated under the UIN of the licensee in NDAL system, shall be in book form serially numbered and strictly as per the formats specified in the rules and in case of individuals, shall contain the latest photograph of the licensee:

Provided that the licence book for restricted category of firearms shall be of dark maroon colour and for permissible category of firearms shall be of navy blue colour:

Provided further that the licensing authority may get the licence books printed and serially numbered locally and levy fee for providing licence books as specified in Schedule IV.

27. Fees for licences.— (1) (a) Every licence granted or renewed under these rules shall, save as herein otherwise expressly provided, be chargeable with the fee (if any) specified in Schedule IV.

(b) In any case where fee is prescribed for a year, fee for a fraction of a year shall be the same as for a whole year.

(2) Where a licensee submits his application for renewal of his licence after the expiry of the period for which the licence was granted, the licensing authority may, if he decides to renew the licence, at his discretion, levy –

(a) full fee as for initial grant of the licence; and

(b) a late fee of rupees two thousand, if he is satisfied that the delay is not justifiable or excusable, nor serious enough to warrant revocation of the licence or prosecution of the licensee:

Provided that if an application for renewal for a licence in Form III is made within one month from the date on which the licence expires, no late fee may be leviable.

(3) The Central Government may, by issuance of a general or special order and for reasons to be recorded in writing and subject to such conditions, if any, as it may specify in the order, grant exemption from, or reduction of, the fee payable in respect of any licence:

Provided that it shall be a condition of every exemption from payment of the fee chargeable in respect of the grant or renewal of any licence in Form III that if application for renewal of such licence is not made within one month from the date on which the licence expires, the licensing authority may, unless the applicant satisfies the licensing authority that he had sufficient cause for not making the application within that period, levy renewal fee at the rate specified in Schedule IV.

(4) Differential fee shall be chargeable in respect of a change of type of the arm or ammunition entered in a licence granted for its acquisition under second proviso to rule 18, if the licence fee in respect of the arm or ammunition so changed is higher than that for the original arm or ammunition.

28. Fee payable for copies and duplicates.— Where a licence granted or renewed under these rules is lost or accidentally destroyed, the authority empowered to grant such licence may grant a duplicate licence on payment of the fee with which the original licence was chargeable.

29. Collection of fees.— All fees payable shall be paid in cash or by way of bank pay-order or demand draft or electronic banking transfer at the time of application.

30. Inspection of arms by the licensing authority.— The authority by whom any licence in Form II, Form III, Form IV or Form V has been granted or renewed, may, for the purpose of satisfying itself that any arms covered by such licence are still in the possession of the licensee at the time of renewal or at any time while the licence is in force, by order in writing require the licensee to produce the arm or arms at such time and place for inspection of such officer as may be specified in the order.

31. Production of licences.— Any person who holds a licence granted or renewed, or a permit or certificate granted under these rules shall forthwith produce such licence, permit or certificate upon demand by any magistrate or any police officer of a rank not below that of an officer-in-charge of a police station.

32. Restrictions on carrying of firearm in public place.— (1) No person shall carry a firearm in a public place unless the firearm is carried –

(a) in the case of a handgun –

(i) in a holster or similar holder designed, manufactured or adapted for the carrying of a handgun and attached to his person; or

(ii) in a rucksack or similar holder; or

(b) in the case of any other firearm, in a holder designed, manufactured or adapted for the carrying of a firearm.

(2) A firearm contemplated in sub-rule (1) must be completely covered and the person carrying the firearm must be able to exercise effective control over such firearm.

(3) Brandishing or discharge of firearms or blank-firing firearms in any public place or a firearm free zone is strictly prohibited.

(4) Any violation of this rule shall be liable to revocation of the licence and seizure of the firearm in addition to the penalty specified under the Act.

33. Correction of information.— (1) Any request for correction of the information contained in a licence which has been incorrectly uploaded in the NDAL system shall be made by submitting a written application together with supporting documents, to the concerned licensing authority.

(2) Where an application referred to in sub-rule (1) concerns the detail of a firearm which has been incorrectly reflected on a licence, the licensing authority may call for the physical inspection of the firearm to confirm the details of the firearm or call for a certificate from a gunsmith holding a licence in Form IX or an armourer working with Defence Forces, Central Armed Police Forces and State Police Forces.

(3) The gunsmith or armourer referred to in sub-rule (2), on having examined the firearm, shall issue a certificate stating the action, design, type, make, model, caliber and serial number or additional marking of the firearm.

(4) The correction of information shall take place at no cost to the applicant where the error in uploading the information was attributable on the part of the licensing authority.

34. Identification marks on firearms.— (1) A person, who has in his possession any firearm which does not bear distinctly a manufacturer's name, number or other identification mark shall get the identification mark stamped on the firearm after obtaining prior approval of the licensing authority which will consist –

(a) such distinct letters as may be prescribed for the purpose by the State Government;

(b) serial number of the arms licence; and

(c) the year of stamping,

in that order on the barrel and the frame, or the barrel and the receiver of the firearm.

(2) When an imported firearm kept for sale by a dealer does not bear the manufacturer's name, such distinguishing mark of the importer as allotted by the State Government shall be engraved on the barrel and the frame, or the barrel and the receiver of the firearm after obtaining prior permission of the licensing authority:

Provided that if a barrel bears more than one number, the distinguishing mark shall be affixed to the number appearing on the original invoice:

Provided further that where the manufacturer's number appears only on the trigger-guard or other replaceable part, that number shall also be engraved on the barrel and the frame, or the barrel and the receiver of the firearm.

CHAPTER III

Special categories of licences

35. Licence for destruction of wild animals which do injury to human beings or cattle and damage to crops.— (1) The grant of arms licences under this rule shall be subject to the provisions of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), in respect of the States and Union Territories where the said Act is applicable.

(2) The application under this rule for grant of a licence in Form IV shall specify details of the land and cultivation requiring protection and area in which the arms and ammunition are required to be carried.

(3) Where, after the end of any harvest season, the State Government considers it expedient that for the protection of wild life in any area, any arms or ammunition licensed in Form IV should be deposited in a police station or with a licensed dealer, it may, by order, require any licensee to deposit such arms or ammunition for such period as the arms or ammunition are not required for the purposes for which the licence

is granted and as may be specified therein, and thereupon the licensee shall be bound to comply with such order.

- 36. Licence for training and target practice.**— (1) Any person below the age of twenty-one years but not below the age of twelve years may be allowed to use permissible category of arms for the purposes of training in the use of such arms in the immediate presence, or, under the direct supervision and guidance, of an adult instructor or the licensee:

Provided that no person below the age of twenty-one years shall be allowed, to carry any permissible category of arms requiring a licence in a public place except in the immediate presence and supervision of the person who is lawfully authorised to carry such arms by the licensee.

(2) Any person who applies for a licence to possess permissible category of arms in Form III in order to practice sport shooting shall be required to show evidence that he participates in such activities or that he is in a structured learning process.

(3) The use of arms that are licensed for the purpose of sport shooting shall be limited to practice and competition at sport shooting clubs or at shooting ranges.

(4) A dedicated sports person, holding a licence in Form III shall be able to lend his arms temporarily for a period not exceeding three months for the purpose of sport only to another dedicated sports person lawfully entitled to possess such type of arms subject to the conditions that —

(a) the arm is used by the borrower in the presence of the licence holder or under his written authority along with a certified copy of his licence, which shall show the number and other identification marks of the arm and the period for which it is lent;

(b) in the event of the arm being misused by, or stolen or lost due to the gross negligence of the borrower, the licence of the lender thereof shall be liable to be revoked in addition to being liable to be prosecuted under the provisions of the Act; and

(c) the borrower shall, on demand produce proof of such lending.

(5) Where in the absence of lender, the borrower of arms under sub-rule (4), intends to take the arms and ammunition to a shooting range for training or target practice or participation in a shooting competition, he shall carry a written authority in Form V-A signed by the lender in respect of the arms and ammunition and in the area and for the period specified in the said written authority along with a certified copy of the arms licence of the lender:

Provided that where the arms or ammunition are intended to be taken out of the State, the written authority shall be attested by the President or Secretary of the district or State rifle association, with whom such lender is registered.

Explanation.— For the purpose of this rule, an “adult” means a person who has completed the age of twenty-one years.

- 37. Licence for sport shooting association.**— (1) Sport shooting association or a club or a military mess affiliated to the respective State Rifle Association or National Rifle Association of India, shall be eligible to apply for a licence in Form V and to acquire and possess arms and ammunition that are used and/or stored at their premises.

(2) An application under sub-rule (1) for grant of a licence at the time of initial grant or at every subsequent renewal thereof, shall be submitted along with the following documents, as may be applicable, namely:-

(a) its memorandum and articles of association and the membership rules;

(b) the lists of office bearers and permanent members;

(c) particulars of the accredited shooting range for training and target practice;

(d) details of the training/target practice activities undertaken for promoting or encouraging the sport of shooting;

(e) details of the shooting sport tournaments or events conducted;

(f) details of safe storage of arms and ammunition specified under rule 10; and

(g) complete records of the ammunition consumed by the club or association and/or its members.

(3) Where a licence in Form V has been granted in the name of any sport shooting association or club or a military mess, it shall be lawful for any member of such mess, club or association to use the arms or ammunition covered by such licence at the approved shooting range mentioned in the licence for the purpose of training and target practice, subject to the conditions of the licence.

(4) Where a member of a rifle club or association intends to take the arms and ammunition out of the premises of the club or association for the purpose of repair or to a shooting range for training or target practice or for participation in a shooting competition, he shall be required to carry a pass in Form V-B signed by the President or the Secretary of the club or association in respect of the arms and ammunition and in the area and for the period specified in the pass.

38. Licence for shooting ranges.— (1) Any person, applying for a licence for an indoor or an outdoor private shooting range shall be required to meet the technical and security standards as may be specified by the Central Government in this regard by passing a general or special order:

Provided that the licensing requirements shall not be applicable to indoor ranges up to ten metres used for target practice of air pistols and air rifles.

(2) No licence shall be granted under this rule unless the owner or operator of such shooting range has in place adequate financial arrangements to meet any injury or damage claims requiring third party insurance covers or mandatory bank guarantees or bond requirements:

Provided that the ranges owned and operated by military, Central Armed Police Forces and State Police Departments shall normally cover their own risk as per the respective internal guidelines.

(3) The Sports Authority of India or the National Rifle Association of India or the State Sports Authority or the State Rifle Association shall conduct regular inspection of their affiliated associations or bodies, owning or operating such ranges at regular intervals to ensure strict adherence of safety standards and other norms laid down for shooting ranges.

(4) The licensing authority may also conduct periodic or surprise inspection of all categories of firing ranges falling under its jurisdiction to ensure the adherence to technical and security conditions applicable to such ranges.

(5) Practical training regarding the safe and efficient handling of arms and testing of arms during which ammunition will be fired, may only be undertaken at an accredited shooting range that holds a licence in Form V.

39. Licence for accredited trainers.— (1) Any person applying for a licence to be an accredited trainer shall be required to clear the eligibility test and undergo training before being granted a licence under this rule:

Provided that the policy guidelines containing syllabus and conduct of examination for accredited trainers may be specified by the Central Government by passing a general or special order in this regard.

(2) Any person applying for grant of a licence to be a master accredited trainer shall be required to possess the technical knowledge and expertise in handling various types of small arms and submit the documentary evidence to the satisfaction of the licensing authority in this regard:

Provided that the policy guidelines for grant of licences to master accredited trainers may be specified by the Central Government by passing a general or special order in this regard:

Provided further that master accredited trainers shall be entitled to impart training to the accredited trainers referred to in sub-rule (1).

(3) Master accredited trainers and accredited trainers, having been granted a licence under this rule shall be eligible to —

(i) impart training as specified in rule 10 to the applicants and licensees under these rules; and

(ii) issue training certificates to different types of trainees on the successful completion of the stipulated training programme.

(4) The norms for making available the shooting ranges for imparting training to accredited trainers may be specified by the Central Government by passing a general or special order in this regard.

(5) The shooting ranges as referred to in sub-rule (4) shall include the Government shooting ranges owned or operated by Defence Forces, Central Armed Police Forces, State police departments; and the private shooting ranges owned and operated by shooting clubs or associations having been granted a licence in Form V of these rules.

Explanation.— For the purposes of this rule, master accredited trainers refer to small arm experts having worked in Defence Forces, Central Armed Police Forces, State Police Forces; and international medalists and renowned shooters as defined under the Explanation to rule 40.

40. Quantity of ammunition to sports persons, shooting associations, etc.— (1) The quantity of ammunition allowed to various categories of sports persons for their personal consumption and shooting sport organisations shall be as per the limits laid down in the table given below, namely:—

TABLE

S.No.	Persons or class of persons	Type of firearm	Quantity and description of each kind of ammunition	
			<i>To be possessed at any one time</i>	<i>Purchasable during the year</i>
1	Arjuna awardee	All	100000 <i>for all types of firearms collectively</i>	200000 <i>for all types of firearms collectively</i>
2	International medalist/ renowned shooter	Rifle/Pistol .22 LR; Center-fire rifle with caliber up to 8 mm; Revolver/Pistol; Shotgun of caliber up to 12 bore/gauge	50000 <i>for all types of firearms collectively</i>	100000 <i>for all types of firearms collectively</i>
3	Junior target shooter	Rifle/Pistol .22 LR; Center-fire rifle with caliber up to 8 mm; Revolver/Pistol; Shotgun of caliber up to 12 bore/gauge	10000 <i>for all types of firearms collectively</i>	30000 <i>for all types of firearms collectively</i>
4	Aspiring shooter	Rifle/Pistol .22 LR; Center-fire rifle with caliber up to 8 mm; Revolver/Pistol; Shotgun of caliber up to 12 bore/gauge	15000 <i>for all types of firearms collectively</i>	30000 <i>for all types of firearms collectively</i>

5	Other shooters <i>(not falling under S.No. 1 to 4 above)</i> holding valid arms licences and who are also members of National Rifle Association of India or affiliated State Rifle Association (s) of NRAI or shooting clubs/ District Rifle Association affiliated with State Rifle Association	.22 LR Rifle/Pistol	500	1000
		Any other Pistol/ Revolver caliber	300	600
		Any other Rifle/ Shotgun caliber	200	500
6	National Rifle Association of India. Affiliated State Rifle Association(s) with NRAI. Shooting clubs/ District Rifle Association(s) affiliated with State Rifle Association. All shooting clubs affiliated to the State Rifle Association or the National Rifle Association of India. All shooting ranges under the Sports Authority of India or the Sports Authority of the State Governments	Upper limit on the quantity of ammunition, to be decided by the licensing authority based on the recommendations of the Certifying body		
Note: Shotgun calibers of caliber up to 12 bore/gauge, mean and include the lesser calibers of 16, 20, 28 and 410 bore etc.				

(2) For the purposes of this rule, certifying bodies and certification contents shall be as specified in the table given below, namely:-

TABLE

S.No.	Category of sports person	Certifying body	Certifying conditions
1	Arjuna Awardee	Government of India in the Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports	The certificate shall state that the award was conferred for excellence as a shooter

2	International medalists/ renowned shooters	National Rifle Association of India (NRAI)	The certificate shall state that the medal has been won by the international medalists in the international championships and in case of renowned shooters the merit certificate shall mention the qualifying score along with the Minimum Qualifying Score (MQS) for the event as specified by NRAI
3 and 4	Junior target shooter/ aspiring shooter	National Rifle Association of India or the approved or affiliated State Rifle Association(s) of NRAI	The certificate shall mention the qualifying score along with the Minimum Qualifying Score for the event as specified by NRAI or the State Rifle Association
5	Other shooters	National Rifle Association of India or affiliated State Rifle Association(s) of NRAI or Shooting Clubs/District Rifle Association affiliated with State Rifle Association.	The certificate shall state the membership and other details of the shooter
6	Shooting Clubs/ District Rifle Associations affiliated with State Rifle Associations or National Rifle Association of India	State Rifle Association or National Rifle Association of India as applicable	
	State Rifle Association	National Rifle Association of India	
	National Rifle Association of India	Ministry of Youth Affairs and Sports	
	Shooting Ranges	Sports Authority of India/Sports Authority of the State Government/ National Rifle Association of India	

Explanation. — For the purposes of this rule,

- (a) “international championship” means the Asian Games, the Asian Shooting Championship, the Asian Women or Asian Junior Shooting Championship, the Commonwealth Games, the Commonwealth Shooting Championships, the Olympic Games, the World Junior or Senior Shooting Championships and the World Cups in Senior as well as Junior events;
- (b) “international medalist” means a person who has won an individual or team medal in an international championship;
- (c) “renowned shooter” means a person who has participated in a National Shooting Championship in an Open Men's Event or Open Women's Event or Open Civilian's Event whether through qualifying tournament or wild card entry conducted in accordance with the rules of International Shooting Sports Federation (ISSF) and has attained the Minimum Qualifying Score prescribed by the National Rifle Association;
- (d) “junior target shooter” means a person who has completed the age of twelve years but is below the age of twenty-one years and has taken part in at least one State Championship (held once a year) or in the Zonal Championship or National Level Shooting Competition recognised by National Rifle Association and/or by respective State Rifle Association;
- (e) “aspiring shooter” means a person who has taken part in at least one State Championship (held once a year) or in the Zonal Championship or National Level Shooting Competition recognised by National

Rifle Association and/or by respective State Rifle Association and attained the prescribed Minimum Qualifying Score specified by the National Rifle Association of India.

41. Licence to museums.— (1) Any museum applying for a licence for display of arms and ammunition must possess due accreditation with the Ministry of Culture and registration under any of the Central or State Acts.

(2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by—

- (i) a description of the display mechanisms that will be used to display the arms or ammunition;
- (ii) documentary proof that the display will be in an accredited museum;
- (iii) description and specifications of the security measures pertaining to storage, transport and safe custody of the arms or ammunition to be displayed;
- (iv) a description of the access control to the museum where the arms or ammunition will be displayed; and
- (v) a certificate that the museum will be open for public.

(3) The arms and ammunition shall be displayed or stored under the control of the appointed curator of the museum or a person authorised thereto in writing by the curator, who shall ensure that necessary steps are taken to prevent any un-authorised access and the loss of the arms and ammunition.

(4) The arms and ammunition shall only be used for the display and/or storage by the museum at the registered premises of the museum as mentioned in the licence.

(5) The licensee may display a firearm only if, —

- (a) the firearm is unloaded;
- (b) the firearm is secured by a chain or metal cable that is passed through the trigger guard with one end of the chain or cable attached to a wall or permanent fixture, in such a manner as to prevent the removal of the firearm by a person other than the curator or a person authorised by him;
- (c) the firearm is rendered inoperable by means of a secure locking device and displayed at a place and in a manner that is accessible only to the curator or a person authorised by him.

42. Licence for arms and ammunition for theatrical, film or television productions.— (1) A licence for acquisition, possession, carry or use of arms and ammunition may be issued in Form III to the applicants for the following purposes, namely:—

- (i) theatrical performances and of rehearsals for such performances;
- (ii) in the production of films;
- (iii) in the production of television programmes;
- (iv) the organisation and holding of historical re-enactments;
- (v) signaling for starting races or athletic meets.

(2) The application for a licence under this rule shall be submitted along with the following documents, namely: —

- (i) an undertaking confirming that the applicant shall not resort to conversion of firearms replica and blank firing firearms into firearms;
- (ii) proof to the satisfaction of the licensing authority that the applicant is an actual user or a contractor for providing such arms or ammunition on hire for the purposes specified in sub-rule (1);
- (iii) description of security measures pertaining to safe custody of arms or ammunition to be implemented by the applicant;

(iv) an undertaking that the applicant or the person to whom the arms are given on hire, shall not use live ammunition;

(v) details of the place where the records in respect of the issuance of arms or ammunition will be kept for inspection by the licensing authority or by any Police Officer not below the rank of an Inspector.

- 43. Acquisition, possession and export of arms or ammunition by tourists visiting India.**— (1) A licence in Form VI may be granted to any tourist, to acquire, possess (but not use) during the course of his stay in India, carrying and export out of India, of arms and ammunition specified in category III, category IV and category V of Schedule I:

Provided that every application for the grant of a licence for export of arms specified in category IV of Schedule I shall be accompanied by a certificate from the Director-General of Archaeology of the Central Government to the effect that the arms intended to be exported do not fall within the definition of “antiquity” under the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972).

(2) The licensee shall produce the arms or ammunition, at the time of leaving India and return his licence to the passport checking authority, or other authority empowered by the district magistrate in this behalf, at the port or other place of departure from India.

(3) The passport checking authority or other authority to whom the licence is returned by the licensee, shall forward the same to the authority who issued it, with the remarks that the arms or ammunition have been duly exported.

- 44. Licence to an International sports person for participation in shooting events in India.**— (1) An application may be made in Form A-5 by any sports person of any age group from any country who is eligible to participate in the shooting competition or event or series of competitions or series of events or for training being organised in India by any sports body recognised by the Ministry of Sports and Youth Affairs, Government of India during the period of the event or competition or training and at the venue fixed for the same, and a licence may be granted to such applicant for arms and ammunition specified in category III of Schedule I so far as practicable, one month prior to the expected date of arrival of the sports person in India.

(2) The licence in the case of a group application may be issued in the name of the manager or the official accompanying the team or group and the details of the arms and ammunition may be given in an annexure attached to and forming part of the licence by the issuing licensing authority.

(3) Where a licence is granted to an International sports person or persons under sub-rule (1), the licence together with the passport and visa of such person, shall be presented to the licensing authority of the port of arrival, and the said authority shall after obtaining the undertaking in writing from the licensee that he shall not sell or transfer the arms or ammunition to anyone in India, endorse the licence making it valid for a period of six months or till the validity of visa, whichever is earlier, from the date of endorsement and shall also make an entry in the passport or the visa giving full particulars of the arms and ammunition for which the licence has been granted.

(4) The licensee shall produce the arms or ammunition at the time of leaving India along with the consumption certificate of the ammunition issued by the authority under whose control the shooting competition or event or training was conducted and return his licence to the passport checking authority, or other authority empowered by the district magistrate in this behalf, at the port or other place of departure from India.

(5) The passport checking authority or other authority to whom the licence is returned by the licensee under sub-rule (4), shall forward the same to the authority who issued it, with the remarks that the arms or unconsumed ammunition, have been duly re-exported.

- 45. Other temporary categories of import/export licences.**— (1) A licence in Form VI may be granted of arms and ammunition specified in category III of Schedule I so far as practicable, six months prior to the expected date of arrival in India, to the following persons, namely: –

(a) a foreign visitor, to display the arms and ammunition at a trade show or at a sport trade show;

(b) an official of a foreign government or a distinguished foreign visitor or a foreign law enforcement officer, on an officially approved policing assignment, on the recommendations of the Government of India in the Ministry of External Affairs;

(c) a person who, for other legitimate reasons, has received prior approval of the Government of India and where the applicant submits an undertaking to the effect that he –

- (i) has lawful possession of the arm;
- (ii) has knowledge of the safe handling, safe-storage and use of the arm in question and where applicable, its public display;
- (iii) has need to possess the arm and cannot reasonably satisfy that need by means other than the possession of an arm; and
- (iv) has attained the minimum age of twenty-one years.

(2) The validity of the licence so granted under sub-rule (1) shall commence only from the date of endorsement of the said licence at the time of arrival at any port in India and the arms and ammunition covered by the licence shall not be used till the date of endorsement of the licence.

(3) Where a licence is granted to any person under sub-rule (1), the licence together with the passport and the visa of the person, shall be presented to the licensing authority of the port of disembarkment, and the said authority shall after obtaining the undertaking in writing from the licensee that he shall not sell or transfer the arms or ammunition to any one in India, endorse the licence making it valid for a period of six months from the date of endorsement or till the validity of visa, whichever is earlier and shall also make an entry in the passport or the visa giving full particulars of the arms and ammunition for which the licence has been granted.

(4) The passport checking authority or any other officer empowered by the district magistrate in this behalf at the port or other place of departure from India shall verify that the arms entered in the licence are being taken out of India by the licensee and recover the licence and forward the same to the authority who issued it with the remarks that the arms have been duly re-exported.

46. Licence for firearm free zones.— (1) The owner or lawful occupier of a premises may submit an application in Form A-14 along with supporting documents specified therein, to have the said premises declared a Firearm Free Zone, to the licensing authority of the place of jurisdiction of the applicant –

- (i) stating the reasons why the premises must be declared as Firearm Free Zone;
- (ii) giving proof of capacity to maintain the premises as a Firearm Free Zone;
- (iii) describing the medium of communication to inform the public that the premises is a Firearm Free Zone.

(2) The obligations of the licensee shall include –

- (i) to clearly identify and demarcate the premises declared as a Firearm Free Zone;
- (ii) to ensure that notices be displayed at all the main entrances or at strategic places on the premises or category of premises both in English and local language declaring the premises as Firearm Free Zone;
- (iii) to ensure that the notices and signs are clearly visible and unobscured at all times; and
- (iv) to notify the licensing authority of change, if any, in the information submitted at the time of application.

(3) The licensing authority may issue a licence in Form XV for the Firearm Free Zone to any educational institution including schools, colleges, universities; or religious places, hospitals, courts, Government establishments, entertainment or sports venues, restaurants, hotels, shopping malls, cinema halls or such other public places on an application for such licence made under sub-rule (1).

(4) The provisions of this rule for Firearm Free Zone shall not be applicable in the following cases –

- (i) to an individual who renders security and surveillance duty to a lawful owner or occupier of the Firearm Free Zone; and
- (ii) to a law enforcement officer acting in his official capacity.

CHAPTER IV

Deposit of arms and ammunition

47. **Deposit of arms and ammunition under section 21.**— (1) When a licensing authority decides to suspend or revoke a licence or to refuse to renew it, he shall, communicate his decision in writing to the licensee, requiring him to deposit under section 21, within such time as may be specified in the order suspending, revoking or refusing to renew the licence, the arms or ammunition covered by the licence, either with the officer-in-charge of the nearest police station or with a dealer holding a licence in Form VIII, or, in case he is a member of the armed forces of the Union, in the unit armoury:

Provided that in case of death of a licensee, the arms or ammunition shall be deposited by the legal representative with the officer-in-charge of the nearest police station or with a dealer holding a licence in Form VIII, within a period of three months of the death of the licensee.

- (2) Subject to the proviso to sub-section (2) of section 21, the licensee or, in the case of his death, his legal representative shall be entitled to sell or otherwise dispose of the arms or ammunition to any person lawfully entitled to possess the same and to receive the sale-proceeds, if any, during the period specified in column (3) of the Table in case of deposit of arms and ammunition mentioned in column (2) of the said table in sub-rule (6):

Provided that if the arms or ammunition have not been disposed of or their possession by the licensee or his legal representative, as the case may be, has not become lawful within the period so specified, then such arms or ammunition shall, subject to the proviso to sub-section (3) of section 21, be forfeited to the Government by an order of the district magistrate.

- (3) Where any arm or ammunition is deposited by an owner under sub-section (1) of section 21, in a police station or unit armoury or with a dealer holding a licence in Form VIII, the officer-in-charge of the police station or unit armoury or the licensed dealer, as the case may be, shall attach to each article deposited, a card and issue a receipt to the depositor and send a copy to the authority who granted the licence or renewed it last, containing the following particulars, namely:-

- (i) Description (No. etc.) of the article;
- (ii) Particulars of licence or exemption (if any);
- (iii) Name and address of the depositor;
- (iv) Serial No. in register and date of deposit;
- (v) Date due for forfeiture or disposal;
- (vi) Signature of the depositor; and
- (vii) Signature of the dealer or officer-in-charge of police station or unit armoury.

- (4) Any arms or ammunition deposited in a unit armoury under sub-section (1) of section 21 may, unless returned or disposed of earlier, be transferred, after the expiry of a period of thirty days after such deposit, to the nearest police station.

- (5) Any arms or ammunition deposited in a police station under sub-section (1) of section 21, which have not been returned or disposed of —

- (i) within thirty days of the deposit with it; and
- (ii) transferred from the unit armoury under sub-rule (4)

may be transferred by the officer-in-charge of the police station for the sake of better maintenance or safety, to a police armoury in the district/taluqa headquarters or such other place as may be specified by the district magistrate, in accordance with such instructions as may be issued by the State Government for the purpose:

Provided that the district magistrate may, if he considers it necessary, extend the said period of thirty days up-to ninety days and intimation of such transfer shall be given to the depositor of the article and to the licensing authority who, granted or last renewed the licence.

(6) The depositor or his legal representative may exercise his rights to receive back or dispose of any arms or ammunition under sub-section (2) of section 21, within the period specified in column (3), in case of deposit of the arms or ammunition specified in column (2) of the table given below, namely:-

Table

S.No.	Reason of deposit of arms and ammunition	Effective date
(1)	(2)	(3)
1.	Due to contravention by the owner of any provisions of the Act, the rules or conditions of licence	One year from the date of such deposit
2.	Due to suspension or revocation of licence or for any other reason	One year from the date of the order of suspension or revocation
3.	Where the arms or ammunition are already deposited	One year from the date of the order of revocation, suspension or refusal to renew the licence
4.	When a notification is issued under section 4	One year from the date of said notification
5.	Where an appeal is preferred by the owner under section 18	One year from the date of the final order
6.	Where the arms or ammunition are —	
	the subject of a legal suit or dispute; or	From the date of termination of the dispute or the date of final order; or
	owned or inherited by a person who has not completed the age of twenty-one years	One year from the date of completion by that person of the age of twenty-one years
7.	Where the owner is on active service outside India	from the date of his return to India
Note 1—The period of one year may be extended by the district magistrate by another six months in case the depositor or owner is found unfit for any reasons to carry such arms or ammunition.		
Note 2 — The State Government may further extend the said period beyond six months by another six months.		

(7) Any arms or ammunition not returned or disposed of before the expiry of the period specified under sub-rule (6) shall be transferred to the district malkhana or such other place, by order of the district magistrate, for the purpose of forfeiture under sub-section (3) of section 21:

Provided that the district magistrate shall, before making such order of forfeiture, serve a notice as required under sub-section (4) of section 21 in like manner as for service of summons under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974):

Provided further that in the case of the depositor being a member of the armed forces of the Union the notice, shall be served personally, through the Commanding Officer, of such member.

(8) Charges for maintaining the articles deposited may be levied at such rates as may be fixed from time to time by the State Government.

48. Deposit of arms and ammunition for safe custody (otherwise than under section 21).— (1)(a) A person lawfully possessing arms or ammunition may deposit them for safe custody with a dealer holding a licence in Form VIII or in a police station or, if he is a member of the armed forces of the Union, in a unit armoury.

(b) Before accepting the arms or ammunition for deposit otherwise than under section 21, the dealer or officer-in-charge of a police station or unit armoury shall satisfy himself that they are possessed under a valid licence issued under the Act and these rules or under exemption from the need for such licence.

(c) Members of the armed forces of the Union may be allowed to keep their arms or ammunition in safe custody in a unit armoury only during the tenure of their service.

(2) Where the arms or ammunition have been deposited under sub-rule (1), the dealer or officer-in-charge of the police station or unit armoury, as the case may be, shall attach to each article deposited, a card, easily distinguishable from that described in rule 47 and issue a receipt to the depositor and send a copy to the authority who granted the licence or renewed it last, containing the following particulars, namely:-

- (i) Description (No. etc.) of the article;
- (ii) Name and address of the depositor;
- (iii) Particulars of licence or exemption (if any);
- (iv) Serial No. in register and date of deposit;
- (v) Date of expiry of the licence;
- (vi) Date up to which deposited;
- (vii) Signature of the depositor; and
- (viii) Signature of the dealer or officer-in-charge of police station or unit armoury.

(3) In the event of failure to get the licence renewed, the arms or ammunition shall continue to be possessed by the dealer on the authority of his licence in Form VIII or by the officer-in-charge of the police station or unit armoury; but, if the licence is not renewed, after its expiry, the dealer or the officer-in-charge of the police station or unit armoury shall bring this to the notice of the district magistrate for such action as he may consider necessary:

Provided that the articles shall in no case be returned to the owner unless the licence to possess them is renewed or a new licence is obtained.

(4) The depositor may be charged a fee for the custody of the articles deposited and maintenance thereof at the rates specified in the following table, namely:-

Table

1.	For each firearm	Two hundred rupees per month or portion thereof
2.	For every other arm or package of ammunition	One hundred rupees per month or portion thereof

(5) Any extra charges for maintenance of the articles in good condition may be levied at such rates as may be fixed from time to time by the State Government.

(6) The fee charged for depositing the arms or ammunition in the police station and unit armoury shall be deposited in the treasury.

49. Records and returns of articles deposited.— (1) The dealer or the officer-in-charge of the police station or unit armoury, shall maintain such registers as specified in rule 75.

(2) A copy of the entries in the registers relating to the quarters ending on the last day of March, June, September and December, each year, certified as true copy under the signature of the dealer or officer-in-

charge of the police station or unit armoury, as the case may be, shall be forwarded, to the district magistrate as early as possible after the expiry of each quarter.

(3) The licensed dealer or the officer-in-charge of the police station or unit armoury or officer-in-charge of police armoury in the district/taluqa headquarters, where the arms or ammunition are kept, shall submit to the district magistrate by the 15th December each year, a report showing the particulars of arms or ammunition in their custody which have, or will become liable to forfeiture by the end of that year.

(4)(a) The licensed dealer, the officer-in-charge of the police station or unit armoury or officer-in-charge of police armoury in the district/taluqa headquarters where the arms or ammunition are kept, shall establish an online electronic connectivity under his user-id with the NDAL system to provide for a weekly electronic online transfer of data regarding firearms and ammunition deposited for the week.

(b) If any circumstances occur which prevent the authorities referred to in clause (a) to submit online returns on NDAL system by means of electronic network connectivity, the local licensing authority shall be informed immediately in order to establish alternative means to submit the weekly returns.

(c) Weekly returns for the current week shall be submitted by the close of business hours on every Saturday.

50. Inspection.— (1) Arms and ammunition deposited in a police station or with a dealer and those transferred to the district malkhana and the register maintained for the purpose shall be inspected periodically by the district magistrate or other officer appointed by the State Government in this behalf in accordance with such procedure as may be prescribed by the State Government.

(2) The arms or ammunition deposited in a unit armoury and the register maintained for this purpose shall be inspected periodically by the officer commanding the unit or any other officer empowered by him in accordance with the procedure prescribed by the Government of the State, where the unit is for the time being located.

CHAPTER V

Manufacturers, Arms Dealers and Gunsmiths

PART I

Manufacture and Proof Test of firearms

51. License for manufacture and proof test.— (1) The licensing authority while granting a licence in Form VII shall show clearly in the licence form the categories and description of the arms or ammunition allowed to be manufactured or proof tested or both, by the licensee as specified in these rules.

(2) Proof-testing of firearms manufactured by a licensed manufacturer shall be carried out only in accordance with the provisions contained in rule 59 in this regard and no manufactured firearms shall be allowed to be sold which have not been duly proof tested.

(3) A copy of every licence granted in Form VII by the licensing authority shall forthwith be sent to the district magistrate of the place of manufacturing facility of the licensee and the Home Department of the State Government concerned.

(4) Entities granted fresh licences under the provisions of these rules shall be known as new manufacturers whereas the entities or persons already holding manufacturing licences under the Arms Rules, 1962 in Form IX shall be known as existing manufacturers.

(5) Separate licences shall be issued for each unit in case of an applicant company applying for a multi-unit facility for grant of a licence under this rule.

(6) A licensing committee within the Ministry of Home Affairs shall be constituted to review and process the applications for grant of licences for manufacture of arms and ammunitions for the new manufacturers and for all matters related to existing manufacturers including applications for capacity revision by issuance of general or special order under these rules.

52. Type of firearms for grant of a licence in Form VII for manufacture and proof test.— The licensing authority may grant a licence in Form VII for the following types of arms for manufacture or proof test or both, namely:—

- (i) I — Small arms
- (ii) II — Light weapons
- (iii) III — Items configured for military use:

Provided that if any of the items falling under type I, II or III include any prohibited arms or ammunition, the licensing authority shall obtain prior permission of the Central Government under section 7 of the Act before grant of a licence in Form VII.

53. Applications for a licence in Form VII.— (1) Every manufacturer applying for a fresh licence under these rules shall be an Indian company incorporated under the Companies Act, 2013 (18 of 2013):

Provided that the applicant company is owned and controlled by resident Indian citizens or by Indian companies, owned and controlled by resident Indian citizens except in respect of a company having Foreign Direct Investment (FDI) beyond forty-nine percent:

Provided further that the Chief Executive of the company is a resident Indian and the management of the applicant company is in Indian hands with majority representation on the Board excluding nominee or independent directors except in respect of a company having Foreign Direct Investment (FDI) beyond forty-nine percent.

(2) The company applying for a licence in Form VII under these rules shall provide –

- (a) original or certified copies of the company's founding documents including Memorandum and Articles of Association, Certificate of Registration of the company under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), CIN (Corporate Identification Number), proof of address of its registered office, Permanent Account Number (PAN) card and certified lists of directors and shareholders as on the date of application;
- (b) copy of Director Identification Number (DIN) of all the directors;
- (c) identification proof along with two recent photographs of all the directors and the responsible person as under:-
 - (i) Aadhar Card; or
 - (ii) in case the director or the responsible person does not have Aadhar Card, a written declaration in the form of an Affidavit to be submitted in this regard along with an alternative identification proof which may include Passport or Voter's Identification Card or Permanent Account Number (PAN) card or official Identity Card;
- (d) residence proof –

in case the director or responsible person does not have Aadhar Card or Passport, alternative residence proof to be submitted which may include Voter's Identification Card or Electricity Bill or Landline Telephone Bill or Rent Deed or Lease Deed or Property documents or any other document to the satisfaction of the licensing authority;
- (e) copy of the latest balance sheet of the company and audited copy of the Net-worth certificate duly certified by a Chartered Accountant;
- (f) estimated project outlay and means of finance for funding the project duly certified by a Chartered Accountant;
- (g) certified copy of the board resolution for making an application under these rules along with full particulars of the responsible person authorised to sign the same;
- (h) details of foreign control and/or ownership in the applicant company, as applicable, duly certified by a Chartered Accountant;

- (i) complete details of the arms and/or ammunition intended to be manufactured or proof-tested or both, including their types and quantities;
- (j) a declaration with proof thereof to the effect that it has acquired the land for setting up the manufacturing plant or for setting up proof-test facility along with details of an access road to the proposed site, installation of electricity and water connection, particulars of land development carried out and any other information deemed necessary by the licensing authority.

54. Procedure for grant of licence in Form VII.— (1) The licence for manufacture or proof-test or both shall be granted by the licensing authority to an applicant who fulfills the eligibility criteria laid down in these rules provided that no adverse remarks are received from various government agencies entrusted for verifying the antecedents of the applicant company or its directors or responsible person, as the case may be.

(2)(a) The licence granted in Form VII shall be initially valid for a period of seven years within which the licensee shall be required to setup the facility for manufacture or proof test of arms and/or ammunition, recruit technical and administrative staff, develop and proof test proto-types of arms and ammunition, conduct trial runs and any other activity related to the setting up of the facility for the manufacture or proof-test of arms and ammunition, failing which the licence shall lapse.

(b) Every subsequent renewal of the licence under this rule shall be granted for a period of five years.

(3)(a) No manufacturing facility shall be set-up in the border areas, restricted areas or prohibited areas and any area declared as 'disturbed area' by the Central Government.

(b) The manufacturer applicant may setup the facilities in Special Economic Zones (SEZ), Industrial Parks and other industrial areas in addition to any other location duly approved by the State Government concerned for this purpose.

(4) The licensee shall make an application on its letter head for commencement of commercial production accompanied by –

- (i) a declaration to the effect that the licensee has installed the plant and machinery, successfully carried out the trial run and is ready for commencement of commercial production of the items licensed for manufacture or proof-test;
- (ii) a declaration to the effect that the licensee has installed and applied the requisite quality control system for manufacture or proof test of firearms or ammunition;
- (iii) a list of particulars of the key technical personnel employed by the licensee for carrying out manufacture or proof-test facility along with the proof of their professional expertise and training undergone and identification documents as specified for directors in rule 53;
- (iv) a declaration to the effect that the licensee has fully complied with the security guidelines as contained in the Security Manual prepared by the Ministry of Defence, Department of Defence Production, for licensed defence industries.

(5) The licensing authority shall get conducted a security and appraisal audit to ensure that the applicant licensee has complied with the declaration specified in clause (iv) of sub-rule (4).

55. Other requirements as to licences granted in Form VII.— (1) The licensee shall preferably be self-sufficient in areas of product design and development and have maintenance and life cycle support facility of the product to be manufactured and the items to be manufactured shall meet the International or Indian accredited quality standards and norms with special emphasis on indigenous designing:

Provided that no infringement of patents or copyrights, shall be permissible.

(2) The licensee shall submit the standards and testing procedures for manufacture of firearms and ammunition to the Government nominated Quality Assurance Agency, which will inspect the finished product in the trial run and conduct audit of the Quality Assurance Procedures in respect of design, workmanship, aesthetics and other related parameters:

Provided that the quality specifications for manufacturing, shall be as specified by the Bureau of Indian Standards (BIS) and the Director General of Quality Assurance, Department of Defence Production or any other international quality assurance agency.

(3) The manufactured products shall contain the warranty clause accompanied by service and safety manuals and listing of parts at the time of every sale.

(4) Any restrictions under a joint venture agreement which may be imposed by the foreign partner shall have no legal consequence on the Indian entity that is granted a licence under these rules.

(5) The licensing authority may impose such additional restrictions in case of certain sensitive type of arms and ammunition, such as those configured for use by armed forces or not permitted to be possessed by civilians.

(6) The small arms and light weapons produced by the manufacturers –

(i) shall be sold to the Central Government or the State Governments with the prior approval of the Ministry of Home Affairs; or

(ii) may be allowed for export subject to the approval of the Ministry of Home Affairs in consultation with the Ministry of External Affairs, Ministry of Defence and Ministry of Commerce, on a case to case basis.

(7) The permissible category of arms and ammunition specified in Schedule I may be permitted for sale to persons or dealers, holding a valid arms licence under these rules, with the prior approval of the Central Government in the Ministry of Home Affairs.

(8) Prior approval of the licensing authority shall be mandatory for any change in the directorship of the company or any change in the key managerial personnel as defined in clause (51) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or any change in the responsible person of the company.

(9) Prior approval of the licensing authority shall be mandatory for any change in control or ownership, either directly or indirectly, of the company or any change in shareholding resulting into dilution of promoters shareholding (both Indian and foreign) or any change in shareholding of the company or any change in the beneficial interest in the shareholding of the company beyond five percent (5%).

(10) (a) A licence granted in Form VII shall not be transferable from the licensee to another company, without the written authorisation of the licensing authority.

(b) An application for transfer shall be accompanied by complete documents and be subject to the same conditions as applicable at the time of initial grant of licence specified in rule 53.

(c) While considering an application for transfer of a manufacturing licence, the licensing authority shall assess the eligibility of the company, to whom the licence is to be transferred.

56. Obligations of licensees having licensee Form VII. — (1) The validity of a licence granted in Form VII shall be subject to the manufacturer's compliance with the conditions contained in these rules and in the licence.

(2) The licensee having a licence in Form VII shall mark all firearms and ammunition that it manufactures in the manner as specified in rule 58.

(3) The licensee company shall comply with the Foreign Direct Investment (FDI) policy of the Government of India and the regulations framed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) as notified by the Reserve Bank of India in case of foreign direct investment in the said company.

(4) The licensee shall comply with the security guidelines as contained in the Security Manual prepared by the Ministry of Defence, department of defence production, for licensed defence industries.

(5) The licensee shall maintain records of all firearms, their parts, components and/or ammunition manufactured by it as specified in rule 65 in addition to the conditions specified or forming part of the licence in Form VII.

(6) The licensee shall store all firearms, their parts, components and/or ammunition manufactured by it as specified in Form VII.

(7) The licensee shall permit, and shall cooperate fully with, inspections carried out by the licensing authority (or such other body as may be designated by it) of the licensee's facilities, particularly in respect to the safe and secure storage of firearms and ammunition.

(8) The licensee shall immediately notify the licensing authority on occurrence of any theft, loss or unintentional destruction of firearms or ammunition stored at its premises.

(9) The licensee shall notify the licensing authority within three working days on occurrence of any of the following events, namely:-

(i) change of address of its registered office;

(ii) change in the directors, in which case the licensee shall provide the licensing authority with the names and addresses of each new director, along with the particulars and documents specified in rule 53 for directors.

(10) The licensee shall ensure that all employees who have access to completed manufactured firearms or ammunition within the manufacturing or proof-testing facility are technically competent to handle the same.

(11) The work-in-progress and finished goods inventory for each type of firearm and ammunition at any given time shall not exceed two times of the total annual turnover in the last financial year or annual licensed capacity, whichever is lower:

Provided that in case of a company having multi-unit facility, total of the annual licensed capacity or total turnover of the company shall be considered.

(12) The licensee shall maintain complete database of inventory and distribution chain down to the dealer/end user for domestic distribution and end users in case of export.

(13) The licensee shall carry out only batch production in a manufacturing cycle.

57. Import of machinery for manufacturing arms and ammunition and other parts etc.— (1) The licensee having a licence in Form VII shall submit an application along with the complete list of machinery to be installed, to be procured locally or imported.

(2) The licence for acquisition, possession, import or transport of machinery shall be issued in Form I.

(3) Import of arms specified in category II of Schedule I and raw material in the form of metal, alloy, fiber, polymers, wood and other allied items, for manufacturing of such arms, shall be allowed subject to the provisions of the Foreign Trade Policy notified under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (22 of 1992) from time to time by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) and on the recommendations of the Ministry of External Affairs (MEA) taking into account international obligations and commitments.

(4) The Ministry of Home Affairs may, on an application containing full technical details allow import of such parts of arms and ammunition which are not possible to be manufactured locally, after obtaining the opinion of the Department of Defence Production by grant of an authorisation for such import in accordance with the procedure for import under these rules.

58. Marking of firearms and ammunition at the time of manufacture.— (1) All firearms shall have applied to them, at the time of their manufacture, unique markings containing the following information, namely:-

(i) the country of manufacture;

(ii) the name of the manufacturer;

(iii) a serial number unique to the manufacturer;

(iv) year of manufacture;

(this information may be incorporated into the serial number)

(v) firearm type/model;

(vi) caliber;

(vii) proof-marks; and

- (viii) such other additional information if the firearm is intended for an Indian domestic State entity viz. military, Central Armed Police Forces, Police etc.

(2) Markings shall be expressed alphanumerically (i.e. they may consist of both letters and numbers) in the format given in the table below:-

TABLE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
XX	XXXX	99	99	99999	99
Country of Manufacture (2 digit ISO Country Code) IN for India	Manufacturer's Name or code	Year of manufacture (2 numbers)	Type/ Model/ Code	Serial Number	Caliber

(3) Markings shall be applied to a component of the firearm that is essential to its operation, such as —

- (i) the frame/receiver;
- (ii) barrel;
- (iii) slide, cylinder, bolt or breech block; and
- (iv) any other part or component essential to the operation of the firearm.

(4) Markings shall be applied to an exposed surface of the firearm by using the stamping method at the time of their manufacture and stamped marking shall have a depth of at least 0.20 mm.

(5) The applied marking shall be —

- (i) conspicuous without technical aids or tools;
- (ii) easily recognisable;
- (iii) readable;
- (iv) durable; and
- (v) recoverable (as far as is technically possible).

(6) The smallest packaging units of ammunition for firearms shall be marked containing the following information, namely:-

- (i) country of manufacture;
- (ii) name of the manufacturer;
- (iii) lot or batch number unique to the manufacturer;
- (iv) year of manufacture;
(this information may be incorporated into the lot or batch number),
- (v) caliber; and
- (vi) type.

(7) Individual cartridges may also be marked, which may include the following information, namely: –

- (i) country of manufacture;
- (ii) name of the manufacturer;
- (iii) lot or batch number unique to the manufacturer;
- (iv) caliber; and
- (v) type.

59. Proof test of firearms.— (1) A new manufacturer may set up a proof test facility for gun barrels or completed firearms.

(2) The facility shall be located within its premises separately from its arms manufacturing unit.

(3) A manufacturer who intends to set-up a proof testing facility shall make an application in Form A-6 along with the application for arms and ammunition manufacturing licence.

(4) The application under sub-rule (3) for proof-testing facility shall be examined by the Ministry of Home Affairs in consultation with the Directorate General of Quality Assurance (DGQA), Ministry of Defence and in accordance with the guidelines specified for manufacturing licence.

(5) The existing manufacturers shall get their barrels or completed firearms proof tested either from the ordnance factories or other proof houses having proof test facilities under these rules.

(6) Every licensee having proof-testing facility shall be responsible for the security and disposal of waste such as rejected barrels or completed firearms.

(7) Every licensee having a proof-test facility shall maintain a proof test register in the format of a secure electronic database in addition to the records specified in rule 65 for sale or disposal of completed arms and ammunition.

(8) The record to be maintained by the licensee under sub-rule (7) shall include the following particulars, namely:-

- (i) Serial numbers of gun-barrels or completed firearms manufactured;
- (ii) Date, month and year of manufacture;
- (iii) Date of despatch of gun-barrels or completed firearms to proof house;
- (iv) Number and date of licence (*Transport Licence in Form XIII*) under which gun-barrels or completed firearms sent for proof test;
- (v) Date of receipt of gun-barrel or completed firearms after proof test;
- (vi) Result of proof test;
- (vii) Date of completion of gun if only the gun-barrel has been proved;
- (viii) Date on which completed firearm transferred to register for sale or transfer maintained under rule 65;
- (ix) Serial number in rectification register in case gun-barrel or completed firearm was not accepted in proof on initial submission;
- (x) Remarks of inspecting officer;

(9) Every licensee under this rule shall maintain a rectification register containing details of the barrels or completed firearms not passed by proof house, which shall include the following particulars, namely:-

- (i) Serial number;
- (ii) Serial number stamped on gun-barrel or completed firearm to be rectified;
- (iii) Number and date of proof house communication indicating rectifications to be made;

- (iv) Date on which gun-barrel or completed firearm re-submitted for proof test after rectification;
- (v) Date of receipt of gun-barrel or completed firearm after proof test and the result of proof test;
- (vi) Date of completion of firearm if gun-barrel or completed firearm has been proved;
- (vii) Date on which completed firearm transferred to Register for sale and transfer maintained under rule 65;
- (viii) Remarks

(10) The proof-test and the rectification records shall be inspected by the district magistrate of the area, or by an officer nominated by him in this behalf, during July and January every year and during one surprise inspection in a calendar year to verify the following, namely:-

- (i) serial numbers on gun-barrels or completed firearms are stamped in the strict order in which they are manufactured;
- (ii) entries of sale or transfer are made promptly and tally with record of such transactions under rule 65;
- (iii) the conditions of the licence are strictly complied with.

(11) A Transport licence in Form XIII may be issued by the licensing authority on an application for transport of gun-barrels or completed firearms to proof house provided the licence in Form VII is valid on the date of issuance of such Transport licence.

(12) Transport licence issued under sub-rule (11) for transport of gun-barrels or completed firearms to proof houses shall indicate separately total quantity of gun-barrels or completed firearms to be despatched for proof test for the first time and for rectification of defects.

(13) The licensee shall be eligible to submit gun-barrels or completed firearms for proof test after rectification of defects without any limit on the number of occasions for such submission:

Provided that the licensee shall complete the necessary rectifications within a period of two years from the date of communication of first test results of the defects issued by the concerned proof house.

(14) The gun-barrels or completed firearms for proof test which are unfit or beyond rectification, shall be mutilated by the proof house and the decision of the officer-in-charge of proof house concerned in this regard shall be final:

Provided that the mutilated parts that are capable of being utilised, shall be returned by the proof house to the licensee.

(15) The sale or transfer of proof tested gun-barrels alone shall be prohibited and the gun-barrels after proof test shall be assembled as a complete gun only by the licensee authorised to manufacture it.

(16) The gun-barrels or completed firearms manufactured during a calendar year shall be proof-tested within a period of eighteen months from the date of the manufacture, failing which, it shall be considered to have been manufactured during the calendar year of the proof-test.

60. Capacity revision and applicability of new norms to existing manufacturers.— (1) The existing manufacturers may apply for grant of a fresh licence in Form VII in accordance with the procedure specified in rule 51.

(2) The existing manufacturer may apply for enhancement or restoration or revision or re-fixation of its licensed capacity by an application made in this regard with the Government of India in the Ministry of Home

Affairs with the recommendation of the State Government concerned, along with the following documents, namely:-

- (i) a copy of the existing manufacturing licence;
- (ii) certified copies of the annual accounts of the licensee for the last five years duly certified by a Chartered Accountant;
- (iii) details of the plant and machinery and manufacturing facility;
- (iv) certified copies of the stock records, manufactured items and sales turnover for the last five years duly certified by a Chartered Accountant;
- (v) detailed proposal for enhancement of manufacturing capacity, project outlays, means of finance and justification for economic viability and market demand projections for enhancement in capacity production duly certified by a Chartered Accountant;
- (vi) track record and preparedness to comply with the security guidelines for manufacturers in Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) sector;
- (vii) declaration to comply with the provisions contained in these rules.

(3) Every application under sub-rule (2), shall be examined by the licensing committee referred to in sub-rule (6) of rule 51, which may allow the capacity revision provided the existing licensed capacity is fully utilised by the manufacturer.

(4) Every manufacturer having licence in Form IX under the Arms Rules, 1962 shall be issued a fresh licence in Form VII within a period of one year of notification of these rules or at the time of renewal of the licence, whichever is earlier by the licensing authority and any permission or exemption granted for procurement of raw materials to the existing manufacturers shall be deemed to have been issued under the corresponding provisions of these rules.

61. Licence in case of an individual or a sole proprietor.— (1) In case the existing manufacturer having a licence in Form IX under the Arms Rules, 1962 is an individual or a sole-proprietorship concern, the licence shall expire *ipso-facto* on the death of the licensee.

(2) The legal heirs of the licensee under this rule may prefer an application for grant of a fresh licence in Form VII to the Central Government in the Ministry of Home Affairs, which may consider such application on case to case basis.

62. Admission of partners in case of existing manufacturer.— (1) In case the existing manufacturer having a licence in Form IX under the Arms Rules, 1962 is a partnership firm, additional partners may be admitted in case of death of a partner wherein legal heirs of the deceased partner may be admitted as a partner or partners in the firm subject to prior approval of the Central Government in the Ministry of Home Affairs.

(2) An existing partner, during his life time, may induct his legal heirs as an additional partner under this rule, on obtaining written consent of all other existing partners, if any, in the partnership firm subject to prior approval of the Central Government in the Ministry of Home Affairs.

63. Conversion of partnership firm into a private limited company.— (1) Any existing manufacturer, being a partnership firm, may make an application to the Central Government in the Ministry of Home Affairs with the recommendations of the State Government concerned for grant of permission to convert the firm into a private limited company and the Central Government may grant such permission provided that the Memorandum and Articles of Association of the newly incorporated Company contain that—

- (a) only the existing partners or family members are on the Board of Directors of the company;
- (b) restriction on the directors to transfer shares, assets or profits of the company to any outside person and on submission of an undertaking to the effect that the applicant company has complied with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) in this regard.

(2) No sale or transfer of the factory premises, inventory, machinery or other assets of the private limited company, referred to in sub-rule (1) shall be permissible without the prior approval of the Central Government.

- 64. Restoration of licence of a discontinued business of an existing manufacturer.**— In case of a discontinued business, the legal heir of the deceased licensee, if he is a major, may make an application for the grant of a fresh licence in Form VII to the Central Government in the Ministry of Home Affairs within twelve months of the death of the licensee and in case the legal heir is a minor, within twelve months from the date of his attaining majority.
- 65. Record of transactions to be maintained by licensees holding licence in Form VII.**— (1) The manufacturer shall keep a register in the format of a secure electronic database known as the 'Firearms Stock Register', wherein the following particulars shall be recorded: –
- (a) on the debit side, against a stock number, the date of manufacture, make, caliber, model and manufacturer's serial number; and
 - (b) on the credit side, against the stock number referred to in sub-rule (a), –
 - (i) the date of sale of firearm;
 - (ii) the name and address and licence number of the dealer to whom the firearm is sold;
 - (iii) the particulars of the Government department to whom the firearm is sold;
 - (iv) the particulars and address of the person to whom the firearm was exported together with the particulars of the export licence issued under these rules by the licensing authority.
- (2) The manufacturer shall keep a register in the format of a secure electronic database known as 'the Ammunition Stock Register', wherein the following particulars shall be recorded:—
- (a) on the debit side,—
 - (i) the caliber, make and quantity of all ammunition manufactured, purchased or acquired;
 - (ii) the lot number and the date of manufacture or receipt; and
 - (iii) in the case of the ammunition being purchased or acquired –
 - (A) the person from whom it was purchased or acquired; and
 - (B) the reason for the purchase or acquisition.
 - (b) on the credit side, –
 - (i) the lot number and the date of sale or use by the manufacturer of the ammunition;
 - (ii) the caliber, make and quantity of ammunition sold or used by the manufacturer;
 - (iii) the name, address and licence number of the dealer to whom the ammunition is sold; or
 - (iv) the particulars of the Government department to whom the ammunition is sold; or
 - (v) the name and address of the person to whom the ammunition was exported together with the particulars of the export licence issued under these rules by the licensing authority;
 - (vi) the date of collection and the signature of the dealer or relevant Government official to whom the ammunition was delivered.
- (3) (a) The manufacturer shall keep updated stock sheets of all manufactured firearms and main firearm components.
- (b) The registers referred to in sub-rules (1) and (2) shall be kept at the business premises specified in the licence.
- (c) All particulars of firearms and ammunition shall be recorded immediately by the licensee on manufacture, receipt, transfer or use, as the case may be.
- (4) (a) The manufacturer shall establish an online electronic connectivity under his user id with the NDAL system and shall provide for a weekly electronic online transfer of data regarding firearms manufactured and sold or transferred and ammunition manufactured and sold or transferred or consumed for the week, as recorded in the registers referred to in sub-rules (1) and (2) .

(b) If any circumstances occur which prevent a licensee to submit online returns on NDAL system by means of electronic network connectivity, the local licensing authority shall be informed immediately in order to establish alternative means to submit the weekly returns.

(c) Weekly returns for the current week shall be submitted by the close of business hours on every Saturday.

66. Enforcement powers as to inspection and confiscation.— (1) (a) The licensing authority shall from time to time, conduct inspections of manufacturing facilities and records, in order to ensure compliance with the conditions of the licence under the Act.

(b) The inspection may include verification of inventory records, mechanism of marking of firearms, review of security norms, personnel records and any other areas of relevance deemed appropriate by the inspecting team or as per the instructions contained in the audit and inspection programme decided by the licensing authority.

(2) Firearms, their parts, components or ammunition that have been illicitly manufactured shall be permanently confiscated by the enforcement agencies.

(3) (a) Firearms, their parts, components or ammunition that are suspected of having been illicitly manufactured may be seized temporarily in respect of the following cases, namely:-

- (i) if a manufacturing licence is suspended, revoked or cancelled, or if it expires; or
- (ii) the holder of a manufacturing licence is convicted of an offence; or
- (iii) the licensing authority has grounds to believe that an offence has been or is about to be committed and that the items to be seized are either evidence of this or are themselves the subject matter of the offence involved.

(b) Seized items that are found to have been illicitly manufactured shall be confiscated and the items that are found not to have been illicitly manufactured shall be promptly returned to their owner.

(4) (a) Firearms, their parts, components or ammunition that have been illicitly manufactured shall be promptly disposed of, preferably through destruction in accordance with these rules.

(b) A method of disposal other than destruction may be used, provided that the firearms are first marked and registered, and the method of disposal is recorded.

PART II

Manufacture of Replica of Firearms

67. Licence to manufacture replica of firearms.— (1) A licence in Form VII-B may be granted to any person, to manufacture replicas of antique (muzzle loading) and contemporary (breech-loading) firearms for domestic market and export purposes.

(2) The persons not holding any licence or persons holding a licence in Form I for possession of machinery, or in Form IX for manufacture of firearms, under the Arms Rules, 1962 shall apply for a new licence in Form VII-B for manufacture and sale of replica of firearms within one year from the date of the notification of these rules.

68. Inspection of samples of replica of firearms.— (1) The manufacturers of replicas of firearms shall keep not more than fifty samples of each type of replicas at any given time.

(2) The manufacturer of replica of firearms shall, before commencement of manufacture, cause inspection by Directorate of Inspection, Department of Defence Production, Ministry of Defence of sample of each type of replica at the cost to be borne by the manufacturer, by submitting to the Directorate of Inspection —

- (i) three specimens of each type of replica proposed to be manufactured;
- (ii) five copies of photos or drawings of each type of replica describing its main parts; and
- (iii) the original and one copy of the licence issued in Form VII-B.

(3) After inspection, the Directorate of Inspection shall certify on the photos or drawings the innocuousness of the replicas and such certificates shall be sealed on each of the three specimens of replica submitted for inspection.

(4) One sample of each type of replica inspected along with a certified copy of its photo or drawing shall be delivered to the Ministry of Home Affairs for retention.

(5) The original licence in Form VII-B along-with the remaining two samples of inspected replicas and two copies of certified photos or drawing shall be sealed and delivered to the manufacturer who shall deposit one inspected specimen, one certified copy of its photo or drawing with the district magistrate of the district in which the replicas are to be manufactured.

(6) The third inspected specimen and one copy of the certified photo or drawing shall be retained by the manufacturer.

(7) The Directorate of Inspection shall retain the copy of the licence in Form VII-B and two copies of the certified photos or drawing.

69. Markings of replicas of firearms.— (1) The name of manufacturer shall be engraved on each replica manufactured for sale as below:

“Replica of fire-arm manufactured by Messrs

(Name of the firm and city) India”.

(2) The manufacturer shall also engrave on each replica –

- (i) type of replica;
- (ii) manufacturer’s serial number; and
- (iii) date of the inspection of the specimen by the Directorate of Inspection.

Illustration:

If four different types are approved after inspection, the specimens will be described as A, B, C and D and the following shall be engraved on each replica in addition to the name of manufacturer vide sub-rule (1):-

"A/001 (DD-MM-YYYY)" where,—

‘A’ represents the type of approved replica;

'001' represents the serial number; and

the date within brackets indicates the date of certificate of inspection recorded by the Directorate of Inspection.

70. Maintenance of records by manufacturer of replicas of firearms.— (1) The manufacturer shall maintain records of manufacture and sale of replicas in the format given in the following table, namely:—

Table

Serial No. of firearm replica manufactured	Date of manufacture	Date of disposal	Name and address of purchaser if sold to individual in India	Name and address of arms dealers to whom supplied for sale or export	Particulars of export permission received if exported directly	Particulars of certificate of innocuousness	Balance Stock in hand
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- (2) The records shall be inspected by the licensing authority of the jurisdiction of the licensee.
- (3) The replicas manufactured, which correspond to inspected samples shall be allowed to be sold in India or exported to foreign countries.
- (4) (a) The licensee shall establish an online electronic connectivity under his user-id with the NDAL system and provide for a weekly electronic online transfer of data regarding replicas of firearms manufactured and sold for the week, as recorded in the register referred to in sub-rule (1).
- (b) If any circumstances occur which prevent a licensee to submit online returns on NDAL system by means of electronic network connectivity, the local licensing authority shall be informed immediately in order to establish alternative means for submission of the weekly returns.
- (c) Weekly returns for the current week shall be submitted by the close of business hours on every Saturday.

71. Procedure for making replicas of firearms innocuous.— The replicas of firearms may be made innocuous through any of the following methods, namely:-

- (i) by cutting a slot of the size of 12 mm x 6 mm on the underside of the barrel at a distance of 25 mm from the breech end in case the barrels of replicas are made of the same metal which is used for manufacture of barrels of firearm; or
- (ii) by manufacturing barrels of replicas with soft metals like brass; or
- (iii) by eliminating channel in the barrel or by not linking the channel with fire mechanism or by eliminating firing mechanism; or
- (iv) by providing a solid barrel or by making the rear portion of the barrel solid while the front portion of the barrel is given the shape of a normal barrel.

72. Sale and export of replicas of firearms.— (1) The grant of licences for export of firearms replica under these rules shall be subject to the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992).

(2) Every transaction of sale or export shall be accompanied by a certificate from the manufacturer of firearm replica under his seal and stamp certifying that the replicas being sold or exported have been rendered innocuous as firearms and correspond to the sample inspected by the Directorate of Inspection, Department of Defence Production and shall contain the following particulars: —

- (i) serial number of replica;
- (ii) date of inspection of sample;
- (iii) year of manufacture; and
- (iv) name of the manufacturer.

(2)(a) The licensed capacity for the licences granted for manufacture of replica of muzzle loading firearms shall be restricted to a minimum quantity of 250 pieces per month and a maximum quantity of 500 pieces per month.

(b) The licensed capacity for the manufacture of replica of contemporary or modern firearms shall be as approved by the licensing authority as specified in column (5) of Schedule II.

PART III

Arms and Ammunition Dealers

73. Grant of licences to arms and ammunition dealers.— (1) An application for grant of a licence in Form VIII for arms and ammunition dealers shall be made in Form A-8, along with the following documents, namely:-

- (i) a written declaration along with self-certified copies of drawings stating that the applicant has facilities available of a strong room for the safe custody of the firearms and ammunition;

- (ii) a written undertaking with specific reference to the steps taken in connection with the safe custody of the firearms and ammunition including provision for access control, close circuit television system, security guards, fire-fighting devices, etc.;
- (iii) verification forms containing the name and address of every person authorised to trade on behalf of the applicant at the premises, who must possess the requisite training for safe handling of firearms:

Provided that the Central Government may specify additional conditions on the conduct of business by the dealers having place of business in any area declared as a 'disturbed area' under the Armed Forces Special Powers Act, 1958 (AFSPA) (28 of 1958) or under section 24A or 24B of the Act, by passing a general or special order in this regard.

(2) An application for renewal of licence in Form VIII shall be made at least sixty days prior to the expiry of the said licence with the licensing authority along with the documents mentioned in sub-rule (1).

(3) The licence granted in Form VIII shall be valid for a period of five years and it shall specify the types of arms and/or ammunition that may be sold or kept for sale and that may be deposited for safe custody under rule 48 or under Section 21.

74. Licence for restricted category of firearms and ammunition to arms and ammunition dealers.— The Central Government in the Ministry of Home Affairs may, by a licence granted by it in Form VIII authorise selected dealers to buy, sell or keep for sale a specified amount of firearms and ammunition of category I(b) or I(c) specified in Schedule I and the said licensee shall not sell or transfer any firearms or ammunition of such category to any person, without obtaining a prior confirmation from the licensing authority of the jurisdiction of the holder of the licence that the licensee has been issued the said licence to possess such restricted firearm or ammunition.

75. Records of transactions to be maintained by arms and ammunition dealers.— (1) The licensee shall keep a register named as 'the Firearms Stock Register', containing the following particulars, namely:—

(a) on the debit side, —

- (i) a stock number that must be clearly affixed by means of a temporary marking on the firearm;
- (ii) the make, type, caliber of the firearm, as well as every manufacturer's serial number or additional identification mark that is reflected on the firearm;
- (iii) the date of receipt of the firearm;
- (iv) in case of trade transfer, the full name, licence number, period of validity of licence, UIN and physical address of the manufacturer or dealer from whom the firearm was purchased or acquired along with the particulars of the purchase invoice, challan, transport documents and details of the transport licence in Form XII, if applicable;
- (v) in case of private transfer, the full name, licence number, period of validity of licence, UIN, physical address of the licensee, the authorisation to sell issued by the concerned licensing authority to the licensee or his legal heirs from whom the firearm was purchased or acquired and the signature of the person from whom the firearm was acquired.

(b) on the credit side, against the stock number referred to in sub rule (1),—

- (i) the date of sale of firearm;
- (ii) in case of trade transfer, the full name, licence number, period of validity of licence, UIN and physical address of the dealer to whom the firearm was sold or transferred along with the particulars of the sale invoice, challan, transport documents and details of the transport licence in Form XII, if applicable;
- (iii) in case of private transfer, the full name, licence number, period of validity of licence, UIN, physical address of the licensee, details of the authorisation to purchase and the purchase period mentioned on licence issued by the concerned licensing authority to the licensee to whom the firearm was sold or transferred along with the particulars of the sale invoice and the signature of the person to whom the firearm was sold;

(iv) the signature of the person responsible for the transfer of the firearm shall be affixed to the recorded particulars mentioned in clauses (i) to (iii) as applicable.

(2) The licensee shall keep a register named as 'the ammunition register', containing the following particulars, namely:—

(a) on the debit side, —

- (i) the date of receipt of the ammunition;
- (ii) in case of trade transfer, the full name, licence number, period of validity of licence, UIN and physical address of the manufacturer or dealer from whom the ammunition was purchased or acquired along with particulars of the purchase invoice, challan, transport documents and details of the transport licence in Form XII, if applicable;
- (iii) in case of private transfer, the full name, licence number, period of validity of licence, UIN, physical address of the licensee, and the signature of the person from whom the ammunition was acquired.

Note: Full details of the ammunition containing its caliber, make and quantity are required to be mentioned on all the documents and the register;

(b) on the credit side, —

- (i) the date of sale of ammunition;
- (ii) in case of trade transfer, the full name, licence number, period of validity of licence, UIN and physical address of the dealer to whom the ammunition was sold or transferred along with particulars of the sale invoice, challan, transport documents and details of the transport licence in Form XII, if applicable;
- (iii) in case of private transfer, the full name, licence number, period of validity of licence, UIN, physical address of the licensee, details of the authorisation to purchase and the purchase period mentioned on licence issued by the concerned licensing authority to the licensee to whom the ammunition was sold or transferred along with particulars of the sale invoice and the signature of the person to whom the ammunition was sold;
- (iv) the signature of the person responsible for the transfer of the ammunition shall be affixed to the recorded particulars mentioned in clauses (i) to (iii) as applicable.

Note: Full details of the ammunition containing its caliber, make and quantity are required to be mentioned on all the documents and the register.

(3) In case of trade transfers mentioned in sub-rule (1) and sub-rule (2), the dealer making such sale or transfer shall satisfy himself prior to entering into such transaction that the quantity of the firearms or ammunition to be sold or transferred does not exceed the total licensed quantity of the purchasing dealer as mentioned on his licence on the date of sale or transfer.

(4) No trade transfers of firearms and ammunition shall be made under this rule unless accompanied by a sales invoice.

(5) The registers maintained under sub-rules (1) and (2) shall be kept at the business premises specified on the licence and every page of such register shall be numbered in sequence with entry recorded in ink and any amendment effected by means of interlineations or crossing out in ink and not by way of erasure and be initialed by the person effecting it.

(6) No person may remove or cause to be removed any page from any register contemplated in this rule and removal of any page there from shall be deemed, in the absence of evidence to the contrary, to have been removed by or on the authority of the licensee who is obliged to keep such register.

(7) All particulars to be entered in a register under this rule, shall be recorded immediately on receipt, transfer or sale, as the case may be, of the firearm or ammunition concerned and in addition to the particulars specified in sub-rules (1) and (2) shall depict the daily balance of stock in hand of firearms and ammunition.

(8)(a) The licensee shall establish an online electronic connectivity under his user id with the NDAL system and shall provide for a weekly electronic online transfer of data of the transactions made regarding firearms and ammunition for the week, as recorded in the registers referred to in sub-rules (1) and (2).

(b) If any circumstances occur which prevent a licensee to submit online returns on NDAL system by means of electronic network connectivity, the local licensing authority shall be informed immediately in order to establish alternative means for submission of the weekly returns.

(c) Weekly returns for the current week shall be submitted by the close of business hours on every Saturday.

76. Licence to keep in custody arms and ammunition.— (1) The licensee in Form VIII shall not accept for deposit arms or ammunition under the provisions of section 21 of the Act and for safe custody under rule 48 without satisfying himself that there is no *mala fide* intention on the part of the depositor or any person on whose behalf the deposit is being made.

(2) The licensee shall keep separate registers for arms and ammunition deposited under section 21 and for safe custody under rule 48.

(3) The registers referred to in sub-rule (1) shall contain the following particulars, namely:—

- (i) the date of receipt of firearm;
- (ii) the full name and address of the person from whom the arms or ammunition were acquired;
- (iii) the make, type, caliber of the firearm, as well as, every manufacturer's serial number or additional identification mark that is reflected on the firearm;
- (iv) the number, date of issue, validity period of the licence and UIN of the licensee and signature of the person from whom the firearm was acquired;
- (v) the date of return, transfer or disposal of the arms or ammunition; and
- (vi) the signature of the person to whom the arms or ammunition were returned, transferred or disposed.

(4) The registers under sub-rule (2) shall be kept at the business premises specified on the licence and every page of such register shall be numbered in sequence with entry recorded in ink and any amendment effected by means of interlineations or crossing out in ink and not by way of erasure and initialed by the person effecting it.

(5) No person may remove or cause to be removed any page from any register contemplated in this rule and if any page is removed there from, it shall be deemed, in the absence of evidence to the contrary, to have been removed by or on the authority of the licensee who is obliged to keep such register.

(6) All particulars that must be entered in a register under this rule shall be recorded immediately on receipt, return or disposal, as the case may be, of the firearm or ammunition concerned and in addition to the particulars specified in sub-rule (3) depict the daily balance of stock in hand of firearms and ammunition kept under deposit.

(7) (a) The licensee shall establish an online electronic connectivity under his user-id with the NDAL system and shall provide for a weekly electronic online transfer of data regarding firearms and ammunition deposited or released during the week, as recorded in the registers referred to in sub-rule (2).

(b) If any circumstances occur which prevent a licensee to submit online returns on NDAL system by means of electronic network connectivity, the local licensing authority shall be informed immediately in order to establish alternative means for submission of the weekly returns.

(c) Weekly returns for the current week shall be submitted by the close of business hours on every Saturday.

PART IV

Accredited Gunsmiths

77. Licence for carrying out minor repairs.— (1) A licence in Form IX-A entitles the licensee gunsmith to carry out minor repairs to firearms and accept and store such firearms.

(2) The licence also entitles the gunsmith to acquire and keep in stock ammunition to test firearms.

- 78. Licence for carrying out major repairs, conversion, etc.—** (1) Where a licence is granted in Form IX for conversion or carrying out major repair, of any category of firearms or ammunition, it entitles the licensee gunsmith to fabricate components or parts, for the purpose of conversion or major repair of such firearms but not to manufacture such components or parts to be utilised for assembling into complete firearms or ammunition of any category.
- (2) The licence also allows the licensee for deactivation and storage of firearms.
- (3) The applicant applying for a licence in Form IX must possess professional technical expertise to act as a gunsmith from a national or international institute or body legally recognised for imparting the professional or technical training.
- (4) The Central Government in the Ministry of Home Affairs shall notify the technical course contents and institutions recognised for imparting the training and expertise referred to in sub-rule (3) by passing a general or special order in this regard.
- (5) Where a licence is granted in Form IX to shorten a firearm, the licence shall specifically state that the licensee is permitted to shorten a firearm:
- Provided that the licensee, shall not be permitted to shorten the barrel length of any shotgun or rifle, to less than 20 inches.
- (6) Where such a licence is granted for conversion of ammunition, it shall not entitle the licensee to convert blank cartridges or any ammunition having no projectile into single or multiple projectile ammunition or to load or re-load any ammunition.
- (7) The licensee having a licence in Form IX is entitled to accept and store a firearm and keep in stock any part of a firearm, including a main frame component, for the purpose of performing his work.
- (8) The licence also entitles the gunsmith to acquire and keep in stock ammunition to test firearms.
- (9) The licensee shall not alter or re-engage or remove the serial number or any other identification mark of a firearm without the prior written permission of the licensing authority.
- (10) Firearms and ammunition may only be test-fired by the licensee at an accredited shooting range or test bench or cabinet, only in such manner and subject to such conditions, as are specifically mentioned in his licence.
- (11) The licensee gun smith who carries out alteration of the mechanism, caliber or barrel length of a firearm, before the conclusion of the work, shall notify the licensing authority in writing of –
- (i) the particulars of the firearm, including the type, name, caliber and manufacturer's serial number or additional identification number;
- (ii) the name and address of the licensee along with his UIN, licence number and date of the issue of the licence in respect of the firearm;
- (iii) the particulars of the work performed on the firearm.
- (12) The licensee holding a licence in Form IX may deactivate a firearm only with the prior permission of the licensing authority.
- 79. Other conditions for licences issued in Form IX and IX-A.—** The validity of the licence granted in Form IX or Form IX-A shall be for a period of five years and shall specify the types of arms that may be converted, repaired (major or minor), tested (other than proof test) or to be kept for conversion, shortening, repairing (major or minor) or test (other than proof test) along with the description of ammunition allowed to be possessed for testing the repaired firearms or the description of ammunition allowed to be converted, as per the type of licence granted under this category.
- 80. Unserviceable or defective and deactivated firearm.—** (1) No firearm shall be categorised as unserviceable or defective or deactivated firearm unless it is certified by the licensing authority in writing in this regard.
- (2) Any licensee who wishes to get his firearm declared as unserviceable or defective or deactivated may make an application to the licensing authority for grant of permission for declaring it as unserviceable or defective

or carrying out deactivation of the firearm and the licensing authority may grant the permission for declaring such firearm as unserviceable or defective or carrying out deactivation of the firearm.

(3) A firearm shall only be deactivated by a gunsmith and in the manner specified under rule 81.

(4) Where the gunsmith declares a firearm to be un-serviceable or defective or deactivates a firearm, he shall issue a certificate in this regard to the licensee indicating therein the reasons for declaring such firearm to be un-serviceable or defective and in case of deactivation of the firearm, shall certify that the procedure for deactivation specified under rule 81 has been complied with and shall forthwith inform the licensing authority within seven days along with copy of the certificate.

(5) The licensee on receipt of the certificate referred to in sub-rule (4) shall within seven days of the receipt thereof, submit the said certificate along with the firearm for inspection to the licensing authority:

Provided that the licensing authority shall forward the firearm for ballistic testing wherever required.

(6) The licensing authority on being satisfied after having inspected the firearm declared as unserviceable or defective or deactivated firearm and on the basis of the certificate and the ballistic report submitted to him, shall pass orders for destruction of unserviceable or defective firearms in the manner specified in rule 104 and shall pass orders for deletion from the licence of the firearms so ordered for being destroyed or deactivated.

81. Technical procedure for deactivation of firearms.— (1) A firearm shall be deactivated in the following manner, namely:-

- (i) Barrel and chamber: A tight fitting metal plug to be inserted from the rear end and welded in place to prevent chambering of a cartridge or loading of a powder charge;
- (ii) Revolver cylinder: A tight fitting metal plug to be inserted from the rear end and welded in place to prevent chambering of a cartridge or loading of a powder charge;
- (iii) Firing pin: To be shortened and the firing pin hole in the breech face to be closed by welding;
- (iv) Breech face: 75% or more to be removed at an angle of 45°.

Explanation. —

In the case of a revolver, “breech face” refers to the area supporting the base of the cartridge in line with the barrel;

- (v) Slide, bolt or breech-block: 75% or more of the locking surfaces to be removed at an angle of 45°;
- (vi) Frame or receiver: 75% or more of the feed-ramp, locking shoulders and supports to be removed and a metal obstruction welded in place to prevent a standard slide, bolt or breech-block from being fitted;
- (vii) Any other manner as approved in writing by the licensing authority based on the technical opinion of the person holding a licence in Form IX.

(2) Firearms deactivated prior to the notification of these rules shall be deemed to have been deactivated according to these rules.

82. Records of transactions to be maintained by gunsmiths holding a licence in Form IX or IX-A.— (1) The licensee shall keep a register known as ‘the Firearms Repair Register’, wherein the following particulars shall be recorded, namely: —

- (a) In respect of every firearm received for minor or major repair,—
 - (i) a stock number that must be clearly affixed by means of a temporary marking on the firearm;
 - (ii) the make, type, caliber of the firearm, as well as, every manufacturer’s serial number or additional identification mark that is reflected on the firearm;
 - (iii) the date of receipt of the firearm;
 - (iv) the name, address and UIN of the licensee from whom the firearm was acquired;

- (v) the number, date and validity period of the arms licence, permit or authorisation of the person from whom the firearm was acquired;
 - (vi) nature of repair done on the firearm or any other work performed; and
 - (vii) the date of collection and signature of the holder of the licence, permit or authorisation issued in respect of the licence.
- (b) For licences granted in Form IX, in respect of main firearm components, received in stock,—
- (i) the date of receipt of the main firearm components;
 - (ii) the purpose of such receipt;
 - (iii) the name, address and UIN of the licensee from whom the main firearm components were acquired;
 - (iv) the transfer or disposal of the main firearm components including the name, address and UIN of the licensee to whom these were supplied; and
 - (v) the signature of the person who received it.
- (2) The licensee shall keep a register known as ‘the Ammunition Stock Register’, wherein the following particulars shall be recorded, namely: —
- (a) on the debit side, —
- (i) the caliber, make and quantity of all ammunition purchased or acquired;
 - (ii) the date of receipt; and
 - (iii) the number, date and UIN of the licence of the person from whom the ammunition was purchased or acquired.
- (b) on the credit side, —
- (i) the caliber, make and quantity of all ammunition consumed or used;
 - (ii) the date and reason of disposal of the ammunition and the signature of the licensee confirming the entries as correct.
- (3) The registers maintained under sub-rules (1) and (2) shall be kept at the business premises specified on the licence and every page of such register shall be numbered in sequence with every entry written in ink and any amendment thereof effected by means of interlineations or crossing out in ink and not by way of erasure and must be initialed by the person, effecting it.
- (4) No person may remove or cause to be removed any page from any register contemplated in this rule and removal of any page there from shall be deemed, in the absence of evidence to the contrary to have been removed by or on the authority of the licensee who is obliged to keep such register.
- (5) All particulars to be entered in a register under this rule, shall be recorded immediately on receipt, transfer, use or disposal, as the case may be, of the firearm, main firearm component or ammunition and in addition to the particulars specified in sub-rules (1) and (2), shall depict the daily balance of stock in hand of firearms, main firearm components and ammunition kept for repair or testing.
- (6) (a) The licensee shall establish an online electronic connectivity under his user-id with the NDAL system and shall provide for a weekly electronic online transfer of data of transactions regarding firearms and ammunition for the week, as recorded in the registers referred to in sub-rules (1) and (2).
- (b) If any circumstances occur which prevent a licensee to submit online returns on NDAL system by means of electronic network connectivity, the local licensing authority shall be informed immediately in order to establish alternative means for submission of the weekly returns.
- (c) Weekly returns for the current week shall be submitted by the close of business hours on every Saturday.

PART V*Common provisions for manufacturers, arms dealers and gunsmiths*

83. Inspection of premises, stock and record.— Every magistrate and any police officer not below the rank of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector, acting within the local limits of his authority, or any officer of the Central Government specially empowered in this behalf may, –

- (i) enter and inspect the premises in which arms or ammunition are manufactured or proof-tested or repaired or in which arms or ammunition are kept by a manufacturer of or dealer in or gunsmith of such arms or ammunition; and
- (ii) examine the stock and accounts of receipts and disposals of arms and ammunition or any other register or document.

84. Manufacture and sale of air weapons including paintball markers or guns. – (1) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of these rules, –

(a) Manufacture or proof test or both, transfer, sale, keeping for sale or transfer of all types of air weapons by a manufacturer, including air rifles, air guns and paintball markers or guns irrespective of the muzzle energy or caliber or bore shall be subject to licensing requirements under these rules:

Provided that an existing manufacturer shall, within a period of one year from the date of notification of these rules in the Official Gazette, apply to the licensing authority for grant of a licence for the manufacture of such weapons and the licensing authority may grant a licence in Form VII-C to such manufacturer.

(b) All air weapons including air rifles and air guns, having muzzle energy more than 20 joules or 15 ft. lbs. and/or bore more than 0.177” or 4.5 mm, shall be subject to markings as specified in rule 58.

(2) Sale, transfer and keeping for sale or transfer of all types of air weapons including air rifles, air guns and paintball markers or guns irrespective of the muzzle energy or caliber or bore shall be only through the authorised arms and ammunition dealers or the air weapon dealers licensed under these rules:

Provided that any existing air weapon dealer shall, within a period of one year from the date of notification of these rules in the Official Gazette, apply to the licensing authority for grant of a licence for sale, transfer and keeping for sale or transfer of such weapons and the licensing authority may grant a licence in Form VIII-A to such dealer:

Provided further that the sale or transfer of air weapons including air rifles and air guns having muzzle energy more than 20 joules or 15 ft. lbs. and/or bore more than 0.177” or 4.5 mm and paintball markers or guns having muzzle energy not exceeding 90 m/s or 300 ft/s (300 fsp), shall be made only through an authorised arms and ammunition dealer to a valid arms licence holder.

(3) Sale or transfer by the authorised arms and ammunition dealer or the air weapon dealer of air weapons including air rifles and air guns having muzzle energy less than 20 joules or 15 ft. lbs. and/or bore less than 0.177” or 4.5 mm shall be made against obtaining of an identification and residence proof from the buyer thereof and against issuance of an invoice containing the said particulars at the time of sale.

Explanation.— For the purpose of these rules, “air weapon dealer” means a dealer, who buys, sells, transfers or keeps for sale or transfer air weapons having muzzle energy less than 20 joules or 15 ft. lbs. and/or bore less than 0.177” or 4.5 mm and having been granted a licence in Form VIII-A by the licensing authority.

85. Obligations of air weapon dealers.— (1) The air weapon dealer shall keep a register namely, the ‘Air Weapon Stock Register’, wherein on the debit side, all the receipts of air-weapons against an invoice issued by manufacturers or dealers as the case may be; or in case of other person with details of name and address of such person, shall be recorded with the date of such receipt and on the credit side, all the sales or transfers of air weapons against sales invoice to be issued shall be recorded with the date of such sale or transfer containing full details of the name and address of the buyer:

Provided that the licensee shall obtain and keep in his records proof of identification and proof of residence of the buyer and also of the seller at the time of purchase except in case of a trade transfer.

(2) The air weapon dealers shall ensure that they have the capacity to store the air weapons as per the safe storage requirements as specified in rule 10.

(3) Every air weapon dealer shall obtain a UIN to get himself registered on the NDAL database through the licensing authority of his jurisdiction and allotted a separate user-id and password for log in purposes and the licensing authority may require such dealer to upload the complete details of his transactions on the NDAL database on weekly basis for the week in addition to the register specified under sub-rule (1):

Provided that the weekly returns for the current week shall be submitted by the close of business hours on every Saturday.

86. Powers of Central Government in certain cases.— (1) Where no licence is required for the manufacture, sale, import, export or transport of any category or description of arms or ammunition by or through a manufacturer or dealer, the manufacturer or the dealer, may be asked to register his name and address and place of business in such manner and at such place as the Central Government may prescribe by issuance of a general or special order in this behalf and the manufacturer or the dealer shall maintain such registers and furnish such information to the Central Government as it may require in respect of the arms or ammunition, so manufactured, sold, imported, exported, or transported.

(2) Every manufacturer or a dealer referred to in sub-rule (1) shall obtain a UIN to get himself registered on the NDAL database through the licensing authority of his jurisdiction and allotted a separate user-id and password for log in purposes and the licensing authority may require manufacturer or dealer to upload the complete details of his transactions on the NDAL database on weekly basis for the week in addition to the registers specified under sub-rule (1):

Provided that the weekly returns for the current week shall be submitted by the close of business hours on every Saturday.

CHAPTER VI

Import and Export of Arms and Ammunition

87. Licences for import and export of arms and ammunition.— The grant of licences for import and export of arms and ammunition under these rules shall be subject to the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992). The persons bringing into India the arms and ammunition as a part of their personal baggage shall be governed by the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the rules made there under:

Provided that a licence shall not be granted for the import or export for re-import of any arms or ammunition through the medium of post office.

88. Import of arms and ammunition.— (1) Arms or ammunition shall be deemed to have been brought into India by a person, when such arms or ammunition are imported through an agent and are either consigned to such person direct, or consigned to the said agent, if the agent possesses a certificate from the said person that the arms or ammunition are bonafide his property and the agent only clears the arms or ammunition from the Indian customs and forwards the same.

(2) The dealer or manufacturer, who wants to import a firearm or parts of firearms or ammunition shall file an application for grant of a licence in Form X at least twenty-one days before the shipment of the firearm or ammunition to India or on good cause shown, such shorter period, as the licensing authority in his opinion deem fit and shall not arrange for the shipment of the firearm or ammunition prior to the issuance of the import licence.

(3) The licensing authority granting the licence shall forthwith send a copy of the licence to the licensing authority having jurisdiction at the port of import.

(4) The dealer or manufacturer shall immediately on the arrival of the shipment of firearms or parts of firearms or ammunition in India, notify the licensing authority as well as the licensing authority for the port of entry where the shipment has arrived, in writing of the arrival and provide the particulars of the container or consignment and place where the shipment can be inspected and the importer licensee shall not open the

container or the consignment of firearms or ammunition before an inspection is conducted by the licensing authority of the port in presence of the Indian customs authority at the port of entry in India.

(5) The dealer or manufacturer shall within seventy-two hours of the arrival of the firearms or ammunition in India, —

(a) arrange with the licensing authority of the port of entry to physically inspect the firearms or ammunition; and

(b) on finalisation of the physical inspection, certify in writing to the licensing authority, who issued the import licence, that the imported firearms or ammunition corresponding with the import licence, have arrived in India.

(6) Any delay in carrying out the inspection referred to in sub-rule (5) within seventy-two hours resulting in any additional charges or demurrage shall be attributed to the licensing authority at the port of entry and the customs authority and not the importer licensee.

89. Import of certain type of arms.— (1) Import of replicas of contemporary or modern firearms shall be subject to submission of certificate of innocuousness from the manufacturing company of the country of export and an undertaking from the importer that the replicas of the firearms to be imported are incapable, even with modification, of expelling or launching a shot, bullet or projectile by the action of an explosive charge or compressed air or any other gas.

(2) Import of paintball markers or paintball guns shall be subject to submission of certificate from the manufacturing company of the country of export that the muzzle energy of the paintball markers or guns does not exceed 90 m/s or 300 ft./s (300 fsp) and an undertaking from the importer that the paintball markers or paintball guns shall be sold only through an authorised arms and ammunition dealer registered under these rules.

(3) (a) Import of electronic disabling devices (EDD) shall be subject to submission of medical research reports on the technology used in such products, at the time of submitting application for import to the licensing authority, which shall include —

- (i) physiological effect of prolonged discharge on intoxicated adults;
- (ii) echocardiography evaluation of probes deployed into the chests of human volunteers;
- (iii) implanted pacemaker;
- (iv) repeated or long duration exposure: Academia and lack of respiration;
- (v) cardiovascular effects;
- (vi) physiological effects of exposure after exercise;
- (vii) lactate and pH evaluation in exhausted humans;
- (viii) non-impairment of basic respiratory parameters during fifteen second device application.

(b) an undertaking from the importer that all types of electronic disabling devices (EDD) irrespective of their range shall be sold only through authorised arms and ammunition dealers having a licence under these rules.

90. Export of arms and ammunition.— (1) The authority granting a licence in Form X for export of arms or ammunition from any customs port in India to any port in a foreign territory shall send a copy of such licence to the agent or master of the vessel or to the air carrier or the railway authority by which the arms or ammunition covered by the licence are intended to be taken out of India and shall forthwith send a copy of the licence to the licensing authority of the place, wherefrom the goods are to leave the Indian territory.

(2) Every application for the grant of a licence for export of arms specified in category IV of the Schedule I, shall be accompanied by a certificate from the Director-General of Archaeology of the Central Government to the effect that the arms intended to be exported do not fall within the definition of “antiquity” under the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972).

(3) The district magistrate having jurisdiction over the area out of which the goods to be exported are to cross the frontier of India may, in his discretion, require the licensee to produce the arms or ammunition for his inspection before allowing them to leave the area.

(4) An export licence in Form X shall be non-transferable and issued in three original copies.

(5) (a) The first copy of the export licence shall be returned to the issuing licensing authority within ten days of the date of export and which date must be duly certified by the Indian customs authorities;

(b) The second copy shall be returned to the issuing licensing authority within a period of ninety days after the export date stated on the export licence, which must bear the signature, an official date and name stamp of the end user, to serve as a delivery verification certificate:

Provided that failure to comply with conditions specified in clause (a) and clause (b) shall result in suspension of all pending and future export transactions of the exporter till the time the said conditions are duly complied with.

(6) A one-time extension of validity of export licence, for a period not exceeding three months, may be granted by the licensing authority if for any genuine reasons stated in the application, the export transaction could not be carried out within the stipulated time of the validity of the export licence.

(7) Where the licensee fails to export within the validity of the export licence, he shall return all the three copies of the export licence in original to the issuing licensing authority along with the reasons for non-compliance of the said transaction.

(8) On completion of the export transaction, the exporter shall retain one original copy of the export licence, bill of lading or airway bill, packing lists and export invoice pertaining to the firearms or ammunition so exported and shall produce the said documents whenever required to do so by the issuing licensing authority.

91. Export and re-import of arms and ammunition.— (1) A licence in Form X may be granted for export of arms or ammunition from one place in India and its re-import into another place in India by the Central Government in the Ministry of Home Affairs or any other officer, specially empowered by it, if the arms or ammunition are taken across intervening territory not forming part of India.

(2) A copy of every licence granted under sub-rule (1) shall forthwith be sent by the Central Government both to the licensing authority of the place of dispatch and place of destination of the articles in India.

(3) Arms and ammunition exported from India for the purpose of exhibitions, evaluations and demonstrations shall be returned to India within a period of six months after the date of export reflected on the export licence issued in Form X.

92. In-transit licence of arms and ammunition.— (1) No person shall, import, transport and re-export any arms or ammunition unless he holds in this behalf an in-transit licence in Form X issued by the Central Government in the Ministry of Home Affairs.

(2) The application for grant of in-transit licence shall be accompanied by —

(i) a proof of authority to export the arms and ammunition from the country of origin and a documentary proof of authority of import from the country of final destination that the arms or ammunition may lawfully be imported into the said country;

(ii) the particulars of the intended transport route and mode of transport and the proposed port of entry and exit and likely date of the entry and exit along with a certified copy of the licence, permit, authorisation or any proof acceptable to the licensing authority, confirming the lawful possession of the firearm and ammunition in transit through the Indian territory;

(iii) complete lists of the firearms and ammunition indicating the quantity, type of action, manufacturer's serial number, model and caliber of the firearms and quantity, type and caliber of ammunition forming part of consignment along with a consignment note to be carried in-transit through Indian territory.

(3) The licensee shall immediately on the arrival of the arms or ammunition in India, in writing notify the issuing licensing authority referred to in sub-rule (1) as well as the licensing authority for the area where the shipment has arrived and provide the particulars of the container or consignment and place where it can be

inspected and shall further ensure that the consignment is stored in a bonded warehouse under the jurisdiction of Indian customs authority and shall not open the container or consignment unless an inspection has been conducted by the licensing authority for the area and the customs authority.

(4) The licensing authority may lay down conditions for transportation and route thereof, of the container or consignment through the Indian territory and all incidental expenses related to the security measures from the port of import to the port of re-export through Indian territory shall be borne by the licensee.

(5) Storage of arms or ammunition for any period not exceeding one month in India, shall be granted in exceptional circumstances by the licensing authority with the prior consent of the local police authority and subject to such conditions of safe storage as the licensing authority may prescribe:

Provided that the arms and ammunition, shall be under the direct supervision of the licensee and the local police authority.

(6) Arms or ammunition under an in-transit licence shall not for whatever reasons be sold, transferred or used in India.

(7) It shall be the duty of the licensing authority granting an in-transit licence in Form X to send a copy of the licence to the district magistrate having jurisdiction over the last port through which the consignment is to cross the frontier of India.

93. Vessels entering the territorial waters of India.— Arms or ammunition carried by a vessel entering the territorial waters of India or leaving such waters, shall be deemed to be imported or exported, as the case may be, irrespective of whether the vessel carrying, the arms or ammunition does or does not berth.

94. Arms or ammunition to be delivered to Indian customs authority in certain cases.— Where a vessel or aircraft, bound for a port other than a port in India, calls at any port in India in the course of its voyage, and remains there for a period exceeding forty-eight hours, any arms or ammunition in the possession of any passenger not exempted from liability to take out a licence in respect of such possession shall be delivered by him to the Indian customs authority, to be detained until the departure by sea or air, as the case may be, of such passenger, and it shall not be necessary for such passenger to take out any licence in respect of the arms or ammunition so delivered and detained.

95. Scrutiny by authorities of consignments containing arms and ammunition.— (1) The licence issued under Chapter VI of these rules shall be produced wherever applicable, to the authorities involved in the import or export transactions such as Indian customs authority, licensing authority of the port under the Act, railway authority, shipping agent, master of the vessel, air-carrier, transporter and any other authority directly or indirectly related with such transactions and the said authorities shall ensure that the consignment containing arms or ammunition correspond with the details contained in the licence.

(2) Where in any case referred to in sub-rule (1), the original licence is not produced by the importer or the exporter or the consignee or the agent, or the original or attested copy of the licence does not accompany the consignment, as the case may be, or the licence is not identical in substance with the copy sent to the authority, or the arms or ammunition do not correspond with the description given in such licence, the authority shall not receive the consignment for despatch or allow it to proceed further or deliver the consignment, as the case may be, and shall, in case he is not a district magistrate, forthwith inform the nearest magistrate.

CHAPTER VII

Part I

Transport of Arms and Ammunition

96. Prohibition of transport of arms and ammunition.— (1) Save as herein otherwise provided, no person shall transport over India or any part thereof any arms or ammunition or any arms specified in category V of Schedule I, except under, and in accordance with the conditions of, a licence in Form XII granted under these rules.

(2) Nothing in sub-rule (1) or in section 12 of the Act shall be deemed to apply to arms or ammunition –

- (a) transported personally or as personal luggage, in reasonable quantities for his own use, by a person lawfully entitled to possess or carry such arms or ammunition;
- (b) transported by a person licensed to manufacture such articles, for proof-testing, in a case or package legibly addressed to a Government establishment or an establishment licensed under these rules, or re-transported by such establishment to such person;
- (c) of category V arms specified in Schedule I, transported through an area where the Central Government has, by notification in the Official Gazette, applied section 4, or from such area to an area where section 4 does not apply, provided that the arms are properly packed and labeled, showing clearly the description of these articles and the name and address of the consignee;
- (d) transported by a licensed manufacturer or dealer for export or after import, in accordance with a licence for their export or import, -
 - (i) from the place of despatch to the port or other place of export, or
 - (ii) from the port or other place of import to the place of destination, or
 - (iii) by trans-shipment in the port of import for re-export;
- (e) transported –
 - (i) by a person lawfully entitled to possess such articles, in reasonable quantities for his own use from the premises of a licensed manufacturer or dealer, or for purposes of examination or repair or test to or from any such premises, or to the address of any other person lawfully entitled to possess such articles; or
 - (ii) by a licensed manufacturer or a dealer, in a case or package legibly addressed to a person lawfully entitled to possess such articles, in compliance with an order given by such person for the supply of such articles, in reasonable quantities, for his own use or after carrying out necessary repairs thereto;
 - (iii) by a dealer to another dealer under trade transfer, within the same State against a sale invoice;
- (f) being chlorates, transported for *bona fide* industrial, agricultural or medicinal purposes:

Provided that-

- (i) transport of arms or ammunition under clause (d), sub-clauses (i) and (ii) of clause (e) or clause (f), shall be subject to obtaining a certificate of no objection from the licensing authority at the destination of the articles as provided for in rule 98;
 - (ii) transport of arms or ammunition personally for any of the purposes stated in sub-clause (i) of clause (e) without using them through any area outside the area of validity of his possession licence, shall be subject to his obtaining a licence in Form XII from the licensing authority at the starting place of transport; and
 - (iii) prior intimation of the transport of arms specified in category V of Schedule I under clause (c) or of chlorates under clause (f) shall be given to the officer-in-charge of the nearest police station or a magistrate having jurisdiction over the place of despatch.
- (3) The officer or magistrate receiving prior intimation under clause (iii) of the proviso to sub-rule (2) shall immediately inform the district magistrate, and if the articles are transported by rail, the Superintendent of railway police having jurisdiction,-
- (i) over the place of destination, in the case of transport of chlorates, and
 - (ii) over the place of entry into the area where section 4 applies, in the case of transport of arms specified in category V of Schedule I.

Explanation.— For the purposes of these rules, ‘transport’ includes movement of arms or ammunition across any part of the country, but does not include movement of arms or ammunition by a licensed manufacturer or dealer from a warehouse, godown or any other similar place to his factory, shop or other place of business within the same village, town or city.

- 97. Transport of arms or ammunition.—** (1) A copy of licence granted in Form XII for transport of arms or ammunition beyond the local limits of the jurisdiction of the authority granting it shall forthwith be sent to the district magistrate having jurisdiction over the area where the place to which the articles consigned is situated.
- (2) A copy of every such licence granted by a district magistrate for transport within the limits of his jurisdiction shall forthwith be sent to the subordinate magistrate (if any) having jurisdiction over the place to which the arms or ammunition are consigned.
- (3) Where arms or ammunition are transported by rail, a copy of such licence or a copy of the no objection certificate referred to in rule 98, shall be attached to the way-bill or invoice, as the case may be, and advice of every such consignment shall be sent by the railway authorities from the forwarding to the receiving station.
- (4) A transporter having a licence in Form XIV for transport of arms or ammunition by road shall comply with the conditions specified in sub-rule (3) of rule 101 in accordance with the procedure for transporter licence specified in rule 102.
- (5) A licence for the transport of arms or ammunition shall not, save for special reasons to be recorded by the authority granting it, be granted for a period longer than three months:
- Provided that a licence for a longer period, not exceeding six months, may be granted in connection with industrial purposes for transporting ingredients of ammunition in instalments from the godown to the factory of the licensee situated within the same district but not in the same locality:
- Provided further that such licensee, gives prior intimation to the nearest magistrate or officer-in-charge of the police station and makes necessary entries promptly in the stock registers maintained for the purpose at both the godown and the factory.
- 98. Previous consent in certain cases.—** (1) A licence having effect beyond the local limits of the authority of the officer granting it shall not be granted for the transport or export or re-import of any arms or ammunition to a place, without ascertaining that there is no objection to the grant of such licence on the part of the district magistrate having jurisdiction over the area in which such place is situated.
- (2) For the purposes of sub-rule (1), either –
- (i) a certificate of “no objection” may be obtained by the applicant for the licence; or
- (ii) an enquiry may be made by the authority to whom application for grant of such licence is made.
- 99. Carriage of arms and ammunition by air.—** (1) No licensee holding a valid licence under these rules or a journey licence in Form XI or import and export licence in Form X or holding a transport licence in Form XII, may carry or cause or permit to be carried, arms and ammunition endorsed on his licence by air, except with the prior permission of the Director General of Civil Aviation (DGCA) in accordance with the Aircraft Rules, 1937 framed under the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934).
- (2) The arms and ammunition granted permission under sub-rule (1) shall be so packed, protected and secured as to avoid any possibility of their being a source of danger and the packages shall be clearly and conspicuously marked on the outside.
- 100. Packaging of arms and ammunition during transportation.—** The licensee holding a licence in Form XII, during transportation of firearms and ammunition shall ensure that –
- (i) firearms are packed separately from ammunition, and all ammunition shall be removed from firearms in a safe manner, before transportation;
- (ii) large consignments of firearms and ammunition be transported in an appropriately locked metal container, and packed to ensure maximum safety and minimum exposure;
- (iii) small consignments of firearms be transported in an appropriately locked metal container or strong wooden boxes or wrapped in hessian cloth tightened with iron strips; and
- (iv) direct continuous supervision and control of arms and ammunition being transported is strictly maintained for large shipments.

Part II***Transporter's Licence***

101. Licence for transporter.— (1) Any person applying for a transporter's licence in Form XIV shall in addition to the requirements laid down in rule 11, submit —

- (i) proof that a proper functioning two way secure communication system between the vehicle transporting the arms or ammunition and the applicant is in operation;
- (ii) a detailed description of the safety measures fitted to the vehicle including GPS navigation system; and
- (iii) a detailed description of security precautions to be followed during transportation.

(2) The transporter holding a licence in Form XIV shall before undertaking transport of arms and ammunition, obtain from the consignor a copy of his transport licence in Form XII in respect of the arms and ammunition to be transported.

(3) The transporter using road transport shall provide to the person in charge of transportation, a typed list or computer printout on his letterhead of persons who will be directly involved in the transportation of the consignment of the arms and ammunition, containing their names and identity numbers and such list shall be attached to a certified copy of the licence in Form XIV:

Provided that the transporter shall get the police verification of the antecedents of his employees before assigning them any duty related to such transportation of arms or ammunition.

(4) It shall be the duty of the licensing authority to ensure, before grant of licence to a transporter in Form XIV, that the applicant has made arrangements for the receipt, carriage and delivery of the arms and ammunition, the safe and efficient transportation thereof, the mode of transport by which the transportation is to take place, including the type and construction of the vehicle to be used, as well as the containers, persons to be involved and communication facilities, etc., for the safe and secure transport and storage of the arms and ammunition.

(5) The licence granted to a transporter in Form XIV shall be valid for a period of five years.

(6) The licence in Form XIV shall specify, the categories of arms and/or ammunition, maximum quantity during a calendar year, maximum quantity in a single consignment and maximum quantity in multiple consignments under a single shipment that may be allowed to be transported.

(7) (a) The transporter licence in Form XIV shall be applicable for bulk transportations exceeding one hundred firearms or ammunition exceeding fifty thousand cartridges in a single consignment or multiple consignments forming part of a single shipment.

(b) The transport of arms and ammunition other than bulk transportation may be carried out by ISO 9001 certified transport companies.

102. Procedural requirements for transporter's licence.— (1) An arms or ammunition transporter holding a licence in Form XIV shall possess at all times during such transport, —

- (a) a consignment note containing the following particulars:-
 - (i) the name, address, licence and UIN of the transporter;
 - (ii) the name, address, licence number and UIN of the consignor and of the consignee in respect of arms and ammunition to be transported;
 - (iii) the quantity, type of action, manufacturer's serial number, make and caliber of the firearms and quantity, make and caliber of ammunition; and
 - (iv) the physical address wherefrom the firearms and ammunition were collected and the physical address of their final destination.
- (b) copy of the licence in Form XII authorizing the transportation of such firearms and ammunition;
- (c) any other document which under these rules or any other law may be required.

- (2) A transporter holding a licence in Form XIV who is obliged to store the firearms or ammunition for any period of time after its receipt and before delivery, shall comply with the safe custody and storage requirements under rule 10.
- (3) The licensee shall ensure direct supervision by him or through his personnel of an en-route consignment of arms or ammunition.
- (4) The transporter holding a licence in Form XIV shall obtain from the consignee a written confirmation for the consignment of arms and ammunition, which shall contain the following information, namely:—
- (i) the name and surname of the recipient;
 - (ii) the recipient's address;
 - (iii) the telephone number, mobile number and email address of the recipient;
 - (iv) the date and time of delivery;
 - (v) the description of the arms and ammunition received; and
 - (vi) the signature of the recipient confirming the deliverance.
- (5) A copy of the written confirmation from the consignee shall be submitted by the transporter to the licensing authority issuing transport licence in Form XII.
- (6) The transporter holding a licence in Form XIV shall immediately notify in writing the police and licensing authority in the event of non-delivery, loss or theft of the arms or ammunition.
- (7) In the event of the consignment under transportation being misused by, or stolen or lost due to the gross negligence of the transporter holding a licence in Form XIV or by any of its employees entrusted with such transportation, the licence of the transporter shall be liable to be revoked.

CHAPTER VIII

Disposal and Destruction of Firearms and Ammunition

- 103. Confiscation, capture or seizure of firearms and ammunition.**— (1) The firearm bureaus under the Central Government or the State Governments shall maintain inventory for different categories of confiscated, captured, seized, recovered or surrendered arms and ammunition.
- (2) The firearm bureaus referred to in sub-rule (1) shall be granted UIN by the Central Government and allotted separate user-id and password under the NDAL system.
- (3) The arms and ammunition confiscated, captured, seized, recovered or surrendered shall, on registration of a First Information Report at the nearest police station, be taken on charge of memo of seizures to be signed by the person(s) involved in confiscation or capture or seizure or recovery or surrender, and handed over to the empowered officer of the Central or the State Government along with history sheet of each firearm containing details of the make, type, manufacturer's serial number, caliber and nature of the firearm.
- (4) The empowered officer of the Central or the State Government referred to in sub-rule (2) shall handover the said arms and ammunition to the concerned Central or the State firearm bureau and the firearm bureau shall make an entry in the receipt column of its stock register.
- (5) The Central or the State firearm bureau shall get firearms and ammunition examined from a gunsmith holding a licence in Form IX or an officer of the Central Armed Police Force or State police department, authorised to examine.
- (6) On submission of the report by the examiner of the firearm, the firearm may be declared as serviceable or unserviceable or beyond economical repair (BER) and all such serviceable firearms shall be entered in the active firearm stock register and the details shall be uploaded on NDAL system against the UIN allotted to the firearm bureau.
- (7) The serviceable firearms may be, on receipt of the orders of the competent court, allotted to the eligible applicants under these rules by the firearm bureau against a valid arms licence in Form III, for the particular

category of firearm against a sale voucher or invoice to be issued by the firearm bureau and the details of such sale or transfer shall be recorded in the register to be maintained by it and uploaded on the NDAL system.

Explanation.— For the purposes of this rule, firearm bureau means a unit working under the Central Government or State Home departments or under the State police department for deposit and disposal of confiscated, captured, seized, recovered or surrendered arms and ammunition.

104. Destruction of firearms and ammunition.— (1) Any obsolete or obsolescent, condemned or unserviceable firearm or any confiscated, captured, seized, recovered or surrendered firearm that does not bear the manufacturer's serial number or additional identification mark shall be marked forthwith by the concerned Central or the State firearm bureau in accordance with the procedure laid down in rule 34 and rule 58 and details of such firearm be recorded in a separate register and uploaded on the NDAL system under a distinct category.

(2) The firearm bureau shall submit to the local licensing authority an application containing the details of firearm to be destroyed, giving particulars regarding the make, type, caliber of the firearm as well as the manufacturer's serial number or additional identification mark and the licensing authority shall after verifying the particulars recorded in the list supplied to it by the firearm bureau, grant permission for destruction of firearm.

(3) The firearms under this rule may be destroyed, only by melting, pressing or in any other manner determined by the licensing authority and ensuring that the original intent, design and purpose of the firearm or any part thereof is permanently or irrevocably destroyed:

Provided that a firearm or ammunition, shall be destroyed only in the presence of a designated officer deputed by the local licensing authority.

(4) A list of firearms or ammunition destroyed under sub-rule (3) with the particulars of such firearms referred to in sub-rule (2) shall be submitted to the licensing authority within fourteen days of such destruction.

CHAPTER IX

Appeals under Arms Act

105. Appellate authorities.— (1) The appellate authority to whom an appeal shall lie against an order of the licensing or other authority specified in column (1) of the table below, shall be that specified in the corresponding entry in column (2) thereof :

TABLE

Authority		Appellate Authority
(1)		(2)
(a)	District Magistrate	Commissioner of the Division or any other equivalent post or in any State in which there is no post of Commissioner of a Division, the State Government
(b)	Commissioner of Police	State Government
(c)	Officer empowered by the Central Government in a Union Territory	Administrator/Lt. Governor of the Union Territory
(d)	Head of Indian Mission	Central Government
(e)	Other specially empowered officer	Authority that empowered

(2) For the purpose of sub-section (6) of section 17, the licensing authority shall be deemed to be subordinate to the appellate authority.

(3) All licensing authorities shall work under the direction and control of their respective appellate authorities.

106. Reasons to be communicated to appellate authority in certain cases.— Where a licensing authority is of opinion that it will not be in the public interest to furnish reasons for the refusal, renewal, variation of conditions, revocation or suspension, of a licence, to the applicant, the recorded reasons therefor and the facts of the case shall be communicated by him to the appellate authority.

107. Appeal against order of licensing authority or an authority suspending or revoking a licence under sub-section (6) of section 17 of the Act.— In any case, in which an authority issues an order —

- (i) refusing to grant or renew a licence or to give a "no objection certificate" for such grant or renewal; or
- (ii) varying any condition of a licence or suspending or revoking a licence under sub-section (1), or sub-section (3) or sub-section (6) of section 17,

the person aggrieved by such order may, within thirty days from the date of issue of the order, and subject to the proviso to sub-section (2) of section 18, prefer an appeal against that order, to the concerned appellate authority.

108. Procedure to be followed by appellate authority.— On receipt of an appeal, the appellate authority may call for the records of the case from the authority who passed the order appealed against and after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard, pass final orders within sixty days of receipt of the appeal.

109. Fee payable on a petition for appeal made under sub-section (1) of section 18 of the Act.— Every petition for appeal under sub-section (1) of section 18, shall be accompanied by a fee of rupees one thousand.

CHAPTER X

Provisions relating to Nepal

110. Import, transport and export of arms and ammunition for Government of Nepal.— (1) Where arms or ammunition are imported into India for despatch to the Government of Nepal, the customs authority at the port of disembarkation, or the licensing authority in other places, shall check the consignment against the list of arms or ammunition received from the Central Government and the packages shall be sealed thereafter in the presence of a Customs Examiner or any other authority appointed for the purpose by the Central Government.

(2)(a) Where arms or ammunition imported into, or acquired in, India are to be despatched to Nepal for the Government of Nepal, they shall be accompanied by a certificate from the Indian customs authority or the licensing authority of the area concerned to that effect containing a description of the marks on each package or case sufficient to enable it to be readily identified and a general statement of the contents of such package or case;

(b) on receipt of requisition from the clearing agents or the firm concerned, as the case may be, the district magistrate shall arrange for necessary escort up to the railway station;

(c) the railway authority shall, not receive for despatch any package or case containing, arms or ammunition unless accompanied by a certificate as required under clause (a).

(3) Where in any case —

- (i) the list referred to in sub-rule (1), is not received from the Central Government, or
- (ii) the arms or ammunition imported into, or intended to be despatched from India do not correspond with the description given in such list,

the authorities concerned shall not allow the consignment to be despatched to Nepal and shall forthwith inform the Central Government.

111. Transport of arms from any place in Nepal to any other place in Nepal through Indian territory.— (1) Notwithstanding anything contained in rule 6 and rule 87, the Ambassador of India in Nepal, on an application

made by the Government of Nepal, and subject to confirmation by the Central Government, may grant a licence in Form XV for the import into, possession in, transport across, or export out of, India from any place in the territory of Nepal to any other place in that territory across the frontiers of India, of arms or ammunition specified in categories I and II of Schedule I or any other category of Schedule I by Nepal Government's troops or police, as the case may be.

(2) Where under the authority of a licence granted under sub-rule(1), arms or ammunition are to pass across Indian Territory,—

(a) if entirely by rail, a copy of the licence shall forthwith be sent by the Ambassador to the district magistrates having jurisdiction over the areas through which the arms or ammunition shall pass across the frontiers of India and also to the railway authorities of the place in the Indian territory through which the consignment shall pass;

(b) if by road or river, a copy of the licence shall forthwith be sent to the district magistrates having jurisdiction over the areas through which the arms or ammunition shall pass to Nepal across the frontiers of India.

(3) The Central Government, or the Ambassador of India in Nepal with the approval of the Central Government, may make any order regulating the safe transit to Nepal across the frontiers of India of the arms or ammunition mentioned in this rule.

CHAPTER XI

Miscellaneous

112. Common conditions applicable to all types of licences.—

(1) The licensee shall –

(a) not possess Government arms and ammunition as defined in clause (22) of rule 2:

Provided that the above condition may be cancelled by the authority granting the licence empowered to do so by the Central Government, and an endorsement added showing the Government arms or ammunition which the licensee is authorised to possess.

(b) on demand by an authorised officer produce the firearms possessed under his licence;

(c) not sell or transfer any firearms or ammunition or any part thereof covered by his licence to any person not lawfully entitled to possess them;

(d) forthwith give information at the nearest police station of the loss or theft of any arms or ammunition covered by his licence.

(2) The authority granting or renewing the licence has the right to enquire at any time during the currency of the licence, whether the arms or ammunition for which it has been granted, is still in the possession of the licensee, and may require the production of the arms or ammunition for the purpose of such an enquiry.

(3) Save where he is specially authorised in this behalf by the district magistrate concerned, the licensee shall not carry any arms covered by the licence within the campus or precincts of any educational institution or a firearm free zone declared under these rules.

113. Security and precautionary conditions for storage of ingredients of ammunition specified in category VI of Schedule I. —

(a) Chlorates shall be kept in a building constructed of nonflammable materials only and separated from any dwelling house, other building, highway, street, public thoroughfare or public place by a distance of not less than ten feet:

Provided that where the total quantity stored does not exceed one hundred kilograms, chlorates may be kept exclusively in a closed and secured receptacle placed in a building used for the keeping of other articles not being of an explosive or highly inflammable nature.

(b) Sulphur shall not be kept in the same room with saltpeter in the premises specified in the licence:

Provided that when the quantity of each does not exceed one hundred kilograms, sulphur and saltpeter may be kept in separate closed receptacles in the same room.

- (c) No person shall smoke and no open fires shall be allowed at any time in the premises specified in the licence or in the vicinity of the receptacles mentioned in the provisos to clauses (a) and (b).
- (d) Where any building used for storage of such materials is fitted with electric lighting or power, the licensee shall get these installations tested at least once a year or once during the currency of the licence, by an electrical inspector appointed under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003).
- (e) Any accident, fire or explosion occurring within the premises specified in the licence which is attended with loss of human life or serious injury to person or property shall be reported at once by the licensee to the officer-in-charge of the nearest police station having jurisdiction over the place of his business or factory as well as to the inspector of explosives of the circle concerned.
- (f) The conversion into explosives of sulphur in admixture with chlorates shall be permitted for the following purposes only (and for no other purposes), namely:-
- (i) in small quantities for scientific purposes; or
 - (ii) for the purposes of manufacturing heads of matches; or
 - (iii) for use in toy amorces (paper caps for toy pistols).

SCHEDULE I (See rule 3)			
Part A			
	Category	Arms	Ammunition
	(1)	(2)	(3)
I	(a)	<p>Prohibited arms</p> <p>(i) Prohibited arms as defined in section 2(1)(i) of the Act;</p> <p>(ii) Items configured for military use;</p> <p>(iii) Light weapons;</p> <p>(iv) Small arms including automatic and selective fire other than those defined in category I(b), I(c) and III</p>	<p>Prohibited ammunition</p> <p>(i) Prohibited ammunition as defined in Section 2 (1)(h) of the Act;</p> <p>(ii) ammunition for items configured for military use;</p> <p>(iii) ammunition for light weapons;</p> <p>(iv) ammunition for small arms including automatic and selective fire other than those defined in category I(b), I(c) and III</p>

	(b)	Restricted arms Semi-automatic firearms which cannot be converted into automatic firearms and other than those defined in category III(a), III(c) and III(d); Smooth bore guns having barrel of less than 20 inches in length; Centrefire rifles of any barrel length (semi-automatic); Electronic disabling devices having firing range of more than fifteen feet		Restricted ammunition Ammunition for arms of category I (b).
	(c)	Restricted arms		Restricted ammunition
		Category of arm	Caliber/chamber specification	Ammunition for arms of category I (c).
		(i)	Rifles other than those mentioned in category I(b), III(b) and III(c)	
	(ii)	Pistols	9mm Parabellum (9x19mm/9mm Luger/9mm Parabellum Plus /9mm Parabellum)	
		(iii)	Revolvers	.38 Revolver MkIIz also .38/200x20R, .380/200 Revolver Mk-II .455 WebleyR
II		Machinery for manufacture or proof testing of firearms		Machinery for manufacturing ammunition
III		Permissible arms Arms other than those defined in categories I, II and IV, namely:		Permissible ammunition Ammunition for arms other than those in categories I, II and IV, namely:
	(a)	Handguns (revolvers and pistols) including semi-automatic		Ammunition for arms of category III (a)
	(b)	Breech loading Centrefire rifles (not semi-automatic)		Ammunition for arms of category III (b)
	(c)	.22 bore Rimfire rifles		Ammunition for arms of category

			(including semi-automatic)	III (c)
	(d)		Smooth bore breech loading shotguns (including semi-automatic)	Ammunition for arms of category III (d)
	(e)		Muzzle-loading guns	Ammunition for arms of category III (e)
	(f)		Air weapons including air rifles and air guns	
		(i)	having muzzle energy exceeding 20 joules or 15 ft. lbs. and/or bore exceeding 0.177" or 4.5 mm	Ammunition for arms of category III (f) (i)
		(ii)	having muzzle energy less than 20 joules or 15 ft. lbs. and /or bore less than 0.177" or 4.5 mm	Ammunition for arms of category III (f) (ii)
	(g)		Firearm replicas —	
		(i)	of modern or contemporary firearms	Nil
		(ii)	of muzzle loading antique weapons	Nil
	(h)		Electronic disabling devices having firing range of less than fifteen feet	Ammunition for arms of category III (h)
	(i)		Paintball markers or paintball guns having muzzle energy exceeding 90 m/s or 300 ft./s (300 fps)	Nil
	(j)		Blank-firing firearms	Ammunition for arms of category III (j)
	(k)		Accessories for any firearms designed or adapted to diminish the noise or flash caused by the firing thereof	Nil
IV			Curios and historical weapons, other than those excluded under section 45(c) of the Act	Curios and historical ammunition.
V			Arms other than firearms: Sharp-edged and deadly weapons, namely: Swords (including sword-sticks), daggers, bayonets, spears (including; lances and javelins), battle-axes, knives (including Kirpans and Khukries) and other such weapons with blades longer than 9" or wider than 2" other than those designed for domestic, agricultural, scientific or industrial purposes, steel baton, "Zipo" and other such weapons called 'life preservers', machinery for making arms, other than category II, and any other arms which the Central Government may notify under Section 4 of the Act.	Nil
Part B				
Ingredients of ammunition and other items				
	Category		Items	
	VI	(a)	Articles containing explosives or fulminating material: fuses and friction tubes other than blank fire cartridges	

		(b)	Ingredients as defined in section 2(1)(b)(vii) of the Act including – (i) lead, sulphur, saltpeter and sodium azide; (ii) chlorates and per chlorates; (iii) fissionable material; and (iv) asphyxiating, poisonous, irritant or other gases and analogous liquid, materials or devices which are not used in any bonafide industrial process in India
--	--	-----	--

SCHEDULE II

(See rule 5)

LICENSING AUTHORITIES ETC.

Item No.	Purpose	Categories of arms/ammunition as defined in Schedule I	Place/Class of persons	Licensing Authority	Area for which Licence can be granted	Renewing Authority	Form No.	Conditions
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Acquisition/ Possession/ Import and Transport	I (a), II	Whole of India	Central Governmen t in the Ministry of Home Affairs	Whole of India or any specified area	Central Government in the Ministry of Home Affairs	I	-
2	Acquisition/ possession and use	III (b), III (c), III (d), III (e), V, VI	District	District Magistrate	Throughout the district	District Magistrate	II	-
3	Acquisition/ possession/ carrying and use for protection/ sport/target practice/ display	(i) I (b) I (c)	Whole of India	Central Governmen t in the Ministry of Home Affairs.	Whole of India or any specified part thereof	District Magistrate	III	-
		(ii) III [except (f)(ii) and (g) (ii)], V, VI	(i) District	District Magistrate	Throughout the district or his area of jurisdiction	District Magistrate	III/V	-
		III [except (f)(ii) and (g) (ii)], V, VI	(ii) State	District Magistrate	Whole of the State	District Magistrate	III/V	-
		III [except (f)(ii), and (g) (ii)], V, VI	(iii) Whole of India	State Government	Whole of India	District Magistrate	III/V	For the categories of licensees mentioned in sub-rule (2) of rule 19 district

								magistrate is empowered to grant licences for whole of India
Item No.	Purpose	Categories of arms/ammunition as defined in Schedule I	Place/Class of persons	Licensing Authority	Area for which Licence can be granted	Renewing Authority	Form No.	Conditions
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(iii) I (b), I (c)	In case of retainers of exemptees	Central Government in the Ministry of Home Affairs.	India or any specified part thereof	State Govt. or any officer specially empowered by the State Government in this behalf.	III-A	-
		III [except (f)(ii) and (g) (ii)], V, VI	(i) District	District Magistrate	Throughout the District	District Magistrate	III-A	-
			(ii) State	District Magistrate	Whole of the State	District Magistrate	III-A	-
			(iii) Whole of India	State Government	Whole of India	District Magistrate	III-A	-
4.	Acquisition/possession / carrying and use for destruction of wild animals, which do injury to human beings or cattle and damage to crops	III (b), III (c), III (d), III (e), V.	District	District Magistrate or any officer specially empowered by the State Government in this behalf.	Throughout the district	Same as licensing Authority.	IV	-
5(a)	Import into, possession, carrying and use of arms or ammunition by the International sports persons visiting India for	III [except (f)(ii) and (g) (ii)]	Whole of India	Head of the Indian High Commission or Indian Embassy of the country to which the sports person belongs, or the District Magistrate at the port of	India or any specified part thereof	No renewal	VI	The licence shall be valid for a maximum period of six months or validity of visa whichever is earlier and granted only for the

	participation in tournament/ event or series of tournaments / events or for training			entry/arrival in India or any other officer specially empowered by the Central Government				purpose of shooting sport.
Item No.	Purpose	Categories of arms/ ammunition as defined in Schedule I	Place/ Class of persons	Licensing Authority	Area for which Licence can be granted	Renewing Authority	Form No.	Conditions
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5(b)	Acquiring, possessing during the course of his stay in (but not use) and carrying in, and export out of India by a tourist	III [except (f)(ii) and (g)(ii)] IV, V (made in India only)	-	District Magistrate or any officer specially empowered by the State Government	-	No renewal	VI	The licence shall be valid for a maximum period of six months or validity of visa, whichever is earlier and granted for weapons made in India only.
5(c)	Other temporary categories of Import/ Export licences	III	Whole of India	Head of the Indian High Commission or Indian Embassy of the country to which the person defined in rule 45(1) belongs, or the District Magistrate at the port of entry/arrival in India or any other officer specially empowered by the Central Government	India or any specified part thereof			The licence shall be valid for a maximum period of six months or validity of visa whichever is earlier and granted only for the defined purpose as mentioned in rule 45(1)
6(a)	Manufacture or Proof Test or both, transfer, sale, keeping for sale, or	All [except III (f)]	Through-out India	Central Government in the Ministry of Home Affairs	Within the premises to be specified in the licence.	Central Government in the Ministry of Home Affairs	VII	For existing manufacturers holding licence in Form IX, the Renewing Authority shall be the

	transfer							State Government.
		III (f)	Through -out India	State Government	Within the premises to be specified in the licence.	District Magistrate	VII C	All existing manufacturers of all types of air weapons to obtain manufacturing licences within one year of the notification of these rules
Item No.	Purpose	Categories of arms/ammunition as defined in Schedule I	Place/ Class of persons	Licensing Authority	Area for which Licence can be granted	Renewing Authority	Form No.	Conditions
6(b)	Manufacture transfer, sale, keeping for sale, or transfer	V	State	District Magistrate	Within the premises to be specified in the licence.	District Magistrate	VII-A	-
6(c)	Manufacture transfer, sale, keeping for sale, or transfer replicas of firearms	III (g)	State	District Magistrate	Within the premises to be specified in the licence.	District Magistrate	VII-B	All existing manufacturers of replicas of firearms including of antique weapons to obtain new manufacturing licences within one year of the notification of these rules
7(a)	Sale, transfer or test (other than proof-test), and keeping for sale, transfer or test.	I (b) I (c)	State	State Government	Within the premises to be specified in the licence	State Government	VIII	-
		III V, VI	State	State Government	Within the premises to be specified in the licence.	District Magistrate	VIII	-
7(b)	Keeping for safe custody	For the categories of arms and ammunition in the licence						

		issued under S.No. 7(a)						
		I (b), I (c) III, V, VI	State	State Government	Within the premises to be specified in the licence.	District Magistrate	VIII	-
7(c)	Sale, transfer, and keeping for sale, transfer	III(f)(ii)	State	District Magistrate	Within the premises to be specified in the licence.	District Magistrate	VIII-A	All existing dealers of air weapons of category III(f)(ii) to obtain air weapon dealer licence within one year of the notification of these rules
Item No.	Purpose	Categories of arms/ ammunition as defined in Schedule I	Place/ Class of persons	Licensing Authority	Area for which Licence can be granted	Renewing Authority	Form No.	Conditions
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
8(a)	Licence to gunsmiths to convert, shorten, repair (major) or test (other than proof- test) or keeping for conversion, repair (major) or test (other than proof test) of firearms	I (b), I (c), III, VI (b)	State	State Government	Within the premises to be specified in the licence.	District Magistrate	IX	Other than that of category I(a) and II
8(b)	Licence to gunsmiths to repair (minor) or test (other than proof- test) or keeping for repair (minor) or test (other than proof test) of firearms	I(b), I(c), III	State	District Magistrate	Within the premises to be specified in the licence.	District Magistrate	IX-A	Other than that of category I(a) and II

9(a)	Import of arms and ammunition into India	(i) I (b) I (c)	(i) At any customs port in India.	(a) Central Govt. in the Ministry of Home Affairs	-	No renewal	I	-
		(ii) III	(ii) At any customs port in India.	(b) Central Government in the Ministry of Home Affairs.	-	No renewal	X	-
		(iii) Ammunition imported by the arms dealers for the obsolete bores and not manufactured in India IV, V, VI	(iii) At any customs port in India.	(c) District Magistrate of the place at which importer is located or in whose jurisdiction the port of import lies	-	No renewal	X	-
Item No.	Purpose	Categories of arms/ammunition as defined in Schedule I	Place/Class of persons	Licensing Authority	Area for which Licence can be granted	Renewing Authority	Form No.	Conditions
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		(iv) Sulphur	(iv) At ports of Kakinada, Tuticorin and Cochin.	(c) State Government in Andhra Pradesh, Tamil Nadu or Kerala.	-	No renewal	X	In reasonable quantities for medicinal, agricultural or industrial purpose.
9(b)	Export to a foreign territory	(i) All	(i) From any customs port in India to a port in a Foreign Territory.	(i) Central Government in the Ministry of Home Affairs or any officer specially empowered by the Central Government in the Ministry of Home Affairs	-	No renewal	X	-

		(ii) III(g) (i), IV, V, VI	(ii) From any customs port in India to a port in a foreign territory.	(ii) Government of the State in which the exporter is located	-	No renewal	X	-
9(c)	In-transit licence and licence for export and re-import	(i) All	(a) Between one port of India to another	(a) Central Government in the Ministry of Home Affairs or any officer specially empowered for the purpose by the Central Government in the Ministry of Home Affairs	-	No renewal	X	-
		(ii) III, IV, V, VI	(b) From any place in Nepal	(b) Ambassador of India in Nepal	-	No renewal	X	-
Item No.	Purpose	Categories of arms/ ammunition as defined in Schedule I	Place/ Class of persons	Licensing Authority	Area for which Licence can be granted	Renewing Authority	Form No.	Conditions
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
10	Carrying on journey in or through any port in India	All [except III(f)(ii), III (g) (ii)]	Through- out India	District Magistrate	India or any specified part thereof.	No renewal.	XI	-
11	Transport	I (b), I (c), III [except (f)(ii) and (g) (ii)] IV, V, VI.	Through- out India	District Magistrate	-	No renewal	XII	-
12	Transport licence for dispatch of gun-barrels/ completed firearms for proof-test	III	Through- out India	District Magistrate	-	No renewal	XIII	-
13	Licence to Transporter	I(b), I(c), III [except	Through- out India	State Government	India or any specified	District Magistrate	XIV	-

		(f)(ii) and (g) (ii) IV, V, VI			part thereof			
14	Import into, possession and transport out of India by Nepal Govt's forces and Police.	All	Nepal	Ambassador of India in Nepal	-	No renewal	XV	Subject to the confirmation by Central Government in the Ministry of Home Affairs
15	Firearm Free Zone	All	District	District Magistrate	Within the premises to be specified in the licence.	District Magistrate	XVI	

SCHEDULE III**PART - I
LICENCE FORMS****FORM - I**

Licence for –

(A) Acquisition / Possession / Import and Transport of firearms or ammunition of categories I (a) and II of Schedule I; and**(B) Import of firearms and ammunition of Categories I(b) and I(c) of Schedule I**

UIN _____

Name, description and residence of licensee and (agent if any)	Number of packages	Description with specification of caliber of artillery or other articles	Number of articles	COLUMNS TO BE FILLED IN CASE OF IMPORT OR TRANSPORT			Period for which the licence is valid	Use to which the articles are to be put
				Place of despatch and route	Place of destination	Name, description and residence of consignee		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

The.....of.....20.....

Date on which a copy is sent vide rule (7) to –

The District Magistrate ofdistrict

The.....of.....20.....

(Signature)

(SEAL)

Secretary / Joint Secretary
to the Government of India
Ministry of Home Affairs
or
Signature and designation of the officer specially
empowered to sign the licence under Rule 5

FORM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of renewal	Date on which renewed licence expires	Signature and designation of renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

In addition to the common conditions contained in rule 112 of these rules, this licence shall be subject to the following additional conditions –

1. This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
2. It covers only the arms and ammunition specified in columns 2, 3 and 4 and for the purposes shown in column 9.
3. In case of import or transport –
 - (a) an account of the contents of each package shall be legibly written thereon;
 - (b) bulk shall not be broken before the articles reach the place of destination;
 - (c) the articles shall be delivered only to a person lawfully entitled to receive them.
4. The licensee shall give prior intimation to the licensing authority concerned of his intention to break up or dispose of any firearms or ammunition or any part thereof; failing which proof of the articles having been broken up or disposed of, will have to be furnished to the satisfaction of the licensing authority.

FORM II

Licence for acquisition, possession and use of arms or ammunition of categories III (b), III (c), III (d), III (e), V or VI of Schedule I

UIN _____

Name, description and residence of licensee and agent (if any)	Number and description of arms	Ammunition		Place (with description) where articles are to be kept	Period for which the licence is valid
		Description	Quantity		
1	2	3	4	5	6

The.....of.....20

(Signature)

SEAL

Licensing Authority

Designation.....

Place

Form of Renewal of the Licence			
Date and year of renewal	Date on which renewed licence expires	Signature and designation of renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

In addition to the common conditions contained in rule 112 and specific safety conditions related to ingredients of ammunition contained in rule 113 of these rules, this licence shall be subject to the following additional conditions –

1. This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
2. It covers only the arms or ammunition specified in columns 2, 3 and 4, so long as they are kept in the place described in column 5, but does not authorise the licensee-
 - (i) to carry arms;
 - (ii) to keep Government arms or ammunition.
3. Where a licence in this form is granted for the possession of Potassium Chlorate by an educational institution, the following further conditions shall apply:
 - (a) The quantity of chlorate stored should be the minimum required for laboratory purposes as certified by the Head of the Institution to the licensing authority;
 - (b) The stock of chlorate possessed should be kept in a well-made cupboard or almirah under lock and key under the control and supervision of a responsible member of the staff and the place where the chemicals are kept should be adequately secured.;
 - (c) Accounts of issues and balances of chlorate possessed should be kept and checked with the actual stock at frequent intervals by a responsible member of the staff. The account book should be available for inspection on demand by any Magistrate or any Police Officer of a rank not below that of Inspector.

FORM III**Licence for the acquisition, possession, carrying and use of arms or ammunition for sport/target practice/protection/display of categories I(b), I(c), III, V, VI of Schedule I**

UIN	Serial No. of licence	Name, date of birth and residence of licensee	Arms and ammunition that the licensee is entitled to possess		
			Brief description of each weapon with details e.g. identification marks, manufacturer's serial number etc.	Quantity and description of each kind of ammunition	
				to be possessed at any one time	purchasable during the year
1	2	3	4	5	6

Area within which the licence is valid	Date on which the licence expires	Date on which the licence or the arms or both shall be produced for inspection before licensing authority under rule 18
7	8	9

The of 2000

Name (in capital)/Signature of the Licensing Authority

Designation

Place

SEAL

Or

Signature of the officer specially empowered to sign the licence under rule 5

Designation

Place

Retainer Particulars (in case of companies)		
1.	Name of the retainer	
2.	Father's name	
3.	Date of birth	
4.	Permanent address and nearest police station	
Note:- Photograph of the retainer to be affixed on the licence duly stamped and signed by the licensing authority		

Form of Renewal of Licence				
Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Name (in capital) / signature and designation of the renewing authority	Signature and designation of the officer specially empowered to sign the licence under rule 5	SEAL
1	2	3	4	5

CONDITIONS

In addition to the common conditions contained in rule 112 of these rules, this licence shall be subject to the following additional conditions –

- (1) This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959, and of the Arms Rules, 2016.
- (2) It covers only the person named, and the arms or ammunition described therein.
- (3) The licensee shall acquire and produce the arms together with the licence, within the time limit granted or extended as specified in column 9, before the licensing authority. If within the period so specified or extended the licensee fails to acquire the arms and to produce the licence or the arms or both, as the case may be, the licence shall cease to be in force.
- (4) The licensee, at the time of purchasing any arms or ammunition shall cause the following particulars to be endorsed upon his licence under the vendor's signature, namely –
 - (a) the name, description and residence of the person who takes delivery of the articles purchased;
 - (b) the nature and quantity of the articles purchased; and
 - (c) the date of purchase,

and if the arms or ammunition are purchased from any person other than a licensed dealer, shall also cause the particulars specified in clauses (b) and (c) to be furnished in writing to the authority who granted this licence within such period as may be prescribed for this purpose by such authority.

- (5) The licensee shall not purchase ammunition of any kind in excess of the maximum prescribed both for the amount purchasable in a year and for the amount that may be possessed at any one time as laid down in rule 23. If, however, a licensee exhausts the total quantity of ammunition purchasable in a year earlier than the close of the year, he may for good and sufficient reasons be given a temporary increase in the total quantity purchasable at the discretion of the licensing authority:

Provided that a licensee may be permitted, to purchase ammunition from any authorised arms and ammunition dealer of a neighbouring State, by the concerned licensing authority for any reasons deemed appropriate by it and endorsement to this effect shall be made on the licence by such licensing authority.

- (6) Without prejudice to the voidance of this licence for breach of any of the foregoing conditions, it shall be void if-
 - (a) the licensee dies, or
 - (b) any weapon-covered thereby-
 - (i) is sold or transferred; or
 - (ii) is attached in execution of a decree;

Provided that where a weapon is sold or transferred, the licensing authority may permit the holder of the licence to acquire a fresh weapon of the same description within such period as may be specified by him in this behalf and subject to fulfillment of condition (3) mentioned above.

- (7) The licensee shall not carry any firearm to a firearm free zone licensed under these rules. Further, the licensee shall not carry a firearm in a public place unless the firearm is carried –
- (a) in the case of a handgun –
- (i) in a holster or similar holder designed, manufactured or adapted for the carrying of a handgun and attached to his person; or
- (ii) in a rucksack or similar holder; or
- (b) in the case of another firearm, in a holder designed, manufactured or adapted for the carrying of a firearm.
- Further the firearm must be completely covered and the person carrying the firearm must be able to exercise effective control over such firearm.
- (8) The licensee shall not resort to brandishing of firearms in public place nor shall he carry or discharge a firearm in a built up area or any public place on the occasion of marriage, public assembly, fair or procession or any public event.
- (9) The licensee shall not point out any firearm, whether or not it is loaded or capable of being discharged, at any other person, without a good reason to do so.
- (10) The licensee shall ensure to keep his firearm in his possession at a secured place under lock and key when such firearm is not carried on his person or not under his direct control, however, he shall not deposit any firearm or ammunition in any bank locker.
- (11) The licensee shall in the event of any loss, theft or destruction of the arms licence or firearm shall report about such an event to the nearest police station within 24 hours after having become aware of the loss, theft or destruction of the licence or firearm.
- (12) The licensee shall submit the application for renewal of licence minimum sixty days prior to expiry of the validity period of his licence with the concerned licensing authority along with the payment of fees as applicable under Schedule IV.
- (13) Permission to possess Government arms or ammunition may be given by the licensing authority if empowered to do so by the Central Government by making an endorsement on the licence showing the Government arms or ammunition, which the licensee is authorised to possess.

Conditions for additional licences under rule 20

- (14) Additional licensee at the time of making an application for grant of an additional licence shall not hold any individual licence in his name. Further the additional licensee is not eligible to apply for an individual licence during the period he is an additional licensee.
- (15) The additional licensee is prohibited to acquire or purchase, sell or transfer, any arms and ammunition on his additional licence. Only the arms and ammunition endorsed on the parent licence may be got endorsed on the additional licence.
- (16) The period of validity and the area validity of the additional licence shall rank *pari-passu* with that of the parent licence. The validity of additional licence shall lapse with the parent licence and if in any eventuality the parent licence is suspended, revoked or cancelled, the additional licence shall also be subject to the same consequence.
- (17) In case the holder of additional licence shifts temporarily or permanently from the premises of the parent licensee, the additional licence shall automatically lapse and such additional licence shall have to be immediately surrendered to the licensing authority.

FORM III-A**Licence for possession and carrying by a retainer of an Exemptee of arms or ammunition for the purpose of sport/protection/display**

UIN	Serial No. of licence	Name, description and residence of the person exempted under Section 41 of the Act, who has nominated the licensee	Name and residence of the licensee	Name and residence of parent of the licensee	Arms or ammunition that licensee is entitled to possess and carry		Area of validity of licence, i.e. throughout India, State or District	Date on which licence expires, or the date on which the person specified in column 3 ceases to be exempted under section 41 of the Act, (whichever is earlier)
					Brief description of each weapon with details, e.g. identification marks, manufacturer's serial No. etc.	Quantity and description of each kind of ammunition		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

The of200

Name (in capital)/Signature of the
Licensing Authority

SEAL

Designation _____

Place _____

Or

Signature of the officer specially empowered to sign the licence
under Rule 5

Designation _____

Place _____

Form of Renewal of Licence

Date and year of renewal	Date on which renewed licence expired	Name (in capital) / signature and designation of renewing authority	Signature and designation of the officer specially empowered to sign the licence under rule 5	SEAL
1	2	3	4	5

CONDITIONS

In addition to the common conditions contained in rule 112 of these rules, this licence shall be subject to the following additional conditions –

1. This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959, and of the Arms Rules, 2016.
2. It covers only the person named in column 4 of this licence and the arms or ammunition described in columns 6 and 7.
3. This licence shall only be granted to a person nominated in that behalf and certified to be his own retainer by a person exempted under section 41 of the Act, and it shall only be granted in respect of the arms or ammunition specified in this behalf by, and being the property of, such exempted person.
4. The grant/renewal of this licence is subject to the condition that it shall expire on the date on which the person specified in column 3 of this licence ceases to be exempted under section 41 of the Act where such date is earlier than the date on which it would otherwise expire in the normal course.
5. The licensee shall not carry any arms covered by this licence otherwise than in good faith for the purpose of sport/protection/display.

Passport size
photograph of
the retainer to
be attested by
the company

FORM III - B
Permit
to Retainers of Companies

Licensee Particulars		
1.	Name of the company	
2.	Address as appearing on the licence	
3.	Licence Number and UIN	
4.	Period of validity of the licence	<i>DD/MM/YYYY</i>
5.	Area validity of the Licence	
6.	Name of the responsible person with designation	
<i>The person whose particulars are detailed below is hereby appointed to be an armed retainer of the company entitling him to possess, carry and use, for all lawful orders issued by me, as a responsible person of the company, the arms or ammunition mentioned in column 10 and 11, covered by the licence of the company as mentioned in column 3.</i>		
Retainer Particulars		
7.	Name of the retainer	
8.	Father's Name	
9.	Address of the retainer and nearest police station	
10.	Details of the weapon entrusted to the retainer	
	Type	
	Caliber/Bore	
	Weapon Number	
11.	Quantity of Ammunition entrusted to the retainer	
12.	Validity of the Permit up to	<i>DD/MM/YYYY</i>

13.	Signatures of the retainer	
<i>The retainer mentioned in column 7 shall carry this permit with him when carrying the arms or ammunition and shall not carry the arms or ammunition to an area not covered by the licence</i>		

Stamp and Seal of the
Licensing Authority

Signature with stamp of the responsible person
signing on behalf of the company

FORM IV

*Composite licence for acquisition/ possession/ carrying and use of arms or ammunition for
destruction of wild animals which do injury to human beings or cattle and damage to crops*

UIN	Licence Number	Name, description and residence of the licensee	Arms and ammunition		Place or area within which the licence is valid	Period for which the licence is valid	Date on which the licence or the arms or both shall be produced for inspection before the licensing authority under rule 18	
			Brief description of each weapon with details e.g., manufacturer's serial no. and identification marks, if any	Quantity and description of each kind of ammunition				
				Maximum to be possessed at any one time	Maximum purchasable during the year			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
In case of destruction of wild animals which do injury to human beings or cattle				In case of protection against damage to crops				
Specification of the wild beasts which are permitted to be destroyed under this licence as per the permit granted under the Wild life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) to the licensee				Title and residence of Magistrate to whom the licence and the weapon(s) must be shown between the 15 th November and 31 st December of each year				
10				11				

The of 20....

SEAL

(Signature)

Licensing Authority
Designation

Place

FORM OF RENEWAL OF LICENCE			
Date and year of renewal	Date on which renewed licence expired	Signature and designation of renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

In addition to the common conditions contained in rule 112 of these rules, this licence shall be subject to the following additional conditions –

1. This licence is granted subject to –
 - (a) all the provisions of the Arms Act, 1959, and of the Arms Rules, 2016;
 - (b) the provisions of sections 11 and 39 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), or other relevant sections, as the case may be, in respect of the State and Union Territory where the said Act is applicable.
2. The licensee shall not carry any arms covered by this licence otherwise than in good faith for destruction of wild animals which do injury to human beings or cattle and damage to crops beyond the place or area entered in column 7.
3. The licensee shall not purchase or possess ammunition of any kind in excess of the maximum allowed under columns 5 and 6 of the licence subject to the maximum limits laid down in rule 23.
4. At the time of purchasing any arms or ammunition the licensee shall cause the following particulars to be endorsed upon his licence under the vendor's signature namely:
 - (a) the name, description and residence of the person who takes delivery of the articles purchased;
 - (b) the nature and quantity of the articles purchased; and
 - (c) the date of purchase;

and if the arms are purchased from any person other than a licensed dealer, he shall also cause the particulars specified in clauses (b) and (c) to be furnished, in writing, to the authority who granted this licence within such period as may be prescribed for this purpose by such authority.

5. The licensee shall acquire and produce the arms together with the licence, within the time limit granted or extended as specified in column 9, before the licensing authority. If within the period so specified or extended the licensee fails to acquire the arms and to produce the licence or the arms or both, as the case may be, the licence shall cease to be in force.
6. For licence granted for destruction of wild animals which do injury to human beings or cattle and damage to crops, the licensee shall produce this licence and every weapon covered thereby before the magistrate referred to in column 11, once every year, between the 15th November and the 31st December.
7. Further,
 - (a) The licensee shall not lend any arms or ammunition covered by this licence to any person;
 - (b) Where, after the end of any harvest season, the State Government considers it expedient that for the protection of wild life in any area, any firearm or ammunition licensed in this form should be deposited in a police station or with a licensed dealer, it may, by order, require any licensee to so deposit such firearm or ammunition for such period as the arms are not required for protection of crops and as may be specified therein, and thereupon the licensee shall be bound to comply with such order.
8. Without prejudice to the voidance of this licence for breach of any of the foregoing conditions, it shall be void if-
 - (a) the licensee dies; or

- (b) any weapon-covered thereby-
- (i) is sold or transferred, or
- (ii) is attached in execution of a decree:

Provided that where a weapon is sold or transferred, the licensing authority may permit the holder of the licence to acquire a fresh weapon of the same description within such period as may be specified by him in this behalf.

FORM V

Licence for acquisition, possession and use, for the purpose of sport/target practice, of firearms or ammunition

UIN	Serial Number of the licence	Name description and location of the mess, club or association or firing range	Arms and ammunition that the licensee is entitled to possess		Place within which the licence is valid	Date on which the licence expires	Date on which the licence or the arms or both shall be produced for inspection before the licensing authority under rule 18
			Maximum to be possessed at any one time	Maximum purchasable during the year			
1	2	3	4	5	6	7	8

Theof200

Name (in capital)/signature of the Licensing Authority

Designation

Place

SEAL

Or

Signature of the officer specially empowered to sign the licence under Rule 5

Designation

Place

FORM OF RENEWAL OF LICENCE

Date and year of renewal	Date on which renewed licence expired	Name (in capital) / signature and designation of renewing authority	Signature and designation of the officer specially empowered to sign the licence under rule 5	SEAL
1	2	3	4	5

CONDITIONS

In addition to the common conditions contained in rule 112 of these rules, this licence shall be subject to the following additional conditions –

1. This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.

2. It covers only the mess, club, association or firing range named and the arms and ammunition described therein.
3. The licensee shall acquire and produce the arms together with the licence, within the time limit granted or extended as specified in column 8, before the licensing authority. If within the period so specified or extended the licensee fails to acquire the arms and to produce the licence or the arms or both, as the case may be, the licence shall cease to be in force.
4. The licensee shall, at the time of purchasing any arms or ammunition, cause the following particulars to be endorsed upon its licence under the vendor's signature, namely:
 - (a) the name, description and residence of the person who takes delivery of the articles purchased on behalf of the mess, club or association;
 - (b) the nature and quantity of the articles purchased; and
 - (c) the date of purchase;

and if the arms or ammunition are purchased from any person other than a licensed dealer, shall also cause the particulars specified in clauses (b) and (c) to be furnished in writing to the authority who granted this licence within such period as may be prescribed by that authority for this purpose.
5. No purchase of ammunition shall, however, be permitted except on a written certificate from the licensee certifying that with the amount proposed to be purchased, the total quantity of ammunition in his possession will not exceed the maximum which he is entitled to possess at any one time, or his total allowance for the year.
6. The mess, club, association or firing range shall not purchase or possess ammunition in excess of the quantities allowed under columns 4 and 5 of the licence or the maximum, which may, from time to time, be fixed by the Central Government for the amount purchasable in a year and for the amount that may be possessed at any one time. Proper inventory of ammunition acquired and consumed shall be maintained to include ammunition consumed for its own use and consumed by the registered members of such mess, club, association or firing range.

FORM V -A

AUTHORISATION LETTER		
<i>[to be issued by the lender under rule 36(4)]</i>		
Particulars of the Lender		
1.	Name of the lender dedicated sports person	
2.	UIN	
3.	Licence number	
4.	Period of validity of licence	
5.	Address as mentioned in the licence	
6.	Telephone/Mobile Number	
Particulars of the Borrower		
1.	Name of the borrower dedicated sports person	
2.	Parent /Spouse Name	
3.	Membership Number <i>(in case borrower is a registered member of rifle club or association)</i>	
4.	Residence address	

5.	Telephone/Mobile Number			
6.	Purpose of grant of Authorization (Training/Target-practice/ Sporting event)			
7.	Period for which the Authorisation is being issued (<i>maximum period: 3 months</i>)			
8.	Area within which the Authorization is valid			
9.	Name and address of the shooting range where the firearms and ammunition are to be carried			
Details of Arms and Ammunition which the Borrower is entitled to carry and use for training/target practice				
	Particulars	Firearm 1	Firearm 2	Firearm 3
	<u>Detail of Firearms</u>			
	Type			
	Bore			
	Number			
	<u>Ammunition</u>			
	Number of cartridges			
	<u>Accessories</u>			

(Name and Signature of the lender)

FORM V - B

PASS TO MEMBER OF RIFLE CLUB/ASSOCIATION (<i>to be issued on the printed letter head of club/association</i>)	
Licensee particulars	
1.	Name of the rifle club/ association
2.	UIN
3.	Licence number
4.	Name of the responsible person
5.	Registered address
6.	Telephone/Mobile Number
Particulars of the Member to whom the Pass is being issued	
1.	Name of the Member
2.	Parent/Spouse Name
3.	Membership Number

4.	Residence address	
5.	Telephone/Mobile Number	
6.	Purpose of grant of Pass (Repair/Training / Target Practice/Sporting Event)	
7.	Period for which the Pass is being issued	
8.	Area within which the Pass is valid	
9.	Name and address of the gun-smith or the shooting range where the firearms and ammunition are to be carried	

Details of Arms and Ammunition which the Pass holder is entitled to carry for repair/training/target practice

Particulars	Firearm 1	Firearm 2	Firearm 3
<u>Detail of Firearms</u>			
Type			
Bore			
Number			
<u>Ammunition</u>			
Number of cartridges			
<u>Accessories</u>			

To be signed/stamped by the responsible person
on behalf of the shooting club/association

FORM VI

TEMPORARY IMPORT/EXPORT LICENCE

Licence Number _____

*Category of licensee as applicable	Name and description of licensee, nationality and passport number of the licensee or group leader or manager of the sporting team/group	Arms or ammunition that the licensee of category mentioned in column (1) is entitled to possess and carry		Place of arrival in India	Place of departure from India	Period for which the licence is valid
		Brief description of each weapon	Quantity and description of each kind of ammunition			
1	2	3	4	5	6	7

The....of....20.....

(SEAL)

(Signature)

Licensing Authority
Designation
Place

*Categories of licensees as per column 1 above

Category	Type of licence	Category of arms specified in Schedule I
(a)	that sports person (s) is/are entitled to import into, possession, use (for shooting sport events), journey in, transport across and export out of India for the duration of the shooting sport event or till the validity of visa, whichever is earlier	III
(b)	that tourist is entitled to acquire/ possess (but not use) during the course of his stay in / carrying in / export out of India	III, IV, V (Made in India)
(c)	that a foreign visitor is entitled to import into, possession, display at a trade or sport show and export out of India	III
(d)	that an official of a foreign government or a distinguished foreign visitor or a foreign law enforcement officer with the prior approval of MEA is entitled to import into, possess, carry and export out of India	III
(e)	that a legitimate person with the prior approval of Central Government is entitled to import into, possess, carry and export out of India	III

CONDITIONS

1. This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
2. It covers only the persons named, and the arms or ammunition described therein.
3. On arrival at any Indian port, the licence together with the passport/visa, shall be presented to the licensing authority of the port of arrival, along with an undertaking from the licensee that the arms or ammunition endorsed on the licence shall not be sold or transferred to any person during his stay in India, wherein an entry to this effect shall also be made by the licensing authority in the passport/visa giving full particulars of the arms and ammunition for which the licence has been granted.
4. The licensee shall not, unless specially empowered in this behalf by the authority granting the licence, carry arms or ammunition to a fair, religious procession or other public assemblage or within the campus or precincts of any educational institution or any firearm free zone while and during his stay in India.
5. The licensee shall –
 - (a) on demand by any magistrate, police officer or any authorised officer produce the firearms covered by this licence;
 - (b) forthwith give information at the nearest police station of the loss or theft of any arms or ammunition covered by the licence.

The licensee, while in India, is prohibited to sell or transfer any arms or ammunition or part thereof covered by this licence, to any person.

6. The licensee shall produce the firearm at the time of leaving India and return his licence to the passport-checking authority or other officer empowered by the district magistrate in this behalf at the port or other place of departure from India.
7. Export of category IV arms shall be allowed only if the application is accompanied by a certificate from the Director-General of Archaeology of the Central Government to the effect that the arms intended to be exported do not fall within the definition of “antiquity” under the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972).

FORM VII**Licence for**

Manufacture **Proof Test** **Manufacture and Proof Test**

of**Firearms/Ammunition**

UIN _____ **Licence Number** _____

Name, description and business address of licensee	Description of firearms allowed to be manufactured		Description of ammunition allowed to be manufactured		Categories of firearms allowed to be proof-tested	Name of range or other place where allowed to test	Date on which the licence expires
	Category	Annual production (Number)	Category	Annual production (Number or Weight in Kgs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8

The.....of.....20.....

Date on which a copy is sent vide rule 7(2) to –

The District Magistrate ofdistrict

The State Government of

The.....of.....20.....

(Signature)

Secretary / Joint Secretary
to the Government of India
Ministry of Home Affairs

or

Signature and designation of the officer specially empowered
to sign the licence under Rule 5

(SEAL)

FORM OF RENEWAL OF LICENCE			
Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature and designation of renewing authority	SEAL
1	2	3	4

Conditions

1. (a) This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
(b) This licence entitles the licensee to manufacture or proof-test firearms or ammunition as specified in column 3 and 5 respectively.
2. The licensee shall be required to construct the factory premises, set-up plant and machinery within 7 years of the grant of licence.
3. The licensee is permitted to conduct trial runs and develop proto-types within the initial validity period of licence.

4. The licensee should preferably be self-sufficient in areas of product design and development and should have maintenance and life cycle support facility of the product to be manufactured or proof-tested.
5. The standards and testing procedures for firearms and ammunition to be produced under licence from foreign collaborators or from indigenous research and development shall be provided by the licensee to the Government nominated Quality Assurance Agency, which will inspect the finished product in the trial run and conduct surveillance and audit of the Quality Assurance Procedures before the licensee applies for permission for commencement of commercial production.
6. The licensee setting up a new manufacturing or proof test facility shall fully comply with the security conditions contained in the Security Manual prepared by the Department of Defence Production, Ministry of Defence before filing intimation for commencement of commercial production for manufacture of firearms and ammunition.
 - (a) This licence entitles the licensee to take any arms or ammunition for testing to an accredited shooting range with prior permission of the licensing authority.
 - (b) This licence is valid only so long as the licensee carries on the manufacture and/or proof-test in the premises shown in column 1 thereof, and will *ipso facto* lapse if the business is discontinued for a continuous period exceeding six months.
 - (c) The licensee shall not enter into any partnership connected with this licence without the approval of the licensing authority.
7. The licensee shall maintain registers of all arms manufactured or proof-tested, of all ammunition manufactured, or transferred, of all stock in hand, and of all sales, showing the particulars in such forms as prescribed in the rules. Further, the licensee shall carry on the work of proof testing and stamp proof-marks on the firearms, which are proved, in accordance with rule 59 of these rules.
8. The licensee shall make available for inspection his stock and his registers on the demand of any magistrate or any police officer of a rank not below that of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector.
9. The licensee shall affix on a conspicuous part of his place of business and factory a signboard on which shall be painted in large letters in English / Hindi and in the language of the district his name and the words "Licensed to manufacture and/or proof test Firearms and Ammunition"
10. The licensee shall not manufacture firearms and ammunition of any category or description other than those allowed to be manufactured under column 2 and 4; nor expand his business, except with the prior permission of the Central Government and subject to such conditions as may be prescribed by the Central Government.
11. The licensee shall not sell to anyone any firearm manufactured by him unless such firearm -
 - (a) is duly proof-tested at a Government establishment or a proof house licensed under these rules or in case of a composite licence proof-tested in house;
 - (b) bears proof-mark; and
 - (c) bears identification marks required by rule 58.
12. The licensee shall not sell firearms or ammunition elsewhere than at the place of business or factory specified in column 1.
13. The licensee shall at the time of sale or transfer of a firearm enter in his register the manufacturer's serial number and other identification marks, if any, stamped on the fire-arm at the time of manufacture or otherwise.

- 14 The licensee shall give information of all sales or transfers of arms and ammunition, to such persons and in such manner as the Central Government may direct.
- 15 The licensee shall not sell or transfer any quantity of ammunition to any person licensed to possess or carry arms or ammunition without his first obtaining a written certificate from such person to the effect that, with the quantity of ammunition proposed to be purchased by him, the total quantity in his possession will not exceed the maximum quantity which he is entitled to possess at any one time or his total allowance for the year:

Provided that he shall not, in any case, sell or transfer to any person any quantity of ammunition in excess of the maximum which may be fixed by the Central Government for such person or which is endorsed on such person's licence.

- 16 The licensee shall, at the time of sale or transfer of any arms or ammunition to a person holding a licence in Form III, Form IV or Form V endorse on the licence -
- (a) the name, description and residence of the person who takes delivery of the articles sold or transferred,
 - (b) the nature and quantity of the articles sold or transferred, and
 - (c) the date of sale or transfer; and
- shall sign the endorsement (and affix his seal).
- 17 The licensee shall not sell firearms and ammunition to an officer, non-commissioned officer or soldier of the armed forces of the Union, unless such person produces a written pass or permit signed by his Commanding Officer, and then only to the extent and on the conditions specified in such pass or permit.

Conditions related to Inventory Management System as per rule 56(5)

1.1 Separation of powers

Checks and balances should be put in place to ensure that personnel involved in the management of manufacturing of arms and ammunition facility do not simultaneously hold responsibilities that would make it easier for them to steal or otherwise divert firearms while hiding their malfeasance from view.

For example, -

- (a) the same personnel should not be responsible simultaneously for conducting storekeeping, accounting and auditing functions;
- (b) personnel responsible for physically verifying the transfer of firearms should not be responsible for compiling the physical records of the firearm transfers;
- (c) Personnel responsible for firearms accounting should not participate in stock checks without the direct supervision of storage personnel;
- (d) Regular external audits of firearms stocks should be carried out by independent bodies.

1.2 Firearms Account

An account shall be maintained at each manufacturing facility that records the following information for each firearm in storage:

- (a) make;
- (b) model;
- (c) caliber;
- (d) serial number;
- (e) date entered into finished stock;
- (f) date transferred/sold/exported;
- (g) record of modifications and/or repairs; and
- (h) overall quantity of firearms, disaggregated by type.

The firearms account should be in electronic form and shall be 'backed up'. Backups should be in both electronic and hard copy, but may be only in hard copy. In addition uploading of data on NDAL for the current week transactions is mandatory by the close of business hours on every Saturday. Whatever form the backups take, they shall be stored separately from the original and from each other in order to prevent the loss of all data in the event of theft, fire, etc. at the weapons accounting office. Firearms accounts should be kept indefinitely.

1.3 Issue of firearms

Only authorised officials shall remove firearms and ammunition from manufacturing unit's storage areas. A system to positively identify and authenticate persons authorised to remove firearms from storage areas shall be developed and implemented.

Such a system should include a register or log, which can be easily cross- referenced with the firearms account that records at least the following information:

- (a) name and signature of individual removing firearm(s);
- (b) date and time of issue and return of firearm(s);
- (c) make, model and serial number of firearm(s) removed and returned; and
- (d) purpose of removal of firearm(s).

1.4 Stock checks

The contents of firearms stock shall be verified on a regular basis against the firearm account, specifically, -

- (a) a physical stock check by quantity and type of firearms should be conducted –
 - every day in the case of smaller volume manufacturing unit;
 - every week in the case of larger volume manufacturing unit.
- (b) a physical stock check by serial number should be conducted on at least 10% of the firearms in stock –
 - every week in the case of smaller volume manufacturing unit, and
 - every month in the case of larger volume manufacturing unit
- (c) a 100% physical stock check by quantity, type and serial number should be conducted –
 - every six months, regardless of the quantity of firearms in storage, and
 - whenever the custody of keys is permanently transferred between an in-coming and outgoing key custodian.

1.5 Reporting of losses and investigations

Any suspected loss or theft of a firearm shall immediately be reported to the appropriate authority, which should immediately instigate an independent investigation by an individual or organisation unconnected with the firearms management system.

An investigation report should be compiled, including the following information:

- (a) identity of the firearm, including its
 - (1) make,
 - (2) model,
 - (3) caliber,
 - (4) serial number

- (b) date, location and unit involved;
- (c) summary of circumstances of loss;
- (d) explanation of loss (e.g. negligence, theft, etc.);
- (e) disciplinary and/or criminal action taken;
- (f) recommendations to prevent a reoccurrence;
- (g) date and location of recovery of the firearm(s) (if applicable);
- (h) summary of circumstances of recovery (if applicable)

The identity of lost or stolen firearms, as set out in (a) above, shall be recorded and retained in NDAL system in order to facilitate their timely identification upon recovery.

When processing inventory adjustments, no firearm loss shall be attributed to an accounting or inventory discrepancy unless an investigation has determined that the loss was not a result of theft.

1.6 Determination of surplus stocks

It is the prerogative of the manufacturing units to review the types and numbers of firearms with a view to determining the types and numbers of firearms that have become surplus to national/international requirements.

Surplus stocks are understood as functioning firearms (including their parts, components and ammunition) that are no longer required by the armed services of the State in order to ensure internal and external security nor could be exported to legitimate buyers. Firearms determined to be surplus should be -

- (a) officially declared as surplus;
- (b) recorded as surplus in the firearms account;
- (c) taken out of service;
- (d) stored separately; and
- (e) destroyed in accordance with the guidelines

FORM VII -A

Licence to manufacture, sale, transfer, keeping for sale, transfer arms and ammunition of category V of Schedule I

1	2	3	Description of arms allowed to be manufactured (category V only)		6
			4	5	
1	2	3	4	5	6

The of..... 20 (SEAL)

(Signature)

Licensing Authority _____ or
Specially empowered officer to
sign the licence under rule (5)

Designation _____

Place _____

FORM OF RENEWAL OF LICENCE			
Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature and designation of the renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

1. (a) This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
- (b) This licence is valid only so long as the licensee carries on the trade or business in the premises shown in column (3) thereof, and will *ipso facto* lapse if the business is discontinued for a continuous period exceeding six months.
- (c) The licensee shall not enter into any partnership connected with this licence without the approval of the licensing authority.
2. The licensee shall not sell or transfer any arms of category V to a person residing in an area to which section 4 of the Act applies, unless the said person produces a licence, or is exempted from the obligation to take out a licence, to acquire, possess or carry such arms in that area.
3. The licensee shall maintain registers of all arms and ammunition manufactured, or transferred, of all stock in hand, and of all sales, showing the particulars in such forms as may be prescribed for the purpose by the Central Government under rule 86.
4. The licensee shall make available for inspection his stock and his registers on the demand of any magistrate or any police officer of a rank not below that of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector.
5. The licensee shall affix on a conspicuous part of his place of business, factory or shop a signboard on which shall be painted in large letters in English / Hindi and in the language of the district his name and the words "Licensed to manufacture /transfer / sell arms or ammunition of Category V".
6. The licensee shall not manufacture arms of any category or description other than those allowed to be manufactured under column (4).

FORM VII -B**Licence to manufacture, sale, transfer, keeping for sale, transfer replicas of firearms**

UIN	Licence number	Name, description and business address of licensee	Description of replicas of firearms allowed to be manufactured		Date on which the licence expires
			Category of arms	Annual production (Number)	
1	2	3	4	5	6

The of..... 20 (SEAL)

(Signature)

Licensing Authority _____ or
Specially empowered officer to
sign the licence under rule (5)_____
Designation _____

Place _____

FORM OF RENEWAL OF LICENCE			
Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature and designation of the renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

1. (a) This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
- (b) This licence is valid only so long as the licensee carries on the trade or business in the premises shown in column (3) thereof, and will *ipso facto* lapse if the business is discontinued for a continuous period exceeding six months.
- (c) The licensee shall not enter into any partnership connected with this licence without the approval of the licensing authority.
2. The licensee shall maintain registers of all arms and ammunition manufactured, or transferred, of all stock in hand, and of all sales, showing the particulars in such forms as prescribed under rule 70.
3. The licensee shall make available for inspection his stock and his registers on the demand of any magistrate or any police officer of a rank not below that of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector.
4. The licensee shall affix on a conspicuous part of his place of business, factory or shop a signboard on which shall be painted in large letters in English / Hindi and in the language of the district his name and the words "Licensed to manufacture /transfer / sell replicas of firearms".
5. The licensee shall not manufacture replicas of arms of any category or description other than those allowed to be manufactured under column (4).

FORM VII - C**Licence to manufacture, sale, transfer, keeping for sale, transfer air weapons including air rifles and air pistols**

UIN	Licence number	Name, description and business address of licensee	Description of air weapons allowed to be manufactured		Date on which the licence expires
			Types of air weapons with muzzle energy and calibers	Annual production (Number)	
1	2	3	4	5	6

The of..... 20 (SEAL)

(Signature)

Licensing Authority _____ or
Specially empowered officer to
sign the licence under rule (5)_____
Designation _____

Place _____

FORM OF RENEWAL OF LICENCE			
Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature and designation of the renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

1. (a) This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
(b) This licence is valid only so long as the licensee carries on the trade or business in the premises shown in column (3) thereof, and will *ipso facto* lapse if the business is discontinued for a continuous period exceeding six months.
(c) The licensee shall not enter into any partnership connected with this licence without the approval of the licensing authority.
2. The licensee shall not sell or transfer any air weapons including air rifles and air guns having muzzle energy more than 20 joules or 15 ft-lbs and/or bore more than 0.177" or 4.5 mm to a person, unless the said person produces a licence, or is exempted from the obligation to take out a licence, to acquire, possess or carry such air weapons.
3. The licensee shall not sell or transfer any air weapons including air rifles and air guns having muzzle energy less than 20 joules or 15 ft-lbs and/or bore less than 0.177" or 4.5 mm to a person, without first obtaining an identification proof and residence proof from the said buyer thereof.
4. The licensee shall maintain registers of all air weapons manufactured, or transferred, of all stock in hand, and of all sales, showing the particulars in such forms as specified in rule 65.
5. The licensee shall make available for inspection his stock and his registers on the demand of any magistrate or any police officer of a rank not below that of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector.
6. The licensee shall affix on a conspicuous part of his place of business, factory or shop a signboard on which shall be painted in large letters in English / Hindi and in the language of the district his name and the words "Licensed to manufacture /transfer / sell air weapons".
7. The licensee shall not manufacture air weapons of any type or description other than those allowed to be manufactured under column (4).

Form VIII**Composite licence for arms and ammunition dealers**Dealer Licen Deposit of Arms

Serial No. of licence _____ UIN _____

Date and year on which the licence expires ____/____/____

Name, description and business address of the licensee	Description and number of arms		Description and quantity of ammunition		Name of the accredited shooting range where allowed to test
	To be sold or kept for sale etc.	To be deposited for safe custody under rule 48 or under section 21	To be sold or kept for sale etc.	To be deposited for safe custody under rule 48 or under section 21	
1	2	3	4	5	6

The of..... 20 (SEAL)

(Signature)

Licensing Authority _____ or
Specially empowered officer to
sign the licence under rule (5)

Designation _____

Place _____

FORM FOR RENEWAL OF THE LICENCE			
Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature, designation of the renewing authority or specially empowered officer	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

1. (a) This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016;
- (b) This licence entitles the dealer to take any arms or ammunition for testing or firing for demonstration to an accredited shooting range only after obtaining prior permission of the licensing authority;
- (c) This licence is valid only so long as he carries on the trade or business at the premises shown in column 1 thereof, and will *ipso facto* lapse if the business is discontinued for a continuous period exceeding six months.
2. The licensee shall maintain registers of all arms and ammunition in stock and deposit; and of all sales showing the particulars in such manner and forms as laid down in the rule 75.
3. The licensee shall make available for inspection his stock and his registers on the demand of any magistrate or any police officer of a rank not below that of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector.
4. The licensee shall affix on a conspicuous part of his place of business or shop, a signboard, on which shall be painted in large letters in English/Hindi and in the local language his name and the words "Licensed to sell/transfer arms and ammunition as per the category of the licence granted".
5. The licensee shall not sell the arms or ammunition covered by the licence, elsewhere than at the place of business specified in column 1.
6. The licensee shall at the time of sale or transfer of any arms or ammunition to a person holding a licence in Form II, Form III, Form IV and Form V endorse on the licence-
 - (a) the name, description and residence of the person who takes delivery of the articles sold or transferred;
 - (b) the nature and quantity of the articles sold or transferred; and
 - (c) the date of sale or transfer;
 and shall sign the endorsement and affix his seal.
7. The licensee shall at the time of sale or transfer of a weapon enter in his register, the manufacturer's serial number and other identification marks, if any, stamped on the firearm at the time of manufacture or otherwise.
8. The licensee shall give information of all sales or transfers of arms and ammunition, to such person and in such manner as the Central Government may direct.
9. The licensee shall not sell or transfer ammunition to any person, licensed to possess or carry arms, without his first obtaining a written certificate from such person to the effect that, with the quantity of ammunition proposed to be acquired by him, the total quantity of ammunition in his possession shall not exceed the maximum quantity which he is entitled to possess at any one time or his total allowance for the year:

Provided that he shall not in any case sell or transfer to any person any quantity of ammunition in excess of the maximum which may be fixed by the Central Government for such person or which is endorsed on such person's licence.
10. Subject to the other conditions contained herein, no licensee shall, without reasonable cause, refuse to sell arms or ammunition to any person who is entitled to purchase or acquire such arms or ammunition under the provisions of the Arms Act, 1959 or the Arms Rules, 2016.

11. During any period when the licensed premises are closed for business purposes, all firearms and ammunition, which are on the premises, must be locked in a strong room or safe, for safe custody of firearms.
12. During any period when the licensed premises are open for business or any other purpose, firearms and ammunition which are not displayed must be locked in a strong room or safe for safe custody of firearms.
13. The licensee may display firearms or ammunition during the business hours, however displayed firearms must be unloaded and in the case of handguns, locked in a display counter or cabinet that prevents the unauthorised access to the handguns displayed therein and in the case of other firearms excluding handguns, must be rendered inoperable by means of a secure locking device or securely attached with a metal attachment to a non-portable structure in such a manner that it cannot readily be removed. Further the firearm shall not be displayed with ammunition that can be discharged from it.
14. The dealer may not at any time display or exhibit any firearms, and ammunition in any showcase or show-window which directly goes out on or overlooks any public street, road, thoroughway or public place where to the general public has access, or permit it to be displayed or exhibited or cause it to be so displayed or exhibited.
15. The dealer and all persons employed by the dealer must be conversant with the provisions of the Arms Act, 1959 and the Arms Rules, 2016 and shall undergo the prescribed training for weapon handling and safe storage as mentioned in rule 10 and will ensure that –
 - (i) during business hours proper control is, at all times, exercised over all the firearms and ammunition;
 - (ii) the prescribed registers are properly maintained;
 - (iii) every reasonable precaution is taken against the loss or theft of the firearms and ammunition.

Conditions applicable on arms and ammunition kept for safe custody and under section 21

16. It covers only arms or ammunition of the description given in column 3 and 5 so long as they are kept in place described in column 1, but does not authorise the licensee to carry arms.
17. The licensee shall maintain separate registers of all arms or ammunition deposited with him under this licence –
 - (i) under Section 21 of the Act, and
 - (ii) for safe custody otherwise than under Section 21 of the Act,showing particulars in such forms and manner as laid down in sub-rule (3) of rule 76 of these rules.
18. The licensee shall not receive for deposit arms or ammunition without verifying –
 - (a) that they are not being deposited with any *mala fide* intention; and
 - (b) in case they are being deposited otherwise than under Section 21 of the Act, that they are covered by a valid licence issued under these rules.
19. On the expiry of the period prescribed for forfeiture of the arms or ammunition deposited, the licensee shall deposit them in the malkhana of the district or such other place as may be specified by the State Government for the purpose.

Form VIII-A**Licence for air weapon dealers**

Serial No. of the licence	U.I.N.	Name, description and business address of the licensee	Description and number of air weapons to be sold or kept for sale	Description and quantity of ammunition for air weapons to be sold or kept for sale	Date and year on which the licence expires
1	2	3	4	5	6

The of..... 20 (SEAL)

(Signature)

Licensing Authority _____ or
Specially empowered officer to
sign the licence under rule (5)_____
Designation _____

Place _____

FORM FOR RENEWAL OF THE LICENCE			
Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature, designation of the renewing authority or specially empowered officer	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

1. (a) This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016;
- (b) This licence is valid only so long as the licensee carries on the trade or business at the premises shown in column (3) thereof, and will *ipso facto* lapse if the business is discontinued for a continuous period exceeding six months.
2. The licensee shall maintain registers of all arms and ammunition in stock and deposit; and of all sales showing the particulars in such manner and forms as laid down in the rule 85.
3. The licensee shall make available for inspection his stock and his registers on the demand of any magistrate or any police officer of a rank not below that of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector.
4. The licensee shall affix on a conspicuous part of his place of business or shop, a signboard, on which shall be painted in large letters in English/Hindi and in the local language his name and the words "Licensed to sell/transfer air weapons".
5. The licensee shall not sell the arms or ammunition covered by the licence, elsewhere than at the place of business specified in column (3).
6. The licensee shall not sell or transfer any air weapons including air rifles and air guns having muzzle energy less than 20 joules or 15 ft-lbs and/or bore less than 0.177" or 4.5 mm to a person, without first obtaining an identification proof and residence proof from the said buyer thereof.

7. The licensee shall at the time of sale or transfer of an air weapon enter in his register, the manufacturer's serial number and other identification marks, if any, stamped on the air weapon at the time of manufacture or otherwise.
8. The licensee shall give information of all sales or transfers of air weapons, to such person and in such manner as the Central Government may direct.
9. Subject to the other conditions contained herein, no licensee shall, without reasonable cause, refuse to sell air weapons or their ammunition to any person who is entitled to purchase or acquire such air weapons or ammunition under the provisions of the Arms Act, 1959 or the Arms Rules, 2016.
10. During any period when the licensed premises are closed for business purposes, all air weapons and ammunition, which are on the premises, must be locked under lock and key or a safe, for safe custody of firearms.
11. During any period when the licensed premises are open for business or any other purpose, air weapons and ammunition which are not displayed must be locked under lock and key or a safe for safe custody.
12. The licensee may display air weapons or ammunition during the business hours, however displayed air weapons must be unloaded and in the case of air pistols, locked in a display counter or cabinet that prevents the unauthorised access to the air pistols displayed therein and in the case of other air weapons excluding air pistols, must be rendered inoperable by means of a secure locking device or securely attached with a metal attachment to a non-portable structure in such a manner that it cannot readily be removed. Further the air weapons shall not be displayed with ammunition that can be discharged from it.

Form IX**Licence to gunsmiths to convert, shorten, repair (major) or test (other than proof-test) or keeping for conversion, repair (major) or test (other than proof test) of firearms**

UIN _____ Licence Number _____

Name, description and business address of licensee	Description of firearms allowed to be converted, shortened, repaired (major), tested (other than proof-test) or to be kept for conversion, shortening, repair (major) or test (other than proof-test)		Description of ammunition allowed to be possessed for testing the firearms repaired and Description of ammunition allowed to be converted		Date on which the licence expires
	Category	Quantity (Number)	Category	Quantity (Number or Weight in Kgs.)	
1	2	3	4	5	6

The of..... 20 (SEAL)

(Signature)

Licensing Authority _____ or

Specially empowered officer to sign the licence under rule (5)

Designation _____

Place _____

FORM OF RENEWAL OF LICENCE			
Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature and designation of the renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

1. (a) This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016;
- (b) This licence is valid only so long as he carries on the trade or business at the premises shown in column 1 thereof, and will *ipso facto* lapse if the business is discontinued for a continuous period exceeding six months.
- (c) The licensee shall not enter into any partnership connected with this licence without the approval of the licensing authority.
2. The licensee shall maintain registers of all arms and ammunition converted or shortened or repaired (major) showing the particulars in such forms as prescribed under rule 82 of these rules.
3. The licensee shall make available for inspection his registers on the demand of any magistrate or any police officer of a rank not below that of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector.
4. The licensee shall affix on a conspicuous part of his place of business, factory or shop a signboard on which shall be painted in large letters in English / Hindi and in the language of the district his name and the words "Licensed to convert/shorten and repair (major) arms and ammunition".
5. The licensee shall not convert, shorten or repair (major) arms and/or ammunition of any category or description other than those allowed under column 2 and 4.
6. The licensee shall not convert/shorten/repair (major) arms or ammunition elsewhere than at the place of business or factory specified in column 1.
7. This licence entitles the licensee to fabricate components and parts of firearms for the purpose of repair of firearms of the categories shown in column 2, but does not entitle him to manufacture such components or parts for the purpose of or utilised for assembling into complete arms or ammunition. Conversion of arms of restricted category [Category I(b) and I(c)] and of obsolete caliber weapons, which have gone out of production or for which no ammunition is readily available, into permissible category arms is allowed under this licence subject to the prior permission of the licensing authority. Replacement of barrels of weapons falling under major repair is also permissible subject to condition 8.
8. The licensee shall not shorten the barrel of any firearm to less than 20 inches in any case.
9. This licence does not entitle the licensee to convert blank cartridges or any ammunition having no projectile into single/multiple projectile ammunition or to load or re-load any ammunition.
10. During any period when the licensed premises are closed for business purposes, all firearms and ammunition, which are on the premises, shall be locked in a strong room or safe for safe custody of firearms.
11. During any period when the licensed premises are open for business or any other purpose, firearms and ammunition which are not displayed shall be locked in a strong room or safe for safe custody of firearms.
12. The licensee may display firearms on which he has performed work in accordance with the provisions of arms rules, in order to promote his craftsmanship, however displayed firearms must be unloaded and in the case of handguns, locked in a display counter or cabinet that prevents the unauthorised access to the handguns displayed therein.
13. The licensee may only deactivate a firearm with the prior consent of the licensing authority.
14. The licensee is allowed to employ a person as an apprentice if such person is registered for such an apprenticeship under the labour laws applicable in India and must exercise personal control or supervision over such apprentice who performs any work on a firearm.

15. The licensee shall ensure the establishment of the approved safe or strong-room before commencement of business under the licence granted to him.

Form IX-A**Licence to gunsmiths to repair (minor) or test (other than proof-test) or keeping for repair (minor) or test (other than proof test) of firearms**

UIN _____ Licence Number _____

Name, description and business address of licensee	Description of firearms allowed to be repaired (minor) or to test (other than proof test) or keeping for repair (minor) or test (other than proof test)		Description of ammunition allowed to be possessed for testing the firearms repaired (minor)		Date on which the licence expires
	Category	Quantity (Number)	Category	Quantity (Number or Weight in Kgs.)	
1	2	3	4	5	6

The of..... 20 (SEAL)

(Signature)

Licensing Authority _____ or

Specially empowered officer to sign the licence under rule (5)

Designation _____

Place _____

FORM OF RENEWAL OF LICENCE			
Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature and designation of the renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

- This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
 - This licence is valid only so long as the licensee carries on the trade or business in the premises shown in column 1 thereof, and will *ipso facto* lapse if the business is discontinued for a continuous period exceeding six months.
 - The licensee shall not enter into any partnership connected with this licence without the approval of the licensing authority.
- The licensee shall maintain registers of all arms and ammunition repaired (minor) showing the particulars in such forms as prescribed under rule 82 of these rules.
- The licensee shall make available for inspection his registers on the demand of any magistrate or any police officer of a rank not below that of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector.

4. The licensee shall affix on a conspicuous part of his place of business, factory or shop a signboard on which shall be painted in large letters in English / Hindi and in the language of the district his name and the words "Licensed to repair (minor) arms and ammunition".
5. The licensee shall not shorten the barrel of any firearm to less than 20 inches in any case.
6. During any period when the licensed premises are closed for business purposes, all firearms and ammunition, which are on the premises, shall be locked in a strong room or safe for safe custody of firearms.
7. During any period when the licensed premises are open for business or any other purpose, firearms and ammunition which are not displayed shall be locked in a strong room or safe for safe custody of firearms.
8. The licensee may display firearms on which he has performed work in accordance with the provisions of arms rules, in order to promote his craftsmanship, however displayed firearms must be unloaded and in the case of handguns, locked in a display counter or cabinet that prevents the unauthorised access to the handguns displayed therein.
9. The licensee is allowed to employ a person as an apprentice if such person is registered for such an apprenticeship under the labour laws applicable in India and must exercise personal control or supervision over such apprentice who performs any work on a firearm.
10. The licensee shall ensure the establishment of the approved safe or strong-room before commencement of business under the licence granted to him.

Form X

**COMPOSITE IMPORT/EXPORT LICENCE FOR
ARMS AND AMMUNITION**

Import Export Export for Re- Import In Transit

<i>Category of Item as per Schedule I - (please specify) _____</i>			
Licence No.		UIN	
Port of Import		Port of Export	

1.	Name, description and address of the licensee	
2.	Name, description and address of agent (if any) authorised for the purpose of this consignment	
3.	Number of packages	
4.	ARMS	
	Description	
	Quantity	
5.	AMMUNITION	
	Description	
	Weight (in Kgs) or Number	
6.	Purpose for which required	
7.	In case of Import, place where articles ported imported stored or deposited	
8.	Place of despatch and route	
9.	Place of destination	
10.	Name, description and address of the	

	consignee	
11.	Period of validity of Licence	

The of..... 20 (SEAL)

(Signature)

Licensing Authority _____

Designation _____

Place _____

CONDITIONS

- The licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
- An Account of the contents of each package shall be legibly written thereon and where the articles are conveyed by rail, each package shall be marked with the word "Arms" or "Ammunition", as the case may be, so as to be readily recognizable by the railway authorities.
- The articles shall not be conveyed by any route other than that specified in column 8 and bulk shall not be broken nor shall the consignment be stopped, before the articles reach the place of destination.
- In case of Import, the articles shall be either –
 - deposited subject to the general or special sanction of the Central Government under section 34 of the Act, in a warehouse licensed under section 58 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), or
 - forthwith dispatched to their place of destination.
- The articles shall be delivered only to a person lawfully entitled to receive them.

Form XI**Journey Licence***(to be issued if firearms are already endorsed on the licence)*

UIN _____ Licence No. _____

1.	Name of the licensee	
2.	Residential address of the licensee as endorsed on his arms licence	
3.	Arms and ammunition that the licensee is entitled to carry	
4.	Brief description of each firearm with details, e.g. manufacturer's serial number and other identification marks	
5.	Quantity and description of each kind of ammunition	
6.	Place of departure	
7.	Route of the journey	
8.	Place of destination	
9.	Period which the journey is likely to occupy	
10.	Period for which the journey licence is valid	

The of the

SEAL

(Signature)

Licensing Authority _____

Designation _____

Place _____

CONDITIONS

1. This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
2. The licensee shall —
 - (a) on demand by any authorised officer, produce the weapons covered by this licence;
 - (b) forthwith give information at the nearest police station of the loss or theft of any arms or ammunition covered by the licence; and
 - (c) shall follow the route of journey as mentioned in column 7 of the licence.
3. It covers only the person named in column 1 and the arms or ammunition mentioned in column 3.

Form XII**Transport Licence**

*(to be issued when firearms are not endorsed on the licence
or for transport by manufacturers or dealers)*

UIN _____ **Licence No.** _____

1.	Name, description and residence address of licensee and agent (if any) authorised for the purpose of this consignment	
2.	Licensee's place of business (if any)	
3.	Arms and ammunition to be transported	
	Number of packages	
	Brief description of arms and number	
	Brief description of ammunition and weight in kilograms or number	
4.	Place of dispatch	
5.	Route of transport	
6.	Mode of transport	
7.	Place of destination	
8.	Name, description and address of consignee	
9.	Period for which the Licence is valid <i>[not exceeding three months as provided under rule 97(5)]</i>	

The of the

SEAL

(Signature)

Licensing Authority

Designation

Place

Endorsement 1

Date on which certificate of 'No Objection' (NOC) is obtained vide Rule 98 from		
Authority	Place	Date
State Government		
District Magistrate		

Endorsement 2

Date on which a copy of Transport Licence is sent vide Rule 97(1) to		
Authority	Place	Date
State Government		
District Magistrate		

CONDITIONS

1. This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
2. The licensee shall-
 - (a) on demand by any authorised officer, produce the weapons covered by this licence; and
 - (b) forthwith give information at the nearest police station of the loss or theft of any arms or ammunition covered by the licence.
3. The articles shall not be conveyed by any route other than that specified in column 5; and bulk shall not be broken, nor shall the consignment be stopped before the articles reach the place of destination:

Provided that where the consignment is ready but could not be despatched in one bulk, for reasons beyond the control of the licensee, the articles may be sent in lots provided proper intimation is sent to the licensing authority who may extend the time-limit, if necessary.

4. An account of the contents of each package shall be legibly written thereon; and where the articles are conveyed by rail, each package shall be marked with the word "Arms" or "Ammunition", as the case may be, so as to be readily recognizable by the railway authorities.
5. The articles shall be delivered only to a person lawfully entitled to receive them as mentioned in column 8.
6. Where a licence granted for industrial purposes has been made valid for a period longer than three months, necessary entries shall promptly be made in the stock-registers maintained by the manufacturer or the dealer for the purpose at the places, (viz., godown and factory).

Form XIII**Transport Licence for despatch of gun barrels or completed firearms for proof test**

UIN _____ Licence No. _____

1.	Name of the licensee manufacturer	
2.	Address of the licensee manufacturer	
3.	Name and designation of the responsible person	
4.	Manufacturer's licence number in Form VII	
5.	Validity Period of licence in Form VII	
6.	Number of firearms allowed to be manufactured per annum	
7.	Total number of gun barrels/completed firearms which have been despatched already to proof house for proof test for the first time	

8.	Total quantity of gun-barrels/completed firearms to be allowed to be despatched			
Sr. No.	Type	Manufactured during the current year	Rectified	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
a)				
b)				
c)				
	Total			
9.	Total quantity of gun-barrels/manufactured firearms to be despatched after rectification (Column 3 of item 8)			
Sr. No.	Year of manufacture	Number and date of communication of proof house advising rectification	Serial No. of gun-barrels or completed firearms rectified	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)

1. Certified that on the date of issue of this licence, the licensee has not been restrained from operation of any of the authorizations in his Form VII licence, by the licensing authority or the renewing authority or the district Magistrate.
2. The licensee is hereby permitted to transport gun barrels/completed firearms vide item 8 to the establishment indicated in Col. 7 of his Form VII licence. He is also permitted to bring back from that establishment the gun barrels/completed firearms covered by this licence after proof test in one or more installments.

(Seal and Signature)

(District Magistrate)

Place:

Date:

Note- The total of figures in item 7 and Col. 2 in item 8 should not exceed the licensed capacity vide item 6.

Form XIV**Transporter's licence for transport of arms and ammunition**

UIN _____ Licence No. _____

Name, description and business address of licensee	Description of arms and ammunition allowed to be transported				Date on which the licence expires
	Category of arms and ammunition	Maximum quantity during a calendar year	Maximum quantity in a single consignment	Maximum quantity in multiple consignments under a single shipment	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

The of..... 20 (SEAL)

(Signature)

Licensing Authority _____

or

Specially empowered officer to sign the licence under rule (5)

Designation _____

Place _____

FORM OF RENEWAL OF LICENCE			
Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature and designation of the renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

1. (a) This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
- (b) This licence is valid only so long as the licensee carries on the trade or business in the premises shown in column (1) thereof, and will *ipso facto* lapse if the business is discontinued for a continuous period exceeding six months.
- (c) The licensee shall not enter into any partnership connected with this licence without the approval of the licensing authority.
2. The licensee shall maintain registers of all arms and ammunition received for transportation, of all stock in hand, and of all transportations made showing the particulars in such forms as may be prescribed for the purpose by the Central Government.
3. The licensee shall make available for inspection his stock and his registers on the demand of any magistrate or any police officer of a rank not below that of Inspector, or, if the Central Government so directs, of Sub-Inspector.
4. The licensee shall affix on a conspicuous part of his place of business, factory or shop a signboard on which shall be painted in large letters in English/Hindi and in the language of the district his name and the words "Licensed to transport arms or ammunition".
5. The licensee shall not transport arms and/or ammunition of any category or description other than those allowed to be transported under column 2.
6. The licensee shall not keep arms or ammunition elsewhere than at the place of business specified in column (1) or at the branch offices and representative offices of the transporter declared at the time of making application for a licence in Form XIV.
7. He shall not transport any quantity of arms and ammunition without his first obtaining a copy of the transport licence in Form XII from the consignor and ascertaining the purpose for such transportation on the basis of a written declaration and shall not handover the consignment to any consignee without first obtaining copy of arms licence from him and proof of his bonafides to receive the consignment under the Act and these rules.
8. The transporter shall submit the following documents to the licensing authority –
 - (a) proof that a proper functioning two way communication system between the vehicle transporting the arms or ammunition and the applicant is in operation;
 - (b) a detailed description of the safety measures fitted to the vehicle that shall be used; and
 - (c) a detailed description of security precautions that shall be in place during transportation.
9. The transporter using road transport shall provide to the person in charge of transportation, a typed list or computer printout on his letterhead of persons who will be directly involved in the transportation of the

consignment of the arms and ammunition, containing their names and identity numbers and such list must be attached to a certified copy of the licence in Form XIV.

10. An arms or ammunition transporter holding a licence in Form XIV shall during the time of such transport, be in possession of –

a consignment note on which the following particulars must appear:

- (i) (a) the full name, address, licence and UIN of the transporter;
 - (b) the names, addresses and UINs of the consignor and the consignee in respect of arms and ammunition to be transported;
 - (c) the quantity, type of action, manufacturer's serial number, make and caliber of the firearms and quantity, make and caliber of ammunition; and
 - (d) the physical address where from the firearms and ammunition were collected and the physical address of their final destination;
- (ii) the licence in Form XII authorizing the transportation of such firearms and ammunition;
 - (iii) any other document which may under these rules or any other law be required.

11. Wherein the licensee holding a licence in Form XIV is obliged to store the firearms or ammunition for any period of time after receipt and before delivery, such storage shall comply with the requirements for safe custody and storage as specified in rule 10.

12. The licensee shall ensure direct supervision by him or through his personnel of an en-route consignment of arms or ammunition which shall be accompanied by at least two able bodied guards.

13. The firearm transporter shall obtain from the consignee a written confirmation of the taking of possession of the consignment of arms and ammunition and the confirmation shall contain the following information –

- (i) the name and surname of the recipient;
- (ii) the recipient's address;
- (iii) the date and time of delivery;
- (iv) the description of the arms and ammunition received; and
- (v) the signature of the recipient which serves as confirmation of the correct deliverance.

A copy of the written confirmation obtained above shall be delivered by the transporter to the licensing authority issuing transport licence in Form XII.

14. The licensee holding a licence in Form XIV shall immediately notify in writing the police and licensing authority in the event of non-delivery, loss or theft of the arms or ammunition.

15. The vehicle carrying arms and ammunition shall not stop for a longer period than is reasonably required and shall avoid stops at places where public safety is likely to be in danger. Further the vehicle carrying arms and ammunition shall be adequately secured and provided with fire extinguishers at the expense of the licensee holding a licence in Form XIV.

FORM XV

Licence for the import into, possession for the duration of the journey in, transport across, and export out of India of arms or ammunition carried by Nepal Government troops or police, from one place in Nepal to another place in Nepal through Indian Territory

UIN _____ Licence Number _____

Description of licensee/ agent(s)	Number of retainers	Arms and ammunition that licensee is entitled to import/possess / transport/export		Place of entry in India	District (s) through which the arms or ammunition shall pass	Place of departure from India	Period for which the licence is valid
		Brief description of the arms	Quantity and description of each kind of ammunition				
1	2	3	4	5	6	7	8

From the

To the

The.....of.....20

Date on which copy is sent to

the District Magistrate of

.....District

The.....of.....20

[vide Rule 111(2)]

(SEAL)

(Signature)

Ambassador of India in
Nepal

CONDITIONS

1. This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
2. It covers only the person named, and the arms or ammunition described therein.
3. The licensee shall not, while in India, sell or transfer any arms or ammunition covered by this licence.

FORM XVI
Licence for firearm free zone

UIN	Licence Number	Name, description and business address of licensee	Demarcated Area declared as Firearm Free Zone as per the site plan enclosed (marked in red)	Date on which the licence expires
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

The of the

SEAL

(Signature)

Licensing Authority

Designation

Place

FORM OF RENEWAL OF LICENCE

Date and year of renewal	Date on which the renewed licence expires	Signature and designation of the renewing authority	SEAL
1	2	3	4

CONDITIONS

1. This licence is granted subject to all the provisions of the Arms Act, 1959 and of the Arms Rules, 2016.
2. It covers only the name of the owner of the premises declared as firearm free zone for the demarcated area as mentioned in column (4) of the licence.
3. The licensee shall post notices at all the main entrances or at strategic places on the premises mentioned in column (4) both in English and local language declaring the premises as firearm free zone.
4. The notices and signs shall be clearly visible and unobscured at all times.
5. Any change in the information furnished at the time of filing of application for firearm free zone shall be intimated to the licensing authority within a period of seven working days.

SCHEDULE-III

Part II

Application Forms

Form A-1

(for individuals)

Form of application for an arms licence

in Form II, III and IV

(See rule 11)

Passport size
photograph of
the applicant

IDENTITY OF THE APPLICANT

1	Name		
2	Parent/Spouse Name		
3	Sex	Male <input type="checkbox"/>	Female <input type="checkbox"/>

4	Place of birth (Nativity)	Country	State	District
5	Date of birth in Christian era	<i>must be 21 years of age on the date of application</i>		
	in figures	<i>DD/MM/YYYY</i>		
	in words			
6	Permanent Account No. (PAN)			
7	Aadhar Card Number			
8	Present address			
		<i>District</i>	<i>State</i>	
(a)	Since when residing at the present address	<i>DD/MM/YYYY</i>		
(b)	Telephone Number	<i>Office</i>	<i>Residence</i>	
(c)	Mobile Number			
(d)	*Nearest Police Station			
9	Permanent Address			
		<i>District</i>	<i>State</i>	
(a)	*Nearest Police Station			
10	Occupation			
<i>*Note – Nearest Police Station means the police station under whose jurisdiction the place given in the address comes</i>				
11	Office/business address			
12	Additional particulars if the licence is required for crop protection under rule 35	<i>Location (village)</i>		
		<i>Area of land under cultivation</i>		
OTHER PARTICULARS OF THE APPLICANT				
13	Whether the applicant has been –			
(a)	convicted	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Offence</i> <i>Sentence</i> <i>Date of sentence</i> <i>DD/MM/YYYY</i>
(b)	ordered to execute a bond under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) for keeping the peace or for good behavior	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Date</i> <i>DD/MM/YYYY</i> <i>Period for which bound</i>
(c)	prohibited under the Arms Act, 1959, or any other law from having the arms or ammunition	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Date</i>

				<i>DD/MM/YYYY</i> <i>Period for which prohibited</i>
14	Whether -			
(a)	the applicant applied for a licence before - if so, when, to whom and with what result	Y	N	<i>If yes, details thereof -</i> <i>Date applied for</i> <i>DD/MM/YYYY</i> <i>Name of the licensing authority</i> <i>Result (pl. specify)</i> <i>Approved//Rejected/Pending</i>
(b)	the applicant's licence was ever suspended or cancelled/ revoked -	Y	N	<i>If yes, details thereof -</i> <i>Name of the licensing authority</i> <i>Reasons</i>
(c)	any other member of the applicant's family is in possession of any arms licence, if so, particulars thereof	Y	N	<i>If yes, details thereof -</i> <i>Name</i> <i>Licence No.</i> <i>Weapons endorsed</i> 1. 2. 3.
(d)	the applicant has a safe place to keep the arms and ammunition	Y	N	<i>If yes, details thereof -</i>
(e)	the applicant has undergone training as specified under rule 10(<i>whenever made applicable by the Central Government</i>)	Y	N	<i>If yes, details thereof -</i>
Particulars of licence being applied for				
15	Need for licence (<i>see note 1 below</i>)			
16	Description of arms for which licence is being sought (<i>Tick any one of the options</i>)	Category - restricted/permisible		
(a)		Rifle	<input type="checkbox"/>	
		Shot Gun (BL/ML)	<input type="checkbox"/>	
		Hand Gun (Revolver/Pistol)	<input type="checkbox"/>	
		Others _____	<input type="checkbox"/>	
(b)	Description of ammunition or ingredients of ammunition for which licence is being sought			
17	Area within which applicant wishes to carry arms (<i>Tick any one of the options</i>)	District <input type="checkbox"/>		
		State <input type="checkbox"/>		
		Throughout India <input type="checkbox"/>		
18	Claims for special consideration for obtaining the licence, if any (<i>attach documentary evidence</i>)			

Additional Information	
19	Details for an application for licence in Form IV
(a)	Place or area for which the licence is sought
(b)	Specification of the wild beasts which are permitted to be destroyed as per the permit granted under the Wild life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) to the applicant

Declaration:

I hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I am liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

Place _____

Date _____

Signature /Thumb - impression of applicant

Notes:

1. Against column 15, the applicant should clearly mention the purpose(s) for which the licence is required – such as use, acquisition, possession, carrying, sport, display, destruction of wild animals which do injury to human beings or cattle and damage to crops etc. as per the category of licence applied (Form II, III or IV).
2. The following documents under rule 11 are to be submitted along with the application –
 - (a) four passport size copies of the latest photograph of the applicant (in white background);
 - (b) proof of date of birth;
 - (c) identification proof – Aadhar Card or in case the applicant does not have Aadhar Card, a written declaration to be submitted in the form of an Affidavit along with an alternative identification proof which may include – Passport; Voter Identification Card, PAN Card or Identity card issued to the employees.
 - (d) residence proof in case the applicant does not possess Aadhar Card or Passport – (*Election Card or Electricity Bill or Landline Telephone Bill or Rent Deed or Lease Deed or Property documents or any other document to the satisfaction of the licensing authority*);
 - (e) firearm training certificate in Form S-1 (whenever made applicable by the Central Government by passing a general or special order);
 - (f) safe use and storage of firearms undertaking in Form S-2 ;
 - (g) self-attested copies of the educational and professional qualification certificates from professional category applicants as specified in clause (a) of sub-rule (3) of rule 12;
 - (h) medical certificates about mental health and physical fitness in Form S-3;
 - (i) in case of protection for destruction of wild animals which do injury to human beings or cattle and damage to crops, permit from the authority empowered under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);
3. Strike off the entries not relevant.

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the application form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

FORM A -2
(for companies)

Form of application for an arms licence in Form II, III and V

(See rule 11)

IDENTITY OF THE APPLICANT	
1.	Name of the applicant company
2.	Permanent Account Number (P.A.N.)
3.	Corporate Identification Number (C.I.N.)
2.	Name of the applicant branch or representative office of the company <i>(if the application is being filed by such branch or representative office)</i>
3.	Constitution of the applicant company <i>(see Note 1 below)</i>
4.	Designation of the 'responsible person' who will sign on behalf of the applicant company <i>(duly authorised in writing or by way of a board resolution wherein required)</i>
	Name of the 'responsible person' signing the application
5.	Registered Office Address of the company
	Telephone No. (Office)
	Mobile Number of the responsible person
	E-mail
	*Nearest Police Station
6.	Address of the branch or representative office by which the application is being filed
	Telephone (office/residence)
	Mobile No.
	E-mail
	*Nearest Police Station

*Note - Nearest Police Station means the police station under whose jurisdiction the place given in the address comes

OTHER PARTICULARS OF THE APPLICANT	
7.	Whether the applicant or its office bearers or directors has/have ever been –
(a)	convicted <i>(attach details in a separate sheet, if the answer is in affirmative)</i>
	Y
	N
	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Offence</i> <i>Sentence</i> <i>Date of sentence</i> <i>DD/MM/YYYY</i>

(c)	prohibited under the Arms Act, 1959, or any other law from having the arms or ammunition	Y	N	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Date</i> <i>DD/MM/YYYY</i> <i>Period for which prohibited</i>
8.	Whether -			
(a)	the applicant applied for a licence before - if so, when, to whom and with what result	Y	N	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Date applied for</i> <i>DD/MM/YYYY</i> <i>Name of the licensing authority</i> <i>Result (pl. specify)</i> <i>Approved//Rejected/Pending</i>
(b)	the applicant's licence was ever suspended or cancelled or revoked -	Y	N	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Name of the licensing authority</i> <i>Reasons</i>
(c)	any other arms licence already held by the company or where the applicant is a branch or representative office of such company, held by such branch or representative office	Y	N	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Name</i> <i>Licence No.</i> <i>Weapons endorsed</i> <i>1.</i> <i>2.</i> <i>3.</i>
(d)	the applicant has a safe place to keep the arms and ammunition	Y	N	<i>If yes, details thereof –</i>
(e)	the retainer or retainers to be employed by the applicant have undergone training as specified in rule 10 (<i>whenever made applicable by the Central Government</i>)			

Particulars of licence being applied for	
9.	Need for licence (see Note 2 below)
10. (a)	Description of arms for which licence is being sought (Tick any one of the options)
	Category - Restricted/Permissible Rifle <input type="checkbox"/> Shot Gun (BL/ML) <input type="checkbox"/> Hand Gun (Revolver/Pistol) <input type="checkbox"/> Others <input type="checkbox"/>
(b)	Description of ammunition or ingredients of ammunition for which licence is being sought
11.	Number of firearms which applicant wishes to apply for

12.	Area within which applicant wishes to carry arms (Tick any one of the options)	District <input type="checkbox"/> State <input type="checkbox"/> Throughout India <input type="checkbox"/>
13.	Claims for special consideration for obtaining the licence, if any (attach documentary evidence)	

Declaration:

I, _____, the responsible person, _____ (*designation as mentioned in column 3*) of _____ (name of the company), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I, personally, as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

*Signature with stamp of the responsible person
signing on behalf of the company*

Notes:

1. Constitution of the company be mentioned –

Private Limited Company; Limited Company; Government Undertaking; Society: Co-operative Society; Institute; University; Partnership Firm; Association of Persons (AOPs) or any other body under any special act or otherwise etc.

2. Against column 9, the applicant should clearly mention the purpose(s) for which the licence is required - such as use, acquisition, possession, carrying, protection, display, target practice or shooting, etc.

3. The applicant is required to submit the following documents along with the application –

- (a) written undertaking on the letter head of the company applicant duly signed by the responsible person appointed vide clause (44) of rule 2 for filing an application under the arms rules;
- (b) original copy of the board resolution passed or an authority letter confirming the appointment of responsible person referred to in clause (a) above;
- (c) certified copies of the founding documents of the Company including Memorandum and Articles of Association;
- (d) safe use and storage of firearms undertaking in Form S-2 as specified in rule 10;

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the application form in violation of arms rules will render the applicant company and the responsible person liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

FORM A -3
(for individuals)

Recent passport
size
photograph of
the licensee

**Form of application for renewal of arms licence(s) granted in
Form II, III, IV**

(See rule 24)

IDENTITY OF THE LICENSEE				
1.	UIN (16 digit)			
2.	Name			
3.	Parent/Spouse Name			
4.	Date of birth in Christian era			
(a)	in figures	<i>DD/MM/YYYY</i>		
(b)	in words			
5.	Present Address			
(a)	Telephone (Office/Residence)			
(b)	Mobile No.			
(c)	E-mail			
(d)	Nearest Police Station			
6.	Occupation			
7.	Office/Business Address			
Licence Particulars and Weapon Endorsements				
8.	Licence Number			
9.	Date of expiry	<i>DD/MM/YYYY</i>		
10.	Area Validity			
11.	Weapons Endorsed	Weapon 1	Weapon 2	Weapon 3
(a)	Type (Rifle/Shotgun/ Handgun (Rev/Pistol)			
(b)	Bore/Caliber			
(c)	Weapon Number			
12.	Ammunition allowed	Cartridges Gun Powder/ Percussion Caps		
OTHER PARTICULARS OF THE APPLICANT				
13.	Whether the applicant since last renewal or issuance of licence has been –			
(a)	convicted	Y	N	<i>If yes, details thereof – Offence Sentence</i>

				<i>Date of sentence</i> <i>DD/MM/YYYY</i>
(b)	ordered to execute a bond under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) for keeping the peace or for good behavior	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Date</i> <i>DD/MM/YYYY</i> <i>Period for which bound</i>
(c)	prohibited under the Arms Act, 1959, or any other law from having the arms or ammunition	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Date</i> <i>DD/MM/YYYY</i> <i>Period for which prohibited</i>
14.	Whether -			
(a)	the applicant's licence since last renewal or issuance of licence was ever suspended or cancelled/ revoked	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Name of the licensing authority</i> <i>Reasons</i>
(b)	any other member of the applicant's family is in possession of any arms licence, if so, particulars thereof	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>If yes, details thereof –</i> <i>Name</i> <i>Licence No.</i> <i>Weapons endorsed</i> 1. 2. 3.
(c)	the applicant has a safe place to keep the arms and ammunition	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>If yes, details thereof –</i>
(d)	the applicant has undergone prescribed training as specified under rule 10 <i>(whenever made applicable by the Central Government)</i>	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>If yes, details thereof –</i>

Declaration:

I hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I am liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

Signature /Thumb-impression of applicant

Place

Date

Note:-

The exemptee sports persons shall attach a list of the arms and ammunition held by them in a separate sheet against columns 11 and 12.

Warning:-

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the application form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

FORM A - 4
(for companies)
Form of application for renewal of licence(s) granted in
Form II, III and V
(See rule 24)

IDENTITY OF THE LICENSEE				
1.	UIN (16 digit)			
2.	Name of the licensee company (see Note 1)			
3.	Constitution of the licensee company			
	P.A.N./C.I.N.			
4.	Name of the responsible person			
5.	Address of the licensee company			
	Telephone No. (office)			
	Mobile Number of the responsible person			
	E-mail			
	*Nearest Police Station			
Licence particulars and weapon endorsements				
6.	Licence Number			
7.	Date of expiry	<i>DD/MM/YYYY</i>		
8.	Area Validity			
9.	Total Number of Weapons Endorsed			
10.	Details of Weapons	1	2	3
(a)	Type <i>(Rifle/Shot gun/Handgun)</i>			
(b)	Bore			
(c)	Weapon Number			
		<i>Separate list be attached for more than three weapons</i>		
11.	Ammunition allowed	Cartridges Gun Powder/ Percussion Caps		
OTHER PARTICULARS OF THE APPLICANT				
12	Whether the applicant or its office bearers or directors or responsible person since the issuance/last renewal have ever been –			

(a)	convicted <i>(attach details in a separate sheet, if the answer is in affirmative)</i>	Y	N	<i>If yes, details thereof –</i> Offence Sentence Date of sentence DD/MM/YYYY
(c)	prohibited under the Arms Act, 1959, or any other law from having the arms or ammunition	Y	N	<i>If yes, details thereof –</i> Date DD/MM/YYYY Period for which prohibited
13	Whether -			
(a)	the applicant's licence since the issuance or last renewal was ever suspended or cancelled or revoked	Y	N	<i>If yes, details thereof –</i> Name of the licensing authority Reasons
(b)	the licensee has a safe place to keep the arms and ammunition	Y	N	<i>If yes, details thereof –</i>
(c)	the retainers appointed by the company have undergone training requirements as specified in rule 10 <i>(whenever made applicable by the Central Government)</i>	Y	N	<i>If yes, details thereof –</i>

Declaration:

I, _____, the responsible person (named in column 4) of _____ (company name), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I personally as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

*Signature with stamp of the responsible person
signing on behalf of the company*

Note:

1. Constitution of the company be mentioned –

Private Limited Company; Limited Company; Government undertaking; Society: Co-operative Society; Institute; University; Partnership Firm; Association of Persons (AOPs) or any other body under any special act or otherwise etc.

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the Application Form in violation of arms rules will render the applicant company and the responsible person liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

FORM A -5*(for individuals/teams or groups)***Form of application for an arms licence in Form VI for temporary import and export of arms and ammunition**

PART A (See rule 44, 45)		
Application by Individuals – bringing firearms of category III of Schedule Into India		
1.	Name	
2.	Parent/Spouse Name	
3.	Nationality	
4.	Passport Number	
5.	VISA particulars for India	
6.	Date of birth in Christian era	<i>DD/MM/YYYY</i>
7.	Original arms licence number of the native country with validity	<i>DD/MM/YYYY</i>
8.	Present Address (as per Passport)	
	Telephone (office/residence)	
	Mobile No.	
	E-mail	
9.	Purpose of bringing firearm into India	
10.	Period of stay in India for which the licence is sought	
11.	Estimated date of arrival in India and port of entry	<i>DD/MM/YYYY</i>
12.	Estimated date of departure from India and port of exit	<i>DD/MM/YYYY</i>
13.	Firearms for which the licence is being sought	
	Type	
	Bore	
	Number	
14.	Details of sponsors/ organisers in India for the sporting event/ tournament	
Additional Information in case of sports teams/groups		
1.	Name of the Manager or Group leader	
2.	Parent/Spouse Name	
3.	Nationality	
4.	Passport Number	
5.	VISA particulars for India	
6.	Place of birth	
7.	Date of birth in Christian era	<i>DD/MM/YYYY</i>
8.	Present Address	

	(as per Passport)	
	Telephone (office/residence)	
	Mobile No.	
	E-mail	
9.	Number of team members	
10.	Event/Tournament Details	
	Venue	
	Date	<i>DD/MM/YYYY</i>
11.	Period for which the licence is sought	
12.	Organisers/sponsors in India	

Declaration:

I hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I am liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016 and other central enactments or the law for the time being in force in India.

Signature of applicant/ Group or Team Leader

Place

Date

Notes:-

1. The application may be filed by the Group/Team leader of sporting team visiting India giving details of individual team members as specified in Part A along with the additional details given above.
2. The application may be made in advance to Indian Consulates/High Commissions for obtaining a licence on the basis of an approval letter from the Indian organizers/sponsors duly authenticated by Ministry of Sports and Youth Affairs for sporting events/tournaments to be held in India.

PART B <i>(See rule 43)</i>		
<u>Applicable for tourists visiting India –</u>		
Acquisition and possession (but not use) during the course of his stay in/carrying/ export out of India of category III, IV, V (Made in India weapons only)		
1.	Name	
2.	Parent/Spouse Name	
3.	Nationality	
4.	Passport Number	
5.	VISA details	
6.	Date of birth in Christian era	<i>DD/MM/YYYY</i>
7.	Present Address (as per Passport)	
	Telephone (office/residence)	
	Mobile No.	
	E-mail	
8.	Date of arrival in India and port of entry	
9.	Estimated date of departure from India and port of exit	

10.	Weapons for which the licence is being sought	
	Category (III, IV or V)	
	Type	
	Bore	
11.	Details of seller/transferee from whom these weapons are to be procured	
	Name	
	Address	
	UIN	
	Licence Number	

Notes -

1. Weapon(s) on acquisition are to be produced before the licensing authority for necessary endorsement on the licence along with the original invoice/bill/transfer letter.
2. Every application for the grant of a licence for export of category IV arms shall be accompanied by a certificate from the Director-General of Archaeology of the Central Government to the effect that the arms intended to be exported do not fall within the definition of "antiquity" under the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972).

Declaration:

I hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I am liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016 and other central enactments or the law for the time being in force in India.

Signature of applicant

Place

Date

FORM A - 6*(for companies)***Form of application for an arms licence in Form VII for manufacture****and proof test***(See rule 51)*

1.	Name of the applicant	
2.	Constitution of the applicant company	
3.	Company Identification No. (CIN)	
4.	Registered Office Address	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	
5.	Name of the responsible person with designation	
6.	Address of the factory for manufacture and proof-	

	testing	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	
7.	Description of firearms to be manufactured/proof tested	
	Category	
	Proposed annual capacity (number)	
8.	Description of ammunition to be manufactured/proof tested	
	Category	
	Proposed annual capacity (Number or weight in kilograms)	
9.	In case the manufacturer does not want in-house proof-testing, name of the range or other place for proof-testing being applied for	

Declaration:

I, _____, the responsible person (named in column 5) of _____ (company name), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I, personally as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

Signature and stamp of the responsible officer
signing on behalf of the company

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the Application Form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

Documents to be enclosed as specified in rule 53—

A company applying for a licence in Form VII under these rules will be required to provide –

- (a) original or certified copies of the company's founding documents including Memorandum and Articles of Association, Certification of Registration of the Company under the Companies Act, 2013, CIN (Corporate Identification Number), proof of address of its registered office, PAN card and certified lists of directors and shareholders as on the date of application;
- (b) copy of Director Identification Numbers (DIN) of all the directors;
- (c) identification proof (Passport or PAN card or Voter's identification card) along with 2 recent photographs of all the directors and the responsible person as defined in clause (44) of rule 2;
- (d) copy of Aadhar Card of all the directors and responsible person;
- (e) residence proof (Passport or Voter's identification card or electricity bill or landline telephone bill or rent deed or lease-deed or any other document to the satisfaction of the licensing authority of all the directors and responsible person);
- (f) copy of the latest balance sheet of the company and audited copy of Net-worth Certificate duly certified by a Chartered Accountant;

- (g) estimated project outlay and means of finance for funding the project duly certified by a Chartered Accountant;
- (h) certified copy of the board resolution for filing the application under the arms rules along with full particulars of the responsible person authorised to sign the same;
- (i) details of foreign control and/or ownership in the applicant company, as applicable, duly certified by a Chartered Accountant.

FORM A -7**Form of application for an arms licence in**

Form VII-A – for manufacture of arms of category V of Schedule I

Form VII-B – for manufacture of replicas of firearms

Form VII-C – for manufacture of air weapons

1.	Name of the applicant	
2.	Nomenclature Company /Individual	
3.	P.A.N./ C.I.N	
4.	Business address	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	
5.	Name of the responsible person	
6.	Address of the factory for manufacture of category V arms or manufacture of replicas of firearms or air weapons	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	
7.	Description of arms/replicas of firearms/ air weapons to be manufactured	
	Category	
	Proposed Annual Capacity (Number)	

Declaration:

I, _____, (Individual or the responsible person named in column 5) of _____ (company name), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I personally as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 1962, and other central enactments or the law for the time being in force.

Signature of the Individual applicant
or

Signature and stamp of the responsible person
signing on behalf of the applicant company

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the Application Form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

Documents to be enclosed in case of fresh application**(a) Firm and its Partners**

A firm and its partners applying for a licence in Form VII A, Form VII B or Form VII-C under these rules will be required to provide –

- (a) proof of the identity of the partners and of all the persons, the applicant firm proposes to employ in the business, including names, physical and recent photographs.
- (b) medical certificate;
- (c) information on the arms of category V of Schedule I or replicas of firearms to be manufactured or air weapons, including types and quantities;
- (d) proof that the firm meets the standards for protection of proprietary and classified information, as applicable;

(b) Company

A company applying for a licence in Form VII-A, Form VII-B or Form VII-C under these rules will be required to provide –

- (a) original or certified copies of the company's founding documents, articles of incorporation or other proof of licensed business;
- (b) information on the arms of category V of Schedule I or replicas of firearms or air weapons to be manufactured, including types and quantities;
- (c) proof that the company meets the standards for protection of proprietary and classified information, as applicable; and
- (d) information on foreign control and/or ownership in the applicant company, as applicable.

The company is also required to provide –

- (e) the identity of the company's officers;
- (f) the identity of the person who will be responsible for the day to day management of the manufacturing facility (responsible person); and
- (g) proof of the identity of the responsible person, including name, physical address and recent photograph.

FORM A -8**Part I****Form of application for an arms licence in Form VIII for arms and ammunition dealers**

(See rule 73)

1.	Name of the applicant	
2.	Nomenclature Company/Individual	
3.	Business Address (Shop)	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	

4.	Name of the responsible person	
5.	Category of licence applied for –	Dealer Licence <input type="checkbox"/> Deposit of Arms <input type="checkbox"/>
6.	Description of firearms to be sold or kept for sale	
7.	Description of ammunition to be sold or kept for sale	
8.	Description of arms and ammunition to be deposited under section 21 of the Act or for safe custody under rule 48	

Declaration:

I, _____, the Prop./Partner/Director/Responsible Person of _____ (company name), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

Place _____

Date _____

Signature of the applicant

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the Application Form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

List of documents to be submitted at the time of application and subsequent renewal thereof –

- (1) A written declaration along with certified copies of drawings stating that the applicant has facilities available of a strong room for the safe custody of the firearms and ammunition;
- (2) A written undertaking in support of the application with specific reference to the steps which are contemplated in connection with the safe custody of the firearms and ammunition including provision for entry access control, close circuit television system, security guard, firefighting devices etc.;
- (3) Verification forms containing the names and addresses of every person authorised to trade on behalf the dealer applicant at the premises, who must possess the requisite training for safe handling of firearms as specified in rule 10.

FORM A -8**Part II****Form of application for an arms licence in Form VIII-A for****Air weapon dealers***(See rule 84, 85)*

1.	Name of the applicant	
2.	Nomenclature Company/Individual	
3.	Business Address (Shop)	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	

4.	Name of the responsible person	
5.	Description of air weapons to be sold or kept for sale	
6.	Description of ammunition for air weapons to be sold or kept for sale	

Declaration:

I, _____, the Prop./Partner/Director/Responsible Person of _____ (company name), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

Place _____

Date _____

Signature of the applicant

Warning: *Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the Application Form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.*

FORM A -9**Form of application for an arms licence in Form IX or IX-A for****accredited gunsmiths**

(See rules 77 and 78)

1.	Name of the applicant	
2.	Nomenclature Company/ Individual	
3.	Business Address (Shop/Factory)	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	
4.	Name of the responsible person	
5.	Professional qualification of the individual applying to act as a gunsmith or of the employees of the company applying for a gun smith licence (applicable for a licence in Form IX only)	
6.	Description of firearms to be converted, shortened or repaired (<i>major repair under licence in Form IX</i>)	
7.	Description of firearms to be repaired (<i>minor repair under licence in Form IX-A</i>)	
7.	Description of firearms or parts of firearms to be stored	
8.	Description of ammunition to be stored for testing	

Declaration:

I, _____, the proprietor/partner/director/responsible person of _____ (company name), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and any other law for the time being in force.

Place _____

Date _____

Signature of the applicant

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the Application Form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

List of documents to be submitted at the time of application and subsequent renewal thereof –

- (1) A written declaration along with certified copies of drawings stating that the applicant has facilities available of a strong room for the safe custody of the firearms and ammunition;
- (2) A written undertaking in support of the application with specific reference to the steps which are contemplated in connection with the safe custody of the firearms and ammunition including provision for entry access control, close circuit television system, security guard, firefighting devices etc.;
- (3) Verification forms containing the name and address of every person authorised to carry out conversion, shortening or repair (major) on behalf the gunsmith at the premises, who must possess the requisite qualifications as specified under rule 78.

FORM A - 10**Form of application for an arms licence in Form X for**

import, export, export for re-import or

import, transport and re-export

(See rules 87,88,89,90 and 91)

IDENTITY OF THE APPLICANT		
1.	Name of the applicant	
2.	UIN	
3.	Description of arms licence already held and number thereof	
4.	Nomenclature Individual/Company	
5.	Business Address	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	
6.	Name of the responsible person	
7.	Category of licence applied for –	Import <input type="checkbox"/> Export <input type="checkbox"/> Export for Re-import <input type="checkbox"/> Import, transport and Re-export <input type="checkbox"/>

8.	Category of arms or ammunition as per Schedule I for which the licence is sought- I(b), I(c), II, III, IV, V, VI (Sulphur/Chlorate)	
9.	Number of packages	
10.	Description and quantity of arms forming part of the consignment for which the licence is sought	
11.	Description and quantity or weight of ammunition forming part of the consignment for which the licence is sought	
12.	Port of Import	
13.	Port of Export	
14.	Port of Export and Re-Import	
15.	Port of Import and Re-Export (with route of transport)	
16.	In case of Import by sea or air, place where articles imported are to be deposited	
17.	Place of dispatch and route of consignment to be exported	
18.	Place of destination and route of consignment to be imported	
19.	Estimated time likely to be taken for the shipment/journey	
20.	Name, description and address of consignee for import/export	

Declaration:

I, _____, the proprietor/partner/director/ responsible person of _____ (the company), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I personally as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

Signature of the applicant

Place _____

Date _____

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the Application Form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

FORM A -11**Form of application for journey licence in Form XI for carrying of arms and ammunition**

Application for Journey Licence		
1.	Name	
2.	Parent/Spouse Name	
3.	UIN	
4.	Address as per licence in Form III	
	Mobile No.	
5.	Licence No.	
6.	Validity of the licence up to	DD/MM/YYYY
7.	Area validity as per licence in Form III	
8.	Mode of Journey (Road/Rail/Air)	
9.	Names of States likely to be visited during the journey	
10.	Period which the journey is likely to occupy	
11.	Description of arms endorsed on licence which the applicant wishes to carry during journey	Weapon Type –
		Weapon Number –
12.	Description of ammunition endorsed on licence which the applicant wishes to carry during journey	

Declaration:

I hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I am liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 1962, and other central enactments or the law for the time being in force.

Signature /Thumb - impression of applicant

Place

Date

FORM A -12**Form of application for transport licence in Form XII***(See rule 96)*

Application for Transport Licence		
1.	Consignor details (Manufacturer/Dealer etc.)	
	UIN	
	Address as per licence	
	Licence No.	
	Validity of the licence up to	DD/MM/YYYY

2.	Consignee details	
	UIN	
	Address as per licence	
	Licence No.	
	Validity of the licence up to	<i>DD/MM/YYYY</i>
3.	Place of dispatch	
4.	Place of destination	
5.	Mode of transport (Road/Rail/Air)	<i>By hand personally</i>
6.	Names of States likely to be covered during transportation	
7.	Probable period of transportation	<i>Maximum three months</i>
8.	Description of arms to be transported	Weapon Type –
		Weapon Number –
9.	Description of ammunition to be transported	
10.	Details of the previous sanction of the concerned authority required under Rule 98	

Declaration:

I hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I am liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

Signature /Thumb - impression of the applicant

Place

Date

FORM A -13

**Form of application for an arms licence in Form XIV for
transporter's licence**

(See rule 101)

1.	Name of the applicant	
2.	Nomenclature	
	Individual/Company	
3.	Date of inception of transportation business	
4.	Registered Office Address	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	
5.	Name of the responsible person	
6.	Description of firearms to be transported	
7.	Description of ammunition to be transported	
8.	Number of branch offices or representative offices in India	
9.	Number of employees engaged in transportation business	
10.	Particulars of the fleet maintained by the transporter	

Declaration:

I, _____, the Proprietor/partner/director/responsible person of _____ (company name), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I personally as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other central enactments or the law for the time being in force.

Place _____

Date _____

Signature of the applicant

FORM A -14**Form of application for a licence in Form XV for firearm free zone**

(See rule 46)

1.	Name of the applicant	
2.	Nomenclature Individual/Company/Others	
3.	Date of inception of business	
4.	Nature of business or activity carried out	
4.	Address	
	Telephone	
	Mobile No.	
	E-mail	
5.	Name of the responsible person in case the applicant is a company	
6.	Description of the Area to be declared as Firearm Free Zone (enclose site plan and mark in red the area to be declared as firearm free zone)	
7.	Reasons for applying for the premises to be declared as fire-arm free zone	1. 2. 3.
8.	Number of surveillance staff employed at the premises to be declared as firearm free zone	

Declaration:

I, _____, the proprietor/partner/director/responsible person of _____ (company name), hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I personally as well as the company are liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other laws for the time being in force.

Place _____

Date _____

Signature of the applicant

SUPPLEMENTARY FORMS**Form B-1****Application for registration with an outside licensing authority***(see rule 17)***Part A**

IDENTITY OF THE APPLICANT	
1.	UIN
2.	Name
3.	Parent/Spouse Name
4.	Place of birth (Nativity)
5.	Date of birth in Christian era
	in figures DD/MM/YYYY
	In words
6.	Present Address
	Telephone (Office/Residence)
	Mobile No.
	E-mail
	Nearest Police Station
7.	Address as appearing on the licence
	Nearest Police Station
8.	Occupation
9.	Period of stay in the local jurisdiction

Part B

Existing licence particulars and weapon endorsements			
10.	Licence Number		
11.	Issuing Authority		
12.	Last Renewing Authority		
13.	Date of expiry		
14.	Area Validity		
15.	Weapons Endorsed	Weapon 1	Weapon 2
	Type [Rifle/Shot Gun/Hand Gun (Rev/Pistol)]		
	Bore		
	Weapon Number		

16.	Ammunition allowed	Cartridges Gun Powder/ Percussion Caps	
17.	Mention restriction on sale of weapon, if any		
18.	Details of additional licensees under rule 20, if any		
	<u>Additional Licensee No.1</u>		
	Name		
	Father's/Spouse Name		
	Licence No.		
	<u>Additional Licensee No. 2</u>		
	Name		
	Father's /Spouse Name		
Licence No.			

Part C

OTHER PARTICULARS OF THE LICENSEE		
19.	Whether the licensee, since the last renewal/issuance of licence has been –	
(a)	convicted – if so, the offence (s), the sentence and date of sentence	
(b)	ordered to execute a bond under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) for keeping the peace or for good behavior - if so, – when and for what period	
(c)	prohibited under the Arms Act, 1959, or any other law from having the arms/ammunition	
20.	Whether -	
(a)	the applicant's licence since last renewal/issuance was ever suspended or cancelled / revoked - if so, when and by whom and on what account	
(b)	any other member of the applicant's family is in possession of any arms licence, if so, particulars thereof (<i>other than additional licenses vide para 18</i>)	
(c)	the applicant has a safe place to keep the arms	

Declaration:

I hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I am liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and laws for the time being in force.

Signature /Thumb - impression of applicant

Place

Date

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the Application Form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

Form B-2**Application for allied services related to licences issued****in Form II, III and IV****Part A**

IDENTITY OF THE LICENSEE				
1.	Name of the licensee			
2.	Parent/Spouse Name			
3.	Present Address	<i>District</i>		<i>State</i>
		Telephone Number	<i>Office</i>	<i>Residence</i>
	Mobile Number			
	Nearest Police Station			
4.	UIN			
5.	Licence Number			
	Date of Expiry	<i>DD/MM/YYYY</i>		
6.	Area validity of the licence			
7.	Firearms endorsed on the licence	Weapon 1	Weapon 2	Weapon 3
	Type <i>(Rifle/Shot Gun/Hand Gun)</i>			
	Bore/Caliber			
	Weapon Number			

Part B

Acquisition of a Firearm	
1.	Type of firearm to be acquired <i>(Rifle/Shot Gun/Hand Gun/Others)</i>
2.	Reason for acquisition of firearm
3.	Claims for special consideration for acquisition of additional firearm

Part C

Endorsement of firearms on the licence (see rule 18)		
A	Acquisition of firearm	
(a)	Validity of permission to acquire	<i>DD/MM/YYYY</i>
(b)	Date of acquisition of firearm	<i>DD/MM/YYYY</i>
B	Acquisition from manufacturer or arms dealer	
(a)	Name of the vendor	
(b)	UIN of the vendor	
(c)	Invoice number	
(d)	Invoice date	<i>DD/MM/YYYY</i>
C	Acquisition from another licensee	
(a)	Name of the transferor licensee	
(b)	Parent/Spouse Name	
9	UIN	
10	Licence number	
11	Validity period of licence	<i>DD/MM/YYYY</i>
12	Details of permission to sell obtained by transferor	<i>DD/MM/YYYY</i>
	Name of the licensing authority	
	Reference No.	
	Date	<i>DD/MM/YYYY</i>
	Expiry date (if any)	<i>DD/MM/YYYY</i>
D	Details to be furnished in case acquisition of firearm is made from any place not covered under the area validity of the licence of the applicant	
13	Reference No. of NOC issued by the licensing authority under rule 98	
	Date of NOC	<i>DD/MM/YYYY</i>
	Validity of NOC	<i>DD/MM/YYYY</i>
14	Transport Licence Number Issued in Form XII	
	Name of the issuing authority of transport licence	
	Date of transport licence	<i>DD/MM/YYYY</i>
	Validity period of transport licence	<i>DD/MM/YYYY</i>

E	Details of firearms to be endorsed	
15	Type of firearm <i>(Hand Gun/Shot Gun/Rifle)</i>	
	Make of firearm	
	Caliber/bore	
	Serial Number of firearm	
List of documents to be enclosed		
1	Original Invoice (refer Para B)	
2	Sale confirmation from the transferor licensee (refer Para C)	
3	No objection certificate and transport licence (refer Para D)	
4	Coloured photograph of the firearm acquired showing the serial number of the firearm (refer Para E)	
<i>Note: The licensing authority may require the licensee to get the physical inspection of the firearm before endorsement of the same on the licence.</i>		

Part D

Permission to sell or transfer firearm or ammunition under section 5 of the Arms Act, 1959		
1.	Details of firearm to be sold or transferred	
	Type of firearm <i>(Rifle/Shot Gun/Hand Gun)</i>	
	Bore/Caliber	
	Weapon Number	
2.	Details of ammunition to be sold or transferred	
	Bore/caliber of ammunition	
	Quantity of ammunition	
3.	Reason for sale or transfer of firearm or ammunition <i>(defective condition of the firearm/ economic reason /any other reason)</i>	
4.	Particulars of the purchaser or transferee to whom the firearm or ammunition is to be sold or transferred	
	If to be sold or transferred to another licensee	
(a)	Name of the prospective buyer or transferee	
(b)	Address of the prospective buyer or transferee	
(c)	UIN	
(d)	Licence Number	
(e)	Validity of licence	<i>DD/MM/YYYY</i>

(f)	Validity of purchase period	<i>DD/MM/YYYY</i>
	If to be sold to an authorised arms and ammunition dealer	
(a)	Name of the dealer	
(b)	Address of the dealer	
(c)	UIN	
<i>This may be treated as the mandatory notice under clause (b) of sub-section (2) of section 5 of the Arms Act, 1959</i>		

Part E

Deletion of Firearms or Ammunition from the licence		
1.	Detail of firearm sold or transferred	
	Type of firearm <i>(Rifle/Shot Gun/Hand Gun)</i>	
	Bore/Caliber	
	Weapon Number	
2.	Details of ammunition sold or transferred	
	Bore/caliber of ammunition	
3.	Quantity of ammunition	
	Details of permission to sell granted	
	Reference Number	
4.	Date	<i>DD/MM/YYYY</i>
	Particulars of the purchase or transferee	
(a)	In case sold to an arms dealer	
	Name and address of the arms and ammunition Dealer	
	UIN	
	Serial No. of certificate of acquisition	
	Date of the certificate of acquisition	<i>DD/MM/YYYY</i>
(b)	In case sold to another licensee	
	5. Name of the purchaser or transferee	
5.	UIN	
	Licence number	

Validity of licence	
Validity of permission to acquire possessed by the transferee	<i>DD/MM/YYYY</i>
List of documents to be enclosed	
1. Acquisition certificate of the arms dealer; or	
2. Written confirmation from the purchaser or transferee along with the signed copy of his licence	

Part F

Extension of time limit for acquisition of firearm <i>(see rule 18)</i>		
1	Date of grant of permission to acquire firearm	<i>DD/MM/YYYY</i>
2	Date of expiry of permission to acquire firearm	<i>DD/MM/YYYY</i>
3	Period of validity of the licence	<i>DD/MM/YYYY</i>
4	Reasons for not been able to acquire the firearm within the stipulated period	
5	Details of the firearm to be acquired for which extension is being sought	
6.	Any other claims for special consideration	

Declaration:

I hereby declare that the above particulars given in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I am liable to be proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act, 1959, the Arms Rules, 2016, and other laws for the time being in force.

Signature /Thumb - impression of applicant

Place

Date

Warning:

Suppression of any factual information or furnishing of any false or wrong information in the Application Form in violation of arms rules will render the applicant liable for punishment under Section 30 of the Arms Act, 1959.

Form B-3
Application for addition/deletion of retainer
(See rule 22)

For companies <i>To be filled in separately for every addition or deletion</i>		
1.	Name of the licensee company	
2.	UIN	
3.	Licence number	
4.	Validity of the licence	<i>DD/MM/YYYY</i>
5.	Details of weapons endorsed on the licence	1. 2. 3.

6.	Retainer details	
(a)	Name of the retainer	
(b)	Parent/Spouse Name	
(c)	Date of birth	<i>DD/MM/YYYY</i>
(d)	Date since employed with the organisation	<i>DD/MM/YYYY</i>
(e)	Present address	
(f)	Nearest Police Station	
(g)	Tele/Mobile Number(s)	
(h)	Permanent address	
(i)	Nearest police station	

Date _____

(Signature the licensee)_____
(Signature the retainer)**Form B-4****Application for additional licensees under licence in Form III***(See rule 20)**(to be filed along with Form A-1)***Part A**

IDENTITY OF THE PARENT LICENSEE			
1.	Name of the licensee		
2.	Parent/Spouse Name		
3.	Present address	<i>District</i>	<i>State</i>
		Telephone Number	<i>Office</i> <i>Residence</i>
	Mobile Number		
	Nearest Police Station		
	4.	UIN	
5.	Licence number		
	Date of expiry	<i>DD/MM/YYYY</i>	
6.	Area validity of the licence		

7.	Firearms endorsed on the licence	Weapon 1	Weapon 2	Weapon 3
	Type (Rifle/Shot Gun/Hand Gun)			
	Bore/Caliber			
	Weapon Number			

Part B

IDENTITY OF THE FIRST ADDITIONAL LICENSEE				
1.	Name of the first additional licensee			
2.	Parent/Spouse Name			
3.	Relationship with parent licensee			
4.	Present Address	<i>District</i>		<i>State</i>
	Telephone Number	<i>Office</i>	<i>Residence</i>	
	Mobile Number			
	Nearest Police Station			
5.	Firearms to be endorsed on the additional licence	Weapon 1	Weapon 2	Weapon 3
	Type (Rifle/Shot Gun/Hand Gun)			
	Bore/Caliber			
	Weapon number			

Part C

IDENTITY OF THE SECOND ADDITIONAL LICENSEE				
1.	Name of the second additional licensee			
2.	Parent/Spouse Name			
3.	Relationship with parent licensee			
4.	Present Address	<i>District</i>		<i>State</i>
	Telephone Number	<i>Office</i>	<i>Residence</i>	
	Mobile Number			
	Nearest Police Station			
5.	Firearms to be endorsed on the Additional Licence	Firearm 1	Firearm 2	Firearm 3

Type (Rifle/Shot Gun/Hand Gun)			
Bore/Caliber			
Number			

Declaration –

I, hereby declare that, the person(s) being appointed as additional licensee reside with me at the my registered address as mentioned in my licence in Form III and fall within the definition of close relatives as given under rule 20. In case any of the additional licensees shifts temporarily or permanently from my premises, it will be my responsibility to furnish the information to the licensing authority for cancellation of the licence of such additional licensee.

Place

(Signature of the parent licensee)

Date

Form S-1

Standard format of training certificate

[See rule 10(1)]

To

The Licensing Authority,

Training Certificate

This is to certify the person whose particulars are furnished below has completed the training as stipulated under rule 10(1) of the Arms Rules, 2016 –

1	Name of the person	
2	Father's Name/Spouse Name	
3	Residential address	
4	Age and date of birth	
5	Training period undergone	From __/__/__ To __/__/__
6	Details of firearms for which training has been imparted (please specify)	1. Handguns 2. Rifle 3. Shotguns 4. Air weapons
7	Purpose of training (please specify)	1. Application for arms licence 2. Employ with arms dealer 3. Employ with manufacturer 4. Others

The training curriculum included the following modules:

- basic arms and ammunition safety practices, including safe handling and carry procedures;
- firing techniques and procedures;
- care of arms and ammunition;
- safe storage and transportation of arms and ammunition.


The person named above was also imparted reasonable working knowledge of important provisions of the Arms Act, 1959 and Arms Rules, 2016 relevant to him and made to understand responsibilities of the arms owner or user, particularly in relation to children.

Date

Signatures of the

Certifying Person

Place



Form S-2

Standard format of undertaking for safe storage of firearms

[See rule 10(4)]

To

The Licensing Authority,

Undertaking

This is to solely affirm and declare that –

1. I have applied for grant of a new arms licence/renewal of arms licence (bearing number _____ and my UIN is _____)
2. I undertake to practice safe storage of the firearm (in knocked down condition) when I am not carrying the firearm(s) with me.
3. I undertake to educate the children about the dangers of interacting with arms and ammunition.
4. I have the capacity to store the firearm safely and securely in a safe or steel almirah in order to minimize the risk that it could be stolen or accessed by someone else.

It is hereby solely affirmed that the declaration made above is true to the best of my knowledge and belief and if at any subsequent date, if any of the said declarations is found false or incorrect, I shall be liable for the same including cancellation or revocation of my licence and subject to penal provisions under the Arms Act, 1959.

Place:

(Signatures of the Applicant/Licensee)

Date:

Note: Enclose proof of safe storage as mentioned at S.No. 4

Form S-3**Standard format of medical certificate***[See clause (g) of sub-rule (4) of rule 11)]**(On the letter head of the medical practitioner)*

This is to certify that I have carefully examined the person whose particulars are furnished below –

1	Name of the person examined	
2	Father's Name/Spouse Name	
3	Residential address	
4	Age and date of birth	
5	Height	
6	Weight (in Kgs)	
7	Blood pressure (please specify)	
8	Deformity, if any (particularly in upper limbs)	
9	Any other observation	

On the basis of examination, it is certified that the person examined as mentioned in column 1 above –

1. is in good physical health and is free from any physical deformity;
2. has been found to be of stable mental condition and is not inclined to violence;
3. has been found not dependent on any substance which has an intoxicating or narcotic effect.

Signature of the person examined *named in column (1)* _____

Signature of the medical practitioner _____

Registration Number _____

SEAL

Form S-4**Standard format of police report***(See rule 14)***DRAFT COVERING LETTER****Office of the DM/Commissioner of Police**

Ref. No. _____

Date : _____

To

The Station House Officer,

Police Station _____,

_____.

Sub. : Report under section 13(2) of Arms Act, 1959 of the officer in charge of the nearest police station (of present address of the applicant) on application for grant of arms license or renewal of an arms licence

S.No.	Particulars	Contents
1	Name of the applicant	Mr./Mrs./Messrs
2	Nature of licence applied for (fresh applications)	
3	Licence No. (renewal application)	
4	Address of the applicant	

Note: As per provisions of Section 13(2) of Arms Act, 1959, on receipt of an application, the licensing authority shall call for the report from the officer-in-charge of the nearest police station on the application and such officer shall send his report within the prescribed time. Accordingly the report be sent in the format attached here within 30 days.

For DM/CoP

Enclosures:

Copy of application form (original)/renewal form along with enclosures


ANTECEDENT VERIFICATION REPORT*(TO BE FILLED IN BY THE POLICE DEPARTMENT)*

1.	Name of the applicant		
2.	Father/Spouse Name		
3.	Present address		
	Nearest police station of the present address		
4.	Whether the applicant has ever been convicted?	Yes	No
(a)	If so, the offence(s) the sentence and date of sentence		
	Ordered to execute a bond under Chapter VII of Code of Criminal Procedure, 1973 (2 to 1974) for keeping the peace or for good behavior.	Yes	No
(b)	If so, when and for what period?		
	Prohibited under the Arms Act, 1959, or any other law from acquiring, having in his possession or carrying any arms or ammunition		
(c)	If yes, the details thereof		
5.	Has the applicant any serious enmity or quarrel which is likely to lead to a breach of peace? If yes, Give details	Yes	No
6.	Has the address and date of birth of the applicant been verified? Give details.	Yes	No
7.	Has the profession/business of the applicant been verified? Give details.	Yes	No
8.	Is any complaint registered against applicant in the Police Station? If so, give details.	Yes	No

9.	Is the applicant involved in any criminal case? If so, give details.	Yes	No
10.	Has applicant been arrested in any criminal case? If so, give details.	Yes	No
11.	Is applicant's name enlisted in police station's bad character register? If so, give details according to the records of police station?	Yes	No
12.	Is applicant's name appears in any case registered by other department of Government of India such as CBI, Narcotics Control Bureau, DRI, Enforcement Directorate etc. which finds mention in the Daily Diary Register of the police station (summons, warrants etc.). If so, give details.	Yes	No
13.	Has the applicant registered a complaint in Police Station regarding threat to life? If so, give details.	Yes	No
14.	Detail of any political or communal organisation of which the applicant is a member.		

Certified that, I have checked the contents of the application form for grant of arms licence submitted by the applicant.

Dated:



Signatures
SHO
Police Station

SCHEDULE IV
(See rule 27)
Table A
Fees payable for licences

PART I			
LICENCES ISSUED UNDER SECTION 3 FOR ACQUISITION AND POSSESSION			
Sr. No.	Licence Form No.	Licence Fee at the time of grant of licence ((in Rs.)	Renewal fee for each subsequent year (in Rs.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	I	2000	1000

2.	II		1000	1000
3.	III, IV, V			
	(a)	Handguns – Revolvers/Pistols <i>(both restricted or permissible)</i>	1000	500
	(b)	Centre fire rifles (semi-automatic) and any other restricted firearm of category I(b) or I(c)	1000	1000
	(c)	Breach loading centre fire rifles <i>(not semi-automatic)</i>	1000	500
	(d)	.22 bore rim-fire Rifles <i>(including semi-automatic)</i>	1000	500
	(e)	Smooth bore breech loading shotguns <i>(including semi-automatic)</i>	1000	500
	(f)	Air Weapons including air rifles and air guns having muzzle energy exceeding 20 joules or 15 ft-lbs. or bore exceeding 0.177" or 4.5 mm Firearm replicas Electronic disabling devices having firing range of less than 15 feet Paint ball markers or guns Blank firing firearms Muzzle Loading (ML) Guns Accessories for any firearms designed or adapted to diminish the noise or flash caused by the firing thereof	1000	500
	(g)	Sword, bayonet, dagger and spear lance.	500	100
	(h)	Weapons of category V of Schedule I other than those mentioned in (g)	500	100
PART II OTHER TYPES OF LICENCES				
Sr. No.	Form No.		Licence Fee at the time of grant of licence (in Rs.)	Renewal fee for each subsequent year wherever applicable (in Rs.)
1	2		3	4
4.	III-B	Permits to retainers of companies <i>(for each entry of addition/deletion)</i>	1000	N/A
5.	V-B	Permits to members of rifle associations/clubs	—	N/A
6.	VI	Temporary export/import licences to tourists/sports persons / others <i>(for each firearm)</i>	1000	N/A
7.	VII	Manufacture and Proof Test <i>(as per the licensed capacity)</i>	Rs. 500 per firearm	N/A
8.	VII-A	Manufacture of Category V arms of Schedule I <i>(as per the licensed capacity)</i>	Rs. 200 per arm	N/A
9.	VII-B	Manufacture of replica of firearms including of antique muzzle loading weapons and air weapons including air rifles/ air guns <i>(as per the licensed capacity)</i>	Rs. 200 per arm	N/A

10.	VII-C	Manufacture of air weapons	Rs. 100 per air weapon	N/A
11.	VIII	Arms and ammunition dealers	2000	1000
12.	VIII-A	Air Weapons Dealers	1000	500
13.	IX	Gunsmiths (for conversion and major repairs)	5000	2000
14.	IX-A	Gunsmiths (for carrying out minor repairs)	2000	1000
15.	X	Composite Import/Export licence for arms and ammunition (for each firearm)	1000	N/A
16.	XI	Journey licence (for each firearm)	500	N/A
17.	XII	Transport licence -		
		<i>Arms and ammunition (for individuals) (for each firearm)</i>	500	N/A
		<i>Arms and ammunition (for dealers and manufacturers) (for a single consignment or maximum three part consignments with in a period of 3 months under the same Transport Licence)</i>	2000	N/A
Sr. No.	Licence Form No.		Licence Fee at the time of grant of licence (in Rs.)	Renewal fee for each subsequent year wherever applicable (in Rs.)
1		2	3	4
18.	XIII	Transport licence for proof testing (for each consignment)	10000	N/A
19.	XIV	Transporter's licence	10000	2000
20.	XV	For Import and Transportation for Govt. of Nepal		
		<i>(for each firearm)</i>	500	N/A-

Table B
Fee for allied services

S.No.	Licence Form	Particulars of service	Fee Amount (Rs.)
1	2	3	4
1.	III	Registration with outside licensing authority under rule 17(1)	500
2.	III	Addition/deletion of retainer under rule 22 (for companies)	500
3.	All	Change of address within the existing licensing authority under rule 17(3)	500
4.	II, III, IV	Endorsement of firearm under rule 18 (for each firearm)	500
5.	II, III, IV	Addition/deletion of firearm (for each firearm)	500

6.	II, III, IV	Transfer of firearms(s) to legal heir under rule 25 (for each firearm)	1000
7.	II, III, V	Change of particulars of 'responsible person' under rule 22(4) by companies	1000
8.	All	Correction of information in licence under rule 33	500
9.	All	Grant of NOC under rule 98	500
10.	II,III,IV,V	Licence book	100
11.	All	Any other service not mentioned above	500

SCHEDULE V

(See rule 16)

**Prescribed time limits for various services under the rules for
licensing authorities under Schedule II**

S.No.	Nature of Service	Rule No.	Prescribed Time Period
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Police Verification	14	30 days of the receipt of application
2	Grant or refusal of a licence	13	60 days of the receipt of police report under rule 13
3	Grant or refusal of additional licence	20	30 days of the receipt of police report under rule 13
4	Renewal of licence	24	30 days of the receipt of police report under rule 13
5	Endorsement of arms or ammunition on licence	18	7 days of the receipt of application of endorsement of weapon
6	Registration of licensee by an outside licensing authority	17	15 days of the receipt of application of registration by the new licensing authority
7	Addition/Deletion of weapon	18	7 days of the receipt of application
8	Permission to sell a firearm	-	3 days of the expiry of stipulated period under Section 5
9	Extension of area validity of licence	19	15 days of the receipt of application by the competent authority under Schedule II
10	Change of Address	17	15 days of the receipt of application of registration by the licensing authority
11	Addition/deletion of retainer of companies	22	7 days of the receipt of application
12	Grant of journey licence	-	2 Working days of the receipt of application
13	Grant of transport licence	96	2 Working days of the receipt of application
14	Grant of NOC	98	2 Working days of the receipt of application
15	Issuance of duplicate booklet	28	7 days of the receipt of application
16	Disposal of Appeals	108	60 days of the receipt of appeal
17	Any other service not defined above		7 days of the receipt of application

[No. V-11026/104/2014-Arms (Vol. III)]

MUKESH MITTAL, Jt. Secy.